



भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष

रिपोर्ट 14.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है



हरियाणा सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(गैर – सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

		संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन			vii
ओवरव्यू			ix
अध्याय – 1 प्रस्तावना			
बजट प्रोफाइल	1.1	1	
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.2	1	
निरंतर बचतें	1.3	2	
राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेसियों को हस्तांतरित निधियां	1.4	2	
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.5	3	
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.6	4	
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार की प्रतिक्रिया	1.7	4	
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.8	5	
लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी	1.9	5	
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.10	5	
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	1.11	6	
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष – वार विवरण	1.12	7	
अध्याय – 2 निष्पादन लेखापरीक्षा			
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सीवरेज स्कीमें	2.1	9	
शहरी स्थानीय निकाय विभाग शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	2.2	27	
शिक्षा विभाग (हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद) सर्व शिक्षा अभियान	2.3	46	

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
ग्रामीण विकास विभाग इंदिरा आवास योजना	2.4	66
सहकारिता विभाग सहकारिता विभाग का कार्यचालन	2.5	80
अध्याय – 3 अनुपालन लेखापरीक्षा		
सिविल विमानन विभाग सिविल विमानन विभाग के क्रियाकलापों में अनियमितताएं	3.1	99
सिविल सचिवालय अनियमित व्यय	3.2	103
अनुबंध के निष्पादन के बिना बैंकों को जगह का आबंटन	3.3	104
विकास एवं पंचायत विभाग पंचायत भूमि का प्रबंधन	3.4	105
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अपात्र राशनकार्ड धारियों को खाद्यान्नों के वितरण के कारण हानि	3.5	109
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग बांड धन की अवसूली	3.6	111
गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग हरियाणा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का प्रबंधन	3.7	112
आवास विभाग – हाउसिंग बोर्ड हरियाणा खुले स्थान का अनियमित आबंटन	3.8	114
सूचना एवं जन संपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों का विभाग सूचना, जनसंपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों के विभाग के कार्यचालन में अनियमितताएं	3.9	115
सिंचाई विभाग माइनर के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.10	118
पंचकुला के पास कौशल्या नदी पर बांध के निर्माण में अनियमितताएं और कमियां	3.11	120
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अपूर्ण जल आपूर्ति स्कीम पर निष्फल व्यय	3.12	122

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) अपूर्ण कार्य	3.13	123
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें), सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग विविध लोक निर्माण अग्रिम	3.14	125
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग लाभग्राहियों को वार्षिकी भुगतान जारी करने में देरी	3.15	128
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) भवनों का निर्माण तथा उनका उपयोग	3.16	132
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि की उपयोगिता की स्थिति	3.17	134
परिवहन विभाग विशेष सड़क ट्रैक्स का परिवार्य भुगतान	3.18	137
शहरी स्थानीय निकाय विभाग सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निष्क्रिय रहना	3.19	138
बकाया लीज मनी की अवसूली के कारण हानि	3.20	139
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के परीक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन में अनियमितताएं	3.21	140

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्ष-वार विवरण	1.9	149
1.2	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण	1.9	150
1.3	वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची	1.10	151
1.4	31 जुलाई 2013 को वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (सिविल प्रतिवेदनों) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण	1.10	153
1.5	उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.10	154
1.6	लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर अभी सरकार को अंतिम निर्णय लेना है	1.10	155
1.7	स्वायत्त निकायों द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाली विवरणी	1.11	156
2.1	कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.1.7.3	158
2.2	निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित नगर निगमों, परिषदों तथा समितियों की सूची	2.2.4	159
2.3	अनुदानों के विपथन के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.7.4	160
2.4	रेगुलराइजेशन चार्जिंज की वसूली न करने के कारण हानि के विवरण	2.2.8.1	161
2.5	सैस की अवसूली के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.8.4	162
2.6	नगर पालिका क्षेत्र में लगाए गए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन टावरों की बकाया वार्षिक नवीकरण फीस के विवरण	2.2.8.6	163
2.7	फायर टैक्स सहित बकाया हाउस टैक्स के विवरण	2.2.8.6	164
2.8	नगर पालिकाओं द्वारा एकत्रित/उद्गृहीत बकाया किराए के विवरण	2.2.8.6	165

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.9	चयनित नगर पालिकाओं द्वारा 2008 - 13 के दौरान स्कीमवार प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय	2.2.9	166
2.10	निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग हरियाणा के बकाया अनुच्छेदों के विवरण	2.2.11.3	168
2.11	हस्ताक्षर / अंगठे के निशान प्राप्त किए बिना मस्टर रोलज पर भुगतान के विवरण	2.3.7.4	170
2.12	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों तथा कन्या विद्यार्थियों के एनरोलमैंट के विवरण	2.3.8.1	171
2.13	मुफ्त पाठ्यपुस्तकों उठाने में विलंब के विवरण	2.3.8.6	172
2.14	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए गए सिविल कार्यों के लक्ष्य एवं प्राप्ति के विवरण	2.3.9	173
2.15	प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी की जिलावार स्थिति	2.3.10.1	174
2.16	अपात्र परिवारों से वसूलनीय राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.6.4	175
2.17	लाभग्राहियों, जिन्होंने दूसरी किस्त प्राप्त की किंतु अपने मकान पूरे नहीं किए, के विवरण	2.4.6.5	176
2.18	लाभग्राहियों, जिन्होंने दो स्कीमों से ग्रामीण आवास हेतु सहायता प्राप्त की थी, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.6.6	177
2.19	आवासीय इकाइयों, जिनका अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया, के विवरण	2.4.6.7	178
2.20	नमूना - जांच किए गए जिलों के संबंध में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के विवरण	2.4.8.1	179
2.21	निरीक्षणों के लक्ष्य एवं प्राप्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.5.8.3	180
2.22	2008 - 13 के दौरान को - ओपरेटिव विभाग द्वारा चलाई गई 21 मेजर स्कीमों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.5.9	181

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है।

राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए गए व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2012 - 13 के दौरान नमूना - लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये थे तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2012 - 13 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में, सीवरेज स्कीमों, शहरी स्थानीय निकायों, सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा आवास योजना तथा सहकारिता विभाग के कार्यचालन पर पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अधिक / अनियमित / निष्फल व्यय, निधियों के विपथन एवं परिहार्य भुगतान इत्यादि से संबंधित ₹ 1,953.20 करोड़ से आवेष्टित 21 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा

‘सीवरेज स्कीमों’ की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- राज्य में 1188.53 मिलियन लीटर प्रतिदिन सृजित सीवेज में से केवल 598.34 मिलियन लीटर प्रतिदिन (50 प्रतिशत) शुद्ध किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.6.1)

- मार्च 2013 तक 158 अधूरी शहरी सीवरेज स्कीमों पर ₹ 323.96 करोड़ का व्यय था। इनमें से 41 स्कीमों गत तीन से 8 वर्षों से पूर्णता की प्रतीक्षा कर रही थी।

(पैराग्राफ 2.1.8)

- ₹ 5.48 करोड़ की लागत पर निर्मित बावल कस्बे का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निष्क्रिय रहा तथा रेवाड़ी जिले में कोसली कस्बे के लिए सीवरेज स्कीम ₹ 9.15 करोड़ खर्च करने के बाद दिसंबर 2009 से परित्यक्त पड़ी थी।

(पैराग्राफ 2.1.10.1)

- यद्यपि गन्नौर कस्बे के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 30 सितंबर 2010 को पूर्ण दिखाया गया था फिल्टर मीडिया के बिना चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वेस्टवाटर शुद्धिकरण के बिना छोड़ा जा रहा था।

(पैराग्राफ 2.1.10.3)

- फरीदाबाद में 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्टवाटर के जनन के विरुद्ध केवल 94 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्ट वाटर शुद्ध किया गया था जबकि शुद्धिकरण की क्षमता 160 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी।

(पैराग्राफ 2.1.11.2)

- यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत निर्मित 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का कार्यचालन स्तरीय नहीं था क्योंकि इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के 232 सैंपलों में से 229 सैंपल मानकों से कम पाए गए थे।

(पैराग्राफ 2.1.11.5)

‘शहरी स्थानीय निकायों के कार्यचालन’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी, कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- नगरपालिकाएं, उनके आरंभ से बैलेंस शीट के रूप में वार्षिक लेरवे तैयार नहीं कर रही थी, परिणामस्वरूप कार्यकलापों के बारे में सही और निष्पक्ष धारणा नहीं बनाई जा सकी।

(अनुच्छेद 2.2.7.1)

- दस नगरपालिकाओं ने विनियमित की गई कालोनियों के मकान मालिकों से दिसंबर 2004 से ₹ 170.41 करोड़ की राशि के विनियमन प्रभार वसूल नहीं किए थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

- तेरह नगरपालिकाओं ने स्वच्छता उद्देश्य के लिए बाह्य जनशक्ति पर जुलाई 2012 से मार्च 2013 के दौरान ₹ 1.95 करोड़ की राशि के सेवा शुल्क से छूट प्राप्त नहीं की थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.3)

- ₹ 101.82 करोड़ की राशि, स्थापना शुल्क (₹ 0.73 करोड़) तथा संचार टावरों का नवीकरण शुल्क (₹ 1.58 करोड़), फायर टैक्स सहित गृह कर (₹ 95.82 करोड़) तथा नगरपालिका की दुकानों के किराए (₹ 3.69 करोड़) के कारण बकाया थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.6)

- छः नगरपालिकाओं में 31 मार्च 2013 को सरकारी विभागों, अधिकारियों/कर्मचारियों, ठेकेदारों इत्यादि के विरुद्ध ₹ 274.48 करोड़ की राशि के अस्थाई अग्रिम लंबित थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.6)

- योजना तथा समन्वय की कमी के कारण रतिया कस्बे की गलियों में सीमेंट कंकरीट/इंटरलाकिंग टाइलें लगाने तथा ड्रेनों के निर्माण पर किया गया ₹ दो करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया था। नगर निगम, हिसार ने अप्राधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों पर ₹ 5.06 करोड़ व्यय किए थे।

(अनुच्छेद 2.2.9.4)

‘सर्व शिक्षा अभियान’ की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम की सही ढंग से आयोजना न करने के कारण ₹ 15.12 करोड़ की बजट राशि में से केवल ₹ 1.23 करोड़ 2008 - 13 के दौरान खर्च किए गए।

(अनुच्छेद 2.3.6.3)

- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट के विरुद्ध 2008 - 2013 के दौरान ₹ 1,501.59 करोड़ (34.86 प्रतिशत) की अत्यधिक बचत थी।

(अनुच्छेद 2.3.7.1)

- 2008 - 2013 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 14.55 लाख से 13.44 लाख तक घट गया था। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 1.25 लाख थी जबकि लक्ष्य इसे शून्य तक लाने का था।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 तथा 2.3.8.2)

- विद्यार्थियों को पुस्तकें और वर्दियां प्रदान करने में बहुत ज्यादा विलंब हुआ। आगे, पुस्तकों की आपूर्ति के लिए संविदा करारनामे में जोखिम एवं लागत क्लॉज के न होने से विभाग को ₹ 5.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

(अनुच्छेद 2.3.8.5 तथा 2.3.8.6)

- 40,472 निर्माण कार्यों में से कुल 32,504 (80.31 प्रतिशत) निर्माण कार्य 2008 - 13 के दौरान पूरे किए गए थे। आगे, 2003 - 07 की अवधि से संबंधित 468 सिविल निर्माण कार्य अद्यूरे रहे।

(अनुच्छेद 2.3.9)

- प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 72,446 पदों के विरुद्ध 54,063 अध्यापक थे, जो 18,383 (25 प्रतिशत) अध्यापकों की कमी को दर्शाती है। आगे, कुछ जिलों में अध्यापक अधिक थे और अन्य जिलों में कमी थी।

(अनुच्छेद 2.3.10.1)

‘इंदिरा आवास योजना’ की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद 470 अपात्र व्यक्तियों को दी गई ₹ 1.74 करोड़ की वित्तीय मदद को वसूल नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.6.4)

- चालीस लाभग्राही, जिनके पास पहले ही पक्के मकान थे, को ₹ 15.88 लाख की राशि की सहायता दी गई।

(अनुच्छेद 2.4.6.5)

- 93,690 घरों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 2008 - 13 के दौरान 72,944 पूरे किए गए थे। घरों के पूर्ण होने के आंकड़े पूर्णतः विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि इसे सात प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। आगे, मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे घरों के अपग्रेडेशन के घटक को लागू ही नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.4.8.1)

- व्यापक आवासीय सुविधाएं देने के लिए अन्य स्कीमों से कन्वर्जेंस उचित ढंग से नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.4.9)

- स्कीम की प्रणाली लागू करने के लिए मॉनीटरिंग तथा प्रबंधन सूचना कमज़ोर थी तथा सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.4.10.1 से 2.4.10.3)

‘सहकारिता विभाग के कार्यचालन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- सरकार ने सहकारी समितियों में शेयर पूँजी में ₹ 594.07 करोड़ निवेश किए थे परंतु इन निवेशों से रिटर्न (₹ 1.36 करोड़) नगण्य थे। विभाग ने रिडीमेबल शेयर पूँजी तथा ऋणी समितियों से वसूल की जाने वाली अर्जित ऋण राशि के संबंध में समेकित डाटा नहीं रखा था।

(अनुच्छेद 2.5.7.6)

- सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए ₹ 181.87 करोड़ की ब्याज राशि इस शर्त के साथ माफ कर दी गई कि ये लाभ में परिवर्तित होंगी।

(अनुच्छेद 2.5.7.7)

- 2008 - 09 तक 33,766 पंजीकृत समितियां थीं जो मार्च 2012 की समाप्ति तक 35,622 तक बढ़ गई थीं। विभाग ने 2008 - 12 के दौरान 41 से 47 प्रतिशत के बीच समितियों की लेखापरीक्षा की। आगे, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना, लेखापरीक्षा की गई समितियों के केवल 12 प्रतिशत द्वारा की गई।

(अनुच्छेद 2.5.8.1 तथा 2.5.8.2)

- नौ सहकारी चीनी मिलों ने ऋण की शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन में 2009 - 10 के दौरान जारी किए गए ₹ 42.50 करोड़ के ऋणों का पुनर्भुगतान आरंभ नहीं किया था। 2010 - 13 के दौरान सहकारी चीनी मिलों को ₹ 225.90 करोड़ की राशि का ऋण दिया गया था।

(अनुच्छेद 2.5.9.1)

- ‘राज्य ब्याज सबवैन्शन स्कीम’ के अंतर्गत हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्ष स बैंक लिमिटेड द्वारा की गई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 7.55 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जबकि स्कीम प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों को ब्याज देयता में राहत प्रदान करने के विचार से आरंभ की गई थी।

(अनुच्छेद 2.5.9.2)

- हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्ष स बैंक लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने ₹ 7.67 करोड़ राशि के शेयर कैपिटल की रिटायरमेंट के कारण राशि का भुगतान नहीं किया था।

(अनुच्छेद 2.5.9.3)

कंपलायंस लेखापरीक्षा

हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के तीन विमानन क्लब 2008 - 13 के दौरान उड़ान के घंटों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही। ₹ 5.36 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए जाने के बावजूद खर्च, आय से ₹ 1.05 करोड़ तक बढ़ गया था। 2007 - 08 के बाद हरियाणा सिविल विमानन संस्थान ने अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया था, विमान चालकों को अस्वीकार्य भर्तों का भुगतान किया गया था और वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक के पद की स्वीकृति भर्ती के 10 महीनों बाद की गई थी।

(अनुच्छेद 3.1)

12,208 हैक्टेयर पंचायत भूमि अतिक्रमण अधीन थी। भूमि उपयोगिता प्लान तैयार नहीं की गई थी। ₹ 3.22 करोड़ का लीज किराया एक से 25 माह की दौरी से प्राप्त हुआ। सावधि जमा में राशि के न जमा करवाने के कारण ₹ 79.27 लाख के ब्याज की हानि हुई। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आठ मामलों में ₹ 2.39 करोड़ की एन्यूट्री का भुगतान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.4)

राज्य सरकार ने दिसंबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान 1,73,907 अपात्र गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को गेंहूं प्रदान करने के लिए ₹ 2.02 प्रति किलोग्राम की दर पर सब्सिडी पर ₹ 18.59 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था।

(अनुच्छेद 3.5)

मॉनीटरिंग के अभाव में 913 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण के अधीन थी, 1,281 वक्फ संपत्तियों के विरुद्ध ₹ 3.97 करोड़ का लीज किराया बकाया था, लीज किरायों को 20 वर्षों से संशोधित नहीं किया गया था। वक्फ संपत्तियों का म्यूटेशन, केन्द्रीय कम्यूटिंग सुविधाओं तथा सर्वेक्षण को पूर्ण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.7)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

सिंचाई विभाग के दो मंडलों के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 15.97 करोड़ की लागत से निर्मित एक माइनर अप्रयुक्त रही।

(अनुच्छेद 3.10)

₹ 213.18 करोड़ विविध लोक निर्माण अग्रिमों में बकाया थे जो कि मुख्यतः सामग्री/सेवा की प्राप्ति के बाद भी, अग्रिमों के असमायोजन ₹ 127.62 करोड़, ठेकेदारों से ₹ 27.51 करोड़ तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से ₹ 1.55 करोड़ की वसूली न करने के कारण थे।

(अनुच्छेद 3.14)

लाभग्राहियों को ₹ 238.37 करोड़ की वार्षिकी भुगतान जारी करने में देरी थी। पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के अनुरूप प्लाट/वाणिज्यिक स्थल विस्थापित भू-स्वामियों को आवंटित नहीं किए गए थे तथा सामुदायिक विकास ढांचे का निर्माण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.15)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्रयोगकर्ता विभागों से सहमति प्राप्त किए बिना विभिन्न भवनों का निर्माण किया। ₹ 30.82 करोड़ की लागत पर निर्मित 34 भवन तथा ₹ 13.99 करोड़ की लागत से निर्मित 416 बूथ, कायोस्क तथा शाप - कम - आफिस खाली पड़े थे। इसके अतिरिक्त, आडिटोरियम भवन का ₹ 9.33 करोड़ का पट्टा किराया वसूल नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.16)

मानीटरिंग की कमी के कारण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित 1,323.83 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधीन थी तथा 4,921.69 एकड़ भूमि किसानों द्वारा अधिगृहीत खेती के अधीन थी।

(अनुच्छेद 3.17)

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण - पत्र और भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्लियरेंस प्राप्त न करने से ₹ 11.05 करोड़ की लागत पर निर्मित सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अप्रैल 2010 से निष्क्रिय पड़ा था।

(अनुच्छेद 3.19)

मनमाने ढंग से चुने गए 14 कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उच्चतर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुसूचित जातियाँ/पिछड़े वर्गों के 9,906 प्रशिक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने पर विभाग ने ₹ 5.22 करोड़ व्यय किए। योग्यता की जांच किए बिना और यह सुनिश्चित किए बिना कि कोचिंग वास्तव में दी गई थी या नहीं, भुगतान कर दिया गया।

(अनुच्छेद 3.21)

अध्याय १

प्रस्तावना

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

राज्य में 56 विभाग तथा 97 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2008 – 13 के दौरान बजट अनुमानों तथा राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध वास्तविकों की स्थिति तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1: 2008 – 13 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	7,173	6,024	7,876	7,755	8,916	9,328	10,684	10,220	12,331	11,897
सामाजिक सेवाएं	6,445	7,259	9,783	9,902	11,349	10,904	13,969	12,642	15,935	14,516
आर्थिक सेवाएं	6,470	7,035	8,072	7,530	8,142	7,997	9,923	9,054	11,348	11,557
सहायता अनुदान एवं अंशदान	193	216	90	70	76	81	103	99	170	102
कुल (1)	20,281	20,534	25,821	25,257	28,483	28,310	34,679	32,015	39,784	38,072
पूँजीगत परिव्यय	3,360	4,502	3,973	5,218	3,516	4,031	4,641	5,372	4,661	5,762
सवितरित ऋण एवं अग्रिम	391	332	1,483	830	1,602	722	957	627	874	522
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,389	1,292	3,686	2,746	5,954	3,971	6,666	4,037	9,221	5,951
आकस्मिक निधि	-	-	-	-	-	190	-	168	-	-
लोक लेखा सवितरण	80,092	11,442	52,628	14,320	66,505	15,324	73,595	17,051	75,894	21,074
आतिम नकद शेष	-	3,405	-	493	-	377	-	2,162	-	2,697
कुल (2)	86,232	20,973	61,770	23,607	77,577	24,615	85,859	29,417	90,650	36,006
कुल योग(1+2)	1,06,513	41,507	87,591	48,864	1,06,060	52,925	1,20,538	61,432	1,30,434	74,078

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणियां तथा राज्य सरकार के बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

2012 – 13 के दौरान ₹ 1,30,434 करोड़ के अनुमानित कुल परिव्यय के विरुद्ध ₹ 74,078 करोड़ का कुल व्यय था। राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2008 – 09 में ₹ 20,534 करोड़ से 85 प्रतिशत बढ़कर 2012 – 13 में ₹ 38,072 करोड़ हो गया। 2008 – 13 की अवधि के दौरान नॉन – प्लान राजस्व व्यय ₹ 16,616 करोड़ से 72 प्रतिशत बढ़कर ₹ 28,616 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय ₹ 4,502 करोड़ से 28 प्रतिशत बढ़कर ₹ 5,762 करोड़ हो गया।

2008 – 13 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय ने कुल व्यय का 81 से 86 प्रतिशत तथा पूँजीगत व्यय ने 12 से 18 प्रतिशत संघटित किया।

इस अवधि के दौरान कुल व्यय 15 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियां 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर- सा.क्षे.ज.) का प्रतिवेदन

1.3 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान चार अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थीं जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं (तालिका 1.2)।

तालिका 1.2: 2008 – 13 के दौरान निरंतर बचतें वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता (बचत की राशि)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व (वोटिंग)						
1.	04 - राजस्व	41 (157.52)	33 (179.31)	22 (273.17)	47 (421.74)	39 (358.99)
2.	08 - भवन एवं सड़कें	11 (86.18)	12 (111.52)	24 (249.50)	28 (300.75)	6 (70.41)
3.	24 - सिंचाई	10 (417.11)	09 (366.75)	27 (311.48)	30 (409.81)	27 (375.55)
पूंजीगत (वोटिंग)						
4.	45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अधिगम	29 (137.36)	44 (653.58)	55 (880.53)	46 (532.72)	41 (366.19)
पूंजीगत (चार्जर्ड)						
5.	लोक ऋण	46 (1,097.31)	43 (2,032.39)	41 (3,226.08)	37 (2,944.26)	40 (4,250.68)

1.4 राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

2012 – 13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के माध्यम के बिना तालिका 1.3 में दिए गए अनुसार विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 1,980 करोड़ हस्तांतरित किए। कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा सीधे ही हस्तांतरित निधियों तथा प्रमुख फ्लैगशिप स्कीमों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों, जो राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, पर विशेष वर्ष में कितना धन वास्तव में खर्च किया गया है, को मानीटर करने के लिए राज्य में एक भी एजेंसी नहीं है तथा कोई सुलभ डाटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 1.3 : राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम / स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी	केंद्र का हिस्सा 2012-13
1.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	63.57
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	380.57
3.	इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	80.27
4.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	31.24
5.	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	17.01
6.	एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	2.64
7.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (प्रशासन)	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	22.54
8.	पिछ़ा क्षेत्र अनुदान निधि	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	23.92
9.	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा सदन सोसाइटी	694.28
10.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	शिक्षा सदन सोसाइटी	2.30
11.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	3.72
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	282.54
13.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	उपलब्ध नहीं	90.82
14.	प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	36.49
15.	मिड डे मील	शिक्षा सदन सोसाइटी	247.80
	कुल		1,979.71

(स्रोत: संबंधित विभागों तथा वित्त लेखाओं द्वारा आपूरित सूचना)।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2008 – 09 से 2012 – 13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान तालिका 1.4 में दिए गए हैं।

तालिका 1.4: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
नॉन - प्लान अनुदान	524	1,617	1,766	1,246	852
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	731	920	750	675	728
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	32	51	88	51	44
केंद्रीय प्रयोजित स्कीमों के लिए अनुदान	547	669	447	783	716
कुल	1,834	3,257	3,051	2,755	2,340

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)।

1.6 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्कीमों/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम निर्धारण, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों तथा नागरिकों की अपेक्षाओं और पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है। जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की फ्रीक्वेंसी तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब - जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2012 - 13 के दौरान राज्य के 940 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा 25 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी की गई थी।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर निगेटिव प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। मुख्यतः विशिष्ट कार्यक्रमों/स्कीमों की लेखापरीक्षा तथा नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारियों को उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करना था।

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखा परीक्षा पर विनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार विभागों द्वारा छ: सप्ताह के भीतर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन ड्राफ्ट पैराओं पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित थी। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था कि भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो कि हरियाणा विधान सभा को प्रस्तुत किया जाता है, में शामिल करने से पहले उनकी टिप्पणी वांछित थी। प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित इन ड्राफ्ट रिपोर्टों तथा अनुच्छेदों को संबंधित अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किया गया था। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं, 21 ड्राफ्ट अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 10 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त किए गए हैं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

1.8 लेरवापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों के लेरवाओं की नमूना - लेरवापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए वसूलियों से आवेष्टित लेरवापरीक्षा परिणाम, पुष्टि तथा लेरवापरीक्षा को सूचना के अधीन आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजे गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेरवापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2012 - 13 के दौरान 27 मामलों में ₹ 2.86 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

1.9 लेरवापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेरवाकार (लेरवापरीक्षा) अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेरवापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेरवाकार (लेरवापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छ: माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की अर्ध - वार्षिक रिपोर्ट, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन में लेरवापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानोटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती है।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सहित) के विभिन्न कार्यालयों के मार्च 2013 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 3,323.38 करोड़ (परिशिष्ट 1.1) के धन मूल्य वाले 229 निरीक्षण प्रतिवेदन के 718 अनुच्छेद जून 2013 के अंत तक बकाया थे। इनमें से 111 निरीक्षण प्रतिवेदनों से आवेष्टित 253 अनुच्छेद पांच वर्षों से अधिक पुराने थे। इन निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनका 30 जून 2013 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी - वार विवरण परिशिष्ट 1.2 में इंगित किए गए हैं।

विभाग के प्रशासनिक सचिव, जिन्हें अर्ध - वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, लेरवापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहे। मामला अगस्त 2013 में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को भेजा गया था।

1.10 लेरवापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों से नियंत्रक - महालेरवापरीक्षक के लेरवापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेरवापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेरवापरीक्षाओं पर, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या ये मामले लोक लेरवा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वतः सकारात्मक एवं निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित थी। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेरवापरीक्षा प्रतिवेदनों

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर- सा.क्षे.ज.) का प्रतिवेदन

के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांची गई विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी भी अपेक्षित थी।

31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2008 - 09, 2009 - 10, 2010 - 11 तथा 2011 - 12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों राज्य विधान - मंडल को प्रस्तुत¹ किए गए थे। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (**परिशिष्ट 1.3**) में शामिल किए गए 24 प्रशासनिक विभागों के 68 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 21 प्रशासनिक विभागों के मामले में 40 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों परिशिष्ट 1.4 में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए थे। 21 प्रशासनिक विभागों में से चार प्रशासनिक विभागों अर्थात लोक निर्माण (भवन एवं सड़क शाखा), सिंचाई, शिक्षा तथा परिवहन ने 40 अनुच्छेदों /समीक्षाओं में से 19 के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियों प्रस्तुत नहीं किए। कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक विभागों में से नौ प्रशासनिक विभागों ने परिशिष्ट 1.5 में दिए गए विवरणों के अनुसार 16 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 29.45 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

आगे, लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1971 - 72 से 2007 - 08 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 413 सिफारिशों, परिशिष्ट 1.6 में दिए गए विवरणों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अतिम कार्रवाई अब तक वाढ़ित थी।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि वित्त विभाग ने तीव्रता से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर तुरंत फालोअप एक्शन लिया तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के तुरंत निपटान के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों को विस्तृत अनुदेश जारी किए थे। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तरों के अतिरिक्त सुशासन सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध ढंग से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई टिप्पणियों के प्रस्तुतिकरण की मानीटरिंग के लिए एक शीर्ष समिति भी बनाई गई थी। परंतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के समाधान तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया में गंभीरता की कमी थी क्योंकि बहुत सी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशें अभी तक लंबित थी।

1.11 प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 28 निकायों के लेखाओं का आडिट नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा को सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखा प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति परिशिष्ट 1.7 में इंगित की गई है। लेखापरीक्षा को

¹ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008 - 09: मार्च 2010, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009 - 10: मार्च 2011, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010 - 11: फरवरी 2012 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011 - 12: मार्च 2013

लेरवाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में पृथक लेरवापरीक्षा प्रतिवेदनों के रखने में विलंबों को तालिका 1.5 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.5: लेरवाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेरवापरीक्षा प्रतिवेदनों के पटल पर रखने में विलंब

लेरवाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण	विधानसभा में पृथक लेरवापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में विलंब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण
0 - 1	4	स्वायत्त निकायों द्वारा लेरवे तैयार नहीं किए गए थे।	0 - 1	1	विभागों द्वारा विलम्ब के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
1 - 6	5		1 - 2	2	
6 - 12	-		2 - 3	6	
12 - 18	7		3 - 4	1	
18 - 24	-		4 - 5	-	
24 एवं अधिक	12		5 एवं अधिक	7	
कुल	28			17	

आगे यह देखा गया कि 6² स्वायत्त निकायों ने अपने वार्षिक लेरवे गत 16 वर्षों (1996 - 97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे।

1.12 लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष - वार विवरण

गत दो वर्षों के लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष - वार विवरण उनके धन मूल्य के साथ तालिका 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: 2012 - 13 के दौरान लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों से संबंधित विवरण

वर्ष	निष्पादन लेरवापरीक्षा		अनुच्छेद		प्राप्त किए गए उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेरवापरीक्षा	ड्राफ्ट अनुच्छेद
2010-11	4	118.09	15	28.20	1	1
2011-12	5	1,958.20	25	490.61	5	22

2012 - 13 के दौरान ₹ 1,166.63 करोड़ मूल्य वाली पांच निष्पादन लेरवापरीक्षाएं तथा ₹ 786.57 करोड़ मूल्य वाले 21 अनुच्छेद इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। दो निष्पादन लेरवापरीक्षाओं तथा 10 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त कर लिए गए हैं जो उपयुक्त रूप से लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिए गए हैं।

² जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण: गुडगांव, झज्जर, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक तथा सोनीपत।

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय – 2

निष्पादन लेरवापरीक्षा

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.1 सीवरेज स्कीमें

लगभग 80 प्रतिशत सीवेज घरों से निकलने वाले घरेलू वेस्ट वाटर के कारण पैदा होता है। सीवरेज स्कीमें जनता को स्वास्थ्यकर सुविधाएं प्रदान करती हैं तथा नदियों/नहरों में जल प्रदूषण कम करती हैं। राज्य में 154 (2011 जनगणना) कस्बों में से 70 आंशिक सीवरेज सुविधाओं से कवर किए गए हैं जबकि शेष 84 कस्बों को सीवरेज सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।

कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

राज्य में 1188.53 मिलियन लीटर प्रतिदिन सृजित सीवेज में से केवल 598.34 मिलियन लीटर प्रतिदिन (50 प्रतिशत) शुद्ध किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.6.1)

मार्च 2013 तक 158 अधूरी शहरी सीवरेज स्कीमों पर ₹ 323.96 करोड़ का व्यय था। इनमें से 41 स्कीमें गत तीन से 8 वर्षों से पूर्णता की प्रतीक्षा कर रही थी।

(पैराग्राफ 2.1.8.)

₹ 5.48 करोड़ की लागत पर निर्मित बावल कस्बे का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निष्क्रिय रहा तथा रेवाड़ी जिले में कोसली कस्बे के लिए सीवरेज स्कीम ₹ 9.15 करोड़ खर्च करने के बाद दिसंबर 2009 से परिस्थित पड़ी थी।

(पैराग्राफ 2.1.10.1)

यद्यपि गन्नौर कस्बे के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 30 सितंबर 2010 को पूर्ण दिखाया गया था फिल्टर मीडिया के बिना चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वेस्टवाटर शुद्धिकरण के बिना छोड़ा जा रहा था।

(पैराग्राफ 2.1.10.3)

फरीदाबाद में 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्टवाटर के जनन के विरुद्ध केवल 94 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्ट वाटर शुद्ध किया गया था जबकि शुद्धिकरण की क्षमता 160 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी।

(पैराग्राफ 2.1.11.2)

यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत निर्मित 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का कार्यचालन स्तरीय नहीं था क्योंकि इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के 232 सैंपलों में से 229 सैंपल मानकों से कम पाए गए थे।

(पैराग्राफ 2.1.11.5)

2.1.1 प्रस्तावना

लगभग 80 प्रतिशत सीवेज घरों से निकलने वाले घरेलू वेस्ट वाटर के कारण पैदा होता है। तीव्र शहरीकरण तथा जनसंख्या में वृद्धि से अस्वास्थ्यकर स्थितियां, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा बीमारियों में वृद्धि हो रही थी। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सीवेज या मल तथा विसर्जित कूड़ा - करकट को सही ढंग से संगृहीत, वाहित, उचित डिग्री तक शुद्ध तथा अंत में निपटा दिया जाए। स्वास्थ्यकर सीवरेज तथा स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य के 154 कस्बों (2011 जनगणना) में से 70 आंशिक सीवरेज सुविधाओं से कवर किए गए हैं जबकि शेष 84 कस्बों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

मुख्यमंत्री की अधीन हरियाणा राज्य जलापूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड, सीवरेज स्कीमों की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उनके कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान करता है। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजकीय स्तर पर प्रशासनिक प्रधान है तथा नीतियों, कार्यक्रमों तथा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। प्रमुख अभियंता विभाग का प्रधान है तथा उसके अधीन मुख्यालय पर चार मुख्य अभियंता तथा एक निदेशक, जल तथा सीवरेज सहायता संगठन - सह - मुख्य अभियंता होता है। इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अध्यक्षित 15 सर्कल कार्यालय तथा कार्यकारी अभियंताओं द्वारा अध्यक्षित 56 मंडल कार्यालय हैं। मंडल स्तर पर कार्यकारी अभियंता कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

2.1.3 ऑडिट उद्देश्य

निष्पादन ऑडिट के मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकित करना है कि:

- प्लानिंग प्रक्रिया उपयुक्त तथा प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबंध, दृढ़ एवं प्रभावी था;
- स्कीमों का कार्यान्वयन प्रभावी, कुशल तथा मितव्ययी था; तथा
- एक प्रभावी मानीटरिंग प्रणाली विद्यमान थी।

2.1.4 ऑडिट स्कोप तथा पद्धति

सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य जल तथा सीवरेज बोर्ड, प्रमुख अभियंता के कार्यालय तथा 56 मंडलों में से 18¹ मंडल, जो कि 15 सर्कलों में से आठ के अधीन थे तथा राज्य में 21 जिलों में से सात² जिलों को कवर करते थे, में 2008-13 की अवधि को आवृत्त करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च - जून 2013 के दौरान की गई थी। यूनिटों का चुनाव प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनेट टू साइज विदाउट

¹ जन - स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, (i) अंबाला कैंट, (ii) अंबाला सिटी, (iii) नारायणगढ़, (iv) गुडगांव, (v) नं. 1, हिसार, (vi) नं.2, हिसार, (vii) नं.3, हिसार, (viii) हांसी, (ix) नं.1 कैथल, (x) नं.2, कैथल, (xi) नं.3, कैथल, (xii) नं.1, करनाल, (xiii) नं.2, करनाल, (xiv) कोसली, (xv) कुरुक्षेत्र, (xvi) रेवाड़ी, (xvii) नं. 2, रेवाड़ी तथा (xviii) सोहना।

² (i) अंबाला, (ii) गुडगांव, (iii) हिसार, (iv) कैथल, (v) करनाल, (vi) कुरुक्षेत्र तथा (vii) रेवाड़ी।

रिप्लेसमेंट मैथड अपनाते हुए किया गया था। इसके अतिरिक्त, पानीपत जिले को पायलट स्टडी के लिए चुना गया था, वो और यमुना एक्शन प्लान जिलों अर्थात् यमुनानगर तथा फरीदाबाद आवृत्त किए गए थे। महेन्द्रगढ़, फतेहाबाद, सोनीपत तथा मेवात जिलों के सीवरेज कार्यक्रम से संबंधित वार्षिक लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण ऑडिट परिणाम भी इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ 26 अप्रैल 2013 को एक 'एंट्री काफ्रेंस' की गई थी जिसमें ऑडिट उद्देश्य, ऑडिट मापदंड तथा ऑडिट के स्कोप पर चर्चा की गई थी।

ऑडिट परिणामों पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ सितंबर 2013 में हुई एग्जिट काफ्रेंस में चर्चा की गई थी। सरकार के उत्तर तथा 'एग्जिट काफ्रेंस' के विचार विमर्श उपयुक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

2.1.5 ऑडिट मापदंड

निम्नलिखित स्रोतों से ऑडिट मापदंड लिए गए थे:

- विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टें तथा फिजीबिलिटी स्टडी रिपोर्टें।
- हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड।
- सीवरेज स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए गाइडलाइन्ज / अनुदेश।
- भारत सरकार के सीवरेज तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मैनुअल।

ऑडिट परिणाम

2.1.6 प्लानिंग

2.1.6.1 सीवेज जनन तथा शुद्धिकरण की स्थिति

राज्य के 154 कस्बों (2011 की जनगणना अनुसार) में से 70 में 1,188.53 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज की उत्पत्ति के विरुद्ध केवल 598.34 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में शुद्ध किया जा रहा था तथा शेष 590.19 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज (50 प्रतिशत) अनुपचारित छोड़ा जा रहा था। शेष 84 कस्बे तथा ग्रामीण क्षेत्र किसी सीवरेज स्कीमों द्वारा कवर नहीं किए गए थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया कि 154 कस्बों में से केवल 80 कस्बे अधिसूचित थे जिनमें से 77 कस्बे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के परब्दू अधीन थे जबकि तीन शहरों अर्थात् पंचकुला, फरीदाबाद तथा गुडगांव की सीवरेज प्रणालियों का रख-रखाव नगर निगमों तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा था। प्रमुख अभियंता ने आगे बताया कि आशिक सीवरेज सुविधा 67³ कस्बों में प्रदान की गई थी तथा शेष 10 कस्बों के लिए अनुमान सरकार द्वारा प्रशासनिक तौर पर बाद में अनुमोदित कर दिए गए थे।

सरकार सभी कस्बों में सीवेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत अन्य 84 कस्बों को लाने का प्रयत्न कर सकती है।

³ नगर निगम तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा रख-रखाव किए जा रहे तीन शहरों पंचकुला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोड़कर।

2.1.6.2 मैनुअल तैयार न करना

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय ने सीवरेज तथा सीवरेज ट्रीटमेंट पर एक मैनुअल 1993 में निकाला था लेकिन विभाग ने न तो अपना स्वयं का मैनुअल तैयार किया था और न ही विभिन्न सीवरेज स्कीमों के निष्पादन के लिए भारत सरकार को मैनुअल की अनुपालना की थी। इसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण तथा अस्वास्थ्यकारी दशाओं की समस्याओं के निवारण के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान विभाग द्वारा तैयार करना अपेक्षित था लेकिन ऐसा कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया था। इसकी अनुपस्थिति में सीवरेज स्कीमें एक योजनाबद्ध तरीके से अनुमोदित नहीं की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने विभागीय अधिकारियों को फेजवार ढंग से सभी कस्बों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैनुअल तथा विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिए।

2.1.6.3 सीवरेज कनैक्शन लेना अनिवार्य न करना

सीवरेज स्कीमों का उद्देश्य परिवारों के घरेलू वेस्टवाटर को मुख्य सीवर के साथ कनैक्टिविटी प्रदान करके टैप करना था। पूर्ण की गई सात सीवरेज स्कीमों के संबंध में तालिका 2.1.1 में दिए विवरणानुसार केवल कुछ परिवारों द्वारा सीवरेज कनैक्शन लिए गए थे।

तालिका 2.1.1: परिवारों को दिए गए कनैक्शनों का विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	किया गया कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पूर्णता का महीना	क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या	सीवरेज कनैक्शन वाले परिवारों की संख्या	बिना सीवरेज कनैक्शन के परिवारों की संख्या
1	सीवरेज स्कीम, बरवाला	7.20	मार्च 2011	8,449	157	8,292
2	सीवरेज स्कीम, कलायत	11.90	सितंबर 2012	2,433	शून्य	2,433
3.	सीवरेज स्कीम, नारायणगढ़	5.58	2006 - 07	6,600	703	5,897
4.	सीवरेज स्कीम, सोहना	8.46	जून 2010	5,000	1,278	3,722
5.	सीवरेज स्कीम, समालखा	8.00	सितंबर 2010	6,488	89	6,399
6.	सीवरेज स्कीम, गन्नौर	17.37	सितंबर 2010	9,183	105	9,078
7.	सीवरेज स्कीम, नारनौद	2.78	अप्रैल 2012	4,169	शून्य	4,169
कुल		61.29		42,322	2,332	39,990

स्रोत: संबंधित मंडलों द्वारा प्रदत्त डाटा।

42,322 में से केवल 2,332 परिवारों ने सीवरेज कनैक्शन लिए थे। राज्य सरकार ने परिवारों के लिए सीवरेज कनैक्शनों का लेना अनिवार्य नहीं किया था यद्यपि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्रों के लिए इसे अनिवार्य किया था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने विभागीय अधिकारियों को शहरी स्थानीय निकाय विभाग से परामर्श करने तथा परिवारों के लिए सीवरेज कनैक्शन लेना अनिवार्य करने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

2.1.7 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

2008 - 13 के दौरान राज्य प्लान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) (सीवरेज), यमुना एक्शन प्लान तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत शहरी सीवरेज स्कीमों पर वित्तीय परिव्यय तथा व्यय तालिका 2.1.2 में दिया गया है:

तालिका 2.1.2: 2008 – 13 के दौरान बजट प्रावधानों तथा किए गए व्यय के विवरण
(₹ करोड़ में)

स्कीम का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचतें (-) /आधिक्य (+) संशोधित अनुमान के संबंध में
अर्बन सीवरेज स्कीम	586.50	613.13	592.13	(-) 21.00
आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज (सीवरेज)	314.04	314.04	314.04	शून्य
यमुना एक्शन प्लान	74.35	74.30	50.94	(-) 23.36
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीवरेज)	206.00	206.00	197.06	(-) 8.94

स्रोत: प्रमुख अभियंता, पंचकुला द्वारा प्रदत्त डाटा तथा हरियाणा राज्य बजट से यमुना एक्शन प्लान के आंकड़े।

2.1.7.1 अनुमानों से अधिक व्यय

लोक निर्माण विभाग कोड के 10.16 अनुच्छेद के अनुसार जब संस्वीकृत अनुमान या तो अपर्याप्त दरें पाए जाने के कारण अथवा किन्हीं अन्य कारणों से बढ़ने की संभावना हो तो एक संशोधित अनुमान अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नमूना – जांच किए गए 18 मंडलों में से नौ⁴ में यह देखा गया कि ₹ 98.80 करोड़ की स्वीकृत अनुमानित लागत के विरुद्ध, 16 संस्वीकृत निर्माण कार्यों (प्रत्येक मामले में 5 प्रतिशत से ज्यादा) पर 2008 – 13 के दौरान ₹ 108.55 करोड़ का व्यय किया गया था। इन निर्माण कार्यों के संशोधित अनुमान मार्च 2013 तक तैयार नहीं किए गए थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए संशोधित अनुमान तैयार करने के लिए फील्ड अधिकारियों को निदेश दिए जाएंगे।

2.1.7.2 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से वसूलनीय राशि

(i) आनुपातिक ओ. एंड एम. प्रभारों की वसूली न करना

यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत, राज्य के छह⁵ कस्बों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किए गए थे। इन शहरों में सिवाय गुडगांव (जहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे) के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्रों से सीवेज भी इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की ओर मोड़ दिया गया था। विभाग द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अनुपातिक ओ. एंड एम. चार्जिंज वसूल किए जाने अपेक्षित थे। ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के आनुपातिक संचालन तथा रख – रखाव प्रभारों के कारण चार यमुना एक्शन प्लान शहरों के लिए ₹ 10.02⁶ करोड़ तथा फतेहाबाद कस्बे के लिए ₹ 80.70 लाख की राशि विभाग द्वारा वसूलनीय रही (जून 2013)।

आगे, रेवाड़ी कस्बे के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों से उत्पन्न कुल वेस्टवाटर का 35 प्रतिशत शुद्धिकरण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सीवर में डाइवर्ट कर दिया गया था।

⁴ (i) अंबाला शहर, (ii) हांसी, (iii) महेन्द्रगढ़ (iv) पानीपत सं. 2, (v) रेवाड़ी सं. 2, (vi) कोसली (vii) सोनीपत सं. 3, (viii) गोहाना तथा (ix) यमुनानगर सं. 2

⁵ (i) फरीदाबाद, (ii) गुडगांव, (iii) करनाल, (iv) पानीपत, (v) सोनीपत तथा (vi) यमुनानगर – जगाधरी।

⁶ (i) करनाल: ₹ 224.97 लाख, (ii) पानीपत: ₹ 291.53 लाख, (iii) सोनीपत: ₹ 415.74 लाख तथा (iv) यमुनानगर: ₹ 69.80 लाख।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर- सा.क्षे.ज.) का प्रतिवेदन

लेकिन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के अनुपातिक संचालन तथा रख - रखाव शुल्कों के बिल वसूल नहीं किए गए थे। इंगित किए जाने पर, कार्यकारी अभियंता, रेवाड़ी ने बताया (अप्रैल 2013) कि अनुपातिक लागत के लिए बिल प्रमुख अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भी विभिन्न कस्बों के कुछ क्षेत्रों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा दी जा रही जलापूर्ति तथा सीवरेज सेवाओं के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से शुल्क वसूल करने थे। आगे यह बताया गया कि कार्यकारी अभियंता, रेवाड़ी को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विरुद्ध सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के अनुपातिक संचालन तथा रख - रखाव प्रभारों के लिए बिल प्रस्तुत करने के निवेश दिए जाएंगे।

(ii) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से शेष शेयर की अवसूली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ फंड शेयरिंग आधार पर (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शेयर: ₹ 12.24 करोड़ तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का शेयर: ₹ 3.76 करोड़) ₹ 16 करोड़ की लागत पर अनुमोदित (फरवरी 2009) सीवरेज स्कीम, गोहाना ₹ 13.96 करोड़ की लागत पर पूर्ण की गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने केवल ₹ 2.80 करोड़ की राशि जमा की थी तथा शेष ₹ 0.96 करोड़ मार्च 2013 तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से वसूल नहीं किए गए थे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से राशि वसूल करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए। एगिजट काफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि ₹ 0.96 करोड़ की शेष राशि की वसूली के संबंध में मामले को अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ उठाया गया था।

2.1.7.3 कार्यों का अनियमित विभाजन

प्रमुख अभियंता द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अधिकारी के प्राधिकार में कार्यों का आबंटन रखने के लिए प्राकलन के द्विशाखन/विभाजन को, आपात परिस्थितियों को छोड़कर, टालना चाहिए।

नमूना - जांच किए गए 18 मंडलों में यह देखा गया कि 56 अनुमान/कार्य संबंधित कार्यकारी अभियंताओं द्वारा कार्यों का आबंटन अपने प्राधिकार के अंतर्गत रखने के लिए कार्यों के विभाजन द्वारा ₹ 19.14 करोड़ की लागत के 499 इकारानामों (परिशिष्ट 2.1) में विभाजित कर दिए गए थे।

ऑडिट संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि इनमें से ज्यादातर इकरानामे मुख्य सीवर के साथ सीवर लाइनों की कमीशनिंग तथा कनैकटीविटी को सुनिश्चित किए बिना फाइनल कर दिए गए थे। इस अनियमित तथा अप्राधिकृत प्रक्रिया से कार्यों का आबंटन करने से पारदर्शिता का उल्लंघन किया गया था। आगे, ग्रेविटी फ्लो के कार्य के मामले में, लैवलज मेनेटेन किए जाने थे तथा इस प्रकार, प्रतियोगी दरें रखने के लिए टैंडरिंग की निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर कार्य एक एजेंसी को आबटित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रमुख अभियंता के निर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप न केवल वित्तीय अनुशासनहीनता हुई बल्कि कार्यों के आबंटन में पारदर्शिता लाने में भी विफलता हुई। इसके अतिरिक्त, बड़े कार्य करने वाली एजेंसियां टैंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रही थीं।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को इस मामले से संबंधित कार्यकारी अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगने हेतु निवेश दिए गए थे।

2.1.7.4 भूमि अधिग्रहण कलैक्टरों के अग्रिम

अकाउंट कोड वोल्यूम - III के अनुच्छेद 57 के साथ पठित अनुच्छेद 54 के अनुसार भूमि अधिग्रहण कलैक्टरों को दिए गए अग्रिम भुगतानों को 'विविध लोक निर्माण अग्रिम' के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

नमूना - जांच किए गए नौ मंडलों में यह देखा गया (जून 2013) कि विभिन्न सीवरेज स्कीमों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए विभिन्न भूमि अधिग्रहण कलैक्टरों को दिए गए ₹ 39.93⁷ करोड़ के अग्रिम विविध लोक निर्माण अग्रिम में नहीं रखे गए परिणामतः शेष फंडों की वसूली की मानीटरिंग नहीं हुई। आगे, ऐसे अग्रिम भुगतानों के समायोजन को मानीटर करने के लिए अन्य रिकार्ड मेनेटेन नहीं किए गए थे।

भूमि अधिग्रहण कलैक्टरों के अग्रिमों की अपर्याप्त मानीटरिंग के दो मामले निम्नलिखित हैं:

➤ समालखा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए 26 फरवरी 2009 को ₹ 2.34 करोड़ भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, पानीपत के पास जमा करवाए गए जिसके विरुद्ध ₹ 2.39 करोड़ का अवार्ड दिनांक 25 जून 2009 दिया गया। इसमें से ₹ 75.36 लाख भूमि क्षतिपूर्ति के तौर पर विभिन्न भूमि मालिकों को संवितरित कर दिए गए थे। तथापि, यह निर्णय 14 जून 2010 को पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने एक रिट याचिका दायर की जो खारिज कर दी गई थी (18 मार्च 2011)। भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा ₹ 1.59 करोड़ की शेष राशि दिनांक 26 अप्रैल 2013 के दूसरे निर्णय के विरुद्ध उपयोग कर ली गई थी।

14 जून 2010 को निर्णय रद्द होने के बावजूद अभी तक (जून 2013) भूमि मालिकों को किए गए ₹ 75.36 लाख के भुगतान वसूल नहीं किए गए थे। भूमि अधिग्रहण कलैक्टर ने उत्तर दिया (13 जून 2013) कि कार्यकारी अभियंता, पानीपत ने रिट याचिका की बर्वास्तगी की कापी उपलब्ध नहीं करवाई थी। उत्तर भूमि अधिग्रहण कलैक्टर तथा मंडल के कार्यकारी अभियंता के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। प्रमुख अभियंता ने एगिजट काफ्रेंस के दौरान बताया कि संबंधित कार्यकारी अभियंताओं तथा उप-मंडल अभियंताओं को जितना जल्दी संभव हो सके राशि की वसूली के लिए भूमि अधिग्रहण कलैक्टर से संपर्क करने के निदेश दिए गए थे।

➤ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा अन्य निकासी कार्यों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, रेवाड़ी के पास कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल - II, रेवाड़ी द्वारा ₹ 1.50 करोड़ जमा (7 सितंबर 2011) करवा दिए गए थे। भूमि के मालिकों (बिल्डरज) के विरोध के कारण भूमि अधिगृहीत नहीं की जा सकी। बाद में, नगर निगम, धारहरेड़ा ने छः एकड़ भूमि मुफ्त में सौंप दी। न तो कार्यकारी अभियंता ने जमा राशि के रिफंड के लिए भूमि अधिग्रहण कलैक्टर को कहा था और न ही भूमि अधिग्रहण कलैक्टर ने राशि को रिफंड किया था। परिणामस्वरूप राशि 22 महीनों (अगस्त 2013) से ज्यादा समय से भूमि अधिग्रहण कलैक्टर के पास बिना प्रयोग के पड़ी थी। एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया कि राशि के रिफंड के लिए मामले को उप-मंडल अधिकारी (सिविल) - सह - भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, रेवाड़ी के साथ उठाया गया था।

⁷ (i) हांसी: ₹ 80 लाख, (ii) हिसार 1: ₹ 753.89 लाख, (iii) हिसार 3: ₹ 441.90 लाख, (iv) करनाल 2: ₹ 433.66 लाख, (v) कुरुक्षेत्र: ₹ 463.37 लाख (vi) नून: ₹ 747.44 लाख, (vii) पलवल: ₹ 180.90 लाख, (viii) पानीपत: ₹ 483.61 लाख तथा (ix) सोनीपत 3: ₹ 408 लाख।

स्कीमों का कार्यान्वयन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने चार प्रोग्रामों के अंतर्गत विभिन्न सीवरेज स्कीमों लागू की। दो केंद्रीय प्रायोजित प्लान प्रोग्राम (एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड लोन से शेयरिंग आधार पर तथा दूसरा यमुना एकशन प्लान के अंतर्गत बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना) तथा दो राज्य प्लान प्रोग्राम (अर्बन सीवरेज तथा इकनॉमिक स्टिमुलस पैकेज) थे। इन कार्यक्रमों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.1.8 अर्बन सीवरेज (राज्य प्लान)

अर्बन सीवरेज (राज्य प्लान) कार्यक्रम राज्य के विभिन्न कस्बों में सीवरेज सुविधाओं को सुधारने के लिए निर्दिष्ट करता है। ₹ 613.13 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध, प्रोग्राम के अंतर्गत 2008 - 13 के दौरान ₹ 592.13 करोड़ का व्यय किया गया था। संस्वीकृत, पूर्ण की गई तथा अपूर्ण रही स्कीमों की स्थिति तालिका 2.1.3 में दी गई है:

तालिका 2.1.3 : संस्वीकृत, पूर्ण की गई तथा अपूर्ण रही स्कीमों के विवरण

वर्ष	आरंभिक शेष	नई स्कीमें	स्कीमों की कुल संख्या	पूर्ण की गई स्कीमों की संख्या	शेष अपूर्ण स्कीमें
2008-09	56	26	82	19	63
2009-10	63	32	95	33	62
2010-11	62	49	111	33	78
2011-12	78	68	146	32	114
2012-13	114	92	206	48	158
कुल		267		165	

स्रोत: प्रमुख अभियंता, पंचकुला द्वारा प्रदत्त डाटा।

मार्च 2013 तक 323⁸ स्कीमों में से कुल 165 स्कीमें पूर्ण की गई थी। मार्च 2013 तक 158 अपर्ण चल रही स्कीमों पर ₹ 323.96 करोड़ व्यय किया गया था। इनमें से 41 स्कीमें पिछले तीन से आठ वर्षों से पूर्ण होने के इंतजार में थी। ऑडिट ने अवलोकित किया कि स्कीमों को पूरा करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। स्कीमें फंडों की उपलब्धता के अनुसार हिस्सों में कार्यान्वयन की गई थी। समयबद्ध कार्यक्रम की अनुपस्थिति में, स्कीमों के कार्यान्वयन में देरी, यदि कोई है, ऑडिट में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। ऑडिट संवीक्षा के दौरान इस कार्यक्रम के निष्पादन तथा कार्यान्वयन में निम्नलिखित बिंदु देखे गए थे।

2.1.8.1 वेस्टवाटर के डिस्चार्ज के लिए योजना की कमी

सीवेज की निकासी या शुद्धिकरण का तरीका प्रोजेक्ट तैयार करने की स्टेज पर निर्णीत किया जाना चाहिए। वेस्टवाटर की निकासी के लिए सही प्रबंध किए बिना रेवाड़ी तथा नारायणगढ़ कस्बों में सीवरेज स्कीमें कार्यान्वयन की गई थी जैसा कि नीचे चर्चित है:

नसीयाजी रोड़, रेवाड़ी पर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रेवाड़ी कस्बे के शुद्ध किए गए सीवेज की सही निकासी सुनिश्चित किए बिना 2009 - 10 में निर्भित किया गया था। शुद्ध किए गए तथा अशुद्ध सीवेज एफलुयेंट चैनल द्वारा इरिगेशन एसकेप चैनल में छोड़ा जाता है जहां से यह गांव के खुले मैदानों में बहता है। वर्तमान में, यह वेस्टवाटर गांव खलीलपुर के तालाब में गिरने वाले एक आउटलेट चैनल में छोड़ा जा रहा है।

⁸ आरंभिक शेष: 56 + नई स्कीमें: 267 = 323 स्कीमें।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि समस्या, जिले में किसी ड्रेन की अनुपलब्धता के कारण थी तथा समस्या के समाधान के लिए मामले को सरकार के साथ उठाया गया था।

इसी प्रकार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 23.20 एकड़ भूमि के अधिग्रहण सहित नारायणगढ़ कस्बे के लिए एक सीवरेज स्कीम तीन वर्षों में पूरा करने के लिए ₹ 5.62 करोड़ की लागत पर अनुमोदित की गई थी (सितंबर 2003)। शुद्ध किए गए एफलुयेंट की निकासी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मौजूदा नाला तक एफलुमैंट चेनल निर्मित किया जाना था। सीवर लाइन को बिछाने का कार्य 2005 - 06 के दौरान शुरू किया गया था तथा बिना शुद्धिकरण किए वेस्टवाटर की निकासी के अस्थाई प्रबंधों के साथ 2008 - 09 में सीवरेज स्कीम फंक्शनल बना दी गई थी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का कार्य फंडों की कमी के कारण रोक दिया गया था। आगे, शुद्ध किए गए जल की निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया था, स्कीम पर ₹ 5.58 करोड़ का कुल व्यय किया गया था (मार्च 2013)।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने, तथापि सूचित किया कि फंड, संशोधित अनुमानों के अनुमोदन के बाद दिए जाएंगे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा निकासी कार्यों के लिए सारी भूमि अधिगृहित किए बिना सीवर लाइन बिछाने का कार्य आरंभ किया गया था जिसने सही योजना की कमी को इंगित किया।

2.1.8.2 नारनौल की सीवरेज स्कीम अभी भी अपूर्ण

नारनौल कस्बे के शेष एरिया में ‘‘सीवर लाइन के विस्तारण’’ के लिए एक स्कीम ₹ 2.56 करोड़ की लागत पर अनुमोदित की गई थी (17 मई 2006) तथा कार्य 8 महीने की समाप्ति अवधि के साथ ₹ 93.01 लाख की लागत पर एक एजेंसी को आवंटित (8 मार्च 2007) किया गया था। एजेंसी को ₹ 57.01 लाख का भुगतान किया गया (25 अप्रैल 2008)। चूंकि एजेंसी निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने में विफल रही। अक्तूबर 2009 में एजेंसी से कार्य वापस ले लिया गया था। आगे बनाई गई (दिसंबर 2009) एक कमेटी ने इंगित किया (8 जनवरी 2010) कि निष्पादित कार्य निम्न कोटि का था तथा 13,367 मीटर लाइन बिछाने के विरुद्ध, केवल 5,494 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसमें से केवल 2,802 मीटर लाईन क्रियाशील बनाई गई थी। ठेकेदार ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), नारनौल के सामने अपील की (अक्तूबर 2010)। केस का 13 मार्च 2012 को निर्णय किया गया था जिससे ठेकेदार उन्हीं दरों पर 8 महीने, के भीतर शेष कार्य के निष्पादन हेतु सहमत हो गया। कार्य अभी तक (जून 2013) दोबारा शुरू नहीं किया गया था। कार्य करवाने के लिए ठेकेदार के विरुद्ध मंडल द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इस प्रकार, मार्च 2013 तक ₹ 2.14 करोड़ का कुल व्यय करने के बाद भी स्कीम अपूर्ण रही (जुलाई 2013)।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि सब स्टैंडर्ड कार्य एजेंसी द्वारा ठीक कर दिया गया था तथा मार्च 2014 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तथापि, तथ्य, रहा कि कार्य ठेकेदार द्वारा सहमत समय अवधि की समाप्ति के बाद भी पूरा नहीं किया गया था।

2.1.8.3 भूमि का अधिग्रहण सुनिश्चित किए बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के कार्य का आवंटन

लोक निर्माण विभाग कोड का पैरा 15.1.4 में प्रावधान है कि भूमि/साइट जिस पर निर्माण होना है संबंधित विभाग के स्वामित्व में होनी चाहिए या भूमि के इंचार्ज विभाग की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। तथापि, यह अवलोकित किया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के कार्य, भूमि का अधिग्रहण किए बिना

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर- सा.क्षे.ज.) का प्रतिवेदन

ठेकेदारों को आबंटित किए गए थे जैसा कि तालिका 2.1.4 में वर्णित है:

तालिका 2.1.4: भूमि का अधिग्रहण किए बिना ठेकेदारों को आबंटित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के कार्य का विवरण

क्र. सं.	मंडल का नाम	कार्य का नाम	कार्य आबंटन की तिथि	भूमि अधिग्रहण की स्थिति
1.	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंडल, कुरुक्षेत्र	शाहबाद कस्बे के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	21 मार्च 2013	फंडों की कमी के कारण भूमि अवार्ड घोषित नहीं किया गया।
2.	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंडल, सोहना	परौदी कस्बे के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	25 जून 2012	संबंधित कमेटी द्वारा कलैक्टर दरों के निश्चित न करने के कारण भूमि अधिग्रहण कलैक्टर द्वारा भूमि अवार्ड घोषित नहीं किया गया।
3.	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंडल, करनाल	तरावडी कस्बे के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	17 अक्टूबर 2012	भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई थी (मई 2013)।

एगिट काफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए कार्य के आबंटन से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

2.1.9 आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज

राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न मूलभूत संरचना सैकटों में 14⁹ कस्बों में विशेष परियोजनाएं आरंभ करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज अनुमोदित किया (फरवरी 2009) तथा फेज -1, के लिए ₹ 408.98 करोड़ की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुमोदित कर दी जो मार्च 2014 तक पूरी की जानी थी लेकिन मार्च 2013 तक ₹ 314.04 करोड़ का व्यय करने के बावजूद कोई भी स्कीम पूरी नहीं की गई थी। आगे, विभाग ने समयबद्ध तरीके से स्कीमों की पूर्णता के लिए महत्वपूर्ण माइलस्टोन निर्धारित नहीं किए थे।

लोक निर्माण विभाग कोड का पैरा 15.1 तथा 15.2 प्रावधान करता है कि कोई कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक संबंधित प्राधिकारियों के आवश्यक अनुमोदन जैसे रेलवे लाइन क्रास करने के लिए रेलवे से कलीयरेस प्राप्त नहीं कर ली जाती।

अंबाला सिटी, में 5 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कार्य ₹ 4.50 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को आबंटित किया गया (6 अगस्त 2010)। ठेकेदार ने ₹ 4.16 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2012 में कार्य पूरा कर दिया था लेकिन यह क्रियाशील नहीं की जा सका क्योंकि रेलवे के पास ₹ 71.21 लाख जमा करवाने (सितंबर 2012) के बावजूद रेलवे द्वारा रेलवे ट्रैक के नीचे एक पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी नहीं दी गई थी (जुलाई 2013)। रेलवे ने अभी तक (नवंबर 2013) कार्य शुरू नहीं किया था।

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितंबर 2013) कि रेलवे द्वारा जल्दी ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

2.1.10 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड स्कीमें / परियोजनाएं

राजधानी से लगे हुए कस्बों में जलापूर्ति तथा सीवेज मूलभूत संरचना के सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड, राज्य सरकार की सहायता कर रहा है। परियोजना लागत का

⁹ (i) अंबाला शहर, (ii) असंध, (iii) भिवानी, (iv) चरखी दादरी, (v) ऐलनाबाद, (vi) फतेहाबाद, (vii) हांसी, (viii) कैथल, (ix) कलायत, (x) महेन्द्रगढ़, (xi) नारनौल, (xii) सिरसा, (xiii) टोहाना तथा (xiv) उचाना।

75 प्रतिशत ऋण के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाना है जबकि 25 प्रतिशत राज्य द्वारा शेयर किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड ने सीवरेज प्रणाली में सुधार के लिए 24 स्कीमें अनुमोदित की जिनमें से 13 स्कीमें अपूर्ण रही। इन अपूर्ण स्कीमों पर ₹ 138.46 करोड़ का व्यय किया गया था। स्कीमों के लागू करने में निम्नलिखित बिंदु देखे गए थे:

2.1.10.1 वेस्टवाटर की निकासी के लिए योजना की कमी

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी (दिसंबर 1993) सीवरेज तथा सीवेज ट्रीटमेंट की नियमावली ने प्रावधान किया कि वेस्ट वाटर संग्रहण, शुद्धिकरण तथा निकासी प्रणालियां डिजाइन करते समय, टोपोग्राफी तथा उपलब्ध हाइड्रॉलिक हैडस के अनुकूल, यदि आवश्यक हो तो, पॉपिंग द्वारा संपूर्ति, एक संघटित एवं अनुकूल डिजाइन देने के लिए प्लानिंग अंतिम निकासी बिंदु (टेल एंड) से सामान्यतः आरम्भ होकर पीछे की तरफ जानी थी।

- रेलवे लाइन से परे पलवल कस्बे में जोन-II की सीवर लाइनें बिछाने का कार्य ₹ 1.81 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2009 में पूरा किया गया था। रेलवे लाइन एरिया से परे जोन-II के सीवेज की निकासी खुले खेतों में की जा रही थी क्योंकि साइट पर कोई प्राकृतिक नाला/ड्रेन आदि नहीं था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा सीवेज की निकासी का कार्य नहीं लिया गया था क्योंकि भूमि के अधिग्रहण के लिए मामला कोर्ट में लंबित था (सितंबर 2013)। एगिट कॉफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया कि भूमि के स्वामित्व के बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शुरू तथा पूरा कर दिया जाएगा। तथ्य रहा कि कार्य भूमि के अधिग्रहण के बिना शुरू किया गया था।
- ₹ 5.48 करोड़ की लागत पर बावल कस्बे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा किया गया था (अप्रैल 2011) तथा सीवरेज प्रणाली बिछा दी गई थी लेकिन कोई भी घटक गत दो वर्षों से ज्यादा समय से चालू नहीं किए गए थे। शुद्ध किए गए एफलुएंट की निकासी के लिए न तो कोई आउटलेट चैनल था और न ही उसी के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई प्लानिंग थी। विभाग के अधिकारियों के साथ किए गए साइट के भौतिक सत्यापन ने भी दर्शाया कि कस्बे में उत्पन्न वेस्टवाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंच रहा था क्योंकि सीवर लाइनों को साफ करने का कार्य नहीं किया गया था (अप्रैल 2013)। आगे, कस्बे का वेस्टवाटर, मुख्य सीवर के साथ घेरलू वेस्टवाटर की कैनेकिटविटी न होने के कारण, कस्बे के तालाब में इकट्ठा हो गया था। इस प्रकार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निष्क्रिय रहा तथा स्कीम पर किया गया ₹ 5.48 करोड़ का सारा व्यय निष्फल रहा। एगिट कॉफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने प्रमुख अभियंता को मामले की जांच करने तथा सीवेज एफलुएंट की सही निकासी के लिए एक पूर्ण योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी।
- रेवाड़ी जिले में कोसली कस्बे के लिए 3 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित एक सीवरेज स्कीम ₹ 8.70 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गई (4 जून 2008)। प्रोजेक्ट 2009-10 तक पूर्ण किया जाना था। 3 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित यह कार्य पांच विभिन्न एजेंसियों को आर्बाटित किया गया तथा ₹ 9.15 करोड़ का व्यय किया गया (मार्च 2013)। फिर भी, स्कीम परित्यक्त रही क्योंकि एजेंसी, जिसे कस्बे का मुख्य सीवर बिछाने का कार्य सौंपा गया था, ने कार्य पूरा किए बिना छोड़ दिया था (दिसंबर 2009)। परिणामस्वरूप मुख्य सीवर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जोड़ा नहीं जा सका। विभाग ने काम पूरा करवाने तथा कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के क्लॉज-III के अनुसार कार्य रद्द करने के लिए पीनल कार्यवाही शुरू नहीं की थी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध किए गए वेस्टवाटर की निकासी के लिए कोई प्रबंध किए

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर- सा.क्षे.ज.) का प्रतिवेदन

बिना स्कीम बनाई तथा निष्पादित की गई थी। विभाग द्वारा निकासी कार्यों के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था।



सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जूँड़ने वाली अपूर्ण मुख्य सीवर लाईन तथा शुद्ध किए गए घरेलू वेस्टवाटर को ले जाने वाले आउटलेट निकासी चैनल के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण कोसली में अप्रयुक्त तीन मिलियन लीटर प्रतिदिन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

प्रमुख अभियंता ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि एजेंसी को कार्य जल्दी पूरा करने की सलाह दी गई थी, अन्यथा कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

2.1.10.2 नूह की अपूर्ण सीवरेज स्कीम

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण सहित एक सीवरेज स्कीम ₹ 10.27 करोड़ की अनुमानित लागत पर संस्थीकृत की गई (4 अगस्त 2011) तथा 3.6 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य ₹ 3.05 करोड़ की लागत पर, 12 महीने की कंपलीशन अवधि के साथ एक एजेंसी को आबंटित किया गया (27 दिसंबर 2011) जो अभी तक निर्माणाधीन था (जून 2013)। इनलेट चैनल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जोड़ने के लिए पाइप/सीवर बिछाने का कार्य शुरू नहीं किया गया था यद्यपि मार्च 2013 तक स्कीम पर ₹ 7.66¹⁰ करोड़ का व्यय किया गया था।

ऑफिट संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि बिछाई जाने वाली सीवर लाइनों की सीध में कुछ पेड़ों की उपस्थिति के अतिरिक्त लगभग 650 मीटर का अतिक्रमण था जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के साथ - साथ वन विभाग की अनुमति लेनी अपेक्षित थी जो अभी तक (अप्रैल 2013) प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग कोड के प्रावधानों, जो कार्य आरंभ करने से पहले वन विभाग, रेलवे आदि से क्लीयरेंस प्राप्त करने का विचार करते हैं, की अनुपालना न करने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितंबर 2013) कि वन विभाग की अनुमति के लिए मामला मई 2013 में प्रस्तुत कर दिया गया था तथा इस बीच अतिक्रमण क्लीयर करवा लिए जाएंगे। तथापि, तथ्य रहा कि वन विभाग के साथ मामले को उठाने में देरी के कारण कस्बे के निवासियों को स्वास्थ्यकर तथा प्रदूषण रहित पर्यावरण देने के लिए स्कीम के लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

¹⁰ पुरानी स्कीम के अंतर्गत मार्च 2012 तक व्यय किए गए ₹ 80.61 लाख सहित।

2.1.10.3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से अनुपचारित वेस्टवाटर को निकालना

गन्नौर कस्बे में 7 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्टिंग, इंस्टालेशन तथा कमीशनिंग का कार्य उसके अभी आकस्मिक कार्यों तथा त्रुटियां देयता अवधि के दौरान 12 माह के ओ. एंड एम. तथा उसके बाद दो वर्ष के लिए ओ. एंड एम. के साथ एक एजेंसी को ₹ 4.99 करोड़ की लागत पर 12 महीने की कंपलीशन अवधि के साथ दिया (12 जनवरी 2009)। अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सर्कल, सोनीपत ने प्रमुख अभियंता को सूचित किया था (22 फरवरी 2013) कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 30 सितंबर 2010 को पूरा किया गया था। ऑडिट संवीक्षा तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की साइट के भौतिक सत्यापन ने दर्शाया (मई 2013) कि कार्य मई 2013 तक पूरा नहीं किया गया था क्योंकि फिल्टर मीडिया, लेबोरेटरी आदि अभी स्थापित किए जाने शेष थे। ऑडिट ने आगे अवलोकित किया कि ठेकेदार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कमिशनिंग तथा इसका संचालन आरंभ करने तथा रख - रखाव (ओ. एंड एम.) अवधि को डिफेक्टस उत्तरदायिता अवधि के भीतर मानते हुए मई 2012 से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा मुख्य पम्पिंग स्टेशन से बिना शुद्धिकरण किए वेस्टवाटर निकालना शुरू कर दिया था जो कि अनुमत नहीं था क्योंकि कार्य पूरा नहीं किया गया था। इस प्रकार, समापन तिथि की गलत रिपोर्टिंग के कारण, एजेंसी ने घरेलू वेस्टवाटर को शुद्ध किए बिना ही मई 2012 से आगे अपूर्ण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन शुरू कर दिया इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मूल प्रयोजन विफल हो गया।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने प्रमुख अभियंता को डिफाल्टिंग एजेंसी के विरुद्ध तुरंत उचित कार्यवाही शुरू करने हेतु निर्देश दिए।

2.1.10.4 ब्याज रिबेट का लाभ न लेना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड ने परफार्मेंस लिंक्ड इनसेटिव, कन्फर्मिटी इनसेटिव, परियोजना लागत अनुपालन इनसेटिव, किस्तों के समय पर पुनर्भुगतान के लिए इनसेटिव तथा गुणवत्ता आश्वासन इनसेटिव के रूप में ब्याज की दर में 1.5 प्रतिशत की दर पर अधिकतम छूट अनुमत करने का निर्णय किया (24 मई 2006)। ₹ 232.14 करोड़ की लागत पर 2007 - 13 के दौरान लागू की गई 24 स्कीमों में से कोई भी स्कीम ब्याज रिबेट का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार निष्पादित तथा समय पर पूर्ण नहीं की गई थी परिणामस्वरूप सरकार ₹ 3.24 करोड़ की राशि की ब्याज रिबेट (सिवाय किस्तों के समय पर पुनर्भुगतान के 0.25 प्रतिशत) प्राप्त नहीं कर सकी। प्रमुख अभियंता ने अन्य रिबेट्स की अनुपलब्धता को स्वीकारते हुए बताया (सितंबर) कि परियोजना का निष्पादन संबंधित विभागों से समय पर क्लीयरेंसिस पर निर्भर करता है।

2.1.11 यमुना एक्शन प्लान

भारत सरकार ने यमुना एक्शन प्लान फेज - II ₹ 62.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया (28 अगस्त 2003) जिसमें परियोजना की 85 प्रतिशत लागत भारत सरकार द्वारा तथा शेष 15 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन की जानी थी। परियोजना में अतिरिक्त इंटरसेप्शन तथा डाइवर्सन ऑफ सीवेज (आई. एंड डी.) बिछाने तथा यमुना एक्शन प्लान - I के छ: कस्बों में अन्य संबंधित कार्यों, 8 कस्बों (यमुना एक्शन प्लान - I के 6 कस्बों तथा दो और कस्बों अर्थात् बहादुरगढ़ तथा रोहतक), के लिए फिजीबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तथा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना शामिल था। परियोजना पूर्ण हो चुकी थी (मार्च 2013)। यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत निर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के कार्यचालन पर नीचे चर्चा की गई है:

2.1.11.1 सीवेज का शुद्धिकरण

यमुना एकशन प्लान के अंतर्गत 322 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा अन्य प्रोग्रामों के अंतर्गत 171.3 मिलियन लीटर प्रतिदिन के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 12 यमुना एकशन प्लान कस्बों में निर्मित किए गए थे जिसके विरुद्ध प्राप्त वेस्टवाटर की मात्रा 419.79 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी, जबकि 2012 - 13 को इन कस्बों में वेस्टवाटर का स्तर 734.53 मिलियन लीटर प्रतिदिन था। इस प्रकार, 314.74 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्टवाटर बिना शुद्धिकरण किए यमुना नदी में जा रहा था जैसा कि तालिका 2.1.5 में दिखाया गया है।

तालिका 2.1.5: यमुना एकशन प्लान

क्र. सं.	कस्बे का नाम	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की संख्या	उत्पन्न सीवेज का वर्तमान स्तर	शुद्धिकरण की सृजित क्षमता	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्राप्त सीवेज	अशुद्ध सीवेज की मात्रा
1	यमुनानगर - जगाधरी	2	90.00	35.00	35.00	55.00
2	करनाल	2	60.00	48.00	48.00	12.00
3	पानीपत	2	90.00	45.00	45.00	45.00
4	सोनीपत	1	50.00	30.00	30.00	20.00
5	गुडगांव	3 (2 ह.श.वि.प्रा.)	220.00	148.00	148.00	72.00
6	फरीदाबाद	4 (1 नगर निगम)	200.00	160.00	94.00	106.00
7	छछरोली	1	3.00	1.00	1.00	2.00
8	रादौर	1	3.50	1.00	1.00	2.50
9	इन्द्री	1	1.49	1.50	1.49	0
10	घरौंडा	1	2.95	3.00	2.95	0
11	पलवल	1	8.00	9.00	8.00	0
12	गोहाना	3 (1 रारा.क्षे.)	5.59	8.80	5.35	0.24
	कुल	22	734.53	490.30	419.79	314.74

स्रोत: संबंधित मंडलों द्वारा आपूरित डाटा।

इसके अतिरिक्त सात¹¹ अन्य कस्बों (यमुना एकशन प्लान के अंतर्गत आवृत्त नहीं) के 29.42 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्टवाटर में से, 24.42 मिलियन लीटर प्रतिदिन अनुपचारित वेस्टवाटर यमुना प्रणाली में जा रहा था क्योंकि कि इन कस्बों में लागू की गई स्कीमें विलंबित तथा अपूर्ण थी।

इस प्रकार, 763.95¹² मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज की उत्पत्ति के विरुद्ध, 424.79¹³ मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज शुद्ध किया जा रहा था तथा शेष 339.16¹⁴ मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में अनुपचारित जा रहा था।

प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (सितंबर 2013) कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों सहित यमुनानगर - जगाधरी कस्बों के लिए सीवरेज स्कीमों की वृद्धि के लिए ₹ 191.81 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन

¹¹ (i) गन्नौर (ii) होडल (iii) लाडवा (iv) नीलोखेड़ी (v) समालखा (vi) शाहबाद तथा (vii) तरावड़ी।

¹² यमुना एकशन प्लान कस्बों में उत्पन्न सीवेज: 734.53 मिलियन लीटर प्रतिदिन + सात अन्य कस्बे (यमुना एकशन प्लान के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए): 29.42 मिलियन लीटर प्रतिदिन = 763.95 मिलियन लीटर प्रतिदिन।

¹³ यमुना एकशन प्लान कस्बों में शुद्ध किया गया सीवेज: 419.79 मिलियन लीटर प्रतिदिन + सात अन्य कस्बे (यमुना एकशन प्लान के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए): 5 मिलियन लीटर प्रतिदिन = 424.79 मिलियन लीटर प्रतिदिन।

¹⁴ यमुना एकशन प्लान कस्बों में अशुद्ध सीवेज: 314.74 मिलियन लीटर प्रतिदिन + सात अन्य कस्बे (यमुना एकशन प्लान के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए): 24.42 मिलियन लीटर प्रतिदिन = 339.16 मिलियन लीटर प्रतिदिन।

के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी (अगस्त 2012)। आगे, पानीपत कस्बे के लिए कुल 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के दो अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों तथा सोनीपत कस्बे के लिए 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य निष्पादन अधीन थे। इस प्रकार, यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए इन कार्यों को जल्दी पूर्ण किए जाने की ज़रूरत है।

2.1.11.2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की अव-उपयोगिता

फरीदाबाद एरिया में यमुना नदी को प्रदूषण को रोकने के लिए, 115 मिलियन लीटर प्रतिदिन (1998 में बादशाहपुर में 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट - I तथा भिर्जपुर में 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट - II; 1999 में 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट - III, प्रतापगढ़) क्षमता के तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों यमुना एकशन प्लान के अंतर्गत तथा 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट - IV बादशाहपुर नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा निर्मित किए गए थे (कुल क्षमता 160 मिलियन लीटर प्रतिदिन)। तथापि, फरीदाबाद कस्बे में उत्पन्न कुल 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्टवाटर में से केवल 94 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्टवाटर शुद्ध किया जा रहा था तथा शेष 106 मिलियन लीटर प्रतिदिन अशुद्ध वेस्टवाटर उपर्युक्त शुद्ध किए गए वेस्टवाटर में मिलने के बाद मोर्वाइ ड्रेन, बुढ़िया नाला, गौची ड्रेन तथा आगरा कैनाल के माध्यम से यमुना नदी में जाता है इससे यमुना नदी प्रदूषित होती है।

आगे, कार्यकारी अभियंता ने सूचित किया (16 अप्रैल 2013) कि नगर निगम तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मेनटेन किए जा रहे फीडिंग ट्रंक तथा सीवर के अतिग्रस्त होने के कारण अनेक स्थानों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों के सीवेज की सीधे आगरा नहर तथा दूसरे डेनों, जो अन्ततः यमुना नदी में मिल जाते हैं, में निकासी के कारण डिस्चार्ज की उपलब्धता कम थी।

प्रमुख अभियंता ने सूचित किया (सितंबर 2013 कि फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम द्वारा मेनटेन की जा रही थी। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं था क्योंकि फरीदाबाद में चार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में से तीन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मेनटेन किए जा रहे थे तथा नगर निगम द्वारा केवल एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।

2.1.11.3 अनुपचारित वेस्टवाटर तथा औद्योगिक एफलुएंट

यमुनानगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से शुद्ध किए गए एफलुएंट के साथ अनुपचारित घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट भी विभिन्न डेनों में छोड़ा जाता था, जो यमुना नदी तथा पश्चिमी यमुना नहर में मिलकर उनके प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा था।

₹ 10.28 करोड़ की लागत पर 2008 में डिंच ड्रेन के निर्माण के बाद भी, 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुद्ध या गया वेस्टवाटर तथा इन दोनों कस्बों (जगाधरी तथा यमुनानगर) के अशुद्ध वेस्टवाटर तथा औद्योगिक वेस्ट डिंच ड्रेन के स्पीलवे से पश्चिमी यमुना नहर में लगातार छोड़ा जा रहा था। चार मुख्य उद्योग¹⁵ तथा इन दोनों कस्बों के अनेक अन्य लघु उद्योग भी पश्चिमी यमुना नहर में अपने एफलुएंट डिस्चार्ज कर रहे थे। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने प्रमुख अभियंता को तुरंत समस्या सुलझाने के लिए निदेश दिए क्योंकि यह ड्रिंकिंग वाटर कैनाल को प्रदूषित कर रही थी।

¹⁵ (i) बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ii) भारत स्टार्च मिल (iii) सरस्वती शुगर मिल तथा (iv) हरियाणा डिस्टीलरी, यमुनानगर।

इसके अतिरिक्त, 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुद्ध किया गया वेस्टवाटर भी पश्चिमी यमुना नहर में सीधे छोड़ा जा रहा था, जो अनुमत नहीं था क्योंकि इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शुद्ध किए गए वेस्टवाटर का बायो - कैमीकल आक्सीजन डिमांड लेवल 3 मिलिग्राम /लीटर की अनुमत सीमा के विरुद्ध 42 तथा 105 के बीच वृत्तवलित था। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया कि चूंकि वहां कोई अन्य ड्रेन नहीं थी जहां इस वेस्टवाटर की निकासी की जा सके, बायो - कैमीकल आक्सीजन डिमांड लेवल को अनुमत सीमा तक नीचे लाने के लिए 'टरशरी ट्रीटमेंट प्लांट' निर्माण का एक अनुमान तैयारी अधीन था।

2.1.11.4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से उत्पन्न मीथेन गैस के लिए फलेयरिंग प्वाइंट का निष्क्रिय रहना

अप - फ्लो एनरोबीक स्लज ब्लैकेट (यू.ए.एस.बी.) रिएक्टर द्वारा घेरेलू वेस्टवाटर शुद्ध करने से मीथेन गैस (बॉयो गैस) उत्पन्न हुई, जो प्लांट को चलाने के लिए बिजली पैदा करने में उपयोग की जानी थी। ऑडिट संवीक्षा ने दर्शाया कि यमुना एक्शन प्लान - I के अंतर्गत निर्मित आठ¹⁶ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के दोहरे ईंधन इंजन /बिजली पैदा करने वाले सैट्स तथा गैस होल्डरज /गैस डोम्ज 2008 - 09 से निष्क्रिय पड़े थे तथा पैदा की गई मीथेन गैस फलेयर नहीं की गई थी तथा फलेयरिंग प्वाइंट के निष्क्रिय होने के कारण सीधे आसपास के वातावरण में छोड़ी जा रही थी। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितंबर 2013) कि डयूल ईंधन इंजन प्रयोग करके मीथेन गैस के साथ बिजली का उत्पादन, बिजली की दर से मंहगा था तथा इसीलिए वह प्रयोग नहीं की जा रही थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि बिजली को बचाने तथा जहरीली गैस के सही निपटान के लिए यह सिस्टम प्रयोग किया जाना चाहिए था।

2.1.11.5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का कार्यचालन प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुसार सुनिश्चित न करना

यमुना में मिलने से पहले शुद्ध किए गए वेस्टवाटर का बायो - कैमीकल ऑक्सीजन डिमांड (बायो - कैमीकल आक्सीजन डिमांड) लेवल 30 से नीचे लाने के लिए यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किए गए थे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 232 सैम्पल विश्लेषित किए जिनमें से 229 सैम्पलों के बायो - कैमीकल आक्सीजन डिमांड लेवल 30 बायो - कैमीकल आक्सीजन डिमांड के निर्धारित मानकों के विरुद्ध 42 तथा 140 के बीच थे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुधारात्मक उपाय करने के लिए अप्रैल 2008 तथा मार्च 2013 के बीच विभाग को नोटिस भेजे थे, लेकिन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्टैंडर्डज के अनुसार बायो - कैमीकल आक्सीजन डिमांड लेवल का मेनटेनैंस सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

2.1.12 सम्पत्ति प्रबंधन

2.1.12.1 अभिलेखों का रख - रखाव

लोक निर्माण विभाग कोड का पैरा 27.2 प्रावधान करता है कि सम्पत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए विभाग पूर्ण तथा अद्यतन अभिलेख रखवेंगे। अभिलेख हार्ड तथा सॉफ्ट कापी में रखे जाएंगे। सीवरेज स्कीमों से संबंधित रिकार्ड्ज जैसे भूमि तथा उपलब्ध भूमि रिकार्ड्ज के सही संदर्भ के साथ अन्य संरचनाओं की सूची, इनलेट स्टेशनों के रजिस्टर, मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशनज, मुख्य पम्पिंग स्टेशनज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों,

¹⁶ फरीदाबाद: दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, गुडगांव: एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पानीपत: दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सोनीपत: एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा यमुनानगर: दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट।

उनमें स्थापित मशीनरी के साथ डिस्पोजलज / आउटफॉलज, अन्य संरचनाएं उनके साज - सामान तथा अन्य संबंधित अभिलेख मेनटेन किए जाने अपेक्षित थे।

इसके अतिरिक्त, विभाग जिले से संबंधित सभी रिकार्डों का अभिरक्षक बनने के लिए प्रत्येक जिले में एक आफिस को अधिसूचित करेगा। पुराने रिकार्ड पुनःव्यवस्थित किए जाएंगे ताकि वे जिलावार उपलब्ध हों। तथापि, यदि कोई विशेष कार्य दो या अधिक जिलों से संबंधित हो तो प्रमुख अभियंता रिकार्डों को किसी एक विशेष जिले में रखने के आदेश दे सकता है।

ऑडिट संवीक्षा ने दर्शाया कि नमूना - जांच किए गए मंडलों के ऐसे रिकार्ड अनुरक्षित नहीं पाए गए थे। इसकी अनुपस्थिति में सृजित / अधिगृहीत परिसंपत्तियों की सही स्थितियां तथा उनके अनुरक्षण ऑडिट में आकलित नहीं किए जा सके थे।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया कि मंडल अधिकारियों को ये रिकार्ड सही तरीके से अनुरक्षण के लिए कहा गया था।

2.1.12.2 भूमि का म्यूटेशन

अधिगृहीत भूमि का म्यूटेशन संबंधित तहसीलदार / उप - रजिस्ट्रार के दफ्तर में राजस्व विभाग के अभिलेखों में किया जाना अपेक्षित है। 2007 - 13 की अवधि के दौरान नमूना - जांच किए गए नौ¹⁷ मंडलों द्वारा कुल 121 एकड़, 16 मरले भूमि अधिगृहीत की गई थी, जिसमें से 76 एकड़, एक कनाल तथा चार मरले भूमि का म्यूटेशन विभाग के नाम नहीं किया गया था (जून 2013)।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया कि विभाग के नाम पर भूमि के म्यूटेशन के लिए कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2.1.13 आंतरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग

आंतरिक नियंत्रण लागू नियमों तथा विनियमों की अनुपालना के बारे प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्कीमों के कार्यान्वयन, कार्यों के निष्पादन की मानीटरिंग आदि के लिए अपर्याप्त थी जैसा कि आगे पैराओं में चर्चा की गई है।

2.1.13.1 आंतरिक ऑडिट प्रणाली

कार्य की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने तथा गलतियों / अनियमितताओं को कम करने के विचार से सभी सरकारी विभागों में एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली होनी चाहिए। ऑडिट ने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आंतरिक ऑडिट प्रणाली नहीं थी। आंतरिक ऑडिट करने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी का एक पद संस्थाकृत था लेकिन अधिकारी लेखाओं तथा स्थापना से संबंधित कार्य कर रहा था।

2.1.13.2 स्कीमों की मानीटरिंग

विभाग के प्रधान के रूप में प्रमुख अभियंता विभाग के कार्यक्रमों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार था। प्रत्येक स्कीम / प्रोग्राम की मासिक प्रगति रिपोर्ट कार्यकारी अभियंताओं द्वारा अधीक्षण अभियंताओं के माध्यम से प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत की जाती थी लेकिन ये रिपोर्टें प्रबंधन टूल के रूप में प्रयोग नहीं की गई थी। इन रिपोर्टों पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

¹⁷ (i) हांसी, (ii) हिसार - 1, (iii) हिसार - 3, (iv) करनाल (v) कुरुक्षेत्र, (vi) नूह, (vii) पलवल, (viii) पानीपत तथा (iv) सोनीपत नं. 3.

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितंबर 2013) कि कार्य की समग्र गुणवत्ता को सुधारने के लिए कार्यकारी अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा मुख्य अभियंताओं के साथ आवधिक बैठकें की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि मानीटरिंग प्रभावी नहीं थी।

2.1.14 निष्कर्ष

राज्य के 154 कस्बों (जनगणना 2011 के अनुसार) में से 70 में, 1,188.53 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज की उत्पत्ति के विरुद्ध के 598.34 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों में शुद्ध किया जा रहा था तथा शेष 590.19 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज (50 प्रतिशत) अनुपचारित छोड़ा जा रहा था। शेष 84 कस्बे तथा ग्रामीण क्षेत्र किसी सीवरेज स्कीम द्वारा कवर नहीं किए गए थे। वहां, अनुमानों से अधिक व्यय तथा भूमि अधिग्रहण कलेक्टरज को दिए गए अग्रिमों पर अपर्याप्त मॉनीटरिंग के मामले थे। सीवरेज स्कीमें, वेस्टवाटर के निपटान के लिए उचित प्रबंध किए बिना लागू की जा रही थी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण में असामान्य विलंब थे। 763.95 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज की उत्पत्ति के विरुद्ध 424.79 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज शुद्ध किया जा रहा था तथा शेष 339.16 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज, यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में अनुपचारित जा रहा था। शुद्ध जल के 232 सैंपलों में से 229 सैंपलों का बायो-कैमीकल आक्सीजन डिमांड लेवल निर्धारित मानक से अधिक था। विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी। आगे, प्रत्येक स्कीम / कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट एक मैनेजमेंट टूल के रूप में प्रयोग नहीं की गई थी।

2.1.15 अनुशंसाएं

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- एक फेजवार ढंग से राज्य में सभी कस्बों को कवर करने के लिए एक व्यापक प्लान तैयार करना;
- अनुमानों से अधिक व्यय से बचना तथा भूमि अधिग्रहण कलक्टर को दिए गए अग्रिमों पर सही मॉनीटरिंग सुनिश्चित करना;
- वेस्टवाटर के निपटान के लिए व्यवस्था करने के लिए सही योजनाएं तैयार करना;
- देरी से बचने के लिए सही कदम उठाना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए, कि अभीष्ट लाभ जनता तक पहुंचते हैं, अन्य संबंधित विभागों/संगठनों के साथ समन्वय करना; तथा
- निर्धारित सीमाओं के अंदर बायो-कैमीकल आक्सीजन डिमांड का लेवल रखने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के कार्यचालन पर नियंत्रण मजबूत करना।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

2.2 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली

कस्बे तथा शहर देश के आर्थिक विकास में भारी योगदान देते हैं। राज्य में नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली पर बेहतर समन्वय तथा नियंत्रण रखने के लिए, निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग अप्रैल 1982 में स्थापित किया गया था। विभाग तथा नगरपालिकाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऑडिट परिणाम प्रकट किए।

नगरपालिकाएं, उनके आरंभ से बैलेंस शीट के रूप में वार्षिक लेवेल तैयार नहीं कर रही थीं, परिणामस्वरूप कार्यकलापों के बारे में सही और निष्पक्ष धारणा नहीं बनाई जा सकी।

(अनुच्छेद 2.2.7.1)

दस नगरपालिकाओं ने विनियमित की गई कालोनियों के मकान मालिकों से दिसंबर 2004 से ₹ 170.41 करोड़ की राशि के विनियमन प्रभार वसूल नहीं किए थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

तेरह नगरपालिकाओं ने स्वच्छता उद्देश्य के लिए बाह्य जनशक्ति पर जुलाई 2012 से मार्च 2013 के दौरान ₹ 1.95 करोड़ की राशि के सेवा शुल्क से छूट प्राप्त नहीं की थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.3)

₹ 101.82 करोड़ की राशि, स्थापना शुल्क (₹ 0.73 करोड़) तथा संचार टावरों का नवीकरण शुल्क (₹ 1.58 करोड़), फायर टैक्स सहित गृह कर (₹ 95.82 करोड़) तथा नगरपालिका की दुकानों के किराए (₹ 3.69 करोड़) के कारण बकाया थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.6)

छः नगरपालिकाओं में 31 मार्च 2013 को सरकारी विभागों, अधिकारियों/कर्मचारियों, ठेकेदारों इत्यादि के विरुद्ध ₹ 274.48 करोड़ की राशि के अस्थाई अग्रिम लंबित थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.6)

योजना तथा समन्वय की कमी के कारण रतिया कस्बे की गलियों में सीमेंट कंकरीट/इंटरलाकिंग टाइलें लगाने तथा ड्रेनों के निर्माण पर किया गया ₹ दो करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया था। नगर निगम, हिसार ने अप्राधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों पर ₹ 5.06 करोड़ व्यय किए थे।

(अनुच्छेद 2.2.9.4)

2.2.1 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली

कस्बे तथा शहर, देश के आर्थिक विकास में भारी योगदान करते हैं। ये शहरी केंद्र ग्रामीण भीतरी क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण सहायक भूमिका अदा करते हैं। इस आर्थिक परिवर्तन को ग्रासरूट लेवल पर जरूरतों तथा वास्तविकताओं के साथ अनुक्रम में रखने के लिए यह आवश्यक है कि लोग तथा उनके प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्वयन में पूरी तरह शामिल हो। राज्य में नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली पर बेहतर समन्वय

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-स.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

तथा नियंत्रण रखने के लिए निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग अप्रैल 1982 में स्थापित किया गया।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग राजकीय स्तर पर प्रशासकीय प्रधान है। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नीति निर्माण, बजटीय नियंत्रण, निर्देश जारी करने, मानीटरिंग तथा नगरपालिकाओं पर समग्र नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में, राज्य में 9 नगर निगम, 14 नगर परिषद तथा 53 नगर पालिकाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमशः नगर आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों तथा सचिवों द्वारा की जाती है।

2.2.3 ऑडिट उद्देश्य

ऑडिट उद्देश्यों ने निर्धारण करने थे कि:

- विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्लानिंग कुशल तथा परिणामोन्मुखी थी;
- वित्तीय प्रबंधन कुशल तथा प्रभावी था;
- किराया, करों का निर्धारण, संग्रहण, आदि कुशलता से किए गए थे;
- स्कीमों का कार्यान्वयन तथा सिविल कार्यों का निष्पादन कुशल तथा प्रभावी था;
- मैनपावर प्रबंधन कुशल था; तथा
- आंतरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग यंत्रावली विद्यमान थी तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

2.2.4 ऑडिट का स्कोप तथा पद्धति

शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा 2008 - 09 से 2012 - 13 तक की अवधि को आवृत्त करते हुए की गई थी। प्रोबेबिलिटी प्रोपोरशनेट टू साईज विदाउट रिप्लेसमेंट विधि से चुने गए 21 जिलों (**परिशिष्ट 2.2**) में से छः में आने वाले दो नगर निगमों, छः नगर परिषदों तथा 11 नगर पालिकाओं के रिकार्ड मार्च 2013 से अगस्त 2013 के दौरान नमूना - जांच किए गए थे। राज्य में 76 नगर पालिकाओं में से कुल 19 (25 प्रतिशत) नमूना - जांच में आवृत्त की गई थी। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों के निदेशालय के अभिलेखों की भी संवीक्षा की गई थी।

अपनाई गई ऑडिट मैथडोलॉजी अधिनियम के प्रावधानों, स्कीम मार्गनिर्देशों, वित्तीय नियमों, सरकारी आदेशों तथा निर्देशों के संदर्भ के साथ रिकार्डों की नमूना - जांच करनी थी।

प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ 18 अप्रैल 2013 को एक एंट्री काफ्रेंस की गई थी जिसमें विभाग की कार्यप्रणाली, विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन, ऑडिट उद्देश्यों, ऑडिट मापदंड, सैम्पल सलैक्शन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई थी। ऑडिट परिणाम प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय के साथ नवंबर 2013 में हुई एग्जिट काफ्रेंस में चर्चित किए गए थे। एग्जिट काफ्रेंस में किए गए विचार विमर्श ध्यान में रखे गए हैं। तथा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

2.2.5 ऑडिट मापदंड

ऑडिट मापदंड निम्नानुसार थे:

- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए बाई - लाज तथा नियम।
- नगरपालिका लेखा संहिता, 1930.
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हैंडलिंग) नियम, 2000.

ऑडिट परिणाम

2.2.6 प्लानिंग

2.2.6.1 परिप्रेक्ष्य तथा वार्षिक प्लानों का तैयार न करना

नगर क्षेत्र में विकास के लिए प्लानिंग मुख्य उपकरण है। तथापि, यह देखा गया कि चयनित नगरपालिकाओं ने न तो वार्षिक प्लान और न ही परिप्रेक्ष्य प्लान तैयार किए थे। नगरपालिकाओं द्वारा केवल वार्षिक बजट तैयार किए गए थे। परिणामस्वरूप विकास कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं किए गए थे। सुव्यवस्थित रूप से विकास कार्यों को करने के लिए बेहतर प्लानिंग के लिए नगरपालिकाओं को दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य प्लान तैयार करने चाहिए।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान परिप्रेक्ष्य तथा वार्षिक प्लान तैयार करने की कमी को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने आश्वासित किया कि भविष्य में वार्षिक तथा परिप्रेक्ष्य प्लानों को तैयार करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 शहरी स्थानीय निकायों के लेखे

नगरपालिकाओं के लेखाओं का रख - रखाव नगरपालिका अकाउंट कोड 1930 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा भैनुअल द्वारा सुझाए गए अकाउटिंग फोरमेट तथा कोडिफिकेशन पैटर्न के समनुरूप प्रारूप नगरपालिका लेखा संहिता 2012, नगरपालिकाओं से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु मार्च 2012 में अधिसूचित किया गया परंतु उसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

नगरपालिका लेखा संहिता 1930 के पैरा III - 7 में शामिल प्रावधान के अनुसार, एक वित्तीय स्टेटमेंट, जिसमें नगरपालिका के संबंध में प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखे, आय तथा व्यय लेखे, बैलेंसशीट शामिल हो, तैयार की जानी है। लेकिन ऑडिट में यह अवलोकित किया गया कि बैलेंसशीट के रूप में वार्षिक लेखे नगरपालिकाओं द्वारा उनके शुरू से तैयार नहीं किए जा रहे थे। नगरपालिकाओं द्वारा केवल मासिक लेखे, प्राप्तियों तथा भुगतानों को दिखावाते हुए तैयार किए जा रहे थे। बैलेंसशीट्स के तैयार न करने के कारण, शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकलापों की सत्य तथा उचित स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

2.2.7.2 वित्तीय निष्पादन

निधियों के स्रोतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा उनके विरुद्ध व्यय, जैसाकि निवेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सूचित किए गए, के विवरण तालिका 2.2.1 में दिए गए हैं:

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-स.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

तालिका 2.2.1: निधियों के स्रोत तथा व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	स्वयं के स्रोतों से आय	प्राप्त की गई ग्रांट्स	ऋण	विविध आय	उपलब्ध कुल निधि	व्यय	अंतिम शेष
2008-09	281.02	433.92	196.33	1.80	48.00	961.07	202.09	758.98
2009-10	758.98	376.46	240.40	1.05	212.00	1588.89	517.68	1071.21
2010-11	1071.21	636.14	242.20	77.36	105.08	2131.99	949.14	1182.85
2011-12	1182.85	890.85	537.28	42.97	147.34	2801.29	1244.18	1557.11
2012-13	1557.11	1079.67	1392.55	शून्य	एन.ए.	4029.33	2235.28	1794.05

स्रोत: शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा आपूरित डाटा।

नगरपालिकाओं द्वारा विकास कार्यों को पूर्ण न किए जाने के कारण अंतिम शेष बढ़ रहे थे जैसा कि रिपोर्ट के अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

एगिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने बताया कि स्टाम्प ड्यूटी तथा ऐसी अन्य प्राप्तियों जैसे राज्य वित्त आयोग तथा केंद्रीय वित्त आयोग इत्यादि से अनुदानों के शेयर के कारण कुछ शहरी निकायों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत के कारण कुछ नगरपालिकाओं के पास अव्ययित निधि पड़ी थी। आगे यह बताया गया कि नगरपालिकाओं की निधि अंतरहस्तांतरणीय नहीं थी।

2.2.7.3 सुपरविजन प्रभारों की अवसूली

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा - 57 में शामिल प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका को अपनी वार्षिक आय के एक प्रतिशत के समान राशि नगरपालिकाओं के कार्यों के परामर्श, सहायता तथा सुपरविजन करने के उद्देश्य से निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के पास जमा करवानी थी।

₹ 13.80¹⁸ करोड़ की राशि के सुपरविजन प्रभार नगरपालिकाओं से वसूली के लिए लंबित थे। विभाग ने राशि वसूलने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए थे क्योंकि राशियां 17 वर्षों से भी ज्यादा समय से बकाया थी।

एगिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने बताया कि सभी नगरपालिकाओं को बिना चूक के अविलंब बकाया सुपरविजन प्रभार जमा करवाने के आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.7.4 अनुदानों का विपरीत

सरकार द्वारा जारी संस्थानीय निधियों के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त निधियां, वैट पर सरचार्ज तथा राज्य वित्त आयोग से प्राप्तियां विकास कार्यों के लिए उपयोग की जानी थी। इस प्रकार वेतन, मजदूरियों आदि के भुगतान इन निधियों से नहीं किए जाने थे।

तथापि, ऑडिट ने अवलोकित किया कि इन निधियों में से ₹ 7.69 करोड़ की राशि सात नगरपालिकाओं (परिशिष्ट 2.3) द्वारा 2010 - 13 के दौरान स्टाफ के वेतन / मजदूरी, मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति उपदान, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, ऑडिट फीस आदि के भुगतान के प्रति प्रयोग की गई थी।

¹⁸

1996 - 97 से 2000 - 01: ₹ 2.06 करोड़, 2001 - 02 से 2005 - 06: ₹ 3.55 करोड़ तथा 2006 - 07 से 2010 - 11: ₹ 8.19 करोड़।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने सभी उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी नगरपालिकाओं को उनकी पूर्व अनुमति के बिना निधियों को विपरित न करने के निर्देश जारी करने हेतु निदेश दिए।

2.2.7.5 अनुमानों का विभाजन

नगरपालिका लेखा सहित तथा हरियाणा नगरपालिका वर्क्स नियमों के अंतर्गत उच्च प्राधिकारियों की संस्थीकृति से बचने के लिए अनुमानों को विभक्त करना अनुमत नहीं है।

औद्योगिक एरिया में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए नगर निगम, हिसार ने ₹ 6.39 करोड़ (स्थानीय क्षेत्र विकास कर स्कीम के अंतर्गत प्राप्त) व्यय किए (2008 - 09)। यह देखा गया कि कार्य के लिए एक एकल विस्तृत अनुमान तैयार करने तथा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की बजाए प्रत्येक अनुमान की राशि ₹ तीन लाख से नीचे रखकर 229 भिन्न - भिन्न अनुमान तैयार किए गए थे। उच्चतर प्राधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए नगरपालिका अभियंता की सक्षमता में प्रत्येक अनुमान की राशि रखी गई थी। इसके अतिरिक्त उच्च मूल्य के कार्य करने वाली एजेंसियों को टैंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वचित किया गया।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए उपायुक्त, हिसार ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं की जाएगी।

2.2.8 करों/फीसों के निर्धारण, मांग तथा संग्रहण

2.2.8.1 विनियमन प्रभारों की अवसूली

राज्य सरकार ने राज्य में नगर निगम/परिषद/कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अप्राधिकृत कालोनियों को विनियमित किया था (दिसंबर 2004)। इन अप्राधिकृत कालोनियों को विनियमित करते समय जारी निर्देशों तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 - ए में शामिल प्रावधानों के अंतर्गत नगर परिषद के मामले में विनियमन प्रभार ₹ 120 प्रति वर्ग गज की दर पर तथा नगर पालिका के मामले में ₹ 80 प्रति वर्ग गज की दर पर निवासियों, जिन्होंने पहले से ही इन कालोनियों में अपने मकान निर्मित कर लिए थे, से वसूल किए जाने थे।

नगरपालिकाओं के अभिलेखों की नमूना - जांच ने दर्शाया कि संबंधित निवासियों से विनियमन प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी (मार्च 2013)। आठ वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन प्रभारों का भुगतान करने के लिए मालिकों को मांग नोटिस जारी नहीं किए गए थे। आगे, अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार भूमि - राजस्व के एरियर के रूप में राशि वसूलने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप 10 नगरपालिकाओं (परिशिष्ट 2.4) के संबंध में दिसंबर 2004 से नियमित कालोनियों के मकान मालिकों से ₹ 170.40 करोड़ का राजस्व वसूल न किया गया रहा। शेष नौ चयनित नगरपालिकाओं द्वारा इस संबंध में अभिलेख नहीं रखे गए थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने नियमन प्रभार जमा करने के लिए मकान मालिकों को नोटिस जारी करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए, जिसके चूकने पर उनके जलापूर्ति सीवरेज तथा बिजली कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने की कार्रवाई की जाए।

2.2.8.2 किराया प्राप्तियों पर सेवा शुल्क की अवसूली

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (105) (जेड.जेड.जेड.जेड.) के अनुसार अचल संपत्ति को किराए पर देने के लिए टैक्सेबल सर्विस टर्म का अर्थ है बिजनेस या व्यवसाय की वृद्धि की प्रक्रिया में प्रयोग के लिए अचल संपत्ति को किराए पर देने के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति को दी जाने वाली या दी गई सर्विस। अचल संपत्ति में रैटिंग, लैटिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग या अचल संपत्ति की अन्य समान व्यवस्थाएं शामिल हैं। 1 जुलाई 2007 से नेगेटिव लिस्ट के लागू होने के साथ सैक्षण 66 बी नेगेटिव लिस्ट में विनिर्दिष्ट सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण निर्धारित करता है।

नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि नगरपालिकाओं की दुकानें/बूथ मासिक किराया आधार पर किराए पर दी गई थी। नगरपालिकाएं किराये पर सेवा शुल्क, उसे किराएदारों से वसूल करने के बाद, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थीं। यह देखा गया कि छः नगरपालिकाओं ने न तो किरायेदारों से सेवा शुल्क वसूल किया था और न ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कस्टम तथा सेवा कर विभाग के पास जमा किया था जैसा कि तालिका 2.2.2 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.2.2: संगृहीत न किए गए सेवा शुल्क का विवरण

यूनिट का नाम	अवधि	संगृहीत किराये की राशि (₹ लाख में)	संगृहीत न किया गया सेवा शुल्क (₹ लाख में)
नगर परिषद, फतेहाबाद	जून 2007 से सितंबर 2009	64.34	7.59
नगर निगम, हिसार	जून 2007 से नवंबर 2008	108.46	13.41
नगर परिषद, हांसी	जून 2007 से मार्च 2013	262.40	28.66
नगर परिषद, नारनौल	अप्रैल 2008 से मार्च 2013	107.51	11.42
नगर पालिका, कनीना	अप्रैल 2008 से मार्च 2013	180.60	19.16
नगर पालिका, बाबल	अप्रैल 2008 से मार्च 2013	431.62	45.68
कुल		1154.93	125.92

स्रोत: नगरपालिकाओं द्वारा प्रदत्त डाटा।

यह भी देखा गया कि अक्टूबर 2009 से जून 2011 तक की अवधि के लिए ₹ 8.68 लाख तथा जून 2007 से मार्च 2011 की अवधि के लिए ₹ 17.17 लाख की राशि का सेवा शुल्क क्रमशः नगर परिषद, फतेहाबाद तथा रतिया द्वारा किराएदारों से वसूल किए बिना अपनी स्वयं की आय से जमा करवाया गया था। इसके परिणामस्वरूप नगरपालिकाओं को हानि हुई थी। आगे, सेवा शुल्क जमा करवाने में देरी के कारण ₹ 4.17 लाख की ब्याज राशि नगर पालिका, रतिया द्वारा जमा करवानी पड़ी थी (मार्च 2013)।

एमिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने संबंधित सेवा शुल्क जमा करवाने के लिए किराएदारों को मांग नोटिस जारी करने हेतु उपायक्रमों को निर्देश दिए।

2.2.8.3 सेवा शुल्क से छूट का लाभ न लेना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 के अंतर्गत मैनपावर आपूर्ति एजेंसियों द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को दी गई सेवाओं को सेवा शुल्क से छूट दी, जहाँ मैनपावर स्वच्छता उद्देश्य के लिए एक नगरपालिका को आपूरित की गई थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि सेवा शुल्क से छूट के बावजूद जैसा कि ऊपर बताया गया है, 13 चयनित नगरपालिकाओं ने छूट प्राप्त नहीं की थी तथा स्वच्छता उद्देश्यों के लिए मैनपावर की आपूर्ति के लिए मैनपावर आपूर्ति एजेंसियों को जुलाई 2012 से मार्च 2013 के

दौरान ₹ 1.95¹⁹ करोड़ राशि के सेवा शुल्क का भुगतान किया परिणामतः नगरपालिकाओं पर परिहार्य वित्तीय बोझ हुआ।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने स्वच्छता के लिए बाह्य स्टाफ पर सेवा शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए सभी नगरपालिकाओं को निर्देश जारी करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए।

2.2.8.4 श्रम उपकर की अवसूली

भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण सैस अधिनियम, 1996 के अनुसार, लेबर सैस कुल निर्माण लागत की एक प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत किया जाना था। हरियाणा सरकार ने उपकर अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रतिशत की दर पर उपकर उद्गृहीत करने के लिए नियम बनाए (फरवरी 2007)। उपकर नियम प्रावधान करते हैं कि संगृहीत उपकर, संग्रहण प्रभार काटने के बाद 30 दिन के अंदर बोर्ड को प्रेषित किए जाने चाहिए। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने निर्देश जारी किए (जुलाई 2007) कि नगरपालिकाओं को बिल्डिंग प्लानों का अनुमोदन प्रदान करने से पहले निर्माण की अनुमानित लागत के एक प्रतिशत की दर पर श्रम उपकर संगृहीत करने चाहिए। ये प्रावधान व्यक्तिगत आवासीय मकानों, जिनकी निर्माण की कुल लागत ₹ 10 लाख से ज्यादा नहीं थी, पर लागू नहीं थे।

अभिलेखों की नमूना - जांच ने दर्शाया कि ₹ 26.84 लाख तथा ₹ 3.58 लाख राशि के लेबर उपकर क्रमशः नगर परिषद, फतेहाबाद तथा नगर पालिका, बरवाला द्वारा एकत्रित किए गए थे लेकिन हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास जमा नहीं करवाए गए थे (मार्च 2013)।

आगे, 15 नगरपालिकाओं में (परिशिष्ट 2.5) ₹ 79.15 लाख की उपकर राशि नमूना - जांच किए गए मामलों में बिल्डिंग प्लानों को स्वीकृत करते समय आवेदकों से वसूल नहीं किए गए थे। एम.सी.जे. द्वारा उनके बिल्डिंग प्लानों के अनुमोदन से पहले आवेदकों से उपकर की कटौती न करना उपकर अधिनियम, 1996 का उल्लंघन था तथा निर्माण वर्कर्ज के कल्याण उपायों को प्रभावित किया था।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने बताया कि बकाया लेबर उपकर की वसूली के लिए कार्यवाई की जाएगी।

2.2.8.5 नगरपालिका विद्युत कर की अवसूली

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 70 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका की सीमाओं के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के लिए पांच पैसे की दर पर बिजली के उपभोग पर कर उद्ग्राहय है। राज्य में कर उत्तर/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा संगृहीत किया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा

¹⁹

(i) नगर पालिका, अटेली: ₹ 1.99 लाख, (ii) नगर पालिका, बरवाला: ₹ 2.25 लाख, (iii) नगर पालिका, बावल: ₹ 2.15 लाख, (iv) नगर पालिका, धारहेड़ा: ₹ 3.87 लाख, (v) नगर निगम, फरीदाबाद: ₹ 103.04 लाख, (vi) नगर परिषद, हांसी: ₹ 5.29 लाख, (vii) नगर परिषद, हिसार: ₹ 35.47 लाख, (viii) नगर पालिका, झज्जर: ₹ 10.57 लाख, (ix) नगर पालिका, कनीना: ₹ 2.23 लाख, (x) नगर परिषद, नारनौल: ₹ 10.70 लाख, (xi) नगर पालिका, नारनौद: ₹ 1.80 लाख, (xii) नगर परिषद, रेवाड़ी: ₹ 14.66 लाख तथा (xiii) नगर पालिका, उकलाना: ₹ 0.72 लाख।

मेनटेन किए गए वार्षिक लेरवाओं के अनुसार क्रमशः ₹ 62.03 करोड़ तथा ₹ 54.57 करोड़ राशि के नगरपालिका कर राज्य में नगरपालिकाओं को देय थे।

नमूना - जांच की गई 19 नगरपालिकाओं में से 11 नगरपालिकाओं ने स्ट्रीट लाइट बिलों के विरुद्ध अपने नगरपालिका विद्युत कर समायोजित कर लिए थे। तथापि, शेष आठ नगरपालिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कमियां अवलोकित की गई थीं:

- नगर निगम, हिसार तथा नगर निगम, फरीदाबाद के संबंध में 31 मार्च 2013 तक क्रमशः ₹ 451.23 लाख तथा ₹ 109.27 लाख की राशि का नगरपालिका विद्युत कर बकाया था।
- नगर परिषद, फतेहाबाद तथा नारनौल के साथ-साथ नगरपालिका, झज्जर, बेरी, कनीना तथा उकलाना ने बिजली आपूर्ति कंपनियों से वसूलनीय नगरपालिका विद्युत कर के संबंध में कोई रिकार्ड मेनटेन नहीं किए थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा उपायुक्तों को प्रत्येक नगर पालिका के संबंध में इस वसूलनीय टैक्स के विवरण को संग्रह करने तथा कर की वसूली/समायोजन पर निगरानी रखने के लिए सही रिकार्ड मेनटेन करने के लिए निदेश दिए।

2.2.8.6 पुराने बकाया करों, फीस आदि की अवसूली

➤ हरियाणा नगरपालिका (कम्यूनिकेशन टावरों को संस्थापन) बाईलाज, 2009 में शामिल प्रावधानों के अनुसार हाई-पोटेंशल जोन, मीडियम-पोटेंशल जोन तथा लो-पोटेंशल जोन के लिए क्रमशः ₹ 2 लाख, ₹ 1.5 लाख तथा ₹ 1 लाख की संस्थापन फीस तथा प्रत्येक कम्यूनिकेशन टावर के लिए संस्थापन फीस के 10 प्रतिशत की दर पर वार्षिक नवीकरण फीस रैलुलर मोबाइल कंपनियों से वसूलनीय थी। तथापि, 13 चयनित नगरपालिकाओं में मेनटेन किए गए रिकार्डों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2012-13 के अंत में 5 नगरपालिकाओं के संबंध में ₹ 0.73²⁰ करोड़ राशि की संस्थापन फीस तथा सभी 13 नगरपालिकाओं के संबंध में ₹ 1.58 करोड़ की राशि की वार्षिक नवीकरण फीस मोबाइल कंपनियों (**परिशिष्ट 2.6**) के विरुद्ध बकाया थी। शेष 6 चयनित नगरपालिकाओं के संबंध में यह देखा गया कि इन सैलुलर मोबाइल कंपनियों के खिलाफ मांग प्रस्तुत करने के लिए मोबाइल कंपनियों की सूची उनके द्वारा स्थापित टावरों की संख्या के साथ तैयार नहीं की गई थी। नगरपालिकाओं द्वारा कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप नगरपालिकाओं को राजस्व की हानि हुई।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने उपायुक्तों को कंपनियों द्वारा स्थापित मोबाइल टावरों के सही रिकार्ड तैयार करने तथा मोबाइल कंपनियों से बकाया राशि वसूल करने हेतु निदेश दिए।

➤ हाउस टैक्स, जो नगरपालिकाओं के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है, एरियर में था तथा इसको वसूल करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। 16 चयनित नगरपालिकाओं द्वारा मेनटेन किए गए रिकार्डों के अनुसार मार्च 2013 तक ₹ 95.82 करोड़ (**परिशिष्ट 2.7**) की राशि का फायर टैक्स सहित हाउस टैक्स एरियर में था। नगर पालिका बरवाला तथा उकलाना के मामले में कमेटियों द्वारा बकाया हाउस टैक्स के विवरण परिकलित नहीं किए गए

²⁰

(i) नगर निगम, हिसार: ₹ 61.87 लाख, (ii) नगर पालिका, नारनौद: ₹ 2 लाख, (iii) नगर पालिका झज्जर: ₹ 4 लाख, (iv) नगर परिषद, नारनौद: ₹ 0.15 लाख तथा (v) नगर पालिका, बावल: ₹ 4.50 लाख।

थे। इसी प्रकार, ₹ 3.69 करोड़ राशि का नगरपालिका की दुकानों का किराया 16 चयनित नगरपालिकाओं में बकाया था (परिशिष्ट 2.8)।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने उपायुक्तों को संबंधित व्यक्तियों से बकाया कर तथा किराया वसूल करने के लिए उचित कार्यवाई करने के निर्देश दिए।

➤ नगरपालिका लेखा संहिता 1930 के नियम XVII 14 के अनुसार किसी तरह का अग्रिम नियमित रूप से तथा शीघ्रता से समायोजित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना नगरपालिकाओं के प्रधान की ड्यूटी थी कि लेखे यथाशीघ्र बनाए गए थे तथा अव्ययित शेषों को खरीदें या अवसरों को फाइनल करने के बाद तुरंत रिफंड किए गए थे। छ: चयनित नगरपालिकाओं के रिकार्डों की नमूना - जांच ने दर्शाया कि 31 मार्च 2013 तक सरकारी विभागों, अधिकारियों/कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि के विरुद्ध ₹ 274.48²¹ करोड़ राशि के अस्थाई अग्रिम लंबित थे।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने बताया कि सभी मामलों में लेखाओं का मिलान किया जा रहा था तथा अस्थाई अग्रिमों की वसूली/समायोजन के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

2.2.9 प्रोग्राम कार्यान्वयन तथा विकास कार्यों का निष्पादन

विभिन्न स्कीमों जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन तथा विकास कार्यों के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकाय भारत सरकार तथा राज्य सरकारों से अनुदानों के रूप में निधि प्राप्त करती हैं। भारत सरकार के अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत दी जाती हैं। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल प्रपत्तियों के हस्तांतरण द्वारा भी राज्य सरकार अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

19 नमूना - जांच की गई नगरपालिकाओं ने ₹ 973.50 करोड़ राशि के अनुदान 2008 - 13 के दौरान प्राप्त किए गए थे, जिनमें से ₹ 841.91 करोड़ (परिशिष्ट 2.9) विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किए गए थे। नमूना - जांच के दौरान प्रोग्राम कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां नोटिस की गई थीं:

2.2.9.1 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत निर्मित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मकानों का आबंटन न करना

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नगर निगम, फरीदाबाद को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मकानों के निर्माण के लिए 2007 - 11 के दौरान निधि प्रदान किए गए थे। स्कीम का उद्देश्य फरीदाबाद में नगर निगम/हुड़ा जमीनों पर बसे हुए स्लम कलस्टर्ज को दोबारा बसाना था। 2,896 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मकानों का निर्माण फरीदाबाद में (दबुआ कालोनी तथा बापू नगर) ₹ 59.26 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया था (जुलाई 2012)। नगर निगम, फरीदाबाद के रिकार्डों की संवीक्षा ने दिखाया कि 2,896 मकानों में से केवल 203 मकान पात्र लाभभोगियों को आर्बंटित किए गए थे। शेष

²¹

(i) नगर निगम, फरीदाबाद: ₹ 26445.82 लाख, (ii) नगर पालिका, बरवाला: ₹ 1.15 लाख, (iii) नगर निगम, हिसार: ₹ 999.05 लाख, (iv) नगर पालिका, उकलाना: ₹ 0.15 लाख, (v) नगर पालिका, महेन्द्रगढ़: ₹ 1.46 लाख तथा (vi) नगर परिषद, रेवाड़ी: ₹ 0.10 लाख।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-स.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

2,693 मकान लाभभोगियों को निगम द्वारा अभी तक आबटित नहीं किए थे। आगे, यह देखा गया कि योग्य लाभभोगियों की विस्तृत अंतिम सूची, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा फाइनल नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप इन मकानों के निर्माण पर व्यय की गई ₹ 55.10 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने तथ्यों को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (दिसंबर 2013) कि लाभभोगियों के लिए पात्रता मापदंड राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार के बीच झगड़े का मामला रहा है। भारत सरकार से नीति प्राप्त होने पर पात्र लाभभोगियों को यथाशीघ्र इन मकानों के आबंटन के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

2.2.9.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट, यदि सही ढंग से हैंडल या निकास न किया जाए तो वातावरण तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरे को निरूपित करता है। जब अपशिष्ट वाटर बोडीज में पहुंचता है तो सरफेस तथा ग्राउंड वाटर दूषित होता है। अपशिष्ट अवशेष वाटर कैमस्ट्री को बदल सकते हैं जो इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हैंडलिंग) नियम, 2000 में शामिल प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकारी, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, स्टोरेज, सेग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग तथा निकासी के लिए आधारभूत ढांचा के विकास के लिए जिम्मेदार होगा।

नमूना - जांच की गई नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि सरकार ने समय - समय पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियां जारी की थीं लेकिन नगरपालिकाओं ने कार्य पूर्ण नहीं किए थे। इसके परिणामस्वरूप स्कीमों का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा तालिका 2.2.3 में दिए गए विवरणानुसार सात नगरपालिकाओं में निधि भी अव्ययित रहे।

तालिका 2.2.3 : नगरपालिकाओं द्वारा अव्ययित निधियों के विवरण

नगरपालिकाओं का नाम	निधियों की निर्मुक्ति की अवधि	राशि	व्यय की गई राशि	अव्ययित राशि	टिप्पणियां
नगर परिषद, फतेहाबाद	2005-11	135.00	75.00	60.00	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लीयरेंस लेने के अभाव में रुका पड़ा कार्य
नगर निगम, हिसार	2009-11	272.16	327.11 ²²	-	भूमि की खरीद तथा चारदीवारी के निर्माण पर किया गया व्यय
नगर परिषद, हांसी	2005-11	150.32	20.69	129.63	भूमि की खरीद पर किया गया व्यय
नगर पालिका, नारनौद	2009-10	21.20	4.81	16.39	भूमि अभी तक नहीं खरीदी गई
नगर पालिका, रतिया	2005-11	76.67	-	76.67	भूमि अभी तक नहीं खरीदी गई
नगर पालिका, झज्जर	2003-11	76.75	-	76.75	भूमि अभी तक नहीं खरीदी गई
नगर परिषद, बहादुरगढ़	2003-11	162.12	24.00	138.12	भूमि की खरीद पर किया गया व्यय
नगर पालिका, बावल	2005-07	52.00	-	52.00	भूमि अभी तक नहीं खरीदी गई
नगर परिषद, नारनौल	2005-07	73.37	-	73.37	भूमि अभी तक नहीं खरीदी गई
नगर पालिका, कनीना	2009-11	22.51	-	22.51	भूमि अभी तक नहीं खरीदी गई
	कुल	1042.10	451.61	645.44	

स्रोत: नगरपालिकाओं द्वारा प्रदत्त डाटा।

²²

प्राप्तियों के आधिक्य में व्यय, डिपोजिटों पर अर्जित ब्याज तथा अन्य स्कीमों से निधियों के विपर्यन से किया गया था।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हैंडलिंग) नियमों के प्रावधान, इनके लागू होने के 13 वर्ष बाद भी लागू नहीं किए गए थे। अनुपयुक्त निकासी प्रणाली ने प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों को पैदा किया। परिषद्/सभिति ने लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए थे।

तथ्यों को स्वीकारते हुए एगिजट काफ्रेंस के दौरान उपायुक्तों ने आश्वासन दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के बाद ठोस अपशिष्ट उपचार प्लांटस के निर्माण के लिए कदम उठाए जाएंगे। तथापि, उपायुक्त, रेवाड़ी ने बताया कि प्लांट की स्थापना के लिए जमीन अधिगृहित करनी पड़ेगी। प्रधान सचिव ने भी आश्वासन दिया कि रेवाड़ी में ठोस अपशिष्ट उपचार प्लांट की स्थापना के लिए भूमि अधिगृहित की जाएगी।

2.2.9.3 शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के घटकों में से एक है। यह घटक राज्य में नगरपालिकाओं द्वारा कार्यान्वित किया गया था। कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभभेगियों को, उनके श्रम को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों जैसा कि सामुदायिक केंद्रों, ड्रेनों, सड़कों, पार्कों, ठोस अपशिष्ट प्रबंध आदि के सृजन के लिए उनका श्रम उपयोग करके, मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। ₹ 3.71 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध, ₹ 3.43 करोड़ चयनित नगरपालिकाओं में स्कीम के कार्यान्वयन पर व्यय किए गए थे।

नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि पांच नगरपालिकाओं ने कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 31.84²³ लाख का व्यय किया। यह देखा गया कि मस्टररोलज में गरीबी रेखा से नीचे का संदर्भ नहीं किया गया जिसकी अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मजदूरी रोजगार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिया गया था।

नगर परिषद्, टोहाना के मामले में, इस स्कीम के संबंध में ₹ 0.92 लाख की राशि से आवेष्टित दो मस्टररोलज में प्राप्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान नहीं पाए गए थे। इसी प्रकार, दूसरी स्कीमों के संबंध में 2011-12 के दौरान हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान प्राप्त किए बिना 25 मस्टररोलज पर ₹ 5.47 लाख का भुगतान किया गया था। इसकी अनुपस्थिति में, मजदूरों को भुगतान की सत्यता को लेरवापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने मामले पर गंभीरता से विचार किया। उपायुक्त, फतेहाबाद ने आश्वासन दिया कि आवश्यक जांच की जाएगी तथा यह भी आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोहराई नहीं जाएंगी तथा चूक के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को नोटिस में लाया जाएगा।

2.2.9.4 व्यर्थ व्यय

राज्य सरकार ने 2008-10 के दौरान नगर पालिका, रतिया को “अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास” स्कीम के अधीन ₹ चार करोड़ की राशि की ग्रांट, 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले वार्ड संख्या 4, 5, 12 तथा 14 (₹ एक करोड़ प्रति वार्ड) के लिए जारी की। आगे, राज्य सरकार (शहरी स्थानीय निकाय विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी तथा हाल ही में

²³

(i) नगर पालिका, बावल: ₹ 4.16 लाख, (ii) नगर पालिका, झज्जर: ₹ 5.97 लाख, (iii) नगर पालिका, नारनौद: ₹ 3.02 लाख, (iv) नगर पालिका, रतिया: ₹ 7.62 लाख तथा (v) नगर परिषद्, टोहाना: ₹ 11.07 लाख।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-साक्षेत्र) का प्रतिवेदन

अप्रैल 2013 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, अननुमोदित कालोनियों में विकास कार्य निष्पादित नहीं किए जाने थे।

वार्ड नं. 5 तथा 12 हेतु अभीष्ट ₹ दो करोड़ की ग्रांट का उपयोग गलियों में सीमेंट कंक्रीट /इंटरलाकिंग टाइलें लगाने तथा ड्रेनों के निर्माण के लिए नगर पालिका द्वारा अगस्त 2008 से जुलाई 2011 के दौरान किया गया था। नगर पालिका के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंडल, फतेहाबाद ने इन वार्डों में सीर लाइनें बिछानी शुरू कर दी थी तथा मार्च 2012 के दौरान गलियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई तथा सीमेंट कंक्रीट /इंटरलाकिंग टाइलें उखाड़ दी गई थीं जैसा कि दिए गए फोटोग्राफस में दिखाया गया है:



वार्ड 5 तथा 12, रतिया में सीवर बिछाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल द्वारा डैमेज की गई इन्टरलॉकिंग पेवर ब्लाक स्ट्रीट (10 अप्रैल 2013)।

इस प्रकार, नगर पालिका रतिया तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, फतेहाबाद में प्लानिंग तथा समन्वय की कमी के कारण वार्ड नंबर 5 तथा 12 में ड्रेनों तथा गलियों के निर्माण पर किया गया ₹ ३० करोड़ का व्यय व्यर्थ बना दिया गया।

आगे, रिकार्डों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वार्ड नंबर 4, 5, 12 तथा 14 राज्य सरकार द्वारा अनुमेदित किसी कालोनी का हिस्सा नहीं थे। ₹ 3 करोड़ का व्यय इन वार्डों में विकास कार्यों पर किया गया था।

इसी प्रकार नगर परिषद्, हिसार ने 2010-13 के दौरान आजाद नगर तथा निकटवर्ती कालोनियों में नमूना - जांच किए 15 विकास कार्यों पर ₹ 5.06 करोड़ व्यय किए गए थे, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी कालोनी का हिस्सा नहीं थे। इस प्रकार, राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में अप्राधिकत कालोनियों में व्यय किया गया था।

तथ्यों को स्वीकारते हुए, प्रधान सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को आरंभ करने से पहले नगरपालिकाओं तथा अन्य सेवा विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया था कि पेवर स्ट्रीट /सीमेंट कंक्रीट स्ट्रीट के निर्माण के समय भविष्य में जलापूर्ति, सीवरेज आदि जैसी सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्थान का प्रावधान होना चाहिए ताकि सेवाओं को प्रदान करने के कारण क्षतियों को कम किया जा सके। अप्राधिकृत कालोनियों में व्यय करने के संबंध में, प्रधान सचिव ने उपायुक्तों को भविष्य में अप्राधिकृत कालोनियों विकास गतिविधियों पर कोई निधि व्यय न करने हेतु निर्देश दिए।

2.2.9.5 कार्यों के निष्पादन के बिना किया गया भुगतान

नगर परिषद, बहादुरगढ़ ने केंद्रीय वित्त आयोग तथा विशेष विकास कार्य स्कीम के अंतर्गत प्रीत विहार (वार्ड नं. 13), में सीमेंट कंक्रीट गलियों के निर्माण के कारण ठेकेदारों को निम्नलिखित भुगतान किए गए।

क्र. सं.	कार्य का नाम	पूर्णता का महीना	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
1.	विद्या, बृजलाल तथा सुभाष के घरों को चन्द्रवाटिका रोड गली	अक्टूबर 2008	16.55
2.	गली मायाराम वाली में गली तथा ड्रेन का निर्माण	अक्टूबर 2009	29.77
3.	गली सतवीर वाली	जुलाई 2011	21.28
4.	मनीष, संजय, ओमप्रकाश, राजकुमार आदि वाली गली	नवंबर 2009	22.03
5.	गली कृष्ण तथा गुलाब वाली	नवंबर 2010	20.33
कुल			109.96

उपर्युक्त कार्यों के सत्यापन के लिए उपायुक्त, झज्जर द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), बहादुरगढ़ ने दिसंबर 2012 में कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा प्रकट किया कि ये कार्य या तो निष्पादित ही नहीं किए गए थे या साइट पर आंशिक रूप से निष्पादित किए थे। आगे, जून 2013 में ऑडिट द्वारा किए गए इन कार्यों के भौतिक सत्यापन ने भी प्रकट किया कि इन कार्यों की स्थिति अब भी वैसी थी जैसा कि उपायुक्त द्वारा बनाई गई कमेटी ने सूचित की थी।



विद्या के मकान को गली चन्द्रवाटिका रोड की गली
(14 जून 2013)



गली मायाराम वाली की गली तथा ड्रेन
(14 जून 2013)

आगे, यह अवलोकित किया गया था कि दिसंबर 2012 में कमेटी द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने मामले पर गंभीरता से विचार किया। उपायुक्त, झज्जर ने बताया कि राज्य सतर्कता विभाग द्वारा एक इंक्वायरी संचालित की जा रही है तथा इनक्वायरी रिपोर्ट की प्राप्ति पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

2.2.9.6 निष्कल व्यय

माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश (जुलाई 2001) दिए थे कि प्रत्येक नगर परिषद/कमेटी को, उनकी नगर सीमाओं के अंदर या बाहर पशुओं की हत्या करने के लिए एक स्थान निश्चित करना चाहिए। माननीय कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकार ने बूचड़रवानों तथा भीट दुकानों के निर्माण के लिए नगरपालिकाओं को निधि जारी किए थे।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-स.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

नमूना - जांच की गई नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने दिखाया कि पांच नगरपालिकाओं ने ₹ 58.80²⁴ लाख की लागत पर भीट मार्केटों के साथ बूचड़खाने निर्मित किए (2002 - 03 तथा 2012 - 13 के मध्य) थे। स्लाटरिंग तथा भीट की बिक्री का व्यवसाय नवनिर्मित दुकानों में शुरू नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.80 लाख का सारा व्यय निष्फल बन गया था। इसके अलावा, नगरपालिकाएं इन दुकानों से किराया प्राप्त न होने के कारण लगातार हानि उठा रही थी।

एगिट काफ्रेस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए, प्रधान सचिव ने संबंधित उपायुक्तों को जितना जल्दी हो सके बूचड़खानों को क्रियाशील बनाने के लिए गंभीर प्रयत्न करने के निर्देश दिए।

2.2.10 मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.10.1 स्टाफ की कमी

मार्च 2013 तक, 19 नमूना - जांच की गई नगरपालिकाओं में 4,235 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2,662 पद भरे गए थे तथा 1,573 पद रिक्त (37 प्रतिशत) रहे जैसा कि तालिका 2.2.4 में विवरण दिया गया है। यह स्थिति स्वच्छता स्टाफ के अतिरिक्त है।

तालिका 2.2.4: नगरपालिकाओं की रिक्ति स्थिति

क्र.सं.	नगरपालिकाओं के नाम	स्वीकृत पद	भरे गए	रिक्ति	रिक्ति की प्रतिशतता
नगर निगम					
1	फरीदाबाद	3263	1995	1268	39
2	हिसार	256	198	58	23
नगर परिषद					
1	बहादुरगढ़	70	55	15	21
2	फतेहाबाद	59	41	18	31
3	हांसी	66	45	21	32
4	नारनौल	65	34	31	48
5	रेवाड़ी	78	49	29	37
6	टोहाना	42	26	16	38
नगरपालिका					
1	अटेली	12	2	10	83
2	बरवाला	82	59	23	28
3	बावल	40	20	20	50
4	बेरी	11	4	7	64
5	धारुहेड़ा	11	3	8	73
6	झज्जर	25	19	6	24
7	कनीना	13	3	10	77
8	महेन्द्रगढ़	82	66	16	20
9	नारनौद	11	4	7	64
10	रतिया	14	11	3	21
11	उकलाना	35	28	7	20
कुल		4235	2662	1573	37

स्रोत: नगरपालिकाओं द्वारा आपूरित डाटा।

²⁴

नगर परिषद (i) फतेहाबाद: ₹ 17.81 लाख, 2012 - 13 में निर्मित (ii) हांसी: ₹ 7.13 लाख, 2002 - 03 में निर्मित (iii) टोहाना: ₹ 7.06 लाख, 2004 - 05 में निर्मित तथा नगर पालिका (iv) नारनौद: ₹ 6.26 लाख, 2003 - 04 में निर्मित (v) रतिया: ₹ 20.54 लाख, 2007 - 08 में निर्मित।

नगर निगम फरीदाबाद, नगर पालिकाएं, अटेली, बेरी, धारूहेड़ा तथा नारनौद में स्टाफ की भारी कमी थी।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने बताया कि सभी नगरपालिकाओं में तैनाती के लिए क्लास - III तथा IV स्टाफ की मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित कर दी गई थी तथा चयन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अपेक्षित स्टाफ यथा समय प्रदान कर दिया जाएगा।

2.2.10.2 मजदूरियों का भुगतान

(i) राज्य में नगरपालिकाओं द्वारा स्वच्छता स्टाफ की सेवाओं को प्राइवेट सेवा प्रदान करने वालों से आउटसोर्स किया गया था। सर्विस प्रोवाइडरों के साथ अनुबंध के नियमों तथा शर्तों के अनुसार उन्हें कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंटों को खोलना अपेक्षित था तथा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा करना अपेक्षित था। आगे, सर्विस प्रोवाइडर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा की जाने वाली राशि के समर्थन में नगरपालिकाओं को चालानों की प्रति प्रदान करना अपेक्षित था।

ठेकेदारों से नगरपालिकाओं द्वारा प्रत्येक कर्मचारी का नाम तथा कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट नंबर दर्शाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की जमा के प्रमाण एकत्र नहीं किए जा रहे थे तथा केवल चालान की फोटोकापियां ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी। ऐसे विवरणों की अनुपस्थिति में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्रत्येक कर्मचारी की कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आदि वास्तव में उनके अकाउंट्स में जमा की गई थी या नहीं।

2012 - 13 अवधि के लिए नगर निगम, फरीदाबाद के संबंध में इलैक्ट्रोनिक चालान - सह - रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियां दर्शाई:

- मैसर्ज विशाल प्रोटेक्शन फोर्स ने जून 2012 से मार्च 2013 के दौरान लगाए गए स्टाफ के कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारी का हिस्सा) के तौर पर ₹ 46.33 लाख निगम से निकाले थे लेकिन इसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास ₹ 41.48 लाख जमा कराए थे। इस प्रकार, ₹ 4.85 लाख का अंतर एजेंसी द्वारा रिटेन कर लिया गया था।
- इसी प्रकार, मैसर्ज पर्यावरण स्वच्छता तथा जन - स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय अकादमी द्वारा अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ₹ 3.61 लाख की राशि के कर्मचारी भविष्य निधि रिटेन किए गए थे।
- इन एजेंसियों के जून 2012 की अवधि से पूर्व इलैक्ट्रोनिक चालान - सह - रिटर्नों तथा नगर निगम द्वारा लगाई गई दूसरी एजेंसियों के संबंध में इलैक्ट्रोनिक चालान - सह - रिटर्नों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि के जमा के प्रमाण में ऑडिट संवीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं थे।

चूंकि अन्य चयनित नगरपालिकाओं के मामले विस्तृत शेड्यूलों/इलैक्ट्रोनिक चालान - सह - रिटर्नों ऑडिट संवीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं थे, अन्य मामलों में, इस प्रकार की अनियमितताओं की संभावना का पता नहीं लगाया जा सकता।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने गंभीरता से मामले पर विचार किया तथा इच्छा व्यक्त की कि कर्मचारी भविष्य निधि की जमा का सत्यापन प्रत्येक

नगरपालिका द्वारा किया जाए। प्रधान सचिव ने उपायुक्तों को भी चूककर्त्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

(ii) भारत सरकार (श्रम तथा रोजगार मंत्रालय) अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2011, के अनुसार अपनी स्थापनाओं में 20 या ज्यादा व्यक्तियों को नियोजित करने वाले सभी नगर परिषद् तथा निगम कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आवृत किए जाते हैं।

नगर निगम, फरीदाबाद ने अपनी नामावली पर 20 से ज्यादा दैनिक मजदूरी कर्मचारियों को नियुक्त किया था लेकिन उनका कर्मचारी भविष्य निधि उपर्युक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा न तो कर्मचारियों से वसूल किया गया था और न ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा करवाया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जनवरी से नवंबर 2011 की अवधि के लिए ₹ 168.26 लाख के कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता शेयर: ₹ 89.43 लाख तथा कर्मचारी शेयर: ₹ 78.85 लाख) तथा ₹ 15.75 लाख ब्याज राशि के अतिरिक्त क्षतियों के कारण ₹ 18.82 लाख नगर निगम के बैंक अकाउंट से वसूल किए (दिसंबर 2012)।

एगिट काफ्रेंस के दौरान तथ्य को स्वीकारते हुए प्रधान सचिव ने आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद को भविष्य में ऐसी चूकों से बचने के निर्देश दिए।

2.2.11 आंतरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग

2.2.11.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण, लागू नियमों तथा विनियमों के लागू करने वारे प्रबंधन के उचित आश्वासन देता है। नगर पालिकाओं में आंतरिक नियंत्रण, वित्तीय प्रबंध, करों/फीसों के निर्धारण, मांग तथा संग्रहण, कार्यक्रमों को लागू करने, कार्यों के निष्पादन आदि के संबंध में अपर्याप्त था जैसा कि आगे अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। आगे, भवन के प्लानों की संस्वीकृति तथा नगरपालिका क्षेत्र में अप्राधिकृत निर्माण पर अपर्याप्त नियंत्रण था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

➤ हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों/बाई - लाज के अनुसार कोई भी बिल्डिंग तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक निगम द्वारा इसके भवन प्लान को अनुमोदित नहीं किया जाता। जहां किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का निष्पादन, संस्वीकृति के विरुद्ध किया गया है तो कमिशनर, किसी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है, के साथ आदेश द्वारा उसे रोक सकता है। 2008 - 12 के दौरान नगर निगम, हिसार ने 1937 भवन प्लान अनुमोदित किए लेकिन किसी भी आवेदक ने पूर्णता प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया था। 77 मामलों में, उन आवेदकों को नोटिस जारी किए गए थे जो अनुमोदित भवन प्लानों के उल्लंघन में भवनों के निर्माण में शामिल थे। अप्रैल 2013 तक पूर्णता से पहले अप्राधिकृत निर्माण रोके नहीं गए थे।

एगिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि यह स्थानीय प्राधिकारियों की विफलता तथा पर्याप्त एनफोर्समेंट मशीनरी के कारण था तथा संबंधित उपायुक्तों को अप्राधिकृत निर्माण में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

➤ नगर परिषद लालडोरा क्षेत्रों, हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के आरंभ से पहले काटी गई कालोनियों तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कालोनियों में

भवन प्लान संस्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं। परिषद भवन प्लान को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। तथापि, यदि परिषद ऐसे आदमी ऐसे भवन बनाने के द्वारा के वैध नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर उपेक्षा करता है या छोड़ देता है, तो ऐसा निर्माण स्वीकृत किया गया माना जाएगा।

प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत आठ भवन प्लान पांच²⁵ नगरपालिकाओं द्वारा इस तथ्य के बावजूद अनुमोदित किए गए थे कि प्रार्थियों के प्लाट अनुमोदित कालोनियों में स्थित नहीं थे। आगे, मई 2012 में प्राप्त अननुमोदित कालोनी के लिए भवन प्लान के अनुमोदन के लिए तीन आवेदन मार्च 2013 तक नगर परिषद, टोहाना द्वारा न तो अनुमोदित किए थे और न ही अस्वीकृत किए थे। उनके भवन प्लान अनुमोदित किए गए माने जाएंगे क्योंकि 60 दिनों की समय सीमा पहले ही खत्म हो चुकी थी।

इसी प्रकार, नगर परिषद, बहादुरगढ़ के मामले में, 2010 - 12 के दौरान प्रस्तुत भवन प्लानों के 105 मामले परिषद द्वारा इस तथ्य के बावजूद अनुमोदित कर दिए गए थे, कि आवेदकों के प्लाट अनुमोदित कालोनियों में स्थित नहीं थे।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने संबंधित उपायुक्तों, को संबंधित अधिकारियों, जिन्होंने अननुमोदित कालोनियों में भवन प्लान स्वीकृत किए थे, के खिलाफ सरक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

2.2.11.2 विभिन्न रिकार्डों का न रखना/अनुचित रख - रखाव

किसी संगठन के सही कार्यचालन के लिए सही रिकार्डों का रख - रखाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह गलतियां तथा अनियमितताएं कम करता है तथा कार्य की समग्र गुणवत्ता को सुधारने में भी मदद करता है। चयनित नगरपालिकाओं के अभिलेखों की नमूना - जांच ने दर्शाया कि निम्नलिखित मूल रिकार्ड या तो मेनटेन नहीं किए गए थे या अधूरे थे:

क्र. सं.	रिकार्डों के नाम	नगरपालिका अकाउंट कोड के नियम जिनके अंतर्गत अपेक्षित थे	वर्तमान स्थिति
1.	अनुदान रजिस्टर	III.8	अपूर्ण
2.	वर्गीकृत सार	III.2	अपूर्ण
3.	मासिक अकाउंट	III.6	मेनटेन नहीं किया गया
4.	वार्षिक अकाउंट	III.7	मेनटेन नहीं किया गया
5.	भवन ऐप्लिकेशन रजिस्टर	III.10	अपूर्ण
6.	मांग तथा संग्रहण रजिस्टर (टावर)	XI.15	अपूर्ण
7.	कर मांग तथा संग्रहण रजिस्टर	VII.7	अपूर्ण
8.	किराया मांग तथा संग्रहण रजिस्टर	XI.3	अपूर्ण
9.	मूल्यांकन रजिस्टर	VI.2	अपूर्ण

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगरपालिकाओं को निर्धारित रिकार्डों के सही रख - रखाव के लिए निर्देश जारी करने के आदेश दिए।

²⁵

(i) नगर परिषद, हिसार, (ii) नगर परिषद, टोहाना, (iii) हांसी, (iv) नगरपालिका, नारनौद तथा (v) झज्जर।

2.2.11.3 लोकल ऑडिट को उत्तर न देना

नगरपालिकाओं का ऑडिट निदेशक, लोकल ऑडिट हस्तियाणा की ऑडिट पार्टियों द्वारा किया जाता है। नगर निगमों तथा नगर परिषदों के मामले में प्री - ऑडिट किया जाता है जबकि नगर पालिकाओं के मामले में पोस्ट ऑडिट किया जाता है। निदेशक, लोकल ऑडिट के रिकार्डों की संवीक्षा के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि ₹ 585.13 करोड़ धन मूल्य के 17,425 ऑडिट पैरे जुलाई 2013 तक बकाया थे (परिशिष्ट 2.10)। आगे, यह देखा गया कि वर्ष 1954 - 55 से आगे के वर्षों से संबंधित पैरे अभी भी बकाया थे। इसके अतिरिक्त गंभीर प्रकृति के पैरे थे जैसे निधियों के गबन/दुरुपयोग, राजस्व की कम वसूली/अवसूली, अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के मामले। इस स्थिति ने, निदेशक, लोकल ऑडिट द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सुधारात्मक कार्यवाही के लिए नगरपालिकाओं की गैर-जवाबदेही को इंगित किया।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि लंबित पैरों के निरीक्षण तथा निपटान के लिए एक कमेटी बनाई गई थी।

2.2.11.4 मानीटरिंग

मानीटरिंग प्रबंधकों, आयोजकों तथा निर्णय लेने वालों को विकास की प्रगति को ट्रैक करने तथा तुरंत सुधारक कार्यवाही के लिए कमियों का पता लगाने के लिए तैयार रहने, विकास गतिविधियों की प्रभावशीलता तथा कार्यकुशलता का निर्धारण करने तथा भविष्य विकास योजना हेतु सबक सीखने के साधन प्रदान करती है। नगरपालिकाओं की गतिविधियों का निरीक्षण करने तथा उनका सही कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग का प्रधान सचिव जिम्मेदार था। विभाग के प्रधान के तौर पर निदेशक भी नगरपालिकाओं के कार्यक्रमों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों की मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार था। व्यय स्टेटमेंटों की प्रस्तुति के अलावा नगरपालिकाओं की गतिविधियों को मानीटर करने के लिए विभाग द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित नहीं की गई थी। स्कीमों तथा कार्यक्रमों का कोई केंद्रीयकृत डाटाबेस नहीं था, परिणामस्वरूप नगरपालिकाओं के पास भारी निधि अव्ययित पड़ी थे। इस प्रकार मानीटरिंग का अभाव था।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय तथा सभी उपायुक्तों को सभी नगरपालिकाओं की मानीटरिंग तथा बेहतर कार्यचालन के लिए एक मैकेनिज्म विकसित करने हेतु निदेश दिए ताकि ऐसी चूंकें जैसी ऑडिट द्वारा इंगित की गई थी भविष्य में दोबारा घटित न हों।

2.2.12 निष्कर्ष

नगरपालिकाओं ने अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए न तो परिषेक्ष्य प्लान और न ही वार्षिक प्लान तैयार किए थे। राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल द्वारा समायोजित किए गए अकाउटिंग फारमेट तथा कोडीफिकेशन पद्धति के अनुरूप ड्राफ्ट नगरपालिका लेखा सहित 2012 अभी तक फाइनल नहीं किया गया था। आगे, नगरपालिकाओं द्वारा बैलेस शीट के रूप में वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा रहे थे। नगरपालिकाओं ने उनके द्वारा राजस्व के असृजन के कारण विकास स्कीमों की निधि मजदूरियों तथा वेतनों आदि के भुगतान की ओर विपरित कर दी। करों, फीस तथा अन्य देयों के निर्धारण, मांग तथा संग्रहण, दक्षतापूर्ण नहीं था क्योंकि बहुत से देय बकाया पड़े थे। कार्यों का निष्पादन भी त्रुटिपूर्ण था क्योंकि अप्राधिकृत

कालोनियों में विकास कार्यों पर अनियमित व्यय, कार्यों के निष्पादन के बिना भुगतान करना, उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए कार्यों का विभाजन आदि के मामले थे। दस नमूना - जांच की गई नगरपालिकाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट्स क्रियाशील नहीं किए गए थे। नगरपालिकाएं आउटसोर्सेड स्टाफ के कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आदि की जमा को सुनिश्चित नहीं कर रही थी। नगरपालिका क्षेत्रों में अप्राधिकृत निर्माण पर अपर्याप्त नियंत्रण तथा गैर - अनुमोदित कालोनियों के भवन प्लानों की भजूरी भी देखी गई थी। नगरपालिकाएं ऑडिट आपत्तियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की तरफ उत्तरदायी नहीं थी।

2.2.13 अनुशंसाएं

सरकार विचार कर सकती है:

- नगरपालिकाओं की अपनी विकास गतिविधियों के लिए परिप्रेक्ष्य प्लान तथा वार्षिक प्लान तैयार करना;
- नगरपालिकाओं द्वारा नगरपालिका लेखा संहिता को फाइनल करना तथा बैलेंस शीट तैयार करना;
- नगरपालिकाओं को स्वःपोषण योग्य बनाने के लिए करों, किराया, फीस आदि की वसूली के सिस्टम को मजबूत बनाना;
- निर्माण कार्यों के निष्पादन पर विजिलेंस सिस्टम मजबूत करना; तथा
- अप्राधिकृत कालोनियों के अप्राधिकृत निर्माण तथा विकास को नियंत्रित करना।

मामला, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को सितंबर 2013 में भेजा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। फिरभी, नवंबर 2013 में आयोजित एग्जिट काफैंस के दौरान प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी।

शिक्षा विभाग
(हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद)

2.3 सर्व शिक्षा अभियान

समाज की सक्रिय भागीदारी के साथ छः से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए हरियाणा में 2001 - 02 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया गया था। स्कीम को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद को निधियां सीधे जारी की जाती हैं।

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे वर्णित हैं:

ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम की सही ढंग से आयोजना न करने के कारण ₹ 15.12 करोड़ की बजट राशि में से केवल ₹ 1.23 करोड़ 2008 - 13 के दौरान खर्च किए गए।

(अनुच्छेद 2.3.6.3)

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट के विरुद्ध 2008 - 2013 के दौरान ₹ 1,501.59 करोड़ (34.86 प्रतिशत) की अत्यधिक बचत थी।

(अनुच्छेद 2.3.7.1)

2008 - 2013 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 14.55 लाख से 13.44 लाख तक घट गया था। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 1.25 लाख थी जबकि लक्ष्य इसे शून्य तक लाने का था।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 तथा 2.3.8.2)

विद्यार्थियों को पुस्तकों और वर्दियां प्रदान करने में बहुत ज्यादा विलंब हुआ। आगे, पुस्तकों की आपूर्ति के लिए संविदा करारनामे में जोखिम एवं लागत क्लॉज के न होने से विभाग को ₹ 5.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

(अनुच्छेद 2.3.8.5 तथा 2.3.8.6)

40,472 निर्माण कार्यों में से कुल 32,504 (80.31 प्रतिशत) निर्माण कार्य 2008 - 13 के दौरान पूरे किए गए थे। आगे, 2003 - 07 की अवधि से संबंधित 468 सिविल निर्माण कार्य अधूरे रहे।

(अनुच्छेद 2.3.9)

प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 72,446 पदों के विरुद्ध 54,063 अध्यापक थे, जो 18,383 (25 प्रतिशत) अध्यापकों की कमी को दर्शाती है। आगे, कुछ जिलों में अध्यापक अधिक थे और अन्य जिलों में कमी थी।

(अनुच्छेद 2.3.10.1)

2.3.1 प्रस्तावना

सर्व शिक्षा अभियान राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्वयं सरकारों के साथ साझेदारी में देश में सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा को एक मिशन रूप में प्राप्त करने के लिए 2001 - 02 में आरंभ किया गया भारत सरकार का एक व्यापक तथा एकीकृत फलैगशिप कार्यक्रम है। राज्य में इसे अप्रैल 2002 से आरंभ किया गया था।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 2008 - 09 के लिए 65:35, 2009 - 10 के लिए 60:40, 2010 - 11 तथा आगे के लिए 65:35 के अनुपात में स्कौल वित्त पोषित की गई थी। भारत सरकार द्वारा निधियां सीधे हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद को जारी की जाती हैं।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई अर्थात् हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, 13 जुलाई 2011 से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (परिषद) के रूप में पुनः नामित समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 2001 में स्थापित की गई थी। परिषद की अध्यक्षता राज्य परियोजना निदेशक द्वारा की जाती है।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्य, सुनिश्चित करना था कि:

- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परिषद तथा जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा योजनाएं तैयार की गई थी;
- वित्तीय प्रबंधन कुशल एवं प्रभावी था;
- परियोजना के विभिन्न घटकों का कार्यान्वयन प्रोजेक्ट गाइडलाइन्स के अनुसार था और परियोजना के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए थे;
- सर्व शिक्षा अभियान नियमावली के मानकों के अनुसार शोध अध्ययन किए गए थे; तथा
- एक उपयुक्त मानीटरिंग प्रणाली विद्यमान थी और प्रभावी थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

राज्य परियोजना निदेशक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय तथा सात²⁶ जिला परियोजना समन्वयकों के कार्यालयों को कवर करते हुए 2008 - 2013 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2012 से अगस्त 2013 तक की गई। जिलों का चयन प्रोबेबिलीटी प्रोपोर्शनल टू साईज विदाऊट रिप्लेसमेंट की विधि अपनाते हुए किया गया था। विभागीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 170 स्कूलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के अतिरिक्त चयनित जिलों के सभी ब्लॉक संसाधन समन्वयकर्ता कवर किए गए थे। स्कौल की पहले भी समीक्षा की गई थी तथा 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), हरियाणा सरकार, में शामिल की गई थी तथा जून एवं अक्टूबर 2008 में लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड तथा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ एंट्री काफ्रेंस में चर्चा की गई थी (10 अप्रैल 2013)। प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ जनवरी 2014 में आयोजित एग्जिट काफ्रेंस में लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। विभाग के उत्तर तथा एग्जिट काफ्रेंस के विचार - विमर्श रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

²⁶

(i) भिवानी, (ii) कैथल, (iii) झज्जर, (iv) मेवात, (v) पंचकूला, (vi) सिरसा तथा (vii) यमुनानगर।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

परियोजना का निष्पादन आकलित करने के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नानुसार थे:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम - पुस्तक।
- कार्यकारी समिति की बैठकों के एजेंडा/कार्यवाहियां।
- परियोजना अनुमोदन बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बजट।
- परियोजना को लागू करने एवं निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए परिषद द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं तथा अनुदेश।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.6 प्लानिंग

सर्व शिक्षा अभियान सभी जिलों को, गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा संबंधी अपने विजन बनाने और उनकी आवश्यकताओं तथा स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाएं विकसित करने और योजनाओं को लागू करने के लिए क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। यह आयोजना की नीचे से ऊपर की ओर वाली प्रवृत्ति पर विचार करती है। आयोजना प्रक्रिया को प्रकृति में भागीदारीपूर्ण होना पड़ता है क्योंकि आयोजना न केवल स्टेकहोल्डरज में स्वामित्व की भावना उत्पन्न करता है बल्कि जागरूकता भी उत्पन्न करता है और विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में मदद करता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिला योजनाएं उपयुक्त सर्वेक्षण करने अथवा गांव स्तर से आंकड़े एकत्र करने के बाद उचित रूप से तैयार नहीं की गई थी। आगे, नमूना - जांच किए गए किसी भी जिला परियोजना समन्वयक द्वारा विशिष्ट जसरतों वाले प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं नहीं बनाई गई। परिणामस्वरूप, बहुत से इंटरवैशन्ज जैसे कि 'ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम', 'शहरी क्षेत्रों के डिपराइवड बच्चे', 'अल्पसंख्यक समुदाय विद्यार्थी' इत्यादि को सही ढंग से लागू नहीं किया जा सका।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान परिषद ने बताया कि आयोजना जिला स्तर पर की गई थी और फिर राज्य योजना तैयार करने के लिए अनुपालना की गई थी। यह भी बताया गया कि जिले में आयोजना स्तरीय नहीं थी क्योंकि विभिन्न इंटरवैशन्स के लिए डाटा संग्रहण तथा डाटा ऐचिंग में खामियां थीं, तथा यह आश्वासन भी दिया कि जिला आयोजना में भविष्य में सुधार किया जाएगा।

2.3.6.1 शहरी क्षेत्रों में डिपराइवड बच्चों के लिए योजना न बनाना

वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम - पुस्तक के अनुच्छेद 38.13 तथा 38.15 के अनुसार गली के बच्चों, विस्थापित बच्चों, रैग उठाने वालों को, प्राथमिक शिक्षा ज्वाइन करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए सुविधाएं सृजित करने पर मुख्य रूप से केन्द्रण के साथ शहरी डिपराइवड बच्चों हेतु विशिष्ट इंटरवैशनज प्लान किए जाने अपेक्षित थे। यह देखा गया कि नमूना - जांच किए गए किसी भी जिले में विशिष्ट इंटरवैशनज के लिए कार्य योजना नहीं बनाई गई थी।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि शहरी क्षेत्रों में डिपराइवड बच्चों के लिए इंटरवैशन प्लान न करने के लिए संबंधित जिलों से स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

2.3.6.2 अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए इंटरवैशन तैयार न करना

वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम - पुस्तक के अनुच्छेद 38.12 के अनुसार प्रत्येक जिले द्वारा, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए उनके वृद्धि नामांकन, रिटेशन और प्राथमिक शिक्षा पूरा करने को लक्ष्य बनाने हेतु, इंटरवैशन बनाए जाने अपेक्षित हैं।

यह देखा गया कि नमूना - जांच किए गए जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए हैबिटेशन स्तर पर आवश्यकता आधारित प्लानिंग नहीं की गई थी जो सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी को दर्शाता है।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि इस अलाभग्राही वर्ग की बेहतरी के लिए जिलों को सही योजनाएं बनाने के लिए निदेश जारी किए जाएंगे।

2.3.6.3 ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम

भाषा, गणित और विज्ञान में शिक्षण स्तर बढ़ाने के लिए, जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा प्राथमिकता से विशेष ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम निष्पादित किए जाने अपेक्षित थे।

नमूना - जांच किए गए जिलों में 2008 - 13 के दौरान ₹ 15.12 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध ₹ 1.23 करोड़ का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना - जांच किए गए किसी भी जिला परियोजना समन्वयक द्वारा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए सही आयोजना नहीं बनाई गई थी।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि शुरू में इस नए कार्य को करने के लिए कुछ समय लग गया और समय बीतने के साथ व्यय बढ़ता जा रहा था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि नमूना - जांच किए गए जिलों में व्यय अभी भी बहुत कम था।

2.3.7 वित्तीय प्रबंधन

2.3.7.1 परिषद की प्राप्तियां एवं व्यय

निष्पादन लेखापरीक्षा की कवरेज अधीन अवधि के दौरान प्राप्तियां एवं व्यय नीचे तालिका 2.3.1 में दिए गए अनुसार थे:

तालिका 2.3.1: प्राप्त और उपयोग की गई निधियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी
(₹ करोड़ में)

वर्ष	परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट	आरंभिक शेष	प्राप्त निधियां		विविध आय	व्याज	कुल उपलब्ध	उपयोग की गई	आंतिम शेष
			भारत सरकार	राज्य					
2008-09	425.50	103.77	205.47	118.81	5.78	2.15	435.98	305.89	130.09
2009-10	598.01	130.09	276.00	178.00	5.63	0.26	589.98	457.57	132.41
2010-11	829.80	132.41	327.86	315.50 ²⁷	8.00	0.18	783.95	624.54	159.41
2011-12	1197.67	159.41	404.61	273.00 ²⁸	9.96	6.14	853.12	696.97	156.15
2012-13	1256.25	156.15	338.10	304.06 ²⁹	1.13	8.22	807.66	720.67	86.99
कुल	4307.23		1552.04	1189.37	30.50	16.95		2805.64	

स्रोत: परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट एवं परिषद की वित्तीय विवरणी।

²⁷

13वें वित्त आयोग से प्राप्त अवार्ड के ₹ 40 करोड़ सहित।

²⁸

13वें वित्त आयोग से प्राप्त अवार्ड के ₹ 43 करोड़ सहित।

²⁹

13वें वित्त आयोग से प्राप्त अवार्ड के ₹ 49 करोड़ सहित।

2008-13 के दौरान ₹ 4307.23 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,501.59 करोड़ (34.86 प्रतिशत) की बचत दर्शाते हुए वास्तविक उपयोगिता ₹ 2,805.64 करोड़ (65.14 प्रतिशत) की थी। घटक, जैसे कि ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, अर्बन डिपाराइवड चिल्ड्रन, माइनोरिटी स्टूडेंट्स, नॉन-इंपार्टिंग ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग्स, नॉन-प्रोक्योरमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग इवेंट्स (मैप्स), इत्यादि कार्यान्वित नहीं किए गए थे जैसा कि स्कीम तथा वार्षिक योजनाओं में विचारित था।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि व्यय, निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया गया था। यह भी बताया गया कि भारत सरकार द्वारा पूरे बजट को जारी न करने के कारण, सभी घटक लागू नहीं किए जा सके। फिरभी, तथ्य रहा, कि भारत सरकार ने अनुमोदित बजट अनुसार निधियां जारी नहीं की थी।

2.3.7.2 बैंक खातों का रख - रखाव

वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम - पुस्तक के अनुच्छेद 72 के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान बैंक खातों में क्रेडिट किए जाने अपेक्षित हैं। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक स्कीम के लिए केवल एक बैंक खाता खोला जाना है। अपवाद वाले मामलों में, राज्य कार्यकारी समिति के पूर्व अनुमोदन से एक से अधिक बैंक खाते ऑपरेट किए जा सकते हैं। परिषद ने अधिकाधिक 33 बैंक खाते ऑपरेट किए थे। परिषद द्वारा बैंक मिलान स्टेटमेंट्स तैयार नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप परिषद में गबन हो गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

लेखा लिपिक के रूप में सेवारत एक कर्मचारी ने चार खाली चैक चुरा लिए थे और नीचे दिए गए विवरण अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के जाली हस्ताक्षर कर ₹ 31.26 लाख की राशि अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित कर ली थी:

क्र. सं.	बैंक	खाता संख्या	चैक नंबर	राशि (₹ में)	आहरण की तिथि
1.	यूनियन बैंक आफ इंडिया, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	47528	534150	1,28,413	24 अगस्त 2008
2.	पंजाब नेशनल बैंक, सैक्टर 22, चण्डीगढ़	009500 0100617034	456526 456527	6,26,986 22,32,218	13 अक्टूबर 2008 31 दिसंबर 2008
3.	पंजाब नेशनल बैंक, सैक्टर 22, चण्डीगढ़	0095000 011564926	80303	1,37,956	1 मई 2009
कुल				31,25,573	

नवंबर 2009 तथा मार्च 2010 के बीच ₹ 8.73 लाख की राशि वसूल की गई थी। 16 फरवरी, 2010 को एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी तथा मामला कोर्ट में लंबित था (अगस्त 2013)। यदि चैक - बुक चैक आहरण अधिकारी की पर्सनल कस्टडी में रखी गई होती तो गबन को रोका जा सकता था। आगे, यदि नियमित रूप से बैंक मिलान किया गया होता तो गबन का पता पहले ही अर्थात् सितंबर 2008 में ही चल जाता और बाद में हुए गबन को रोका जा सकता था।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि सभी बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं और स्कीम को लागू करने के लिए पांच नए बैंक खाते खोले गए हैं। जहां तक गबन की बात है, ऐसा कहा गया कि ऐसा, वर्कलोड के अधिक होने और कई बैंक खातों, जिनका नियमित रूप से मिलान

नहीं किया गया, को आपरेट करने के कारण हुआ। इससे वित्तीय प्रबंधन संबंधी कमज़ोर नियंत्रण व्यवस्था प्रदर्शित हुई।

आगे, यूनियन बैंक आफ इंडिया के बैंक खाते (3093020147528) में वर्ष 2006 - 07 के अंतिम शेष और 2007 - 08 के आरंभिक शेष के बीच ₹ 9,80,269 का अंतर था। परिषद ने कहा (जनवरी 2014) कि बैंक मिलान किया जा रहा है और ₹ 2.35 लाख के अंतर का अभी मिलान किया जाना है।

2.3.7.3 परियोजना अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के बिना व्यय एवं निधियों का विपर्यय

अनुच्छेद 88.1 तथा 88.2 के अनुसार किसी भी व्यय को पूरा करने के लिए, जो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा संस्वीकृत नहीं किया गया है, निधियों का विपर्यय अथवा पुनः विनियोजन नहीं किया जाएगा। किसी भी उस मद पर व्यय नहीं किया जा सकता जिसका संस्वीकृत बजट अनुमानों में प्रावधान नहीं था अथवा अपेक्षित नहीं था। आगे, अगले वर्षों के लिए वार्षिक कार्य प्लान बजट प्रस्तुत करते समय, किए गए पुनः विनियोजन परियोजना अनुमोदन बोर्ड को इसकी सूचना के लिए बताए जाएंगे। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को निधियों के विपर्यय पर निम्नलिखित आवजरवेशनज देखी गई:

➤ शैक्षिक रूप से पिछड़े 31 ब्लॉकों में लागू किए जाने वाले प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों प्रदान की गई। परंतु आबंटित निधियां स्कीम पर व्यय करने की बजाय परिषद ने स्कूलों के लिए फर्नीचर, दरियां (गलीचे) तथा स्टील की अलमारियों के प्रापण पर ₹ 43.53 लाख रुप्च किए थे।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन रिमीडियल कोचिंग के लिए प्रदान की गई अव्ययित निधियों में से, संबंधित जिलों की मांग पर फर्नीचर आइटमों की खरीद हेतु संस्वीकृति प्रदान की गई थी। जबाब युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि दिशा - निर्देशों में उपर्युक्त मदों के प्रापण के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

➤ 5,397 उच्च प्राथमिक स्कूलों द्वारा 2010 - 11 के दौरान प्रबंधन एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली शीर्ष के अंतर्गत पी.टी. ड्रम, डंब बैल तथा लेजियम की खरीद पर ₹ 5.40 करोड़ का रुप्च किया गया था। इस प्रापण की न तो वार्षिक कार्य योजना और बजट में योजना बनाई गई थी और न ही प्रबंधन एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली शीर्ष के अंतर्गत परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित था।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि यह व्यय, परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा वर्ष 2011 - 12 के लिए बजट अनुमोदित करते समय, अनुमोदित किया गया था। जबाब युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि यह नहीं प्रकट किया गया था कि प्रबंधन एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली शीर्ष के अधीन खेल की मदों के क्रय पर ₹ 5.40 करोड़ का व्यय किया गया था।

➤ स्कूल न जाने वाले बच्चों को उपयुक्त कक्षाओं में दाखिले के लिए लाने के लिए डी. एड इंटर्नस को मानदेय का भुगतान करने के लिए बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा भिवानी को ₹ 16.51 करोड़ की राशि भेजी गई थी (मार्च 2013)। डी. एड इंटर्नस ने स्कूल न जाने वाले बच्चों को लाने की बजाए गर्भियों की छुटियों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की विशेष क्लासें ली थी। इस प्रकार “स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष ट्रेनिंग” की राशि डी. एड इंटर्नस को भुगतान के लिए अनियमित रूप से विपर्यय की गई थी।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

आगे, बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन ने स्कूल में न जाने वाले बच्चों, जिन्हें इन इंटर्नस द्वारा मुख्य धारा में लाया गया था, का कौई डटा नहीं रखा।

2.3.7.4 हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्राप्त किए बिना मस्टर रोल्स पर भुगतान

प्रक्रिया अनुसार, मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्त करने वाले प्रत्येक आकस्मिक मजदूर को, सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में भुगतान प्राप्ति के प्रमाण के रूप में अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान मार्क करना चाहिए। तेईस स्कूलों ने परिशिष्ट 2.11 में दिए गए विवरणानुसार मस्टर रोल पर हस्ताक्षर / अंगूठा निशान प्राप्त किए बिना ₹ 12.96 लाख का भुगतान किया था। भुगतान प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान लेने संबंधी प्रक्रिया का बिना चूक के पालन किया जाना चाहिए।

2.3.8 कार्यक्रम को लागू करना तथा मुख्य इंटरवैश्न्स

2.3.8.1 विद्यार्थियों का नामांकन

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्यों में से एक था, 6 - 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल लाकर देश में प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता प्राप्त करना था। 2008 - 13 की अवधि में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या तथा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन के विवरण तालिका 2.3.2 में दिए गए हैं।

तालिका 2.3.2: स्कूलों की संख्या तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में भर्ती विद्यार्थी

वर्ष	स्कूलों की संख्या		नामांकित विद्यार्थी	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2008-09	9324	5257	1454701	671718
2009-10	9332	5376	1423843	671213
2010-11	9384	5519	1367779	663182
2011-12	9407	5549	1403121	712471
2012-13	9325	5636	1343995	727288

स्रोत: संबद्ध वर्षों के राज्य एडब्ल्यू.पी.बी.ज

प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 14,54,701 से 13,43,995 तक (7.61 प्रतिशत) कम हो गया था जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों में यह 6,71,718 से 7,27,288 (8.27 प्रतिशत) तक बढ़ गया था।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्कूलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और लड़कियों से संबंधित डाटा परिशिष्ट 2.12 में दिया गया है। इसी तरह प्राथमिक स्कूलों के संबंध में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और लड़कियों के नामांकन में अधोन्मुखी प्रवाह तथा उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में अधोन्मुखी प्रवाह देखे गए।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नामांकन, राज्य में प्राइवेट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की वृद्धि के कारण कम हो गया था।

2.3.8.2 'स्कूल न जाने वाले बच्चों' के लिए इंटरवैश्न

वार्षिक कार्य प्लान बजट के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 2008 - 09 के अंत में 1.61 लाख से घटकर 2012 - 13 के अंत में 1.25 लाख रह गई थी। इस प्रकार स्कूल में न जाने वाले बच्चों की घटती संख्या में वृद्धि थी परंतु इसे शून्य तक लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य से, बहुत पीछे थी। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या, 2011 की जनगणना के बाद, किसी सर्वेक्षण द्वारा संकलित नहीं की गई थी।

वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम - पुस्तक के अनुच्छेद 40 के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए वैकल्पिक नव प्रवर्तक शिक्षा / व्यावसायिक केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं। ईट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा हेतु वहीं अथवा आस - पास के क्षेत्र में भट्ठा पाठशाला स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। दिशा - निर्देशों के अनुसार भट्ठा पाठशाला में नामांकित बच्चों का मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाना अपेक्षित था तथा इन बच्चों को, उनके मूल निवास स्थान पर, उन्हें विधिवत स्कूलों में मुख्य धारा में जुड़ने के लिए सुगम बनाने हेतु, उनके शिक्षण स्तरों के अनुसार माइग्रेशन सर्टीफिकेट भी जारी किए जाने अपेक्षित थे। 2010 - 11 में राज्य में कुल 1,574 भट्ठा पाठशालाएं चलाई गई और इन केंद्रों में 47,893 के लक्ष्य के विरुद्ध 32,741 बच्चे नामांकित किए गए थे। तालिका 2.3.3 में दिए गए विवरणानुसार नमूना - जांच किए गए जिलों में भट्ठा पाठशालाओं का निष्पादन स्तरीय नहीं था।

तालिका 2.3.3 : भट्ठा पाठशालाओं के निष्पादन का विवरण

जिला	सर्वेक्षण अनुसार बच्चों की संख्या	केंद्रों में नामांकित बच्चे	व्यय (₹ लाख में)	टिप्पणियां
यमुनानगर	1148	978	7.01	सभी गैर सरकारी संस्थाओं ने मुख्य धारा की शर्त पूरी नहीं की इसलिए द्वितीय एवं तृतीय किस्त जारी नहीं की गई
पंचकूला	1407	1407	10.31	मुख्य धारा से जोड़ने की रिपोर्ट शून्य दर्शाई गई।
भिवानी	1645	1078	28.12	गैर सरकारी संस्था ने स्वयं ही स्वीकार किया कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली तथा कोई प्रमाण - पत्र जारी नहीं किया
सिरसा	1993	1973	16.36	भट्ठा पाठशालाओं के लिए कोई शिक्षण स्तर निर्धारित नहीं किए गए और कोई प्रमाण - पत्र जारी नहीं किए गए
मेवात	3004	1891	32.14	मुख्य धारा से जोड़ने और प्रमाण - पत्र जारी करने संबंधी कोई आंकड़े नहीं रखे गए
झज्जर	12058	5981	100.48	मुख्य धारा से जोड़ने और प्रमाण - पत्र जारी करने संबंधी कोई आंकड़े नहीं रखे गए

स्रोत: संबंधित जिला परियोजना समन्वयकों के रिकार्ड्स / जवाब।

केन्द्रों के घटिया निष्पादन के बावजूद जिला परियोजना समन्वयकों ने वितरित राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। इसके अतिरिक्त स्कीम का उद्देश्य अधिक सीमा तक अप्राप्त रहा।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि इस संबंध में स्ट्रेटजी बदल दी गई थी तथा भविष्य में कोई भी भट्ठा पाठशाला नहीं खोली जाएगी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि घटिया निष्पादन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.3.8.3 प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

कम सुविधा प्राप्त/अलाभग्राही लड़कियों की कक्षा - I से VIII तक की शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के एक अलग और भिन्न घटक के रूप में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। स्कीम राज्य के दस जिलों में 31 शैक्षिक ब्लॉकों में लागू की गई है। ₹ 15.06 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध 2008 - 13 के दौरान ₹ 10.32 करोड़ का व्यय किया गया।

नमूना - जांच किए गए जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा रिमीडीयल टीचिंग तथा अनियमित उपस्थिति के साथ लड़कियों के लिए ब्रिज कोर्सेज, ओपन स्कूल से लर्निंग, लड़कियों के स्वास्थ्य की सामान्य जांच, लिंग पहलूओं पर अध्यापक प्रशिक्षण इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियमित रूप से न चलाए जाने के कारण ₹ 4.74 करोड़ की बचतें हुई थी। संबंधित जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा लाभग्राही लड़कियों तथा शिक्षा प्रणाली में वापस लाई गई लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े नहीं रखे गए थे। परिणामस्वरूप स्कीम के लागू होने का प्रभाव लेरवापरीक्षा में आकलित नहीं किया जा सका।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि लड़कियों की शिक्षा के सुधार के लिए अध्यापकों को लिंग सैंसिटाइजेशन के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए मीना मंच गतिविधियां चलाई गई थी। यह भी कहा गया कि घटक को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में यथा विचार की गई और अधिक गतिविधियां की जाएंगी।

2.3.8.4 लड़कियों की शिक्षा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चे

परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने लड़कियों की शिक्षा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए वर्ष 2008 - 09 में विभिन्न गतिविधियों³⁰ के लिए ₹ 6 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया था।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने लड़कियों की शिक्षा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए स्पोर्ट्स किट के लिए केवल 0.19 करोड़ की राशि प्रदान की थी (2008 - 09), परंतु इस घटक के अंतर्गत ₹ 5.57 करोड़ के खेल के सामान का प्रापण किया गया था (जनवरी - मार्च 2011)। इसी प्रकार, खेल मदों के प्रापण के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ₹ 1.12 करोड़ की निधि हस्तांतरित की गई (मार्च 2011)। खेल के सामान का प्रापण न तो वार्षिक कार्य प्लान बजट में प्लान किया गया था और न ही परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

परिषद ने बताया (जनवरी 2014) कि लड़कियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों में आत्मविश्वास, शारीरिक फिटनेस, टीम भावना बढ़ाने तथा स्वस्थ दिमाग बनाने इत्यादि के लिए खेल के सामान पर व्यय किया गया था। आगे, यह कहा गया था कि अगले वर्ष अर्थात् 2009 - 10 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय खेल के सामान पर किए गए खर्च के बारे में परियोजना अनुमोदन बोर्ड को बता दिया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि केवल ₹ 0.19 करोड़ स्पोर्ट्स किट्स के लिए उपलब्ध कराए गए थे तथा अन्य कार्यकलाप जैसे साईकिलें तथा वर्दियां देना, एक्सकर्सन दौरे, वोकेशनल कोर्सिज आयोजित करना इत्यादि नहीं

³⁰

(i) साईकिलें: ₹ 342.28 लाख, (ii) एक्सकर्सन टूर्ज: ₹ 20 लाख, (iii) वोकेशनल कोर्सिज: ₹ 83.40 लाख, (iv) यूनिफोर्म्स: ₹ 44 लाख, (v) जूते: ₹ 26.40 लाख, (vi) बैगज: ₹ 44 लाख, (vii) जुराबें: ₹ 4.40 लाख, (viii) सिलाई मशीनें: ₹ 16.60 लाख तथा (ix) स्पोर्ट्स किट: ₹ 18.90 लाख।

किए गए थे, इस प्रकार स्कीम सही ढंग से लागू नहीं की गई थी। आगे, परिषद का यह कहना कि परियोजना अनुमोदन बोर्ड को व्यय के बारे में बता दिया गया था युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि व्यय जनवरी - मार्च 2011 में किया गया था।

2.3.8.5 वर्दियों के अनुदान जारी करने में देरी

सभी लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे लड़कों को वर्दियां देने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने ₹ 51.66 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया था (अक्टूबर 2010) तथा परिषद द्वारा सभी जिला परियोजना समन्वयकों के खातों में निधियां मार्च 2011 में हस्तांतरित कर दी गई थी अर्थात् छ: माह की देरी के बाद।

इसी प्रकार, स्कूल की वर्दियों के वितरण हेतु परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 2011-12 के लिए ₹ 61.09 करोड़ तथा 2012-13 के लिए ₹ 64.20 करोड़ अनुमोदित किए थे (मई 2011 तथा अप्रैल 2012)। परिषद ने, फिर भी, वर्ष 2011-12 के लिए निधियां केवल नवंबर 2011 में हस्तांतरित की, जबकि वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 10.22 करोड़ सितंबर 2012 से मार्च 2013 के दौरान हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार, निधियों के हस्तांतरण में काफी देरी थी।

नमूना - जांच किए गए जिलों में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईः

- जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा ब्लॉक संसाधन समन्वयकर्त्ताओं को वर्दियों के लिए अनुदान के वितरण में 15 से 127 दिनों की देरी थी।
- वर्दियों की एवज में 2010-11 में 48³¹ स्कूलों द्वारा ₹ 16.08 लाख, 2011-12 में 38³² स्कूलों द्वारा ₹ 13.07 लाख तथा 2012-13 में 27³³ स्कूलों द्वारा ₹ 13.15 लाख नकद वितरित किए गए जो स्कीम के प्रावधानों के विरुद्ध है।
- 2010-11 में 16 स्कूलों में तथा 2011-12 में 19 स्कूलों में वर्दी अनुदान की उपयोगिता तथा अगले अकादमिक वर्ष में यूनिफोर्म के वितरण में विलंब देखा गया।

वर्दी अनुदान जारी करने में विलंब को स्वीकार करते हुए प्रधान सचिव ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बताया (जनवरी 2014) कि यह स्कीम 2010-11 में पहली बार लागू की गई थी तथा प्रति स्कूल पात्र विद्यार्थियों की संख्या संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने और स्कूलों को निधियों के वितरण में कुछ मुश्किलें थी। यह भी कहा गया कि वर्दी अनुदान को जारी करने की सही प्रणाली 2013-14 से लागू की गई थी। जहां तक विद्यार्थियों को वर्दी अनुदान के नकद वितरण का संबंध है, परिषद ने कहा (जनवरी 2014) कि मामले

2.3.8.6 “निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों” के वितरण में देरी

वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति नियम-पुस्तक का अनुच्छेद 25 निर्धारित करता है कि सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकाय स्कूलों, सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों तथा मदरसों के सभी बच्चों को प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र के शुरू होने अर्थात् अप्रैल से पहले, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। नमूना - जांच किए गए जिलों में, पुस्तकें एक से आठ माह (परिशिष्ट 2.13) की देरी से वितरित की गई थी।

³¹ भिवानी: 13, झज्जर: 19, पंचकूला: 10 तथा यमुनानगर: 6

³² भिवानी: 1, झज्जर: 19, मेवात: 6, पंचकूला: 7 तथा यमुनानगर: 5

³³ झज्जर: 17, मेवात: 8 तथा यमुनानगर: 2

हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने इस कार्य के लिए मुद्रण फर्मों को लगाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की (अगस्त 2012)। कक्षा 1 तथा 2 के लिए मैसर्स गोपसन्स पेपर लिमिटेड तथा कक्षा 3 से 8 के लिए मैसर्ज प्रिटेक ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की दो फर्मों को पुस्तकों की छपाई का कार्य आबंटित किया गया (दिसंबर 2012)। यह कार्य 90 दिन में पूरा किया जाना था अर्थात् 5 मार्च 2013 तक। मैसर्ज गोपसन्स पेपर लिमिटेड ने अपने करार को पूरा किया था परंतु मैसर्ज प्रिटेक ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की। स्थिति की 1 अगस्त 2013 को समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि पुस्तकों के मुद्रण के लिए छोटी अवधि की निविदाएं तुरंत आमंत्रित की जानी चाहिए। फलस्वरूप, परिषद द्वारा 4 अगस्त 2013 को समाचार पत्रों में एक आपात छोटी अवधि की निविदा सूचना जारी की गई। ब्लाक स्टर तक पुस्तकों की छपाई एवं आपूर्ति का कार्य 3 सितंबर 2013 को फर्मों को 28 दिन अर्थात् अंततम 7 अक्टूबर 2013 तक के सुपुर्दगी समय के साथ आबंटित कर दिया गया था। इसके बाद, प्रिंटिंग फर्म ने पुस्तकों की आपूर्ति की। मार्च - अप्रैल 2013 में यदि पुस्तकों की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की जाती तो पुस्तके समय पर प्राप्त की जा सकती थी और विद्यार्थियों को वितरित की जा सकती थी। आगे, संविदा करारनामे में रिस्क एवं लागत का क्लॉज न होने की वजह से विभाग को ₹ 3.81 करोड़ की इनवोकड बैंक गारंटी समायोजित करने तथा ₹ 5 लाख की सिक्योरिटी जब्त करने के पश्चात् ₹ 5.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

प्रधान सचिव ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण में विलंब को स्वीकर किया। फिर भी, यह कहा गया कि पुराने पास हुए बच्चों से पुस्तकें वापस लेकर विद्यार्थियों को प्रादन की गई थी। यह भी स्वीकार किया गया कि करार में, सामग्री की आपूर्ति न करने की दशा में रिस्क और लागत का क्लॉज नहीं था।

2.3 .8.7 मानचित्रों की आपूर्ति न करना

परिषद ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र को, 177 अपग्रेड किए गए नए प्राथमिक तथा 3,118 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए मानचित्रों के प्राप्ति हेतु 31 मार्च 2011 को ₹ 4.94 करोड़ दिए। फरवरी 2012 तक मानचित्र आपूर्ति नहीं किए गए थे। मार्च 2012 में लेखापारीक्षा द्वारा इग्निट किए जाने पर, परिषद ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ मामला उठाया (मार्च 2012), जिसने उनके द्वारा सोफ्ट कॉपी बनाए जाने के कारण ₹ 78.75 लाख की कटौती करके, ₹ 4.16 करोड़ की राशि वापस कर दी (मई 2012)। परिषद ने भुगतान स्वीकार कर लिया। ₹ 4.94 करोड़ की निधियां एक वर्ष से अधिक अवधि (1 अप्रैल 2011 से 15 मई 2012) के लिए अवरुद्ध रही तथा हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा बनाई गई सोफ्ट कॉपी परिषद के लिए उस समय तक अनुपयोगी थी जब तक कि मानचित्र प्रिंट नहीं किए जाते और स्कूलों को आपूर्ति नहीं किए जाते। परिषद ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा सोफ्ट कॉपी के कारण कटौती किए गए ₹ 78.75 लाख के अतिरिक्त ₹ 49.97 लाख के ब्याज की हानि उठाई। आगे, परिषद ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की विफलता के कारण हुई हानि की वसूली के लिए मामला हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ नहीं उठाया था।

प्रधान सचिव ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान कहा कि हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल मानचित्र परिषद के पास उपलब्ध थे और प्लानिंग उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जा रहे थे। यह भी आश्वासन दिया गया कि ये मानचित्र प्रिंट करवाए जाएंगे एवं स्कूलों

को आपूरित किए जाएंगे। ₹ 78.75 लाख की कटौती के बारे में यह कहा गया कि राशि के रिफंड के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ मामला उठाया जाएगा।

2.3.8.8 निधियों का अवरोधन

(i) परिषद ने ड्यूअल डैस्कों के अंतर्गत अग्रिम के रूप में राशि को बुक करने के निर्देशों के साथ, राज्य में सभी जिला परियोजना समन्वयकों को ₹ 21 करोड़ की राशि हस्तांतरित की (मार्च 2010)। चूंकि ड्यूल डैस्कों के प्राप्ति के लिए परिषद का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, अतः फरवरी 2012 में सभी जिला परियोजना समन्वयकों की किताबों में प्रविष्टियां रिवर्स कर दी गई। अगस्त 2013 तक राशि बिना खर्च किए जिला परियोजना समन्वयकों के खातों में पड़ी थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने कहा कि जिला परियोजना समन्वयकों से ₹ 6 करोड़ की राशि वापस ले ली गई है तथा शेष ₹ 15 करोड़ जल्द ही वापस ले लिए जाएंगे।

(ii) परिषद ने राज्य के 1365 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों (दीवार चित्रों) के लिए ₹ 2.73 करोड़ के व्यय के लिए 30 मार्च 2012 को प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय संस्थीकृति प्रदान की। तदनुसार, प्रत्येक जिले में 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले 65 स्कूलों के लिए सभी जिला परियोजना समन्वयकों को (₹ 13 लाख प्रति जिला परियोजना समन्वयक) राशि हस्तांतरित कर दी गई। राशि अगस्त 2013 तक जिला परियोजना समन्वयकों के खातों में पड़ी थी। इस प्रकार, निधियां बिना खर्च किए पड़ी रही और विद्यार्थी स्कीम के लाभ से वर्चित रहे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा अभ्युक्त स्वीकार की और कहा कि जुलाई 2013 में दिशा - निर्देश जारी किए जा चुके हैं और कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

2.3.8.9 विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे

वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति नियम - पुस्तक के अनुच्छेद 35.1 तथा 35.2 में प्रावधान है कि अक्षमता की किस्म, श्रेणी तथा डिग्री से असंबद्ध विशिष्ट आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे को सही पर्यावरण में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का जोर सामान्य स्कूलों में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों को एकीकृत तथा इनकलुसिव शिक्षा देने पर होगा। नमूना - जांच किए गए जिलों में पहचाने गए एवं नामांकित विशिष्ट आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे के विवरण तालिका 2.3.4 में दिए गए हैं।

तालिका 2.3.4: चुने गए जिलों में पहचाने एवं नामांकित विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का विवरण

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पहचाने गए विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या	8603	7448	11938	13161	13544
औपचारिक स्कूलों में नामांकित	6995	6583	9293	10851	12462
शिक्षा गरिमा स्कीम/वैकल्पिक तथा नवीकरण शिक्षा के माध्यम से कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित	710	452	209	850	121
घर आधारित शिक्षा के माध्यम से कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित	321	234	541	95	222
नामांकन के लिए जिनकी योजना नहीं बनाई गई	577	179	1895	1365	739

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि चयनित जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों में वर्ष 2012 - 13 के लिए पहचान किए गए 13,544 विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों में से 739 विशिष्ट

आवश्यकताओं वाले बच्चों के नामांकन हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई थी। आगे, शिक्षा गारंटी स्कीम / वैकल्पिक तथा नवीकरण शिक्षा में नामांकित किए जाने हेतु 121 विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की योजना बनाई गई थी तथा घर आधारित शिक्षा के माध्यम से 222 विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को कवर करने की योजना बनाई गई थी। कोई भी शिक्षा गारंटी स्कीम / वैकल्पिक तथा नवीकरण शिक्षा क्रियाशील नहीं थी और घर आधारित शिक्षा की गतिविधि को भी अध्यापकों की कमी के कारण लागू नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 343 विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे कवर किए जाने शेष रहे। इस प्रकार 1,082 विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे शिक्षा की धारा से बाहर रहे।

नमूना - जांच किए गए जिलों की लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि जिला परियोजना समन्वयकों के स्तर पर मॉनीटरिंग नहीं की गई थी और स्कीमों की प्रभावकारिता के बारे में कोई शोध अध्ययन नहीं किया गया था।

परिषद ने कहा (जनवरी 2014) कि अधिक अपंग बच्चों को कवर करने के लिए अप्रैल 2013 में 474 इनक्लुसिव एजुकेशन फार डिसेब्ल वालटियर्स लगाए गए थे जो कि ऐसे बच्चों को घर पर शिक्षा देंगे और भविष्य में स्कीम की मॉनीटरिंग बी.आर.सी. तथा जिला परियोजना समन्वयक स्तर पर की जाएगी।

सिविल निर्माण कार्य

2.3.9 सिविल निर्माण कार्यों का निष्पादन

₹ 1,481.71 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध 2008 - 13 के दौरान सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 628.39 करोड़ का व्यय किया गया। 2008 - 09 से 2012 - 13 तक की अवधि के लिए विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियां परिशिष्ट 2.14 में दी गई हैं। डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 40,472 सिविल निर्माण कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध जुलाई 2013 तक 32,504 (80.31 प्रतिशत) पूरे किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2003 - 07 की अवधि से संबंधित 274³⁴ सिविल निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए थे जबकि 194³⁵ सिविल निर्माण कार्य अभी प्रगति में थे (जुलाई 2013)।

उपर्युक्त के अलावा नमूना - जांच किए गए जिलों (मेवात जिले को छोड़कर, जहां कि सूचना उपलब्ध नहीं थी) के रिकार्ड की जांच से प्रकट हुआ कि तालिका 2.3.5 में दिए विवरणानुसार बहुत से स्कूलों को बड़ी मरम्मतों की आवश्यकता थी।

तालिका 2.3.5: स्कूल भवनों की स्थिति के विवरण को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	जिले का नाम	कक्षा कमरों की संख्या, जिनको बड़ी मरम्मत की जरूरत थी		
		प्राथमिक सैक्षण	उच्च प्राथमिक सैक्षण	कुल
1.	यमुनानगर	73	38	111
2.	पंचकूला	69	47	116
3.	भिवानी	253	163	416
4.	कैथल	172	67	239
5.	सिरसा	0	0	0
6.	झज्जर	112	57	169

स्रोत: संबंधित जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा दिए गए आंकड़े।

³⁴

नए स्कूल भवन: 92, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर: 3, क्लास रूम: 14 तथा पेयजल सुविधाएं: 165

³⁵

नए स्कूल भवन: 39 तथा क्लास रूम: 155

संबंधित जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा 2008 - 12 की अवधि के लिए परिषद को प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि इन जिला परियोजना समन्वयकों ने इन कक्षा कमरों की बड़ी मरम्मत के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी।

इन निर्माण कार्यों के पूरा न होने से स्कूल का वास्तविक उद्देश्य विफल हो गया। निर्माण गतिविधियों से संबंधित रिकार्ड की जांच ने निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

2.3.9.1 स्कूल भवनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियां

यमुनानगर जिले में एक निश्चित समयावधि में 67 नए स्कूल भवनों और 8 (एक: 2006 - 07 तथा सात: 2007 - 08) अतिरिक्त कक्षा कमरों के निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत कई गुणा बढ़ गई थी। इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए परिषद द्वारा जिला परियोजना समन्वयक, यमुनानगर को ₹ 68.01 लाख की अतिरिक्त निधियां जारी की गई (मार्च 2010)। इन निधियों में से जिला परियोजना समन्वयक, यमुनानगर ने स्कूलों को मार्च 2010 में ₹ 61.28 लाख की राशि वितरित की।

इसी प्रकार, जिला परियोजना समन्वयक, मेवात को 2004 - 08 की अवधि से संबंधित 849 सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए मार्च 2010 में ₹ 2.99 करोड़ की अतिरिक्त निधियां प्रदान की गई। उचित मानीटरिंग की कमी के कारण ये सिविल निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे नहीं किए जा सके और अतिरिक्त व्यय किया जाना पड़ा था।

परिषद ने कहा (जनवरी 2014) कि निर्माण कार्य स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा निष्पादित किए गए थे जिनके सदस्य गैर - तकनीकी थे। स्कूल प्रबंधन समितियां जरूरत के सामान की व्यवस्था अपने स्तर पर करती हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्माण की अवधि निर्धारित तिथि से आगे बढ़ गई और देरी से हुए निर्माण से निर्माण की लागत बढ़ गई। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग को, निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों से उचित समन्वय करना चाहिए था।

2.3.9.2 आवश्यकता/प्लानिंग के बिना सिविल निर्माण कार्यों का आबंटन

➤ नमूना - जांच किए गए जिला परियोजना समन्वयकों में, 2008 - 13 के दौरान सिविल निर्माण कार्यों के लिए निधियां इस आधार पर सरंडर की गई थी कि जिला परियोजना समन्वयकों को कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी; स्कूलों में विद्यार्थियों का कम नामांकन, भूमि की अनुपलब्धता तथा भूमि मुकदमेबाजी के अधीन थी विवरण तालिका 2.3.6 में दिए गए हैं।

तालिका 2.3.6: स्कूलों द्वारा सरंडर किए गए निर्माण कार्यों के विवरण

जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाई	निर्माण कार्यों की संख्या	कुल लागत	सरंडर किए गए निर्माण कार्यों के विवरण	सरंडर किए गए निर्माण कार्यों की कुल लागत (₹ करोड़ में)
यमुनानगर	1518	50.33	23	0.43
पंचकूला	358	9.94	34	0.54
भिवानी	3690	84.56	72	1.01
कैथल	1140	25.85	63	0.52
मेवात	3490	197.35	284	7.48
कुल	10196	368.03	476	9.98

स्रोत: जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के अभिलेखों के आधार पर आडिट द्वारा संकलित।

इस प्रकार, संबंधित जिला परियोजना समन्वयकों ने सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यकता/व्यवहार्यता का अनुमान लगाने के लिए सही सर्वेक्षण नहीं किया था।

➤ जिला परियोजना समन्वयक, यमुनानगर को ₹ 5.03 करोड़ की निधियां 131 मुख्याध्यापकों के कमरों के निर्माण के लिए जुलाई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य जारी की गई। निधियों की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, जिला परियोजना समन्वयक ने अगस्त 2011 में 48 स्कूलों को, मार्च 2012 में छः स्कूलों को तथा सितंबर 2012 में 30 स्कूलों को ₹ 1.92 करोड़ (अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत की दर पर) जारी किए। इस प्रकार, शेष 47 स्कूलों के संबंध में ₹ 1.80 करोड़ की राशि की निधियां जिला परियोजना समन्वयक के पास अवरुद्ध रही। 30 स्कूलों, जिन्हें सितंबर 2012 में कमरों के लिए निधियां दी गई थी, में से दो स्कूलों (राजकीय प्राथमिक स्कूल, रटोली तथा राजकीय प्राथमिक स्कूल, छप्पर) ने भौतिक सत्यापन के दौरान बताया है कि निधियां बिना किसी मांग के आबंटित की गई थी। इसने प्लानिंग तथा सर्वे की कमी दर्शाई।

इसी प्रकार, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने जिला परियोजना समन्वयक, झज्जर को 275 अतिरिक्त कक्षा कमरों के निर्माण के लिए अनुदान आबंटित किया (2008 - 09)। ₹ 89.46 लाख की राशि 63 अतिरिक्त कक्षा कमरों के निर्माण के लिए वितरित की गई (सितंबर 2008)। 80 अतिरिक्त कक्षा कमरों की अन्य सूची मार्च 2009 में अनुमोदित की गई तथा जिला परियोजना समन्वयक, झज्जर ने अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष बीतने के बाद जून 2009 में इन अतिरिक्त कक्षा कमरों के लिए ₹ 1.06 करोड़ की राशि वितरित की। कुल 132 अतिरिक्त कक्षा कमरों की तीसरी एवं चौथी सूचियां राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा मार्च 2010 में (21 माह बीतने के बाद) अनुमोदित की गई।

इन 275 अतिरिक्त कक्षा कमरों में से, 24 अतिरिक्त कक्षा कमरे, भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरंभ नहीं किए जा सके। शेष अतिरिक्त कक्षा कमरों में से, 40 अतिरिक्त कक्षा कमरे, आबंटन में विलंब तथा बाद में मूल्यों में वृद्धि के कारण, आबंटित बजट में पूर्ण नहीं किए जा सके। इन अतिरिक्त कक्षा कमरों को पूरा करने के लिए ₹ 44.98 लाख की राशि की निधियां मांगी गई थी।

प्रधान सचिव ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि स्कूल में मूलभूत ढांचे की आवश्यकता सुनिश्चित करने का तरीका बदल गया था, अब निर्माण कार्य वास्तविक आवश्यकता आधार पर आबंटित किए जा रहे हैं और अब निर्माण कार्यों के सरंडर की न्यूनतम संरच्चा है।

2.3.9.3 आवासीय होस्टल/स्कूल भवनों के निर्माण में विलंब

➤ बहल ब्लॉक में सुधिवास गांव के अपर प्राथमिक स्कूल के लिए नए स्कूल भवन का निर्माण कार्य नवंबर 2010 में शुरू किया गया था जो लैंटर स्तर तक पूरा हो चुका था। फिर भी, निम्न स्तर के निर्माण कार्य के निष्पादन के कारण ढांचे को गिरा दिया गया तथा निर्माण कार्य पुनः आरंभ किया गया। ₹ 11.78 लाख की आबंटित निधियां समाप्त हो गई और निर्माण कार्य केवल स्लैब स्तर तक ही पहुंचा था। भवन अपूर्ण पड़ा हुआ था (अगस्त 2013)। परिषद ने कहा (जनवरी 2014) कि ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया था कि भवन पूरा किया जाएगा और अतिरिक्त व्यय उनके द्वारा वहन किया जाएगा।

➤ प्रत्येक 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले चार आवासी होस्टलों के निर्माण के लिए ₹ 2.88 करोड़ की राशि आबंटित की गई। परिषद ने अक्टूबर 2011/नवंबर 2011 में मौजूदा स्कूल भवन में नव निर्माण एवं बदलावों के लिए ₹ 16.05 लाख राजकीय प्राथमिक स्कूल, डी.एल.एफ. फेज - 2, नाथुपुर (गुडगांव) को तथा नए छात्रावास भवन के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, एन.आई.टी. फरीदाबाद, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद),

राजकीय मिडल स्कूल (लड़कों वाला), सैक्टर - 4, एम.डी.सी. पंचकूला प्रत्येक को ₹ 79.65 लाख के अनुदान जारी किए थे। हुड़ा से अनापनि प्रमाण - पत्र प्राप्त न होने के कारण पंचकूला में नए छात्रावास का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ था (मार्च 2013)। परिषद द्वारा जीवीन का मालिकाना हक सुनिश्चित किए बिना, निधियां जारी कर दी गई थीं परिणामतः जिला परियोजना समन्वयक, पंचकूला के पास निधियों का अवरोधन हुआ।

2.3.9.4 राजौंद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन

उच्च प्राथमिक स्तर पर जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सर्वाधिक संबंध रखने वाली कम से कम 50 लड़कियां थीं वहां आवासीय स्कूल स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम शुरू की गई थी।

मई 2008 तक पूरा करने की समय सीमा के साथ, राजौंद सरस्वती को - आपरेटिव एल. एंड सी. सोसायटी लिमिटेड को राजौंद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निर्माण कार्य का ठेका ₹ 41.93 लाख में दे दिया गया (नवंबर 2007)। इस समय सीमा को नवंबर 2008 तक आगे बढ़ाया गया तथा एजेंसी को नवंबर 2008 में ₹ 35.57 लाख भुगतान कर दिया गया।

जांच रिपोर्ट के अनुसार 'फ्लोरिंग टॉप' तथा सीमेंट मोर्टर इन ब्रिक मेसनरीं नाम की दो मदें विनिर्देशन से निम्न स्तर की पाई गई। उपायुक्त, कैथल के आदेशानुसार एजेंसी, कनिष्ठ अभियंता तथा उप - मंडल अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान, कैथल के विरुद्ध 'फ्लोरिंग टॉप' तथा 'ब्रिक मेसनरी में सीमेंट मोर्टर' में किए गए निम्न स्तर के निर्माण कार्य के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई (जनवरी 2009), जिसे जुलाई 2009 में रद्द कर दिया गया।

एजेंसी को 31 अगस्त 2011 तक का और समय दे दिया गया तथा परिषद के कार्यकारी अभियंता ने नवंबर 2011, अगस्त 2012 तथा अक्टूबर 2012 में कट्रेक्ट की कलॉज 3 के अंतर्गत कट्रेक्टर के जोखिम व लागत पर कार्य निष्पादन करने हेतु नोटिस जारी किए। उप - मंडल अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान, कैथल की रिपोर्ट के अनुसार 17 मदें विनिर्देशन से निम्न स्तरीय थीं तथा भवन में दरारें आ गई थीं। स्कूल भवन के निर्माण पर किया गया ₹ 35.57 लाख का व्यय निष्फल हो गया तथा कार्य को पूरा करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एग्जिट काफ़ेंस के दौरान प्रधान सचिव ने राज्य परियोजना निदेशक को विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी नियत करने के लिए एक समिति बनाने के निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाने के लिए भवन को उपयोग योग्य बनाने के लिए उपचारी कार्रवाई की जाएगी।

2.3.9.5 निष्पादन मूल्यांकन

170 प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्कूलों के भौतिक सत्यापन ने दर्शाया कि:

- 35 स्कूलों में विद्यार्थी कक्षा अनुपात 40:1 नहीं रखा गया था;
- 31 स्कूलों में कक्षाएं खुले में / बरामदों में लगाई गईं;
- 79 स्कूलों में कक्षाओं में ड्यूल डैस्कों की अनुपलब्धता देखी गई;
- 27 स्कूलों में लड़कियों / लड़कों के लिए अलग - अलग शैक्षालय नहीं पाए गए;
- 26 स्कूलों में स्कूल भवन अच्छी स्थिति में नहीं थे;

- 48 स्कूलों में खेलने के लिए खुले मैदान नहीं थे;
- 9 स्कूलों में पुस्तकालयों में पुस्तकें नहीं थीं;
- 33 स्कूलों में स्कूल तथा शौचालयों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नहीं पाए गए; तथा
- 24 स्कूलों में, कक्षाओं में बिजली के पंखे नहीं थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई मूलभूत ढांचे /सुविधाओं की कमियों को नोट कर लिया गया है तथा इन स्कूलों में उचित मूलभूत ढांचे /सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

2.3.10 मानव संसाधन विकास

2.3.10.1 अध्यापकों की तैनाती की तर्कसंगतता

30 सितंबर 2012 को अध्यापकों की आवश्यकता तथा वास्तविक तैनाती की स्थिति तालिका 2.3.7 प्रस्तुत करती है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी की जिलावार स्थिति परिशिष्ट 2.15 में दी गई है।

तालिका 2.3.7: राज्य में अध्यापकों की तैनाती को दर्शाने वाले विवरण

स्कूलों में अध्यापक संवर्ग	आवश्यकता	तैनात	कमी	कमी, प्रतिशतता में
प्राथमिक	46390	32241	14149	30
उच्च प्राथमिक	26056	21822	4234	16
कुल	72446	54063	18383	25

स्रोत: हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा दिए गए आंकड़े।

परिशिष्ट में दिए गए आंकड़ों के विश्लेषण ने दर्शाया कि तीन³⁶ जिलों में प्राथमिक स्कूलों में 109 अध्यापक आवश्यकता से अधिक थे जबकि पांच³⁷ जिलों के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 506 अध्यापक, आवश्यकता से अधिक थे। आगे, फरीदाबाद, मेवात, पलवल तथा यमुनानगर जिलों के प्राथमिक स्कूलों तथा फतेहाबाद, कैथल, करनाल, मेवात, पलवल, सिरसा जिलों के उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की अत्यधिक कमी थी।

परिषद ने कहा (जनवरी 2014) कि नियमित अध्यापकों के अतिरिक्त राज्य में 15,002 गैस्ट टीचर कार्यरत थे। आगे, 2013-14 में अध्यापकों की तैनाती को तर्कसंगत कर दिया गया था और 9,870 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अधीन थी। तथापि, तथ्य रहा कि अभी भी अध्यापकों की अत्यधिक कमी थी।

2.3.10.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) सेवा दौरान अध्यापकों का प्रशिक्षण

स्कूलों में तैनात अध्यापकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देना, सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम-पुस्तक में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्यापकों के लिए निर्धारित किए गए थे:

- सभी अध्यापकों के लिए बी.आर.सी. स्तर पर प्रत्येक वर्ष 10 दिन का सेवा के दौरान प्रशिक्षण;

³⁶ झज्जर: 77, रेवाड़ी: 18 तथा रोहतक: 14

³⁷ झज्जर: 61, महेन्द्रगढ़: 230, पंचकूला: 86, रेवाड़ी: 84 तथा रोहतक: 45

- सभी अध्यापकों के लिए प्रति वर्ष सी.आर.सी. स्तर पर 10 मासिक कलस्टर स्तर की बैठकें तथा पीयर समूह प्रशिक्षण सत्र;
- नए भर्ती हुए अध्यापकों के लिए 30 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग;
- सेवा में दूरस्थ कार्यक्रमों के जरिए व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त करने के लिए जॉब पर अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए 60 दिन का प्रशिक्षण; तथा
- बी.आर.सी. तथा सी.आर.सी. समन्वयकों तथा संसाधन कार्मिकों का प्रत्येक वर्ष 10 दिन तक का प्रशिक्षण।

2008 - 13 के दौरान, चयनित जिलों में प्रशिक्षण के लिए बजट किए गए ₹ 18.58 करोड़ में से केवल ₹ 0.58 करोड़ (3.12 प्रतिशत) की राशि खर्च की गई।

(ii) नए भर्ती हुए जूनियर बेसिक ट्रेनड अध्यापकों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग

परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा नए भर्ती हुए जूनियर बेसिक ट्रेनड (जे.बी.टी.) अध्यापकों के लिए 2010 - 11 के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए ₹ 3.12 करोड़ की निधियां आवंटित की गई। कथित ट्रेनिंग की अवधि 30 दिन थी। परिषद् ने निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुडगांव के निपटान पर ₹ 2.53 करोड़ की राशि ट्रेनिंग देने के लिए रखी (फरवरी 2011)।

नमूना - जांच किए गए जिलों के रिकार्ड की जांच से प्रकट हुआ कि नमूना - जांच किए गए किसी जिला परियोजना समन्वयक के पास प्रशिक्षित किए गए अध्यापकों की संख्या संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं था। परिषद् ने कहा (जनवरी 2014) कि ₹ 2.53 करोड़ में से, जनवरी 2014 तक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) के माध्यम से ट्रेनिंग पर ₹ 1.18 करोड़ खर्च किए गए। इस प्रकार राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास ₹ 1.35 करोड़ अवरुद्ध पड़े रहे।

(iii) ब्लॉक संसाधन कार्मिकों की तैनाती

आर.टी.ई. को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत सरकार ने राज्य के लिए 338 ब्लॉक संसाधन कार्मिकों के 338 पद ₹ 2.38 करोड़ के बजट आवंटन के साथ अनुमोदित किए थे। छ: संसाधन कार्मिक प्रति ब्लॉक, विषय विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु 3 माह के लिए तैनात किए जाने थे। परिषद् ने मार्च 2011 में जिला परियोजना समन्वयक को निधियां हस्तांतरित कर दी थी। परिषद के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि संस्कृतियों के जारी न होने के कारण निधियां उपयोग नहीं की जा सकी (अगस्त 2013)।

एगिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने कहा कि व्यक्ति पहले तैनात नहीं किए जा सके क्योंकि प्रतिनियुक्ति से लोग उपलब्ध नहीं थे। आगे, यह कहा गया कि 595 ब्लॉक संसाधन कार्मिकों की कुल जरूरत में से जुलाई 2013 में 405 तैनात किए गए थे। तथ्य फिरभी, रहता है कि ब्लॉक संसाधन कार्मिकों के पद दो वर्षों से अधिक समय से खाली रहे।

2.3.11 शोध एवं मूल्यांकन

कार्यक्रम को लागू करने में शोध महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विभिन्न इनपुट्स की प्रभावशीलता के बारे में फीडबैक देने, लागू करने में कठिनाई क्षेत्रों को हाइलाइट करने तथा इंटरवेंशनज में उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तनों हेतु सुझाव देने के लिए शोध अध्ययन किए जाने होते हैं।

2.3.11.1 बजट आबंटन के बावजूद शोध अध्ययन न करना

2008 - 13 के दौरान वार्षिक कार्य प्लान बजट में ₹ 1,300 प्रति स्कूल, प्रति वर्ष का बजट आबंटन किया गया था। ₹ 2.98 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध नमूना - जांच किए गए जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा केवल ₹ 0.13 करोड़ (4.36 प्रतिशत) की राशि खर्च की गई थी। रिकार्डों की जांच ने दर्शाया कि नमूना - जांच किए गए जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा कोई शोध अध्ययन नहीं किया गया था।

2.3.11.2 प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा जियोग्राफिकल सूचना प्रणाली के लिए वैब पोर्टल विकसित न करना

परिषद ने राज्य में सरकारी स्कूलों / सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए वैब पोर्टल प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए हारट्रोन को मार्च 2009 में ₹ 1 करोड़ की निधियां दे दी।

वैब पोर्टल को विकसित करने में कोई प्रगति नहीं थी (अप्रैल 2013)। हारट्रोन ने वैब साईट विकसित किए बिना चार वर्ष पश्चात् अप्रैल 2013 में ₹ 98.62 लाख वापस कर दिए।

2.3.12 आंतरिक नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग

2.3.12.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण, लागू नियमों तथा विनियमों के अनुपालन के बारे में, प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रम को लागू करने, निर्माण कार्यों के निष्पादन इत्यादि के संबंध में परिषद में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी।

2.3.12.2 जिला स्तरीय समितियों द्वारा मॉनिटरिंग

वित्तीय प्रबंधन एवं प्राप्ति नियम - पुस्तक के अनुच्छेद 101.11 में प्रावधान है कि जिले में सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों का कार्यान्वयन मॉनीटर करने के लिए जन प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति, मुख्य लक्ष्यों तथा उनकी उपलब्धि दोनों के संदर्भ में और विद्यार्थियों के नामांकन, बीच में छोड़ कर जाना, ज्ञान प्राप्ति स्तर इत्यादि के साथ - साथ परिणाम संकेतकों पर भी सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति का मूल्यांकन करेगी। स्थानीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान दिशा - निर्देशों के मानदंडों तथा कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क तथा जिले की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट के अंदर रहते हुए सदस्यों के सुझाव को ध्यान में लिया जाना चाहिए। समिति 6 - 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लाभ हेतु स्कूल के मूलभूत ढांचे तथा अन्य सहायक सेवाओं में सुधार लाने के लिए अन्य संबद्ध सरकारी विभागों के सिनर्जी तथा कनवर्जेस की जांच भी करेगी। समिति तीन माह में एक बार बैठक करेगी।

नमूना - जांच किए गए जिला परियोजना समन्वयकों में से सिरसा को छोड़ कर किसी भी जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 2007 - 12 की अवधि के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन / डी.एल.सी. की बैठकों के आयोजन से संबंधित रिकार्ड नहीं रखे गए थे। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में जिला स्तरीय समिति के स्तर पर मॉनिटरिंग का आकलन नहीं किया जा सका।

परिषद ने कहा (जनवरी 2014) कि मॉनीटरिंग के उचित रिकार्ड के रख - रखाव के लिए सभी जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.3.13 निष्कर्ष

जिला योजनाएं, उचित सर्वेक्षण करने अथवा ग्रामीण स्तर से डाटा प्राप्त करने के बाद तैयार नहीं की गई थी। वित्तीय प्रबंधन सही नहीं था क्योंकि वहां पर्याप्त बचतें थीं। आगे, परिषद द्वारा बैंक रीकंसीलियेशन स्टेटमेंट्स तैयार नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप गबन हुआ। 2008 - 13 के दौरान प्राथमिक स्कूल स्तर पर नामांकन घट गया था। उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि थी। कार्यक्रम का, सभी बच्चों को स्कूल अथवा वैकल्पिक स्कूल लाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि मार्च 2013 के अंत में 1.25 लाख विद्यार्थी अभी भी स्कूल नहीं जा रहे थे। आगे, स्कूल न जाने वाले बच्चों, एन.पी.ई.जी.एल., वर्दियों, निशुल्क पाठ्य पुस्तकों, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों इत्यादि के लिए इंटरवैशन्स सही ढंग से लागू नहीं किए गए थे, परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध रही तथा प्रत्येक इंटरवैशन का उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका। सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन में भी कमियां थीं जैसे कि आयोजना की कमी, कम्पलीशन में देरी, अतिरिक्त व्यय, निम्न स्तरीय निष्पादन इत्यादि। 25 प्रतिशत तक अध्यापकों की कमी थी। अध्यापकों को सेवा दौरान ट्रेनिंग देने और जे.बी.टी. अध्यापकों को इंडक्शन ट्रेनिंग देने में भी कमी देरी गई।

2.3.14 सिफारिशें

कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए:

- उचित सर्वेक्षण करने तथा ग्रामीण स्तर से डाटा प्राप्त करने के बाद जिला योजनाएं तैयार करना;
- बच्चों को रोकने हेतु लक्षित समूहों के सभी इंटरवैशन्स का योजनाबद्ध ढंग से लागू करना;
- बैंक मिलान स्टेटमेंट नियमित रूप से तैयार करना; तथा
- निर्माण कार्यों के निम्न स्तर के निष्पादन तथा निर्माण कार्यों के निष्पादन में निष्फल व्यय के मामलों को रोकने के लिए विजिलैंस मैकेनिज्म को सक्रिय करना।

मामला, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग को सितंबर 2013 में भेजा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। फिरभी, जनवरी 2014 में आयोजित एग्जिट काउंफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी।

ग्रामीण विकास विभाग

2.4 इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना, एक केन्द्रीय प्रयोजित फलैगशिप स्कीम, 1 जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र स्कीम के रूप में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य, गरीबी रेखा से नीचे (गरीबी रेखा से नीचे) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों तथा गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति गरीबी रेखा से नीचे वर्ग से संबंधित ग्रामीण लोगों की निवास इकाइयों के निर्माण तथा मौजूदा मरम्मत न किए जा सकने वाले 'कच्चे घरों' के अपग्रेडेशन में वित्तीय सहायता प्रदान कर, सहायता करना है।

स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम प्रकट किए:

माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद 470 अपात्र व्यक्तियों को दी गई ₹ 1.74 करोड़ की वित्तीय मदद को वसूल नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.6.4)

चालीस लाभग्राही, जिनके पास पहले ही पक्के मकान थे, को ₹ 15.88 लाख की राशि की सहायता दी गई।

(अनुच्छेद 2.4.6.4)

93,690 घरों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 2008 – 13 के दौरान 72,944 पूरे किए गए थे। घरों के पूर्ण होने के आंकड़े पूर्णतः विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि इसे सात प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। आगे, मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे घरों के अपग्रेडेशन के घटक को लागू ही नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.4.6.4)

व्यापक आवासीय सुविधाएं देने के लिए अन्य स्कीमों से कन्वर्जेंस उचित ढंग से नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.4.6.4)

स्कीम की प्रणाली लागू करने के लिए मॉनीटरिंग तथा प्रबंधन सूचना कमज़ोर थी तथा सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.4.6.4)

2.4.1 प्रस्तावना

इंदिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रयोजित फलैगशिप स्कीम 1 जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र स्कीम के रूप में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य, गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों तथा गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे वर्ग से संबंधित ग्रामीण लोगों की, निवास इकाइयों के निर्माण तथा मौजूदा मरम्मत न किए जा सकने वाले 'कच्चे घरों' के अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर, सहायता करना है। इंदिरा आवास योजना का विस्तार कार्रवाई के दौरान मारे गए सुरक्षा कर्मियों की विधवाओं अथवा उनके बच्चों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्ध-सैनिक

बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों तक किया गया है। निधियों का तीन प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे के अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

2.4.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष हैं। विशिष्ट सचिव - सह - निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग के अध्यक्ष हैं और स्कीम के कुल मिलाकर मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेवार है। उनकी सहायता के लिए एक प्रोजेक्ट इकोनोमिस्ट तथा दो अनुसंधान अधिकारी हैं। जिला स्तर पर, संबद्ध जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता अधीन प्रत्येक जिले में कार्यरत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रूप में अपर उपायुक्त स्कीम को लागू करने के लिए जिम्मेवार हैं। जिले में, अपर उपायुक्त - सह - मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मदद के लिए प्रोजेक्ट इकानोमिस्ट, सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी हैं। स्कीम के अधीन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा जिला स्तर पर योजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की एक गवर्निंग बॉडी है। ब्लॉक स्तर पर स्कीम को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा लागू किया जा रहा है।

2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- लक्षित समूहों की पहचान तथा चयन के लिए प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं विद्यमान थी;
- निधियों का आबंटन पर्याप्त था तथा उन्हें पर्याप्त तथा समय पर जारी किया गया था और ये स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप उपयोग में लाई गई थी;
- निर्माण की गई तथा अपग्रेड की गई इकाइयों की संख्या के संदर्भ में भौतिक निष्पादन वैसा ही था जैसा लक्षित किया गया था तथा निर्माण, स्कीम के दिशा - निर्देशों में निर्धारित किए गए गुणवत्ता एवं वित्तीय मानदंडों के अनुसार थे;
- जैसा कि विनिर्दिष्ट था, अन्य कार्यक्रमों से कन्वरजैस प्रभावशाली ढंग से किया गया था; तथा
- कार्यक्रम के परिणामों की मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए विद्यमान मैकेनिज्म पर्याप्त एवं प्रभावी था।

2.4.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

अप्रैल - सितंबर 2013 के दौरान, 2008-13 की अवधि के लिए स्कीम की, निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। 120 ग्राम प्रचायतों के साथ - साथ निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग, 21 जिलों में से 38³⁸ (29 प्रतिशत) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा इन जिलों के अधीन 35 ब्लॉकों में से 13³⁹ के रिकार्ड की नमूना - जांच की गई। जिलों का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनेट टू साईज विद रिस्लेसमेंट विधि का प्रयोग कर किया गया जबकि ब्लॉकों तथा ग्राम पंचायतों का चयन सिंपल रेंडम सेंपलिंग विद आऊट रिस्लेसमेंट विधि से किया गया। इंदिरा

³⁸

(i) पंचकूला (ii) महेन्द्रगढ़, (iii) पलवल, (iv) करनाल, (v) हिसार, तथा (vi) सोनीपत।

³⁹

पंचकूला: (i) मोरनी तथा (ii) रायपुररानी, महेन्द्रगढ़: (iii) करनीना तथा (iv) नारनौल, पलवल: (v) हथीन तथा (vi) पलवल, करनाल: (vii) घरौंडा तथा (viii) नीलोखेड़ी, हिसार: (ix) हांसी - II, (x) हिसार II तथा (xi) उकलाना, सोनीपत: (xii) मुडलाना तथा (xiii) सोनीपत।

आवास योजना की 1,339 निवास इकाइयों का भौतिक सत्यापन भी लेरवापरीक्षा टीम तथा संबद्ध खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के स्टाफ के साथ मिलकर बनी संयुक्त निरीक्षण टीमों द्वारा किया गया।

लेरवापरीक्षा उद्देश्यों, लेरवापरीक्षा मापदंड तथा लेरवापरीक्षा के कार्य क्षेत्र पर चर्चा के लिए प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के साथ मई 2013 में एक एंट्री काफ्रेंस की गई। नवंबर 2013 में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के साथ हुई एग्जिट काफ्रेंस में लेरवापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। सरकार के उत्तर तथा ‘एग्जिट काफ्रेंस’ के विचार - विमर्श रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

2.4.5 लेरवापरीक्षा मापदंड

लेरवापरीक्षा मापदंडों के लिए मुख्य स्रोत निम्नलिखित थे:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी इंदिरा आवास योजना के दिशा - निर्देश;
- राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित आवधिक रिपोर्ट / विवरणियां; तथा
- ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र / अनुदेश।

लेरवापरीक्षा परिणाम

2.4.6 लाभग्राहियों की पहचान एवं चयन

2.4.6.1 वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार न करना

नमूना - जांच की गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने 2008 - 12 की अवधि के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार नहीं की थी। विभाग ने स्वीकार किया (अप्रैल / मई 2013) तथा एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि 2012 - 13 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

2.4.6.2 लाभग्राहियों के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना न करना

निदेशालय तथा नमूना - जांच की गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के रिकार्ड की जांच में लाभग्राहियों के चयन में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः

- जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा लाभग्राहियों का चयन किया गया जबकि स्कीम निर्धारित करती है कि लाभग्राहियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाना चाहिए। प्रधान सचिव ने कहा (नवंबर 2013) कि जिलों ने प्रतीक्षा सूची गरीबी रेखा से नीचे सर्वेक्षण के आंकड़ों से बनाई थी और लाभग्राहियों के चयन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। जवाब युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि लाभग्राहियों की सूची जिलों की बजाए संबद्ध ग्राम सभा द्वारा बनाई जानी थी।
- स्कीम के दिशा - निर्देशों के अनुसार स्कीमों के बेहतर पर्यवेक्षण, कनवर्जेंस तथा क्रय में मितव्ययता लाने के लिए जिलों / ब्लॉकों में गांवों को तीन समूहों / कलस्टर्स में बांटा गया नहीं पाया गया।
- जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट था, सोनीपत को छोड़कर चयनित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवारों तथा गैर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए लाभग्राहियों की अलग सूची नहीं बनाई थी।

➤ हांसी - II ब्लाक में अगस्त 2010 तथा जुलाई 2012 के बीच 23 परिवारों को ₹ 45,000 प्रति परिवार की दर पर ₹ 10.35 लाख की राशि का लाभ प्रदान किया गया जिनके नाम न तो गरीबी रेखा से नीचे सूची में थे और न ही स्थाई प्रतीक्षा सूची में।

➤ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचकूला ने 2009 - 10 के दौरान रायपुररानी (पंचकूला) ब्लाक के चार लाभग्राहियों को ₹ 95,000 की मदद प्रदान की थी जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे सूची में नहीं था। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रायपुररानी ने इस धन राशि को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचकूला के खाते में जमा करवाने के लिए दिसंबर 2009 में नोटिस जारी किए थे परंतु इन लाभग्राहियों ने अभी तक राशियां जमा ही नहीं करवाई थी (अगस्त 2013)। यदि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचकूला ने अनुदान जारी करने से पूर्व, गरीबी रेखा से नीचे सूची से लाभग्राहियों की पात्रता का सत्यापन कर लिया होता तो अपात्र व्यक्तियों को किए भुगतान को रोका जा सकता था।

एगिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे सूची परिवर्तनीय थी जिसमें परिस्थितियों के अनुसार नाम जोड़े अथवा काटे जा सकते थे। जहां तक हांसी ब्लाक - II का संबंध है, यह कहा गया कि लाभग्राहियों के नाम उनके मकानों के गिरने के बाद इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची में शामिल किए गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि स्कीम के दिशा - निर्देशों के अनुसार, लाभग्राही स्थाई प्रतीक्षा सूची में से चुने जाने अपेक्षित थे।

2.4.6.3 अनियमित भुगतान

स्कीम दिशा - निर्देशों का अनुच्छेद 2.4 प्रावधान करता है कि निवास इकाइयां, लाभग्राही परिवार की महिला सदस्यों, वैकल्पिक रूप से यह पति और पत्नी दोनों के नाम पर आबंटित की जा सकती है, फिर भी, यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य उपलब्ध / जीवित नहीं है तो जरूरतमंद गरीबी रेखा से नीचे परिवार के पुरुष सदस्य को भी मकान आबंटित किया जा सकता है।

फिर भी, नमूना - जांच किए गए मामलों में यह देखा गया कि 2008 - 13 के दौरान 1,929 मकान, परिवारों में पात्र महिला सदस्यों की विद्यमानता सत्यापित किए बिना पुरुष सदस्यों के नाम पर थे। निवास इकाइयों के भौतिक सत्यापन ने भी दर्शाया कि 251 पुरुष सदस्यों के नाम मकान आबंटित किए गए थे, यद्यपि परिवारों में महिला सदस्य भी थी।

एगिट काफ्रेंस के दौरान निदेशक ने कहा कि स्थिति की जांच करने के पश्चात् दोषियों के स्विलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

2.4.6.4 अपात्र लाभग्राहियों को दिया गया अनुचित लाभ

राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की सूची में अपात्र व्यक्तियों/परिवारों को शामिल करने के संबंध में 2010 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट पिटीशन (सी.डब्ल्यू.पी. नं. 1,581 ऑफ 2010 श्री प्रदीप कुमार एंड अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य) फाईल की गई थी। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक शपथ - पत्र फाईल किया गया जिसमें दर्शाया गया कि 1,68,676 अपात्र व्यक्तियों/परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे कार्ड जारी कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने अपात्र गरीबी रेखा से नीचे कार्डघारकों के स्विलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग में सभी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को अपात्र व्यक्तियों, जिन्होंने गलत सूचना देकर गरीबी रेखा से नीचे कार्ड

बनवा लिए थे, के कार्ड रद्द करने तथा उनके द्वारा ली गई रियायतों/सुविधाओं में शामिल राशि की वसूली करने के भी निर्देश जारी किए (नवंबर 2011)।

चयनित जिलों के नमूना - जांच किए गए ब्लॉकों के रिकार्ड की जांच ने दर्शाया कि 2008 - 13 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 10 ब्लॉकों में 470 अपात्र परिवारों को लाभ दिए गए थे। परिशिष्ट 2.16 में दिए गए विवरणानुसार कुल वसूलनीय राशि ₹ 1.74 करोड़ परिकलित की गई है। आगे यह भी देखा गया कि इंदिरा आवास योजना के अपात्र लाभग्राहियों से कोई वसूली नहीं की गई थी।

प्रधान सचिव ने कहा (नवंबर 2013) कि मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था तथा इस बारे में राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया जाना था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर सरकार द्वारा नवंबर 2011 में जारी किए गए आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी।

2.4.6.5 निधियों का उपयोग न करना तथा अपात्र परिवारों का सहायता

सहायता दो किश्तों में वितरित की जाती है। लैंटर स्तर तक निर्माण कार्य के सत्यापन के पश्चात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा दूसरी किश्त जारी की जाती है। आगे, स्कीम दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित दरों पर नए घरों तथा मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे घरों के अपग्रेडेशन के लिए मदद दी जानी थी। अभिलेखों की जांच ने निम्न कमियां दर्शाईः

➤ नमूना - जांच किए गए ब्लॉकों में यह देखा गया कि 1,174 लाभग्राहियों को दूसरी किश्त जारी नहीं की गई थी। निदेशक ने एगिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकर करते हुए बताया कि अपात्र लाभग्राहियों, जिन्होंने दूसरी किश्त के लिए पात्र बनने हेतु अपने मकानों को लैंटर स्तर तक पूरा नहीं किया था, को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

➤ 1,339 इंदिरा आवास योजना घरों के भौतिक सत्यापन ने दर्शाया कि 40 लाभग्राहियों को ₹ 15.88 लाख की राशि की मदद दी गई थी, जिनके पास पहले से ही पक्के घर थे तथा अपने विद्यमान घरों में या तो प्रथम तल का निर्माण किया था अथवा एक कमरा अथवा एक रसोई शामिल किए थे।

आगे, 18 लाभग्राहियों, जिन्होंने ₹ 6.05 लाख प्राप्त किए थे, ने घरों का निर्माण नहीं किया था। इन 18 लाभग्राहियों में से 12 लाभग्राहियों को दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 13 लाभग्राहियों, जिन्होंने ₹ 5.35 लाख प्राप्त किए थे, ने दूसरी किश्त की प्राप्ति के बाद भी अपने घरों के निर्माण को पूरा नहीं किया था (परिशिष्ट 2.17)।

प्रधान सचिव ने मामले को गंभीरता से लिया तथा बताया कि मामले की जांच करने के पश्चात् उचित कार्रवाई की जाएगी।

➤ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मोरनी तथा पलवल में दो⁴⁰ लाभग्राहियों को दिसंबर 2010 तथा दिसंबर 2012 के बीच ₹ 23,500 तथा ₹ 20,000 की राशि की दूसरी किश्त दो बार दी गई थी। परिणामस्वरूप ₹ 43,500 का दोहरा भुगतान हुआ।

⁴⁰

(i) गांव धंडवाली तथा (ii) गांव पृथला।

निदेशक ने एग्जिट काफ्रेंस के दैरान कहा कि संबद्ध खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा लाभग्राहियों से वसूली कर ली जाएगी।

2.4.6.6 ग्रामीण हाऊसिंग स्कीम के लिए मदद प्राप्त करना

मानकों के अनुसार किसी अन्य हाऊसिंग स्कीम के लाभग्राही इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं थे। तीन⁴¹ खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों में, अनुसूचित जातियों के लिए हाऊसिंग स्कीम के 15 लाभग्राहियों ने इंदिरा आवास योजना के अधीन ₹ 5.45 लाख की मदद का लाभ प्राप्त किया था (परिशिष्ट 2.18)। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच निर्धारित नहीं थी कि किसी को, जिसने किसी अन्य हाऊसिंग स्कीम से उसी उद्देश्य के लिए लाभ उठाया था इंदिरा आवास योजना स्कीम से लाभ नहीं दिया जाता।

एग्जिट काफ्रेंस के दैरान निदेशक ने कहा कि यह जांच की जाएगी कि किस विभाग ने पहले मदद प्रदान की। यदि इंदिरा आवास योजना का लाभ बाद में दिया गया था तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.4.6.7 इंदिरा आवास योजना मकानों का उपयोग निवास के लिए न करना

इंदिरा आवास योजना घरों के भौतिक सत्यापन ने दर्शाया कि ₹ 9.08 लाख का लाभ उठाने वाले 23 लाभग्राही अपनी इंदिरा आवास योजना निवास इकाइयों को तूँड़ी को स्टोर करने तथा पशुओं को रखने के लिए उपयोग में ला रहे थे (परिशिष्ट 2.19)। इस से स्कीम का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

2.4.7 वित्तीय प्रबंधन

इंदिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसे भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में सांझा लागत के आधार पर निधियां प्राप्त होती हैं। इंदिरा आवास योजना निधियों के जमाओं पर अर्जित ब्याज राशि इंदिरा आवास योजना संसाधनों के हिस्से के रूप में मानी जाती है।

राज्य सरकार, अपना अंश, केंद्रीय मदद के जारी होने के एक माह के भीतर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी करती है। जिले की पहली किश्त (कुल आबंटन राशि का 50 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के आरंभ में जारी की जाती है। जिले की दूसरी किश्त, प्रथम किश्त के 60 प्रतिशत का उपयोग किए जाने के पश्चात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से आग्रह प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

2.4.7.1 निधियों की उपलब्धता तथा उपयोग

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधियों तथा किए गए व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.4.1 में दिया गया है।

⁴¹

(i) कनीना, (ii) पलवल तथा (iii) सोनीपत।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

तालिका 2.4.1: निधियों की उपलब्धता तथा किए गए व्यय का विवरण

वर्ष	आरंभिक शेष	द्वारा जारी की गई निधियां		विविध प्राप्तियां@	उपलब्ध कुल निधियां	व्यय	जेष
		भारत सरकार	राज्य सरकार				
2008-09	1.18	50.33*	16.79**	0.32	68.62	50.05	18.57
2009-10	18.57	52.26	17.42	0.88	89.13	80.78	8.35
2010-11	8.35	59.75	19.92	0.68	88.70	78.70	10.00
2011-12	10.00	58.12	19.37	0.88	88.37	80.61	7.76
2012-13	7.76	66.00*	21.00**	0.77	95.53	80.27	15.26
कुल		286.46	94.50	3.53		370.41	

स्रोत: निदेशालय द्वारा दिए गए आंकड़े।

नोट: * इसमें 2007-08 तथा 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए क्रमशः ₹ 1.99 लाख तथा ₹ 233.12 लाख शामिल हैं।

** 2007-08 तथा 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए क्रमशः ₹ 2.12 लाख तथा ₹ 77.71 लाख शामिल।

@ मुख्य रूप से व्याज प्राप्तियां।

निदेशालय के रिकार्ड की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि नीचे दिए गए विवरणानुसार 2009-13 की अवधि के दौरान आरंभिक शेष वास्तविक शेषों से मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से भारत सरकार को कम सूचित किए गए थे:

वर्ष	आरंभिक शेष वास्तविक	मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार आरंभिक शेष	आरंभिक शेष में अंतर
2009-10	18.57	14.29	4.28
2010-11	8.35	5.84	2.51
2011-12	10.00	5.98	4.02
2012-13	7.76	4.46	3.30

स्रोत: मासिक प्रगति रिपोर्टों से संकलित डाटा।

इस प्रकार, विभाग द्वारा भारत सरकार को गलत रिपोर्टिंग की गई। निदेशक ने एजिट काफ़ेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि मासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यतः तत्काल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए थी तथा अंतर स्कीम के व्यावहारिक अमल में गैप्स के कारण था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि गलत रिपोर्ट सरकारी स्तर पर स्कीम को अमल में लाने के लिए योजना प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती है।

2.4.7.2 भारत सरकार द्वारा निधियां देने में कटौती करना तथा राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी करना

स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.2 (ii) में प्रावधान है कि जिले का आरंभिक शेष, पिछले वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आरंभिक शेष इस सीमा से बढ़ जाता है, तो केन्द्रीय तथा राज्य अंश, अनुदान जारी करते समय, आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।

नमूना-जांच किए गए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के रिकार्ड की जांच ने दर्शाया कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने दो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के संबंध में अनुदान जारी करते समय कट लगाया था, जैसा कि तालिका 2.4.2 में दिया गया है।

तालिका 24.2: आबंटन, जारी की गई निधियां तथा की गई कटौती का विवरण

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	वर्ष	आरंभिक शेष	पिछले वर्ष की उपलब्ध निधियों का 10 प्रतिशत	भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा आबंटन	जारी की गई निधियां	की गई कटौती
(₹ करोड़ में)						
सोनीपत	2012-13	0.72	0.47	4.23	4.15	0.08
पलवल	2012-13	0.99	0.35	3.41	2.91	0.50

स्रोत: मासिक प्रगति रिपोर्ट - 1 के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े।

यदि उपर्युक्त जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने उपलब्ध निधियों के 90 प्रतिशत से अधिक को खर्च कर लिया होता तो केन्द्र तथा राज्य हिस्से⁴² में कटौती बचाई जा सकती थी तथा स्कीम के अंतर्गत और अधिक लाभग्राहियों को शामिल किया जा सकता था।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पलवल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब में कहा (जून 2013) कि भविष्य में जिले के आरंभिक शेष उपलब्ध निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने नहीं दिए जाएंगे।

इसी प्रकार, स्कीम के दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 4.2 (iv) के अनुसार राज्य सरकार को, स्कीम को अमल में लाने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को (पिछले वर्ष के अंशदानों सहित) अपने अंशदान जारी करने अपेक्षित थे।

रिकार्ड की जांच ने दर्शाया कि राज्य सरकार ने 2012 - 13 में अपना अंशदान ₹ 99.52 लाख कम जारी किया था। इसके फलस्वरूप 221 लाभग्राही कम कवर हुए। निदेशक ने एगिजट काफ्रेंस के दौरान माना कि राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी की गई थीं।

2.4.7.3 संबद्ध जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को राज्य के अंश के जारी होने में देरी

स्कीम के दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 4.6 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को अपना अंश, केन्द्रीय मदद के जारी होने के एक महीने के भीतर, जारी करेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने नमूना - जांच की गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 2008 - 11 के दौरान निधियां जारी करने में एक माह की निर्धारित सीमा से अधिक समय की देरी की। भारत सरकार द्वारा निधियां जारी करने के एक माह के बाद विभाग ने कुल जारी ₹ 22.76 करोड़ में से ₹ 7.59 करोड़ को जारी करने में 20 तथा 67 दिनों के बीच देरी की थी।

निदेशक ने एगिजट काफ्रेंस के दौरान कहा कि देरी मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के अनुपालन में लिए गए समय के कारण थी। जवाब युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि वित्त विभाग की आपत्तियों की अनुपालना समयबद्ध तरीके से की जानी चाहिए थी।

2.4.7.4 ब्याज की अंतर दर स्कीम के बारे में जागरूकता न होना

राष्ट्रीयकृत बैंकों को, इकाई मदद को टोप - अप करने के लिए ₹ 20,000 तक की उधार पर (4 प्रतिशत वार्षिक दर पर) ब्याज की अंतरीय दर स्कीम के अधीन, इंदिरा आवास योजना लाभग्राहियों को ऋण वितरित करने अपेक्षित थे। भारत सरकार ने स्कीम की कन्वर्जेंस के बारे

⁴²

देय राज्य हिस्सा: ₹ 2,122.27 लाख तथा जारी किया गया: ₹ 2,022.75 लाख।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

में लाभग्राहियों में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए (अगस्त 2009)।

नमूना - जांच की गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने इंदिरा आवास योजना लाभग्राहियों में जागरूकता पैदा नहीं की थी परिणामस्वरूप महेंगढ़ जिले में 2008 - 13 के दौरान केवल एक लाभग्राही स्कीम के अधीन लाभ उठा पाया।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचकूला ने कहा (मई 2013) कि अनुदान जारी करते समय लाभग्राहियों को ब्याज की अंतरीय दर स्कीम का लाभ लेने की सलाह दी गई, प्रोत्साहित किया गया तथा शिक्षित किया गया था। तथापि, ब्याज की अंतरीय दर स्कीम का लाभ लेने के लिए किसी भी लाभग्राही से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई। जबाब युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि एजेंसी ने लाभग्राहियों में स्कीम के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा नहीं की थी। आगे, स्कीम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई व्यय नहीं किया गया था।

2.4.8 घरों का निर्माण एवं उनकी गुणवत्ता

इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को नए घरों के निर्माण तथा मरम्मत न की जा सकने वाली कच्ची निवास इकाइयों के अपग्रेडेशन में मदद देना था।

2.4.8.1 लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

नए घरों के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा उनके विरुद्ध उपलब्धियाँ तालिका 2.4.3 में दिए गए अनुसार थी।

तालिका 2.4.3 : नए घरों के निर्माण के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धि के विवरण

वर्ष	लक्ष्य (घरों की संख्या)	उपलब्धि (घरों की संख्या)	उपलब्धि की प्रतिशतता
2008-09	13,229	12,406	94
2009-10	25,611	19,424	76
2010-11	17,703	14,862	84
2011-12	17,293	14,479	84
2012-13	19,854	11,773	59
कुल	93,690	72,944	78

स्रोत: निवेशालय द्वारा दिए गए आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका ने इंगित किया कि लक्ष्यों की प्राप्ति 2008-13 के दौरान 59 तथा 94 प्रतिशत के बीच थी। नमूना - जांच किए गए जिलों के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ परिशिष्ट 2.20 में दिए गए हैं। परिशिष्ट में डाटा ने नए घरों के निर्माण के लक्ष्यों की उपलब्धियों में इसी तरह की स्थिति दर्शाई। आगे, मरम्मत न किए जाने योग्य कच्चे घरों के अपग्रेडेशन का घटक 2008 - 13 के दौरान राज्य में लागू ही नहीं किया गया था।

1,339 घरों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 1,246 घर, विभाग द्वारा पूर्ण किए गए, दर्शाए थे, परंतु इन घरों में से केवल 1,146 घर वास्तव में पूर्ण किए गए पाए गए। इस प्रकार, पूर्ण किए गए घरों की वास्तविक संख्या से 82 घर अधिक पूर्ण किए दर्शाए गए। इसने दर्शाया कि घरों की पूर्णता का डाटा पूर्णतः विश्वसनीय नहीं था और 7 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था।

जवाब में महेन्द्रगढ़, पलवल तथा सोनीपत की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने कहा (मई - अगस्त 2013) कि अपूर्ण घरों को अगले वर्ष पूरा बना दिया जाएगा, जब कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचकूला ने कहा (मई 2013) कि लाभग्राहियों, जिन्होंने निवास इकाइयों का निर्माण नहीं किया था, के द्वारा पहली किश्त के दुरुपयोग के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। जवाब ने इंगित किया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा घरों के निर्माण के लिए उचित मौनीटरिंग नहीं की गई थी।

2.4.8.2 लागत प्रभावकारिता तथा सामग्री की गुणवत्ता

स्कीम दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिले/ब्लॉक स्तर पर लागत प्रभावी पर्यावरण, अनुकूल प्रौद्योगिकियां, सामग्री, डिजाइन इत्यादि पर सूचना उपलब्ध करवाई जानी थी। यह सूचना केवल मार्ग - दर्शन के लिए होनी चाहिए तथा लाभग्राहियों द्वारा अन्य कोई उपयुक्त स्थान अथवा विशिष्ट प्रौद्योगिकी अपनाई जा सकती थी। नमूना - जांच की गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के रिकार्ड की जांच के दौरान यह देखा गया कि जिला/ब्लॉक स्तरों पर कोई ऐसी जानकारी लाभग्राहियों को मुहैया नहीं करवाई गई थी। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान निदेशक ने तथ्य स्वीकार किए।

2.4.8.3 घरों के टाईप डिजाईन

स्कीम के दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार द्वारा अनुमोदित टाईप डिजायन के अनुसार घरों के निर्माण में लगे मिस्त्रियों तथा अन्यों की पर्याप्त संख्या को प्रशिक्षित करना चाहिए। राज्य सरकार साईट प्लान, ढांचागत डिजाईन फाउडेशन इत्यादि सहित क्षेत्र के लिए संगत विभिन्न डिजाइनों वाली एक पुस्तक प्रकाशित कर सकती है।

नमूना - जांच किए गए जिलों के रिकार्ड की जांच के दौरान यह देखा गया कि न तो राज्य सरकार ने कोई टाईप डिजाईन विकसित किए और न ही राज मिस्त्रियों और अन्यों को, जो घरों के निर्माण में लगे थे, को प्रशिक्षित करने के लिए कोई कदम उठाए थे। आगे, जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट था जिले अथवा ब्लॉक स्तर पर घरों के निर्माण के लिए औजारों और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

स्कीम दिशा - निर्देशों (अनुच्छेद 5.2.1, 5.3 तथा 5.4) में आगे प्रावधान है कि मकान पक्का होना चाहिए जिसमें सुविधाएं जैसे रसोई, बरामदा, सीढ़ियां, वर्षा जल से सींचने की प्रणाली इत्यादि हों। तथापि, निवास इकाइयों के भौतिक सत्यापन के दौरान इंदिरा आवास योजना मकानों के टाईप डिजाईन में निम्नलिखित कमियां देखी गईं।

- 1,339 सत्यापित किए गए इंदिरा आवास योजना घरों में से 840 इंदिरा आवास योजना घरों (63 प्रतिशत) में रसोई घर नहीं थे।
- वर्षा जल सिंचन की अपेक्षित सुविधा इंदिरा आवास योजना घरों में लगभग कहीं भी नहीं थी। बरामदे केवल 374 घरों (28 प्रतिशत) में उपलब्ध थे तथा सीढ़ियां 390 घरों (29 प्रतिशत) में निर्मित हुई, पाई गईं।

निदेशक ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान कहा कि घरों के टाईप डिजाईन उत्तर - पूर्वी राज्यों के लिए बनाए जाने थे। जवाब युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट था, सभी राज्यों में वहां के क्षेत्र के अनुरूप टाईप डिजाईन तैयार किए जाने थे।

2.4.8.4 प्रशिक्षण

स्कीम के दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 5.7 के अनुसार राज्य, जिसे तथा ब्लॉक स्तर पर इंदिरा आवास योजना के कार्य करने वाले अधिकारियों का, घरों में अपनाए जाने वाले विभिन्न आपदा - रोधी फीचर्स में अवश्य प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपने क्षेत्र दौरों के दौरान सुनिश्चित करना चाहिए कि इसकी अनुपालना की जाती है। जिला तथा ब्लॉक स्तर पर सेमीनार, कार्यशालाओं इत्यादि में निम्न लागत प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनियों द्वारा लाभग्राहियों में अपदारोधक तथा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

निदेशालय तथा नमूना - जांच किए गए जिलों/ब्लाकों के रिकार्ड की जांच ने दर्शाया कि इस उद्देश्य के लिए राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार तथा कार्यशालाएं आयोजित नहीं की गई थी। इस प्रकार, इंदिरा आवास योजना लाभग्राहियों को स्कीम के इस महत्वपूर्ण पहलू का लाभ नहीं मिल सका। निदेशक ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्य स्वीकार किए।

2.4.8.5 तकनीकी पर्यवेक्षण

स्कीम दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.7.1 में निर्दिष्ट था कि इंदिरा आवास योजना मकान के निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण मुहैया करवाया जाना चाहिए। मकान की गुणवत्ता के अनुरक्षण के लिए नींव डालना तथा लैंटर स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसलिए, कम से कम इन दो चरणों पर तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

चयनित जिलों/ब्लॉकों के रिकार्ड की जांच के दौरान यह देखा गया कि घरों की गुणवत्ता का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु कोई प्रबंध नहीं किया गया था। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान निदेशक ने तथ्य स्वीकार किए।

2.4.8.6 घरों की इन्वैट्री न रखना

स्कीम दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 5.9 के अनुसार लागूकर्ता एजेंसियों द्वारा विभिन्न विवरणों को तैयार करना अपेक्षित था जैसे कि निवास इकाई का निर्माण शुरू होने और पूर्ण होने की तिथि, उस गांव तथा ब्लॉक का नाम, जिसमें मकान स्थित था, लाभग्राहियों का नाम, पता, व्यवसाय तथा श्रेणी इत्यादि। परंतु नमूना - जांच किए गए जिलों में ऐसे रिकार्ड न तो जिला स्तर पर और न ही ब्लॉक स्तर पर रखे गए थे।

निदेशक ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान कहा कि ये रिकार्ड 2013 - 14 से अनुरक्षित किए जाएंगे।

2.4.8.7 इंदिरा आवास योजना बोर्ड तथा लोगो तथा लाभग्राहियों की स्थाई प्रतीक्षा सूची को डिस्प्ले न करना

स्कीम दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 5.10 के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि प्रत्येक निर्मित घर के लिए इंदिरा आवास योजना लोगो, निर्माण का वर्ष, लाभग्राही का नाम इत्यादि को दर्शाता एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना था। नमूने के रूप में लिए गए गांवों के भौतिक सत्यापन ने दर्शाया कि सत्यापित किए गए 1,339 घरों में से 14 घरों को छोड़कर ऐसे इंदिरा आवास योजना लोगो बोर्ड नहीं लगाए गए थे। निदेशक ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान कहा कि भविष्य में स्कीम के दिशा - निर्देशों का पालन किया जाएगा।

2.4.9 अन्य स्कीमों से कन्वर्जेंस

स्कीम के दिशा - निर्देशों का अनुच्छेद 5.11 निर्धारित करता है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू किए जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों की पहचान करने के प्रयत्न करेंगे जो इंदिरा आवास योजना के साथ समन्वय स्थापित कर सकती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए बनाई गई इन स्कीमों के लाभ इंदिरा आवास योजना लाभग्राही भी प्राप्त करते हैं। स्कीमें जैसे पूर्ण स्वच्छता अभियान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, धुआं रहित चूल्हे इत्यादि राज्य के अन्य विभागों द्वारा लागू की गई थीं जो इंदिरा आवास योजना के साथ समन्वय स्थापित कर सकती थीं।

तथापि, नमूना - जांच किए गए जिलों के रिकार्ड की जांच के दौरान यह देखा गया कि इंदिरा आवास योजना घरों को ये व्यापक लाभ प्रदान करने संबंधी कोई आंकड़े रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा नहीं रखे गए थे। इसके परिणास्वरूप, लेखापरीक्षा में इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। भौतिक सत्यापन के दौरान अन्य स्कीमों से कन्वर्जेंस में निम्नलिखित कमियां देखी गईः

- सत्यापित किए गए 1,339 घरों में से 647 (48 प्रतिशत) में सैनिटरी शौचालय नहीं थे। आगे, केवल 66 (5 प्रतिशत) लाभग्राहियों ने पूर्ण स्वच्छता अभियान स्कीम से सहायता प्राप्त की थी।
- लाभग्राहियों में से किसी ने भी राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया था। 1,262 (94 प्रतिशत) लाभग्राहियों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिए गए थे।
- सत्यापित किए गए 1,339 इंदिरा आवास योजना घरों में से 1,297 घरों (97 प्रतिशत) में धुआं रहित चूल्हे उपलब्ध नहीं थे।

इसी प्रकार, स्कीम के दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 5.11 (vi) में प्रावधान है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के पास, ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए जनश्री बीमा तथा ग्रामीण भूमि हीन परिवारों के लाभ के लिए आम आदमी बीमा नामक बीमा पालिसियां हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां प्रत्येक मास, सभी इच्छुक इंदिरा आवास योजना लाभग्राहियों के विवरण संबद्ध नोडल एजेंसी को देंगे, जो जनश्री बीमा तथा आम आदमी बीमा को जिले में लागू कर रही है ताकि इंदिरा आवास योजना लाभग्राही, इन बीमा पालिसियों के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकें। चुने गए जिलों/ब्लॉकों के रिकार्ड की जांच के दौरान यह देखा गया कि नमूना - जांच किए गए जिलों में से किसी में भी लाभग्राहियों द्वारा स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं किए गए।

निर्देशक ने एजिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि अन्य स्कीमों से कन्वर्जेंस 2013-14 से की जाएगी।

2.4.10 मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन

2.4.10.1 मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन रूपरेखा

स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य के मुख्यालय, जिले, उप-मंडल तथा ब्लॉक स्तर पर इंदिरा आवास योजना का कार्य करने वाले अधिकारियों को फील्ड दौरे द्वारा यह सुनिश्चित

करना चाहिए कि क्या कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से लागू किया जा रहा है तथा क्या घरों का निर्माण निर्धारित डिजाइनों के अनुसार था। निरीक्षण की एक अनुसूची जिसमें पर्यवेक्षण स्तर के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए फील्ड दौरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करती है बनाई जानी चाहिए तथा उसका कड़ई से अनुपालन किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि स्कीम के संतोषजनक अमल को सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अथवा ब्लॉक स्तर पर फील्ड दौरों का कोई डाटा नहीं रखा गया था।

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मॉनीटरिंग की जिम्मेवारी राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनीटरिंग कमेटी की थी। यह देखा गया कि तिमाही बैठकों के आयोजन के विरुद्ध 2008 - 13 के दौरान केवल तीन बैठकें ही आयोजित की गईं। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान निदेशक ने तथ्य स्वीकार किए।

2.4.10.2 प्रबंधन सूचना प्रणाली

स्कीम के दिशा - निर्देशों के अनुच्छेद 6.1 में प्रावधान है कि स्कीम के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों तथा प्राप्तियों के पूर्ण एवं विस्तृत आंकड़े, लाभग्राहियों के विवरण, संस्वीकृत मकानों की प्रगति तथा विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों इत्यादि के साथ कन्वर्जेंस के साथ जारी निधियों की रिपोर्टिंग प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड की जानी चाहिए।

तथापि, यह देखा गया कि प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़े 2008 - 10 की अवधि के लिए अपलोड नहीं किए गए थे। 2010 - 13 तक की अवधि के लिए अपलोड किया गया डाटा अधूरा था। विभाग ने कहा (अप्रैल 2013) कि राज्य में फील्ड स्तर पर इंदिरा आवास योजना के लिए कोई विशिष्ट स्टाफ नहीं था तथा भविष्य में 100 प्रतिशत आंकड़े अपलोड करने के प्रयास किए जाएंगे।

2.4.10.3 सामाजिक लेखापरीक्षा

स्कीम के प्रावधानों के अनुसार (अनुच्छेद 6.3.5) स्कीम की सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रणाली का अनुपालन किया जाएगा। उत्तर में विभाग ने कहा (अप्रैल 2013) कि विशेषकर इंदिरा आवास योजना के अधीन सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, स्कीम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू विभाग द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया था। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान निदेशक ने कहा कि इस पहलू संबंधी स्कीम के दिशा - निर्देशों का भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।

2.4.10.4 प्रभाव आकलन

आर्थिक एवं सारिव्यकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ने स्कीम का मूल्यांकन किया तथा जनवरी 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मूल्यांकन रिपोर्ट ने भी प्रकट किया कि स्कीम के बारे में ग्रामीण लोगों में जागरूकता की कमी थी, कच्ची सामग्री की गुणवत्ता/नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा निधियों के उचित उपयोग के संबंध में स्कीम को लागू करने में लोगों/कर्मचारियों में जिम्मेवारी की कमी, लाभग्राहियों के चयन के लिए अपर्याप्त मानकों का अपनाना, मॉनीटरिंग में कमी, मूलभूत सुविधाओं जैसे जल की आपूर्ति तथा डैनेज इत्यादि की कमी थी। यह देखा गया कि मूल्यांकन अध्ययन में इन कमियों के इंगित किए जाने के बावजूद विभाग द्वारा कोई उपचारी उपाय नहीं किए गए।

2.4.11 निष्कर्ष

लाभग्राहियों के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था क्योंकि लाभग्राहियों का चयन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा किया गया था जबकि स्कीम निर्धारित करती है कि लाभग्राहियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाना चाहिए। स्कीम दिशा निर्देशों के उल्लंघन में वित्तीय सहायता, परिवारों के पुरुष सदस्यों को दी गई थी। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को राज्य हिस्सा जारी करने में विलंब थे। नए मकानों के निर्माण की भौतिक उपलब्धियां 78 प्रतिशत थीं जबकि बेकार कच्चे घरों के अपग्रेडेशन का पहलू किंचित लागू नहीं किया गया था। मकानों की पूर्णतः का डाटा विश्वसनीय नहीं था। अपात्र व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के मामले थे तथा व्यापक लाभ प्रदान करने के लिए कन्वर्जेन्स का लाभ नहीं उठाया गया था। वर्ष 2008 - 09 तथा 2009 - 10 के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली डाटा अपलोड नहीं किया गया था तथा वर्ष 2010 - 11 से 2012 - 13 तक के लिए अपलोड किया गया प्रबंधन सूचना प्रणाली डाटा अपूर्ण था। कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग बहुत कमज़ोर थी। गांव स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

2.4.12 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- लाभग्राहियों की पहचान तथा चयन के संबंध में दिशा - निर्देशों का अनुपालन करने, परिवार की महिला सदस्यों को लाभ प्रदान करना, इसी तरह की अन्य स्कीमों के साथ कनवर्जेन्स के बारे में जागरूक करना इत्यादि;
- यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रबंध सुटूँ करना कि लाभग्राहियों को निधियां शीघ्रता से वितरित की जाती है तथा अपात्र लाभग्राहियों से दी गई मदद की वसूली के लिए नियम बनाना;
- यह सुनिश्चित करते हेतु उचित प्रणाली बनाना कि लाभग्राही अपनी निवास इकाइयों को पूर्ण करते हैं; तथा
- सामाजिक लेखापरीक्षा को प्रभावी बनाना।

सहकारिता विभाग

2.5 सहकारिता विभाग का कार्यचालन

सहकारिता विभाग, राज्य में सहकारी गतिविधियों की आवश्यकताओं का प्रबंध कर रहा है। यह, स्कीम गाइडलाईन्स के अनुसार विभिन्न शर्तों तथा निबंधनों पर सहकारी समितियों को शेयर पूँजी एवं ऋण प्रदान करता है, सहकारी समितियों की संख्या 2008 - 09 के आरंभ में 33,766 से 2011 - 12 की समाप्ति पर 35,622 तक बढ़ गई थी।

कुछ महत्वपूर्ण लेरवापरीक्षा परिणाम नीचे वर्णित हैं:

सरकार ने सहकारी समितियों में शेयर पूँजी में ₹ 594.07 करोड़ निवेश किए थे परंतु इन निवेशों से रिटर्न (₹ 1.36 करोड़) नगण्य थे। विभाग ने रिडीमेबल शेयर पूँजी तथा ऋणी समितियों से वसूल की जाने वाली अर्जित ऋण राशि के संबंध में समेकित डाटा नहीं रखा था।

(अनुच्छेद 2.5.7.6)

सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए ₹ 181.87 करोड़ की ब्याज राशि इस शर्त के साथ माफ कर दी गई कि ये लाभ में परिवर्तित होंगी।

(अनुच्छेद 2.5.7.7)

2008 - 09 तक 33,766 पंजीकृत समितियां थीं जो मार्च 2012 की समाप्ति तक 35,622 तक बढ़ गई थीं। विभाग ने 2008 - 12 के दौरान 41 से 47 प्रतिशत के बीच समितियों की लेरवापरीक्षा की। आगे, लेरवापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना, लेरवापरीक्षा की गई समितियों के केवल 12 प्रतिशत द्वारा की गई।

(अनुच्छेद 2.5.8.1 तथा 2.5.8.2)

नौ सहकारी चीनी मिलों ने ऋण की शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन में 2009 - 10 के दौरान जारी किए गए ₹ 42.50 करोड़ के ऋणों का पुनर्भुगतान आरंभ नहीं किया था। 2010 - 13 के दौरान सहकारी चीनी मिलों को ₹ 225.90 करोड़ की राशि का ऋण दिया गया था।

(अनुच्छेद 2.5.9.1)

‘राज्य ब्याज सबवैन्शन स्कीम’ के अंतर्गत हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड द्वारा की गई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 7.55 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जबकि स्कीम प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों को ब्याज देयता में राहत प्रदान करने के विचार से आरंभ की गई थी।

(अनुच्छेद 2.5.9.2)

हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने ₹ 7.67 करोड़ राशि के शेयर कैपिटल की रिटायरमेंट के कारण राशि का भुगतान नहीं किया था।

(अनुच्छेद 2.5.9.3)

2.5.1 प्रस्तावना

सहकारी गतिविधि की आवश्यकताओं का उपयोगी तथा प्रभावी ढंग से प्रबंध करने हेतु सहकारिता विभाग की स्थापना की गई। सहकारी गतिविधि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के विशाल क्षेत्र को कवर करती है। विभाग के मुख्य कार्यों तथा कर्तव्यों में सहकारी समितियों के पंजीकरण, समितियों के एकीकरण एवं द्विभाजन, सामान्य पर्यवेक्षण, सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा, कमज़ोर सहकारी समितियों को समेटना तथा परिसमापन, समितियों के प्रबंधन समितियों के चुनाव करवाना शामिल हैं। विभाग कृषि तथा उपकरण हेतु लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि ऋण भी प्रदान करता है, सहकारी क्रेडिट तथा सेवा समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संग्रहण गोदाम सुविधाएं, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मकानों तथा मूलभूत संरचनाओं इत्यादि के लिए ऋण प्रदान करता है। विभाग सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने में सफल हो चुका था क्योंकि यह 2008 - 09 के प्रारंभ में 33,766 से 2011 - 12 के अंत तक 35,622 तक बढ़ गई थी।

2.5.2 संगठनात्मक ढांचा

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सहकारिता विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं तथा विभाग की नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उत्तदायी हैं। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विभाग का मुखिया होता है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को निदेशालय पर चार अपर रजिस्ट्रार, दो संयुक्त रजिस्ट्रार, दो उप - रजिस्ट्रार तथा एक मुख्य लेखापरीक्षक द्वारा सहयोग दिया जाता है। विभाग के जोन स्तर तथा उप - मंडल स्तर पर अपने परिचालन कार्यालय हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमशः छः उप - रजिस्ट्रारों तथा 31 सहायक रजिस्ट्रारों द्वारा की जाती है। आगे, रोहतक में आठ लेखापरीक्षा सर्कल कार्यालय तथा एक ट्रेनिंग संस्थान हैं।

2.5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह मूल्यांकन करने के लिए थे कि:

- विभाग की विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए योजना उचित थी;
- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी, दक्ष तथा मितव्ययी था;
- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण नियमित था तथा उससे प्रभावी परिणाम प्राप्त हुए;
- स्कीमों को लागू करना दक्ष, प्रभावी तथा मितव्ययी था;
- स्कीमों को लागू करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन दक्ष था; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा मानीटरिंग प्रणाली विद्यमान थी तथा प्रभावी ढंग एवं दक्षता से परिचालित थी।

2.5.4 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

2008 - 13 अवधि के लिए विभाग की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के कार्यालय तथा 16 चयनित फील्ड कार्यालयों, अर्थात् करनाल तथा रोहतक में स्थित छः उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों में से दो (33 प्रतिशत), सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी

समितियों⁴³ के 31 कार्यालयों में से 11 (35 प्रतिशत), करनाल तथा रोहतक में आठ लेखापरीक्षा सर्कल कार्यालयों में से दो (25 प्रतिशत) तथा रोहतक स्थित एक ट्रेनिंग संस्थान, में मार्च - जून 2013 के दौरान अभिलेखों की नमूना - जांच द्वारा की गई। क्षेत्रीय कार्यालयों का चयन कलस्टर मेथड ऑफ सेंपलिंग अपना कर किया गया। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सहकारिता विभाग के साथ 8 मई 2013 को एंट्री काफ़ेंस की गई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, लेखापरीक्षा के सैंपल तथा कार्यक्षेत्र पर विचार - विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा परिणाम, अभिलेखों की मांग करके आडिट मीमो जारी करके उपलब्ध डाटा का विश्लेषण, प्रश्नावलियां तथा विभिन्न स्तरों पर विभागीय अधिकारियों के उत्तर प्राप्त करने के बाद तैयार किए गए थे। एग्जिट काफ़ेंस 23 अक्तूबर 2013 को अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग के साथ की गई जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर विचार - विमर्श किया गया। विभाग के उत्तर तथा एग्जिट काफ़ेंस के विचार - विमर्श प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप में शामिल किए गए हैं।

2.5.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- विभाग की वार्षिक कार्य योजनाएं।
- हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 तथा हरियाणा सहकारी समिति, नियम 1989.
- विभिन्न स्कीमों को लागू करने के लिए सरकार के मार्ग निर्देश तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.5.6 प्लानिंग

विभाग सहकारी समितियों को शेयर कैपिटल अंशदान करने, ऋण अग्रिम तथा ब्याज दर पर छूट प्रदान करने की वित्तीय सहायता बारे वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर रहा था एवं इस उद्देश्य के लिए बजट अनुमान तैयार किए थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि वार्षिक योजनाएं किसी सर्वे अथवा फसल ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं से फीडबैक पर आधारित नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, बजट अनुमान कम थे तथा विभाग को संशोधित अनुमानों द्वारा निर्धियां मांगनी पड़ी। आगे, ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 12) के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹ 73.50 करोड़ था जबकि इस अवधि के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 478.44 करोड़ था, जो अनुमोदित परिव्यय का 6.51 गुणा था। विभाग ने 17,985 बीमार सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने अथवा उन्हें बंद करने की कोई योजना तैयार नहीं की थी। सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा करवाने बारे ठोस योजना तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार, विभाग में पर्याप्त योजना की कमी थी।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि आयोजित व्यय बढ़ गया था क्योंकि कुछ स्कीमें जैसे कि डेयरी संघ को शेयर कैपिटल, ब्याज छूट स्कीम, सहकारी चीनी

⁴³

अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां: (i) बहादुरगढ़, (ii) गोहाना, (iii) झज्जर, (iv) जींद, (v) करनाल, (vi) नरवाना, (vii) पानीपत, (viii) सफीदों, (ix) सोनीपत, (x) रोहतक तथा (xi) यमुनानगर।

मिलों को ऋण देना, ब्याज सबवैन्शन स्कीमें इत्यादि ग्याहरवां पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन के बाद लागू की गई थी। तथ्य, तथापि रहता है कि विभाग की योजना तदर्थ आधारित थी।

2.5.7 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटरी नियंत्रण

2.5.7.1 बजट प्रावधान तथा व्यय

पंजाब बजट मेनुअल के अनुच्छेद 5.3, जैसा कि हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया है, में प्रावधान है कि साधारण व्यय के बजट अनुमान, जहां तक संभव हो सके, सही रूप से बनाए जाने चाहिए। व्यय की सभी मदों, जोकि पहले से अनुमानित की जा सकती हैं, के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा उचित उप-शीर्ष के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए। 2008-13 के दौरान बजट प्रावधान तथा व्यय की स्थिति तालिका 2.5.1 में दी गई है।

तालिका 2.5.1: 2008-13 के दौरान बजट तथा व्यय के विवरण दर्शाते हुए
(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमानों के संदर्भ में आधिक्य (+) / बचतें (-)	बजट अनुमानों तथा व्यय के संदर्भ में भिन्नता की प्रतिशतता
2008-09	105.68	217.69	217.06	(+) 111.38	105
2009-10	66.13	170.21	124.25	(+) 58.12	88
2010-11	140.72	230.63	224.66	(+) 83.94	60
2011-12	237.02	387.28	373.55	(+) 136.53	58
2012-13	249.67	500.41	486.61	(+) 236.94	95

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना से संकलित डाटा।

बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के मध्य भिन्नता 58 और 105 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों में भिन्नता मुख्यतः वेतन बकायों, हरियाणा डेयरी विकास संघ लिमिटेड में शेयर कैपिटल तथा सहकारी चीनी मिलों को ऋण के लिए मूल बजट में प्रावधान न करने तथा वर्ष के मध्य में ब्याज सबवैन्शन स्कीम आरंभ करने के कारण थी। आगे योजनागत स्कीमों के लिए बजट अनुमान उचित रूप से नहीं बनाए गए थे क्योंकि ₹ 351.50 करोड़ के मूल बजट प्रावधान के विरुद्ध 2008-13 के दौरान ₹ 824.30 करोड़ का व्यय किया गया था।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने एगिजट काफ्रेंस के दौरान बताया कि भविष्य में बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के मध्य भिन्नता को कम करने के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा।

2.5.7.2 सरकारी लेखे से बाहर निधियों का रखना

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने मार्च 2006 और मार्च 2010 के बीच खजाने से ₹ 35.25 करोड़ की राशि आहरित करने के बाद चार⁴⁴ सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को आगे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भुगतान करने के लिए जो कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत परियोजना लागू करने वाली एजेंसियों के रूप में नामित थे, को हस्तांतरित की थी। परियोजनाएं, परियोजना लागू करने वाली एजेंसियों के पास ₹ 0.64 करोड़ की खर्च न की गई शेष राशि को छोड़ते हुए ₹ 34.61 करोड़ की कुल लागत के साथ सितंबर 2010 तथा दिसंबर 2012 के बीच पूरी की गई। खर्च न की गई निधियां सरकारी लेखे में जमा की जानी अपेक्षित थी। खर्च न किए गए शेष को न तो लागू करने वाली

⁴⁴ (i) फरीदाबाद, (ii) जींद, (iii) मोहिन्दगढ़ तथा (iv) यमुनानगर।

एजेंसियों ने सरकारी लेखे में जमा कराया था और न ही विभाग ने लागू करने वाली एजेंसियों को खर्च न किए गए शेषों को वापस करने के लिए कहा था।

एग्जिट काफ़ेंस के दौरान रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि परियोजना लागू करने वाली एजेंसियों के पास पड़ी खर्च न की गई राशि को सरकारी लेखे में जमा करवा दिया जाएगा।

2.5.7.3 सब्सिडी का अधिक जारी करना तथा खर्च न की गई राशि का अनियमित उपयोग

सहकारी समितियों की प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रबंधन क्रियाकलापों के साथ लैस करने के विचार से हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड के माध्यम से एक स्कीम ‘सदस्य शिक्षा तथा नेतृत्व ट्रेनिंग’ के नाम से लागू की गई। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए नियुक्त स्टाफ के वेतन के अतिरिक्त भाग लेने वालों को स्टार्टअपैड की प्रतिपूर्ति हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड को की जानी थी। 2008 – 13 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत ₹ 12.50⁴⁵ करोड़ के बजट प्रावधान किए गए।

इसी प्रकार, सहकारी गतिविधि के उचित चित्र को दर्शने के विचार से, विभाग द्वारा एक स्कीम ‘पब्लिसिटी तथा प्रोपगैंडा’ लागू की जा रही थी। इस उद्देश्य के लिए, प्रचार साहित्य, जैसे पुस्तिकाएं, फोल्डरज, पोस्टरज, पत्रक इत्यादि, हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। 2008 – 13 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत ₹ 3.55⁴⁶ करोड़ की राशि हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड को जारी की गई।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने प्रत्येक वर्ष कोषालय से पूरा बजटीय आबंटन ले लिया तथा हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड को भुगतान किया गया तथा राशि लेखाओं में अंतिम व्यय के रूप में दर्शाई गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2008 – 13 के दौरान सदस्य शिक्षा तथा नेतृत्व ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत वेतन पर वास्तविक व्यय ₹ 10.23⁴⁷ करोड़ था जबकि पब्लिसिटी तथा प्रोपगैंडा पर व्यय ₹ 0.84⁴⁸ करोड़ था। ₹ 4.98 करोड़ की शेष राशि सरकारी लेखे में रिफ़ंड की जानी अपेक्षित थी परंतु हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड ने ये निधियां, अपने द्वारा चलाई जा रही प्रेस के सदस्यों के वेतन का भुगतान करने के लिए तथा आकस्मिकता, डाक व्यय, किराया, कार्यालय खर्च इत्यादि पर उपयोग कर ली जो स्कीमों के अंतर्गत आवृत नहीं था।

एग्जिट काफ़ेंस के दौरान रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया कि प्रिंटिंग प्रैस स्टाफ के वेतन का भुगतान करने के लिए व्यय किया गया था क्योंकि प्रैस हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड का महत्वपूर्ण अंग था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि स्कीम निधियों से प्रिंटिंग प्रैस स्टाफ के वेतन के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

⁴⁵ 2008 – 09: ₹ 1.80 करोड़, 2009 – 10: ₹ 2.50 करोड़, 2010 – 11: ₹ 3 करोड़, 2011 – 12: ₹ 3 करोड़ तथा 2012 – 13: ₹ 2.20 करोड़।

⁴⁶ 2008 – 09: ₹ 0.50 करोड़, 2009 – 10: ₹ 0.75 करोड़, 2010 – 11: ₹ 1 करोड़, 2011 – 12: ₹ 0.50 करोड़ तथा 2012 – 13: ₹ 0.80 करोड़।

⁴⁷ 2008 – 09: ₹ 1.97 करोड़, 2009 – 10: ₹ 2.18 करोड़, 2010 – 11: ₹ 2.27 करोड़, 2011 – 12: ₹ 1.73 करोड़ तथा 2012 – 13: ₹ 2.08 करोड़।

⁴⁸ 2008 – 09: ₹ 0.18 करोड़, 2009 – 10: ₹ 0.16 करोड़, 2010 – 11: ₹ 0.17 करोड़, 2011 – 12: ₹ 0.19 करोड़ तथा 2012 – 13: ₹ 0.14 करोड़।

2.5.7.4 लेखापरीक्षा फीस की अवसूली

समिति नियमों, 1989 के नियम 80 (1) प्रावधान करता है कि प्रत्येक सहकारी समिति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा नियत किए गए स्केल के अनुसार प्रत्येक वर्ष के उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए फीस सरकार को भुगतान करेगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2013 को सहकारी समितियों के विरुद्ध ₹ 4.94 करोड़ की राशि की आडिट फीस बकाया थी तथा आडिट फीस स्केल 2001 से संशोधित नहीं किए गए थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, एग्जिट काफ्रेंस के दौरान रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया कि सहकारी समितियों से सहकारी बैंकों की मदद से आडिट फीस वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने यह भी बताया (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा फीस के संशोधन हेतु अधिनियम / नियमों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। आगे यह बताया गया कि आडिट फीस के संशोधन हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2.5.7.5 कोषालय द्वारा बिलों की अस्वीकृति

वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह में कोषालय में बिलों की भीड़ को दूर करने के विचार से, वित्त विभाग द्वारा फरवरी 2012 में यह कहते हुए निर्देश जारी किए गए कि कोई बिल वित्त वर्ष के अंतिम तीन कार्य दिवसों के दौरान कोषालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा कोषालय इन दिनों के दौरान केवल बकाया बिलों का निपटान करेंगे।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के कार्यालय ने 30 तथा 31 मार्च 2012 को कोषालय से निधियों के आहरण के लिए ₹ 2.62 करोड़ के 10 बिल शेयर कैपिटल के अंशदान, सहकारी समितियों को ऋण अग्रिम देने तथा सब्सिडी के भुगतान हेतु तैयार किए गए थे। परंतु बिलों के देशी से प्रस्तुत करने के कारण इन बिलों को कोषालय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। आगे, 10 बिलों में से ₹ 0.33 करोड़ के पांच बिलों के बारे में बिलों के प्रस्तुतिकरण में देशी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के कार्यालय की ओर से थी, क्योंकि स्वीकृतियां सरकार द्वारा 5 जनवरी तथा 13 मार्च 2012 के बीच प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय से अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने ₹ 2.29 करोड़ के पांच मामलों में स्वीकृति प्रदान करने में सरकार ने भी अधिक समय लिया था। इस प्रकार बिलों की अस्वीकृति से निधियां लेप्स हो गई।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने विभागीय अधिकारियों को भविष्य में निश्चित अवधि के अंदर कोषालय में बिलों को भेजने के निर्देश दिए।

2.5.7.6 सहकारी समितियों में शेयर कैपिटल से नगण्य वापसी तथा बकाया ऋण

2008 - 13 के दौरान विभाग द्वारा सहकारी समितियों को शेयर कैपिटल तथा ऋण अग्रिम के रूप में निवेश की गई राशि तालिका 2.5.2 तथा 2.5.3 में दर्शाई गई है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

तालिका 2.5.2: अंशदान की गई शेयर कैपिटल के विवरण दर्शाते हुए

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अंशदान की गई शेयर पूंजी	कुल शेयर पूंजी	वर्ष के दौरान रिटायर्ड शेयर पूंजी	अंतिम शेष
2008-09	492.30	34.35	526.65	7.62	519.03
2009-10	519.03	17.33	536.36	9.47	526.89
2010-11	526.89	11.36	538.25	8.31	529.94
2011-12	529.94	14.31	544.25	9.00	535.25
2012-13	535.25	69.45	604.70	10.63	594.07

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित डाटा।

सहकारी समितियों में शेयर कैपिटल का निवेश 2008 - 09 के प्रारंभ में ₹ 492.30 करोड़ से 2012 - 13 के अंत तक ₹ 594.07 करोड़ तक बढ़ गया था। तथापि, इन निवेशों से वापसी नगण्य (वर्ष 2011 - 13 के दौरान ₹ 1.36 करोड़) थी जबकि 2008 - 13 के दौरान इसके उधार पर सरकार ने 7.43 से 9.73 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया। आगे, विभाग ने रिडीमेबल शेयर कैपिटल की राशि का समेकित डाटा नहीं बनाया था। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2013) और बताया कि सहकारी समितियों से देय राशि की वसूली तथा लाभांश की प्राप्ति सुनिश्चित करने बारे प्रयास किए जा रहे हैं।

तालिका 2.5.3: अग्रिम दिए गए ऋण के विवरण दर्शाते हुए

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम दिए गए ऋण की राशि	वर्ष के अंत में अग्रिम दिए गए कुल ऋण	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के अंत में शेष
2008-09	503.41	148.02	651.43	27.29	624.14
2009-10	624.14	90.99	715.13	14.84	700.29
2010-11	700.29	65.51	765.8	12.62	753.18
2011-12	753.18	205.48	958.66	43.79	914.87
2012-13	914.87	204.37	1119.24	142.88	976.36

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित डाटा।

ऋण का शेष 2008 - 09 के प्रारंभ से ₹ 503.41 करोड़ से 2012 - 13 के अंत तक ₹ 976.36 करोड़ तक बढ़ गया। विभाग ने रिकार्ड नहीं रखे जो ऋणी समितियों से वसूल की जाने वाली अर्जित राशि को दर्शाते। परिणामस्वरूप, विस्तृत स्तर पर देय राशि की वसूली की स्थिति लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया कि सहकारी समितियां उनके द्वारा की गई हानियों के कारण लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ थी जबकि अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सहकारी गतिविधि का उद्देश्य सहकारी समितियों को सेल्फ स्टेनेबल तथा रोजगार पैदा करना था ताकि वे लाभ कमा सकें। अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि भविष्य में सहकारी समितियों को उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

2.5.7.7 सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को दिए गए ऋणों पर 31 मार्च 2007 को बकाया ब्याज इस शर्त पर माफ कर दिया कि ऋण की मूलधन राशि 1 अप्रैल 2007 को इक्विटी शेयर कैपिटल में बदल दी जाएगी। शेयर कैपिटल यदि वापस की जाती है तो, शेयर कैपिटल के अशंदान की वास्तविक तिथि से इसकी वापसी तक की अवधि के लिए, इस प्रकार वापस की गई शेयर

कैपिटल के प्रदत्त मूल्य पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर विशेष लाभांश, भुगतान किया जाना चाहिए। आगे, चीनी मिलों द्वारा परिचालनात्मक दक्षताएं बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करके तीन वर्षों की अवधि के अंदर अर्थात् 2009 - 10 के अंत तक हानियों से लाभ में परिवर्तित होना अपेक्षित था। यदि मिलें वित्तीय वर्ष 2009 - 10 के अंत तक लाभ में बदलने हेतु समर्थ नहीं होती, तो ब्याज को छोड़ देने की छूट तथा ऋण का शेयर कैपिटल में बदलाव प्रारंभ से रद्द माना जाएगा। नौ सहकारी चीनी मिलों से संबंधित ₹ 284.63 करोड़ की राशि के ऋण शेयर कैपिटल में बदल दिए गए (मार्च 2007) तथा ₹ 181.87 करोड़ के ब्याज छोड़ दिए गए परंतु मिलों ने लाभ में नहीं बदला। शेयर कैपिटल में परिवर्तित ऋण की राशि जुलाई 2013 तक वापस नहीं ली गई थी। विभाग ने पहले दी गई रियायत को रद्द करने की घोषणा करने बारे कोई कार्यवाही नहीं की थी।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2013) कि चीनी के बिक्री मूल्य की अपेक्षा उत्पादन लागत अधिक होने के कारण चीनी मिलें शेयर कैपिटल को चुकाने तथा लाभांश घोषित करने की स्थिति में नहीं थी। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान यह आश्वासन दिया गया कि इन मिलों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु पर्याप्त कदम उठाने बारे निर्देश दिए जाएंगे।

2.5.7.8 शेयर कैपिटल पर न्यूनतम रिटर्न की अवसूली

वित्त विभाग ने राज्य सरकार द्वारा सर्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा सहकारी समितियों में अंशदान किए गए शेयर कैपिटल पर चार प्रतिशत वार्षिक दर पर वापसी की न्यूनतम दर के लिए दिशा - निर्देश जारी किए थे (अक्तूबर 2003)। नमूना - जांच किए गए सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के अभिलखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 252.43 करोड़ और ₹ 292.64 करोड़ के बीच निधियां सहकारी समितियों में निवेश की गई थी तथा 2008 - 13 के दौरान ₹ 55.89 करोड़ की न्यूनतम वापसी की गणना की गई थी परंतु इन समितियों से कोई वापसी नहीं हुई थी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस अवधि के दौरान हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड में भी ₹ 13.07 करोड़ तथा ₹ 28.32 करोड़ के बीच शेयर कैपिटल अंशदान किए गए थे। संघ ने कोई लाभांश नहीं दिया था, न्यूनतम वापसी की गणना ₹ 5.04 करोड़ की गई। इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के पालन न करने के परिणामस्वरूप, ₹ 60.93⁴⁹ करोड़ की न्यूनतम वापसी की वसूली नहीं हुई। सात⁵⁰ अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने न्यूनतम वापसियों की अवसूली को स्वीकार किया तथा बताया कि वे वित्त विभाग के निर्देशों के बारे में अवगत नहीं थे।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2013) कि कमज़ोर वित्तीय स्थिति तथा संचित हानियों के कारण, सहकारी संस्थाएं शेयर कैपिटल पर न्यूनतम वापसी को सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं थी। यह भी बताया गया कि विभाग शेयर कैपिटल पर लाभांश/न्यूनतम वसूली प्राप्त करने के लिए सच्चे प्रयास कर रहे थे। वित्त विभाग के निर्देशों के बारे में अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की जागरूकता के संबंध में

⁴⁹

₹ 55.89 करोड़ + ₹ 5.04 करोड़।

⁵⁰

(i) बहादुरगढ़, (ii) जींद, (iii) झज्जर, (iv) नरवाना, (v) सफीदों, (vi) सोनीपत्त तथा (vii) यमुनानगर।

अपर मुख्य सचिव ने एगिजट काफ़ेंस के दौरान रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को ऐसी चूकों से बचने के लिए फील्ड स्टाफ को उचित ट्रेनिंग देने बारे निर्देश दिए।

2.5.7.9 सहकारी समितियां के शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन

सैक्षण - 46 प्रावधान करता है कि राज्य सरकार सहकारी समिति के शेयर कैपिटल में अंशदान करें। शेयर कैपिटल इस शर्त पर अंशदान किए जाते हैं कि शेयर कैपिटल एक निश्चित अवधि के भीतर पुनः प्राप्त होंगे। विभाग ने शेयर कैपिटल के रिडेम्पशन के कारण प्रत्येक समिति से वसूली की जाने वाले राशि की गणना करने हेतु कोई रिकार्ड अथवा रजिस्टर नहीं बनाए थे। परिणामस्वरूप, राज्य में शेयर कैपिटल के रिडेम्पशन के कारण देय राशि की स्थिति लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यह, तथापि अवलोकन किया गया कि सात⁵¹ सहकारी चीनी मिलों से 31 मार्च 2005 को ₹ 25.65 करोड़ के शेयर कैपिटल की राशि रिडेम्पशन हेतु देय थी। सहकारी चीनी मिलों ने सरकारी लेखे में शेयरों के रिडेम्पशन के कारण देय राशि जमा नहीं करवाई थी। राज्य सरकार द्वारा मई 2009 में वर्ष 2011-12 तक शेयरों की रिडेम्पशन के लिए आगे एक्सटेंसन प्रदान की गई। शेयर कैपिटल, तथापि, अब भी वसूली योग्य थे (जुलाई 2013)।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्टूबर 2013) कि चीनी मिलों उत्पादन की उच्चतर लागत तथा चीनी की निम्नतर बिक्री मूल्य के कारण शेयर कैपिटल रिडीम करने की स्थिति में नहीं थी। यह भी बताया गया कि चीनी मिलों में डिस्ट्रिब्युटर तथा को-जैनरेशन प्लांट्स स्थापित करके हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.5.7.10 सरकारी जमीन का हैफेड को हस्तांतरण

हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 तथा नियम 1989 के सैक्षण 46 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार सहकारी समितियों को शेयर कैपिटल अंशदान, ऋण अग्रिम तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। विभाग ने, विभाग द्वारा स्वामित्व प्राप्त पन्नीवाला मोटा स्थित भूमि पर चल और अचल परिसंपत्तियों सहित सारी जमीन को हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा मार्किटिंग संघ लिमिटेड (हैफेड) को ₹ एक के टोकन मूल्य पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया (जून 2008)। तदनुसार, राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2008 को अनुमोदन भी जारी किया।

यह अवलोकित किया गया कि हैफेड एक सहकारी समिति थी तथा बिना किसी प्रतिफल के जमीन का हस्तांतरण हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के प्रावधानों (सैक्षण - 46) के विरुद्ध था। राज्य सरकार को जमीन की कीमत निर्धारित करवानी चाहिए थी तथा इसे हैफेड के लेखाओं में शेयर कैपिटल / ऋण के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए था ताकि लाभांश या ब्याज के रूप में इस जमीन से रिटर्न प्राप्त हो सके।

अपर मुख्य सचिव ने एगिजट काफ़ेंस के दौरान स्वीकार किया कि जमीन का हस्तांतरण हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के सैक्षण - 46 के प्रावधानों के विरुद्ध था तथा

⁵¹

(i) गोहाना: ₹ 0.03 करोड़, (ii) जींद: ₹ 3 करोड़, (iii) कैथल: ₹ 5.63 करोड़, (iv) महम: ₹ 9.09 करोड़, (v) पलवल: ₹ 2.78 करोड़, (vi) पानीपत: ₹ 3.06 करोड़ तथा (vii) सोनीपत: ₹ 2.06 करोड़।

इस मामले में तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही करने वारे रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को निदेश दिए।

2.5.7.11 खरीद प्रक्रिया का पालन न करना

सरकार ने आदेश दिया (मई 2005) कि ₹ 30 लाख से अधिक कीमत की खरीद उच्च अधिकार प्राप्त क्रय कमेटी द्वारा की जानी चाहिए। इन मदों की ठेका दर भी इस कमेटी द्वारा निर्धारित की जानी थी।

स्कीम ‘महिला डेयरी सहकारिताओं को सहायता’ के अंतर्गत एक दूध जांच मशीन (प्रत्येक की लागत ₹ 0.30 लाख) महिला सहकारी समितियों को दी जानी थी। 45 सदस्यों से अधिक वाली समितियों को भी आटोमैटिक दूध संग्रहण यूनिट (प्रत्येक की कीमत ₹ 1.25 लाख) दी जानी थी। विभाग द्वारा 2008 – 13 के दौरान बजटरी आबंटन के आधार पर कोषालय से ₹ 5.68 करोड़ की राशि आहरित की गई तथा उसे हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड को भुगतान किया गया जिसने आगे निधियों को दूध यूनियन को हस्तांतरित कर दिया जिन्होंने अपने स्तर पर उपकरण प्राप्त किए। संघ द्वारा ₹ 5.42⁵² करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹ 0.26 करोड़ का शेष सरकारी लेवे में जमा करवा दिया गया (अगस्त 2013)।

चूंकि उपकरण की पूरी लागत सरकार द्वारा वहन की जानी थी, इन उपकरणों की खरीद उच्च अधिकार प्राप्त क्रय कमेटी द्वारा की जानी चाहिए थी क्योंकि प्रत्येक वर्ष खरीदे गए उपकरणों की कुल कीमत ₹ 30 लाख से अधिक थी। इस प्रकार, विभाग ने मशीनों की खरीद निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना की थी।

अपर मुख्य सचिव ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि खरीद सरकार के निर्देशानुसार उच्च अधिकार प्राप्त क्रय कमेटी द्वारा की जानी चाहिए थी।

2.5.8 सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा एंव निरीक्षण

2.5.8.1 सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा

हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 का सैक्षण - 95 प्रावधान करता है कि प्रत्येक समिति अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से कम से कम वर्ष में एक बार करवाएगी। सहकारी समितियों द्वारा विभाग को फाइनल लेखाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए विभाग ने कोई सिस्टम विकसित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कितनी समितियों ने अपने फाइनल लेखाओं को तैयार किया था।

2008 – 09 तक 33,766 पंजीकृत समितियां थीं जो मार्च 2012 के अंत तक 35,622 समितियों तक बढ़ गई थीं। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि लेखापरीक्षित समितियों की संख्या 2008 – 09 से 2011 – 12 के दौरान 13,810 (41 प्रतिशत) तथा 16,852 (47 प्रतिशत) के बीच में थी। विभाग के पास समितियों की लेखापरीक्षा के लिए विभाग की कार्य योजनाओं की तैयारी को सुगम बनाने के लिए लेखापरीक्षा का कोई मैनुअल नहीं था। विशिष्ट टार्डम फ्रेम के अंदर सभी लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों को कवर करने के लिए कोई आडिट प्लानिंग नहीं की गई थी। आगे, लेखापरीक्षा के लिए सभी समितियों की कवरेज

⁵²

2008 – 09: ₹ 1 करोड़, 2009 – 10: ₹ 1 करोड़, 2010 – 11: ₹ 1.50 करोड़, 2011 – 12: ₹ 1.24 करोड़ तथा 2012 – 13: ₹ 0.68 करोड़।

को मानीटर करने के लिए कोई रोस्टर/कार्यक्रम रजिस्टर नहीं बनाए गए थे। विभाग ने प्रत्येक समिति की लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित मानव दिवसों की संख्या की गणना हेतु कोई मानक नियत नहीं किए थे।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2013) कि लेखापरीक्षा बकाया का मुख्य कारण रिकार्ड की प्राप्ति न होना था क्योंकि समितियों की बृहद संख्या बहुत देर से समापन प्रक्रिया अधीन थी। तथापि, इन समितियों की समाप्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए सभी उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

2.5.8.2 लेखापरीक्षा रिपोर्टों का पालन न करना

अधिनियम का सैक्षण 96 प्रावधान करता है कि लेखाओं के बाहर रखी कोई राशि कानून अथवा नियमों अथवा उपनियमों के उल्लंघन की स्टेटमैंट, कोई कमी अथवा हानि जिसकी आगे जांच की जानी आवश्यक हो, इत्यादि सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहकारी समिति तथा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी। रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी समिति को लेखापरीक्षक द्वारा इंगित की गई कोई कमियां अथवा अनियमितताएं स्पष्ट करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा तथा इसके बाद समिति 90 दिन के भीतर ऐसी कमियों तथा अनियमितताओं का उपाय करेगी तथा इसके द्वारा की गई कार्यवाही के बारे रजिस्ट्रार को सूचित करेगी। अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के कार्यालयों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि 2008 – 13 के दौरान अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने लेखापरीक्षकों से 12,981 लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की तथा समितियों के प्रबंधन को जारी की। 1,518 रिपोर्टों की अनुपालना की गई तथा 11,463 रिपोर्ट मार्च 2013 के अंत तक अनुपालना हेतु लंबित थी। परिशिष्ट के डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि 2008 – 13 के दौरान 2,322 जारी रिपोर्टों के विरुद्ध चार⁵³ अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के अंतर्गत समितियों द्वारा की गई अनुपालना नगण्य थी, यद्यपि लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने महत्वपूर्ण अनियमितताएं, जैसे कि अभिलेखों का न रखना, सदस्यों का रजिस्टर न बनाना, प्रबंधन कमेटियों की वार्षिक बैठकों का आयोजन न करना, वाउचरों का प्रस्तुत न करना इत्यादि इंगित की थी, केवल एक रिपोर्ट के संबंध में अनुपालना की गई। आगे, 2008 – 09 से पहले अनुपालना हेतु बकाया लेखापरीक्षा रिपोर्टों के विवरण अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पास उपलब्ध नहीं थे। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों से रिटर्न के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्टों की अनुपालना मानीटर करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी, परिणामस्वरूप, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय लेखापरीक्षा रिपोर्टों की अनुपालना से अवगत नहीं था।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2013) कि राज्य में सभी लेखापरीक्षा अधिकारियों को संबंधित समितियों द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना मॉनीटर करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

2.5.8.3 सहकारी समितियों की जांच

हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 का सैक्षण 97 प्रावधान करता है कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सहकारी समितियों का निरीक्षण कर सकता है। सहकारी समितियों के निरीक्षण के लक्ष्य नमूना-जांच किए गए अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों तथा

⁵³

(i) बहादुरगढ़, (ii) जींद, (iii) झज्जर तथा (iv) नरवाना।

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों कार्यालयों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे (परिशिष्ट 2.21)। 2008 - 13 के दौरान सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा 771 समितियों की निरीक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल 400 समितियां 48 प्रतिशत की कमी दर्शाते हुए निरीक्षित की गई। इसी प्रकार, 2008 - 13 के दौरान सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा 43,834 समितियों के निरीक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल 31,458 समितियां 28 प्रतिशत की कमी छोड़कर निरीक्षित की गई। यह आगे देखा गया कि उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करनाल ने 2011 - 13 के दौरान एक भी सहकारी समिति निरीक्षित नहीं की। इस प्रकार, विभाग ने समितियों का सही कार्यचालन सुनिश्चित नहीं किया।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया (अक्तूबर 2013) कि सहकारी समितियों के निरीक्षण के लक्ष्य स्टाफ की कमी के कारण प्राप्त नहीं किए जा सके। अपर मुख्य सचिव ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि यह साविधिक ड्यूटी की जानी चाहिए थी तथा सहकारी समितियों का निरीक्षण करने के लिए आगे निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.5.8.4 समापन प्रक्रिया अधीन समितियां

अधिनियम का सैक्षण 105 प्रावधान करता है कि यदि सैक्षण 95 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने के बाद, सैक्षण 98 के अंतर्गत जांच पड़ताल करनी है, सैक्षण 97 या 99 के अंतर्गत निरीक्षण करने या समिति के सदस्यों से समाप्त करने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, रजिस्ट्रार का विचार है कि समिति समाप्त की जानी चाहिए, इसे समाप्त करने हेतु निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकता है। एक समिति को समाप्त करने की प्रक्रियाएं तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। समापन के आदेशों के पश्चात, एक परिसमापक नियुक्त किया जाता है जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को रिपोर्ट करता है। रजिस्ट्रार, रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, समिति के पंजीकरण को रद्द करने बारे आदेश कर सकता है। यह, फिर भी, देखा गया कि राज्य में 31 मार्च 2012 को 17,985 समितियां समापन प्रक्रिया के अधीन थी। नमूना - जांच की गई सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों में यह देखा गया कि 2008 - 13 के दौरान 1,589 सहकारी समितियां समापन अधीन लाई गई थीं। इन समितियों के संबंध में परिसमापक भी नियुक्त किए गए थे। परिसमापक की नियुक्ति के वर्ष के तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद, 1,712 सहकारी समितियों के बारे में अन्तिम रिपोर्ट जून 2013 तक प्राप्त नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, समितियों की संख्या बढ़ गई थी तथा विभाग को अपनी जन शक्ति को समाप्त समितियों पर लगानी पड़ी थी।

छ:⁵⁴ सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (मई - जून 2013) कि परिसमापकों द्वारा फाइनल रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण में विलंब परिसमापकों के स्थानान्तरण, प्रबंधक कमेटियों के पता ठिकाने उपलब्ध न होने, परिसंपत्तियों तथा देयता के डिस्चार्ज में समितियों द्वारा देरी इत्यादि के कारण था। सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने आश्वासन भी दिया कि परिसमापक को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने बारे अनुसरण किया जाएगा ताकि समिति का समापन किया जा सके। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बताया कि बड़ा बैकलोग मार्च 2014 तक दूर किए जाने की संभावना थी।

⁵⁴

(i) बहादुरगढ़, (ii) जींद, (iii) नरवाना, (iv) रोहतक, (v) सफीदों तथा (vi) सोनीपत।

2.5.9 स्कीमों का लागू करना

विभाग ने 2008 - 13 के दौरान 21 मेजर स्कीमों को लागू किया जैसा कि परिशिष्ट 2.22 में दिखाया गया है। स्कीमें मुख्यतः शेयर कैपिटल में अंशदान, सहकारी समितियों को ऋण तथा वित्तीय सहायता, किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करना इत्यादि से संबंधित हैं। गन्ने की कीमत के भुगतान हेतु सहकारी मिलों को ऋण, ब्याज सहायता स्कीम, क्रेडिट सहकारी समितियों को शेयर कैपिटल (दीर्घ अवधि परिचालन) के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं।

2.5.9.1 सहकारी चीनी मिलों को ऋण

(i) सहकारी चीनी मिलों गन्ने की फसल की पिराई करते हैं तथा किसानों को भुगतान करते हैं। चूंकि सहकारी चीनी मिलें वित्तीय रूप से सुदृढ़ नहीं थी, सरकार ने 'गन्ना कीमत के भुगतान हेतु सहकारी चीनी मिलों को ऋण' स्कीम के अंतर्गत इन चीनी मिलों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की। राज्य सरकार ने 2009 - 10 के दौरान नौ सहकारी चीनी मिलों को ₹ 42.50 करोड़ का ऋण इस शर्त पर दिया कि ऋण नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पांच समान वार्षिक किश्तों में 12 मास के पश्चात् वापस किया जाएगा। यह भी अनुबंध किया गया कि यदि पुराना ऋण वापस नहीं किया गया तो आगे ऋण स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

इन सहकारी चीनी मिलों ने ऋण की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वितरण के 12 मास के बाद ऋण का भुगतान आरंभ नहीं किया था फिर भी विभाग ने निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन में 2010 - 13 के दौरान समितियों को ₹ 225.90 करोड़ के ऋण देने जारी रखे। सहकारी चीनी मिलों ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को सूचित किया था कि उनकी तंग वित्तीय स्थिति के कारण ऋण का भुगतान नहीं किया जा सका। विभाग को ऋण संस्वीकृत करने से पहले मिलों की पुनर्भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए विशेषतया जब वे पहले के ऋणों का भुगतान नहीं कर रही थी।

(ii) एक आर्बिट्रेशन मामले में ठेकेदार को भुगतान करने के लिए जींद सहकारी चीनी मिल, जींद को ऋण के रूप में स्कीम के अंतर्गत ₹ 2.10 करोड़ (सितंबर 2010) तथा भू - मालिकों को बढ़े हुए मुआवजे के कारण लिक्वीडेटर को भुगतान करने के लिए सहकारी चीनी मिल, भूना को ऋण के रूप में ₹ 2.88 करोड़ (सितंबर 2011) की राशि का भुगतान किया गया। इन सहकारी चीनी मिलों द्वारा ऋण तथा ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं किया गया था। चूंकि यह स्कीम केवल गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए आरंभ की गई थी, स्कीम निधियों में से व्यय स्कीम पर न्यायसंगत प्रभार नहीं था।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया (अक्टूबर 2013) कि विभाग ने ऋण की स्वीकृति से पहले चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति आंकलित की थी परंतु विभाग को गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को ऋण देना पड़ा क्योंकि चीनी मिलों के पास पर्याप्त निधियां नहीं थी। आगे, यह बताया गया कि चीनी मिलों में डिस्टलरी तथा प्लांटस के सह - उत्पादन स्थापित करके चीनी मिलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि इन मिलों को लाभ में लाने अथवा इन मिलों को बंद करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये राज्य राजकोष पर भारी बोझ हैं।

2.5.9.2 राज्य ब्याज सबवैन्शन स्कीम के अंतर्गत हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक लिमिटेड को अस्वीकार्य भुगतान

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों के ब्याज देयता में राहत प्रदान करने तथा ऋणी सदस्यों में ऋण के समय पर भुगतान करने की आदत को मन में बिठाने के विचार से “राज्य ब्याज सबवैशन स्कीम, 2009” नामक एक स्कीम अगस्त 2009 में आरंभ की गई। स्कीम के अंतर्गत, दो प्रतिशत की दर पर ब्याज में छूट (2010 – 11 में एक प्रतिशत कम की गई) उन ऋणी सदस्यों को, जो ऋण का भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले करते हैं, को दी जानी थी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के प्रबंधक स्कीम के अंतर्गत योग्य कर्जदारों की सूची तैयार करेंगे, इसे संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधन, निदेशक को प्रस्तुत करेंगे, जो उसे आगे प्रबंधन निदेशक, हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक लिमिटेड तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के द्वारा सरकार को ब्याज सबवैन्शन जारी करने हेतु भेजेंगे। छूट की राशि योग्य लाभार्थियों के ऋण खाते में डाली जानी थी। इस स्कीम के अंतर्गत 2009 – 12 के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक लिमिटेड के द्वारा ₹ 34.61 करोड़ की राशि लाभार्थियों को दी गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा खजाने से ₹ 7.55 करोड़ की राशि निकाली गई (मार्च 2011: ₹ 4.39 करोड़ तथा अगस्त 2011: ₹ 3.16 करोड़) तथा ब्याज की रियायती दर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को उनके द्वारा वित्तपोषित किए गए फसल ऋण अग्रिम पर बैंक द्वारा की गई हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक लिमिटेड को दिए गए।

स्कीम ऋणी सदस्यों को लाभ देने के लिए थी और बैंकों के लिए नहीं। हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक लिमिटेड, तथ्य के बावजूद कि क्या यह विशेष स्कीम जारी थी या नहीं, वित्तीय संस्थानों को रियायती दर पर पुनः वित्तपोषण कर रही थी। स्कीम निधियों से हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक लिमिटेड को मुआवजे का भुगतान करना अनियमित था क्योंकि बैंकों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए स्कीम में कार्ड प्रावधान नहीं था।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया (अक्तूबर 2013) कि बैंक को हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री के अनुमोदन के साथ हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक लिमिटेड को राशि का भुगतान किया गया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कि इस बारे में बैंक द्वारा उठाई गई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु स्कीम दिशा – निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं था।

2.5.9.3 दीर्घ अवधि परिचालन स्कीम के अंतर्गत शेयर कैपिटल तथा लाभांश की वसूली न होना

हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में शेयर कैपिटल को निवेश करने के लिए, ‘दीर्घ अवधि परिचालन निधि स्कीम’ प्रावधान करती है। स्कीम के अंतर्गत 9 / 10 समान वार्षिक किश्तों में तीन / दो वर्षों के विलंबन अवधि के बाद 12 वर्षों में शेयर कैपिटल रिटायर किए जाने अपेक्षित थे तथा समिति के उप विधि के अनुसार लाभांश भी भुगतान योग्य था। 2007 – 11 के दौरान इन बैंकों को शेयर कैपिटल के रूप में ₹ 32.52 करोड़ की राशि दी गई, जिसमें से ₹ 7.67 करोड़ की राशि वसूली हेतु देय थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने अब तक (जुलाई 2013) बैंकों से देय राशि प्राप्त नहीं की थी। विभाग ने शेयरों की रिडैम्पशन राशि प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए थे।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2013) कि कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण, बैंक देय राशि को रिडीम करने की स्थिति में नहीं थे। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने एगिजट काफ़ेंस के दौरान आगे बताया कि देय राशि की रिडैम्पशन के लिए संबंधित बैंकों के साथ मामला बहुत पहले उठाया गया था।

2.5.10 मानव शक्ति प्रबंधन

2.5.10.1 स्टाफ की कमी

विभाग का, सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा, निरीक्षण तथा इक्वायरी, सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों तथा अंशदान किए गए रिटायर्ड शेयर कैपिटल की वसूली तथा सहकारी गतिविधि को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों को लागू करने का एक महत्वपूर्ण रोल है। स्टाफ की कोई कमी विभाग की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। विभाग के पास 2,387 स्वीकृत पदों की संख्या थी, जिसमें से 1,425 भरे गए तथा 962 पद 31 मार्च 2013 को रिक्त पड़े रहे। 31 मार्च 2013 के अंत तक 40 प्रतिशत की सीमा तक की स्टाफ की कमी थी। लेखापरीक्षा स्टाफ के संबंध में 183 पदों की कमी थी। इसी प्रकार, निरीक्षण स्टाफ के कैडर में काफी रिक्तियां थी अर्थात् 42 प्रतिशत जिसने निरीक्षण कार्य तथा ऋण और ऋणों पर ब्याज की वसूली, रिटायर्ड शेयर कैपिटल की वसूली, लेखापरीक्षा फीस तथा सहकारी समितियों की ओवरआल वर्किंग को प्रभावित किया।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया (अक्तूबर 2013) कि विभाग ने रिक्त पद भरने के लिए समय - समय पर स्टाफ की मांग सरकार को भेजी थी।

2.5.10.2 ट्रेनिंग

सहकारी प्रबंधन केंद्र, रोहतक 1960 में स्थापित किया गया। यह केंद्र, सहकारी संस्थानों, प्राथमिक सहकारी समितियों के कर्मचारियों तथा विभाग के सब - इंसपेक्टरों को ट्रेनिंग देता है। ₹ 2.14 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध, 2008 - 13 के दौरान सहकारी प्रबंधन केंद्र द्वारा ₹ 1.59 करोड़ का व्यय किया गया।

सहकारी प्रबंधन केंद्र, विभाग तथा सहकारी समितियों के विभिन्न कर्मचारियों को एक वर्ष में दो बैचों में (24 सप्ताह) छः मास के लिए सहकारी प्रबंधन में डिप्लोमा दे रहा था। कोर्स के पूरा होने के बाद, सफल ट्रेनीज को एक डिप्लोमा प्रमाणपत्र दिया जाता है। केंद्र में एक वर्ष में 240 ट्रेनीज को ट्रेनिंग देने की क्षमता थी जो मई 2009 में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को एक एग्रो माल स्थापित करने हेतु केंद्र के भवन हस्तांतरण के कारण कम कर दी गई। 2008 - 13 के दौरान ट्रेनिंग देने के लिए प्लान किए गए तथा वास्तव में प्रशिक्षित किए गए ट्रेनीज के विवरण तालिका 2.5.4 में दिए गए हैं।

तालिका 2.5.4: सहकारी प्रबंधन केंद्र की उपयोग क्षमता के विवरण को दर्शाते हुए

वर्ष	ट्रेनिंग के लिए आयोजित प्रशिक्षार्थी	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा नामांकित प्रशिक्षार्थीयों की संख्या तथा दी गई ट्रेनीज	ट्रेनीज की आयोजित संख्या के संबंध में कमी	प्रतिशतता में कमी
2008-09	240	117	123	51
2009-10	130	115	15	12
2010-11	140	84	56	40
2011-12	140	70	70	50
2012-13	120	108	12	10
कुल	770	494	276	36

स्रोत: विभाग द्वारा दिया गया डाटा।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा विद्यार्थियों की कम संख्या के नामांकन के कारण ट्रेनिंग देने में योजना के संदर्भ में 36 प्रतिशत की कमी थी जिसने विभाग की भवन क्षमता को प्रभावित किया था।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया (अक्तूबर 2013) कि सहकारी प्रबंधन केंद्र के भवन के हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में हस्तांतरण के कारण ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रभावित हुए।

2.5.10.3 सहकारी प्रबंधन केंद्र के भवन का हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरण

सहकारी प्रबंधन केंद्र, सैक्टर - 14, रोहतक के नजदीक चार एकड़ भूमि में सुसज्जित कक्षा कमरे, छात्रावास, प्रशासनिक ब्लॉक, इत्यादि सहित चल रहा था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवंबर 2008 को हुई मीटिंग में, यह निर्णय लिया गया था कि विभाग सी.एस.एम. की सारी जमीन को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरण कर देगा। इसके एवज में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सहकारी प्रबंधन केंद्र के लिए पुराने बस स्टैंड के पास लगभग 5,000 वर्गफीट के कारपेट क्षेत्र वाले 22 कमरों वाली तीन मंजिला भवन उपलब्ध करवाएगा। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड रोहतक के सैक्टर 4 - 5 के सांस्थानिक क्षेत्र में दो एकड़ भूमि की खरीद के लिए प्रबंध करेगा तथा हस्तांतरित किए जाने वाले बने हुए क्षेत्र के समान सहकारी प्रबंधन केंद्र के लिए भवन का भी निर्माण करेगा। सरकार ने इस शर्त के साथ अपना अनुमोदन (दिसंबर 2008) प्रदान किया कि उपरोक्त जमीन के हस्तांतरण का मुद्दा वित्त विभाग की सहमति तथा मंत्री परिषद के एक्स - पोस्ट फैक्टो अनुमोदन के अध्यधीन होगा। तथापि, सहकारी प्रबंधन केंद्र का भवन वित्त विभाग की सहमति तथा मंत्री परिषद की एक्स - पोस्ट फैक्टो स्वीकृति के बिना खाली किया गया। सहकारी प्रबंधन केंद्र, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के भवन में शिफ्ट कर दिया गया, जहां ट्रेनिंग देने की क्षमता बहुत कम थी और स्थान भी अपर्याप्त था, परिणामतः आने वाले वर्षों में कम संख्या में ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी गई। पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सहकारी प्रबंधन केंद्र के लिए भवन निर्माण के अपने वादे को पूरा नहीं किया। यहां तक कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हुआ से जमीन आवंटित नहीं करवाई गई थी।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2013) कि हुड़ा द्वारा भूमि के हस्तांतरण संबंधित मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन था।

2.5.10.4 ट्रेनीज से प्राप्त राशि को सरकारी लेखे से बाहर रखना

कोषालय नियम प्रावधान करते हैं कि सरकार द्वारा प्राप्त अथवा को निविदित निविदा सभी धन या राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया गया या प्राप्त किया गया सार्वजनिक धन बिना किसी अनुचित देरी से पूरी तरह से कोषालय में या बैंक में जमा करवाया जाएगा तथा राज्य की समेकित निधि में शामिल किया जाएगा। राज्य के राजस्वों के संबंध में विभागों द्वारा प्राप्त कोई धन राज्य की समेकित निधि से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

बेसिक ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए अपने कर्मचारियों को स्पेन्सर करते हुए संस्थानों से ₹ 1,000 प्रति ट्रेनी एकत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी की अनुशंसा के आधार पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने निर्देश जारी किए थे (अगस्त 1997)। सहकारी प्रबंधन केंद्र के प्रधानाचार्य को सेंटर के दिन - प्रतिदिन के खर्चों पर इसे उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया था जो अनियमित था। सहकारी प्रबंधन केंद्र द्वारा अगस्त 1997 तथा मार्च 2013 के बीच स्पेन्सरिंग संस्थानों से ₹ 35.09 लाख (ब्याज मिलाकर: ₹ 8.07 लाख) की राशि एकत्र की गई। इसमें से, ₹ 20.64 लाख की राशि उपयोग की

गई तथा शेष ₹ 14.45 लाख की राशि सहकारी प्रबंधन केंद्र के पास बचत बैंक खाते में नकद तथा फिक्सड डिपोजिट के रूप में रखी हुई थी। स्पोन्सरिंग संस्थानों से एकत्र किए गए धन को राज्य के समेकित निधि के बाहर बैंक में रखना कोषालय नियमों के उल्लंघन में था।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया (अक्टूबर 2013) कि चूंकि सरकार, सहकारी प्रबंधन केंद्र के ट्रेनीज को मूलभूत सुख-सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं कर रही थी, संस्थानों द्वारा ₹ 1,000 प्रति ट्रेनी सब्सक्रिप्शन/अंशदान करने के लिए अगस्त 1997 में निर्देश जारी किए गए। आगे यह बताया गया कि राशि एक सहकारी समिति बनाकर खर्च की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि सहकारी प्रबंधन केंद्र, एक सरकारी संस्था थी तथा एक सहकारी समिति नहीं थी। इसके अतिरिक्त, बैंक खाता भी प्रिंसीपल, सहकारी प्रबंधन केंद्र, रोहतक के नाम पर खोला गया था।

2.5.11 मानीटरिंग तथा आंतरिक नियंत्रण

2.5.11.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण विभाग को उचित आश्वासन तथा लागू नियमों तथा विनियमों के अनुपालन प्रदान करते हैं। यह देखा गया कि विभिन्न पहलुओं जैसे कि रिटायर शेयर कैपिटल की वसूली, ऋण की वसूली, शेयर कैपिटल पर न्यूनतम लाभांश, सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा करवाना तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के पालन करने के संबंध में एक उचित आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की विभाग में कमी थी जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है।

2.5.11.2 आंतरिक लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा के प्रति गंभीर न होना

कार्य की ओवरआल क्वालिटी को सुधारने के लिए, त्रुटियों/चूकों तथा अनियमितताओं को कम करने के लिए, सभी सरकारी विभागों में एक आंतरिक लेखापरीक्षा सिस्टम होना चाहिए। यह, तथापि, देखा गया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा सिस्टम नहीं था। आगे, विभाग कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति गंभीर नहीं था जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है।

आवधिक निरीक्षणों के पश्चात्, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निरीक्षण रिपोर्टों को लेखापरीक्षा किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को अगले उच्च प्राधिकारियों को प्रतियां सहित जारी करते हैं। कार्यकारी से इंगित तथा चूकों को शीघ्रता से सुधारने की तथा चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालन की सूचना देने की आशा की जाती है। छ: महीनों से अधिक बकाया पड़ी निरीक्षण रिपोर्टों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट, बकाया निरीक्षण रिपोर्टों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटारे तथा मानीटरिंग को सुगम बनाने के लिए विभाग के संबंधित प्रशासकीय सचिव को भेजी जाती है। विभाग में, मार्च 2013 के अंत तक 75 निरीक्षण रिपोर्टों के 187 पैराग्राफ बकाया पड़े रहे। इनमें से, 47 निरीक्षण रिपोर्टों के 115 पैराग्राफ छ: वर्षों से अधिक पुराने थे। इस प्रकार, विभाग लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर शीघ्र तथा समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने में असफल रहा।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2013) कि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु कोई यंत्रावली नहीं थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन के संबंध में, यह बताया गया कि लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर तैयार किए जा रहे थे तथा जल्दी ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाएंगे।

2.5.11.3 विभाग का कम्प्यूटरीकरण

स्कीमों की बेहतर मानीटरिंग, प्लानिंग तथा लागू करने, सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता तथा दक्षता लाने तथा पब्लिक को सूचित करने तथा विभिन्न स्कीमों के एकीकृत डाटाबेस विकसित करने के लिए एक सशक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने के विचार से जून 2006 में एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लान तैयार किया गया तथा अनुमोदन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत किया गया। प्लान के अंतर्गत, विभाग को प्रौद्योगिकी सोल्यूशन तथा टाईम ट्रैस्टेड सॉफ्टवेयर पैकेज में लगी हुई उत्तम योजनाबद्ध पद्धतियां अपनाई जानी थी। सभी स्टेक होल्डरस को पारदर्शी तरीके से विभिन्न डाटा तथा बाधा रहित सेवाएं प्राप्त करने के लिए सुगम करना था। सूचना प्रौद्योगिकी प्लान, तथापि 2012 - 13 में अनुमोदित की गई। इस प्रकार, विभाग का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया था तथा कम्प्यूटरीकरण के लाभों से वर्चित रहे।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया (अक्टूबर 2013) कि ई - गर्वनेंस को लागू करने के लिए निविदा दस्तावेज तैयार किए गए थे तथा इसी के लिए निविदाएं शीघ्र ही मांगी जाएंगी।

2.5.11.4 प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार न करना

विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभाग की गतिविधियों को दर्शाते हुए प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार की जानी तथा उसे सरकार को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। विभाग ने केवल 2007 - 08 तक की प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार की थी। प्रशासनिक रिपोर्टों की अनुपस्थिति में 2007 - 08 के बाद विभाग की गतिविधियां / निष्पादन सार्वजनिक नहीं की जा सकी। एगिट काफ्रेंस के दौरान रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया कि वर्ष 2010 - 11 तक की रिपोर्ट प्रिंटिंग में थी। तथ्य, तथापि, रहता है कि प्रशासनिक रिपोर्टों को तैयार करने में पर्याप्त देरी थी।

2.5.11.5 मानीटरिंग

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, विभागाध्यक्ष होने के नाते कार्यक्रमों, स्कीमों तथा विभाग की अन्य गतिविधियों को लागू करने की मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी था। तथ्य, के बावजूद कि विभाग निधियों को शेयर कैपिटल के रूप में निवेश कर रहा था तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहकारी समितियों को ऋण अग्रिम दे रहा था, मानीटरिंग कक्ष स्थापित नहीं किया गया। आगे, शेयर कैपिटल, रिटायरमैंट हेतु देय तथा वास्तव में रिटायर्ड शेयर कैपिटल, घोषित तथा प्राप्त लाभांश, वसूली हेतु देय ऋण, इत्यादि से संबंधित अभिलेख रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय द्वारा मानीटरिंग हेतु नहीं रखे गए थे। इसके अलावा, सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा करवाने तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना की स्थिति मानीटर नहीं की जा रही थी जैसा कि लेखापरीक्षा करवाई गई यूनिटों की संख्या, बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां आदि का डाटा मुख्यालय स्तर पर पर नहीं रखा गया था।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने बताया (अक्टूबर 2013) कि मानीटर सैल स्टाफ की कमी के कारण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा था तथा उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (सामान्य) को विभाग की उचित गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए मानीटरिंग सैल का कार्य सौंपा गया था।

2.5.12 निष्कर्ष

विभाग में उपयुक्त प्लानिंग की कमी थी क्योंकि बजट अनुमान त्रुटिपूर्ण थे। सरकार ने सहकारी समितियों में शेयरपूँजी में ₹ 594.07 करोड़ निवेश किए थे परंतु 2011 - 13 के दौरान इन निवेशों से ₹ 1.36 करोड़ के रिटर्नज नगण्य थे। इसी प्रकार, विभाग, समिति से रिटायर्ड

शेयर कैपिटल, ऋण तथा आडिट फीस वसूल करने में विफल रहा। विभाग ने रिडीमेबल शेयर कैपिटल तथा ऋणी समितियों से वसूल किए जाने वाले ऋणों की अर्जित राशियों से संबंधित समेकित डाटा नहीं रखा था। सहकारी चीनी मिलों को बार - बार ऋण एवं शेयर कैपिटल प्रदान किए गए थे परंतु ये मिलें न तो ऋण का और न ही ब्याज अथवा डिवीडेंड का पुनर्भुगतान कर सकी। सहकारी समितियों के आडिट एवं निरीक्षण के लक्ष्य अधिक प्राप्त नहीं किए गए थे। विभाग में स्टाफ की कमी ने भी आडिट तथा निरीक्षण से संबंधित कार्य को बाधित किया। विभाग में आंतरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग यंत्रावली भी कमज़ोर थी।

2.5.13 अनुशंसाएं

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- सहकारी समितियों ने मितव्ययितापूर्वक व्यवहार्य निवेश करना तथा रिटायर्ड शेयर कैपिटल एवं ऋणों की वसूली सुनिश्चित करना;
- चीनी मिलों को आत्म निर्भर बनाना या उनको बंद करने वारे विचार करना यदि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना संभव नहीं;
- समितियों से ऋणों की वसूली तथा शेयर कैपिटल के रिडेम्पशन के कारण वसूली संबंधी अभिलेखों का रख - रखाव;
- वर्ष में एक बार सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा व निरीक्षण करवाने हेतु समय पर मानीटरिंग तथा प्लानिंग सुनिश्चित करना; तथा
- आंतरिक नियंत्रणों, मानीटरिंग यंत्रावली को मजबूत करना तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली को कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से सुदृढ़ बनाना।

मामला, अपर मुख्य सचिव, सहकारी विभाग को अगस्त 2013 में भेजा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, लेखापरीक्षा परिणामों पर अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग के साथ अक्तूबर 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान चर्चा की गई थी।

अध्याय ३

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 3

अनुपालन लेरवापरीक्षा

सिविल विमानन विभाग

3.1 सिविल विमानन विभाग के क्रियाकलापों में अनियमितताएं

हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के तीन विमानन क्लब 2008 – 13 के दौरान उड़ान के घंटों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही। ₹ 5.36 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए जाने के बावजूद रवर्च, आय से ₹ 1.05 करोड़ तक बढ़ गया था। 2007 – 08 के बाद हरियाणा सिविल विमानन संस्थान ने अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया था, विमान चालकों को अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान किया गया था और वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक के पद की स्वीकृति भर्ती के 10 महीनों बाद की गई थी।

सिविल विमानन विभाग 1966 में वी.आई.पी. एयरक्राफ्ट्स के रख – रखाव, उड़ान, ग्लाईडिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, और विमान चालकों, एयरक्राफ्ट रख – रखाव इंजीनियरों, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टॉफ इत्यादि को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया था। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान 1998 में सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक समिति के तौर पर स्थापित किया गया था। संस्थान की गतिविधियां करनाल, पिंजौर और हिसार में स्थित तीन विमानन क्लबों में माध्यम से चलाई जा रही थी। सलाहकार, सिविल विमानन, सचिव, हरियाणा सिविल विमानन संस्थान और इसके तीन विमानन क्लबों के कार्यालय में 2008 – 09 से 2012 – 13 तक की अवधि के रिकार्डों की अप्रैल 2013 के दौरान नमूना – जांच की गई। आडिट के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनियमितताएं देखी गईं।

(i) लक्ष्यों की अप्राप्ति

कार्यकारी समिति ने मई 2005 में प्रत्येक विमानन क्लब के लिए 1,500 घंटों के उड़ान लक्ष्य निश्चित किए थे जो मार्च 2011 में संशोधित कर 2,000 घंटे कर दिए गए थे। आडिट के दौरान यह देखा गया कि पिंजौर और हिसार के क्लबों ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जैसा कि तालिका 3.1.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1.1 लक्ष्यों और प्राप्तियों की वर्षवार विवरण

वर्ष	प्रत्येक विमानन क्लब के लिए लक्ष्य घंटे ¹	पिंजौर		हिसार		करनाल	
		उड़ान के घंटे	प्रतिशत प्राप्ति	उड़ान के घंटे	प्रतिशत प्राप्ति	उड़ान के घंटे	प्रतिशत प्राप्ति
2008-09	1,500	0	0	1,183	79	2,348	157
2009-10	1,500	158	11	893	60	2,245	150
2010-11	1,500	492	33	589	39	2,009	134
2011-12	2,000	0	0	83	4	1,801	90
2012-13	2,000	638	32	1,124	56	1,358	68
कुल	8,500	1,288	15	3,872	46	9,761	115

(स्रोत: हरियाणा सिविल विमानन संस्थान क्लबों द्वारा आपूरित सूचना)

- कार्यकारी समिति, हरियाणा सिविल विमानन संस्थान ने केवल वर्ष 2005 – 06 के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए। चूंकि उसके बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई, अतः विश्लेषण के लिए 2008 – 09 से 2010 – 11 के लिए 1,500 घंटों को लक्ष्य माना गया।

यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2008 - 13 की अवधि के दौरान पिंजौर और हिसार क्लबों में, क्रमशः 15 और 46 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए गए थे। विमानन क्लब, पिंजौर में चीफ फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर के जुलाई 2007 और अगस्त 2009 के बीच उपलब्ध न होने के कारण और चीफ फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर के जनवरी 2011 से सितंबर 2011 तक अस्थाई तौर पर मेडिकली अनफिट रहने के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। हिसार में चीफ फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर 2009 - 10 और 2010 - 11 के दौरान मेडिकली अनफिट था और 2011 - 12 में चीफ फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर उपलब्ध नहीं था। 79¹ में से केवल 73 उम्मीदवार कमर्शियल पायलट लाईसेंस प्राप्त करने में सफल हुए क्योंकि उम्मीदवारों को पर्याप्त फ्लाईंग घटे प्रदान नहीं किए गए और कमर्शियल पायलट लाईसेंस प्राप्त करने के लिए वे फ्लाईंग के अनिवार्य 200 घंटे प्राप्त करने में विफल रहे। इस प्रकार, लंबी अवधियों के लिए चीफ फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर की तैनाती न होने के कारण क्लबों ने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए।

एग्जिट काफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने विभाग को दी गई ट्रेनिंग का डाटा प्रस्तुत करने, कम निष्पादन के लिए कारणों की छानबीन करने की सलाह दी। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(ii) आय पर अधिक व्यय

2008 - 13 के दौरान हरियाणा सिविल विमानन संस्थान क्लबों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि ₹ 12.50 करोड़ की कुल प्राप्ति के विरुद्ध व्यय ₹ 18.91 करोड़ था परिणामस्वरूप जैसा तालिका 3.1.2 में दिए अनुसार ₹ 6.41 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

तालिका 3.1.2: 2008 - 13 के दौरान हरियाणा सिविल विमानन संस्थान की प्राप्ति और व्यय की स्थिति

विमानन क्लब	क्लब की गतिविधियों से आय	सहायता अनुदान	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	सहायतानुदान के बाद अतिरिक्त व्यय
(₹ लाख में)					
पिंजौर	141.83	225.45	367.28	418.32	51.04
हिसार	328.84	171.62	500.46	593.05	92.59
करनाल	779.31	139.21	918.52	879.67	(-) 38.85
कुल	1,249.98	536.28	1,786.26	1,891.04	104.78

(स्रोत: हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा आपूरित सूचना)

उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 5.36 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया था। इसके बावजूद, अभी भी ₹ 1.05 करोड़ का अधिक व्यय था। पिंजौर तथा हिसार के क्लबों ने उम्मीदवारों के सिक्योरिटी डिपोजिट्स से अधिक व्यय पूरा किया जो अनियमित था क्योंकि सिक्योरिटी डिपोजिट्स उम्मीदवारों को वापस करने थे और इन्हें संस्थान के दैनिक व्यय के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था। यह अवलोकित किया गया कि यद्यपि करनाल क्लब ने दिए हुए लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे, इसकी प्राप्तियां व्यय से ₹ एक करोड़ कम थी।

यह भी अवलोकित किया गया कि विमानन क्लब, पिंजौर और करनाल ने क्रमशः ₹ 37 लाख और ₹ 37.76 लाख के अव्ययित सहायता अनुदान सावधि जमा के रूप में रखे। यह सहायता अनुदान की संस्थीकृति की शर्तों के विरुद्ध था।

² विमानन क्लब, करनाल: 633 उम्मीदवारों में से 49 कमर्शियल पायलट लाईसेंस; विमानन क्लब, पिंजौर: 82 उम्मीदवारों में से 8 कमर्शियल पायलट लाईसेंस; और विमानन क्लब, हिसार: 76 उम्मीदवारों में से 16 कमर्शियल पायलट लाईसेंस।

(iii) हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा वार्षिक रिपोर्टों और बैंलेस शीट का तैयार न किया जाना

हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के नियमों के नियम ७ और ९ में कार्यकारी समिति की बैठक तीन माह में एक बार और जनरल बॉडी की बैठक वर्ष में एक बार आयोजन के लिए प्रावधान है। आडिट में यह देखा गया कि आडिट में कवर की गई पांच वर्षों की अवधि के दौरान कार्यकारी समिति ने केवल एक बैठक मार्च 2011 के दौरान आयोजित की थी।

कार्यकारी समिति ने, 2007 - 08 से जनरल बॉडी के विचार हेतु वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंसशीट और आडिट रखाते तैयार नहीं किए थे। वार्षिक रिपोर्टों और बैलेंसशीटों के अभाव में, संस्थान की वित्तीय और भौतिक प्राप्तियों को आडिट में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, एडवाइजर, सिविल विमानन ने वार्षिक रिपोर्टों, बैलेंसशीट इत्यादि तैयार करने का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(iv) वसूलनीय पार्किंग और रख - रखाव शुल्क

सलाहकार, सिविल विमानन, हरियाणा ने 2006 से ₹ 50,000³ के मासिक चार्जिंज पर मैसर्ज एरियल एडवरटाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड को तकनीकी और विमानशाला सुविधाएं प्रदान की। समय पर किराए को जमा न करने के मामले में, एजेंसी 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर विलंब फीस चार्जिंज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। रिकार्ड्स की संवीक्षा ने दर्शाया कि एजेंसी ने अगस्त 2011 से मासिक शुल्कों का भुगतान नहीं किया था और 31 मार्च 2013 को ₹ 9.20 लाख की राशि (20 माह के लिए ₹ 8 लाख पार्किंग शुल्क के तौर पर) और ₹ 1.20 लाख 12 माह के लिए रख - रखाव चार्जिंज के तौर पर 18 प्रतिशत की दर पर लेट फीस चार्जिंज सहित वसूलनीय थी। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, सलाहकार, सिविल विमानन ने सूचित किया कि कुल राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(v) डेपुटेशन पर पायलटों को अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान

सितंबर 2008 में सरकार ने भारत के रक्षा मंत्री से डेपुटेशन आधार पर दो हेलीकाप्टर पायलट प्रदान करने के लिए संपर्क किया। भारतीय वायु सेना ने 2008 में डेपुटेशन की शर्तों को सहमति के लिए प्रेषित किया। भारतीय वायु सेना के दो अधिकारियों ने अप्रैल 2009 में डेपुटेशन पर सरकार में कार्यग्रहण किया।

आडिट ने देखा कि पायलटों को अक्टूबर 2009 से फरवरी 2013 की अवधि के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा उल्लेख किए गए अन्य भत्तों के साथ - साथ विशेष यात्रा भत्ता के तौर पर ₹ 45,000 प्रतिमाह की दर (₹ 1,500 प्रति लैडिंग न्यूनतम 30 लैडिंग) से ₹ 63.48 लाख का भुगतान किया गया। ये भत्ते भारतीय वायु सेना द्वारा अनुमोदित डेपुटेशन की शर्तों के विरुद्ध थे। इंगित किए जाने पर विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि भत्तों का भुगतान सरकार द्वारा नियत वेतन और भत्तों के अनुसार किया जा रहा था। भत्ते और उच्चतर राशि का भुगतान डेपुटेशन पर अधिकारी को किया जा सकता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि समानता सुनिश्चित करने के लिए वेतन और भत्ते भारतीय वायु सेना के नियमानुसार ही प्रदान किए जाने थे।

³

₹ 40,000 हैंगर शुल्कों और 10,000 रख - रखाव शुल्कों के रूप में।

(vi) अनियमित नियुक्ति

सिविल विमानन विभाग सेवा नियम, 2011 के अनुसार अन्य भत्तों के साथ ₹ 37,400 - ₹ 67,000 + 10,000 ग्रेड - पे के वेतनमान में हैलीकाप्टर पायलटों को सीधी भर्ती द्वारा या पहले से राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में कर्मचारियों को स्थानांतरण या डेपुटेशन पर नियुक्त किया जाना था।

हैलीकाप्टर के परिचालन के लिए, राज्य सरकार ने अप्रैल 2009 से दो अधिकारियों को भारतीय वायु सेना से डेपुटेशन पर लिया था। एक अधिकारी ने भारतीय वायु सेना से समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने के बाद इस शर्त पर सरकार में एब्सोर्पशन की सहमति दी कि उसे सीनियर एक्जेकिट्व पायलट के बराबर ₹ 12,000 के ग्रेड - पे तथा अन्य भत्तों के साथ सीनियर एक्जेकिट्व पायलट के तौर पर नियुक्त किया जाए। सिविल विमानन विभाग सेवा नियमों, 2011 के अनुसार राज्य में सीनियर एक्जेकिट्व पायलट का केवल एक पद था जो पहले ही भरा हुआ था। तथापि, विभाग ने भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को ₹ 57,320 मूल वेतन + ₹ 12,000 ग्रेड - पे तथा सीनियर एक्जेकिट्व पायलट को उपलब्ध अन्य भत्तों के साथ जनवरी 2012 से सीनियर एक्जेकिट्व पायलट के तौर पर नियुक्त कर दिया।

आडिट ने देखा कि सरकार ने सीनियर एक्जेकिट्व पायलट से एक पद के सृजन के लिए अक्तूबर 2012 में स्वीकृति प्रदान की थी जबकि अधिकारी को जनवरी 2012 से नियुक्त कर दिया गया था जो नियमों के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त, पद को हरियाणा लोक सेवा आयोग की सीमा से बाहर भी रखा गया था और किसी विज्ञापन के बिना भरा गया था। इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि हैलीकाप्टर के आवश्यक तथा निर्विघ्न परिचालनों के लिए, सरकार ने सीनियर एक्जेकिट्व पायलट का एक पद सृजित किया था और इस अधिकारी को जनवरी 2012 से इस पद पर एबर्जीब किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पद के सृजन के लिए अनुमोदन अक्तूबर 2012 में जारी किया गया था जबकि अधिकारी को जनवरी 2012 से एबर्जीब किया गया था। इसके अतिरिक्त, अहर्ता प्राप्त / योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए पद का प्रचार कभी नहीं किया गया था।

उपयुक्त बिंदु सरकार को भेजे गए थे (जुलाई 2013), परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। फिर भी, अक्तूबर 2013 में आयोजित एग्जिट काफ्रेंस में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार सिविल विमानन विभाग के साथ बिंदुओं पर चर्चा की गई थी तथा काफ्रेंस के विचार विमर्श उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

सिविल सचिवालय

3.2 अनियमित व्यय

मुख्य सचिव के ग्रेड में दो से तीन पदों की स्वीकृत संरच्चा के विरुद्ध पांच से बारह एक्स - काडर पदों को भारत सरकार के अनुमोदन के बिना आपरेट किया गया। स्क्रीनिंग समिति का गठन किए बिना नियुक्तियां की गई, परिणामस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (वेतन) नियम के नियम ९ (७) के अनुसार किसी भी समय पर, पदभार रखने के लिए नियुक्त सेवा के सदस्यों की संरच्चा, उप नियम (१) तथा उप - नियम (४) में संदर्भित काडर पदों से अन्य, जो कि ₹ 26,000 प्रतिमाह का वेतन लेते हैं (१ जनवरी 2006 से ₹ 80,000) तथा जिन्हें राज्य प्रतिनियुक्ति रिंजर्व के विरुद्ध माना जाता है, राज्य काडर या संयुक्त काडर जैसा भी केस हो, में वेतन के उस स्तर के काडर पदों की संरच्चा से केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना अधिक नहीं होगी। भारत सरकार ने विभागीय पदोन्नति समितियों के कार्यचालन के लिए दिशा - निर्देश भी जारी किए थे (मार्च 2000), जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि मुख्य सचिव के ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में संबद्ध मुख्य सचिव, काडर में इस ग्रेड में काम करने वाला एक अधिकारी तथा समान ग्रेड में भारत सरकार में सेवा करने वाला अन्य अधिकारी शामिल होगे।

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के 2007 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4.5.6 शीर्षक “अधिक एक्स - काडर पदों को चलाने पर अनियमित खर्च” में बिना भारत सरकार के अनुमोदन के अप्रैल 1995 से दिसंबर 2005 के दौरान मुख्य सचिव के ग्रेड (₹ 26,000, १ जनवरी 2006 से ₹ 80,000 संशोधित) में एक से चार, अधिक एक्स - काडर पदों को चलाने से संबंधित उल्लेख किया गया था। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के साथ इन पदों को नियमित करने का मामला उठाया, परंतु भारत सरकार प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई। फरवरी 2007 तथा उसके बाद मई 2013 में भारत सरकार के साथ फिर से मामला उठाया गया। हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति में मामले पर चर्चा के बाद (दिसंबर 2012) तथा मुख्य सचिव ने लोक लेखा समिति को आश्वासन दिया कि वह इन एक्स - काडर पदों के संचालन के लिए पूर्व - प्रभावी अनुमोदन के लिए भारत सरकार के साथ मामला उठाएगा। इस संबंध में आगे की कार्यवाही अभी भी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

आडिट ने अवलोकित किया कि एक्स - काडर पदों को लोक लेखा समिति द्वारा निर्देशित अनुसार जो नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के उपर्युक्त अनुच्छेद में इंगित किए गए थे। भारत सरकार द्वारा अभी भी नियमित किया जाना था। राज्य सरकार ने फिर भी मार्च 2007 से जून 2013 तक मुख्य सचिव ग्रेड में ५ से १२ पदों को, स्वीकृत संरच्चा दो^४ (२५ अगस्त 2003 से १२ अक्टूबर 2010) से तीन^५ (१३ अक्टूबर 2010 से जून 2013) पदों के विरुद्ध चलाए रखा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मुख्य सचिव के ग्रेड में पदोन्नति भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन में, स्क्रीनिंग समिति का गठन किए बिना की गई। इसके

⁴ १. मुख्य सचिव, २. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव।

⁵ १. मुख्य सचिव, २. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, ३. मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।

परिणामस्वरूप मार्च 2007 से जून 2013 तक की अवधि में ₹ 5.37 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

मामले पर एगिट काफ्रेंस में चर्चा की गई (जनवरी 2014) जहां मुख्य सचिव ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के ग्रेड में अधिकारियों की पदोन्नति में काफी कम वित्तीय प्रभाव था क्योंकि वे सभी अपने वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंच चुके थे इस प्रकार उनके वेतन तथा भत्तों पर कुल व्यय ₹ 5.37 करोड़ को अनियमित नहीं माना जाए। उन्होंने आगे सूचित किया कि इस बार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति को गठित किया गया था तथा भारत सरकार से अपर सचिव स्तर के एक अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने भी कहा कि राज्य सरकार कार्य की आवश्यकता के कारण भविष्य में भी इन पदों को चलाना जारी रखेगी तथा यह लगभग सभी राज्यों द्वारा किया जा रहा था।

मुख्य सचिव का दावा स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित पदों के विरुद्ध अधिक पदों की नियुक्ति अनियमित तथा भारत सरकार के निर्देशों के विरुद्ध थी। लोक लेखा समिति ने सरकार को भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कहा था परंतु अभी तक प्राप्त नहीं किया गया था (जनवरी 2014)। आगे, वेतन तथा भत्तों पर किए गए व्यय को अनियमित माना गया क्योंकि अधिकारियों को, नियमों तथा भारत सरकार के निर्देशों के विरुद्ध मुख्य सचिव ग्रेड अनुमत किया गया था।

3.3 अनुबंध के निष्यादन के बिना बैंकों को जगह का आबंटन

किराए और बिजली प्रभारों के लिए कोई अनुबंध किए बिना हरियाणा सिविल सचिवालय भवनों में दो बैंकों को कार्यालय तथा आटोमेटिड टैलर मशीनों के लिए जगह दी गई परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ की हानि हुई।

हरियाणा सरकार ने सिविल सचिवालय भवन, सैक्टर-1 में 2,106 वर्गफुट और 598 वर्गफुट जगह क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक और हरियाणा स्टेट अपैक्स को आपरेटिव बैंक को 1980 के दशक में प्रदान की। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को भी 19 नवंबर 2001 और 6 नवंबर 2003 को क्रमशः 144 और 120 वर्ग फुट क्षेत्र में उनकी आटोमैटिड टेलर मशीनें लगाने की अनुमति दी गई।

किराया और बिजली प्रभारों के भुगतान के लिए कोई अनुबंध नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 1992 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ₹ 78.74 लाख का किराया वसूल नहीं किया गया और सरकार ने अप्रैल 1986 से मार्च 2013 तक इन बैंकों द्वारा उपयोग की गई बिजली के लिए ₹ 48.04 लाख के बिजली शुल्कों का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, नए सचिवालय भवन (सैक्टर-17, चंडीगढ़) में भी हरियाणा स्टेट अपैक्स को आपरेटिव बैंक (356.50 वर्गफुट) और भारतीय स्टेट बैंक (434 वर्गफुट) को किराए और बिजली शुल्कों के भुगतान के लिए कोई अनुबंध किए बिना जगह आबंटित की गई। परिणामतः, ₹ 23.43 लाख (जनवरी 1998 से मार्च 2013 तक किराया: ₹ 17.27 लाख और बिजली शुल्क ₹ 6.16 लाख) की वसूली भी नहीं की गई। सरकार को कुल ₹ 1.50 करोड़ की हानि हुई।

सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि हरियाणा सचिवालय भवनों में जगह, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की सुविधा के लिए बैंकों को आबंटित की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बैंकों के कार्य व्यावसायिक प्रकृति के हैं, अतः जगह, रेंटल वेल्यू निर्धारित करने के

बाद दी जानी अपेक्षित थी। प्रधान सचिव, हरियाणा (नवंबर 2013) ने आगे सूचित किया कि हरियाणा सिविल सचिवालय में बैंकों में उप - मीटर लगाए गए थे और हरियाणा के नए सिविल सचिवालय भवन, चंडीगढ़ में उप - मीटर लगाने संबंधी मामला भी उठाया गया है। एजिट कफ्रेस (जनवरी 2014) में भी मामले पर चर्चा की गई जहां प्रधान सचिव ने लिखित उत्तर को दोहराया और बताया कि अनुबंध करने का मामला बैंकों के साथ उठाया जा रहा है।

विकास एवं पंचायत विभाग

3.4 पंचायत भूमि का प्रबंधन

12,208 हेक्टेयर पंचायत भूमि अतिक्रमण अधीन थी। भूमि उपयोगिता प्लान तैयार नहीं की गई थी। ₹ 3.22 करोड़ का लीज किराया एक से 25 माह की देरी से प्राप्त हुआ। सावधि जमा में राशि के न जमा करवाने के कारण ₹ 79.27 लाख के ब्याज की हानि हुई। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों द्वारा आठ मामलों में ₹ 2.39 करोड़ की एन्यूटी का भुगतान नहीं किया गया।

पंजाब ग्राम सांझी भूमि (विनियमन), अधिनियम, 1961 (अधिनियम 1961) जो हरियाणा में भी लागू है, में प्रावधान था कि पंचायत में निहित या निहित समझी जाने वाली सारी भूमि को पंचायत द्वारा संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से उपयोग या विक्रय किया जाएगा। राज्य में मार्च 2013 को 6,083 ग्राम पंचायतों के अधीन 3,37,698.4 हेक्टेयर, (8,44,241 एकड़) क्षेत्रफल वाली सांझी भूमि थी।

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालय, 21 जिलों में से सात जिलों, 15 ब्लॉकों तथा 255 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना - जांच की गई तथा विभागीय विचार ध्यान में रखने के बाद जांच के परिणाम निम्नानुसार हैं:

- पंजाब ग्राम सांझी भूमि (विनियमन) नियम⁶ (नियम), 1964 के नियम 3 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार नमूना - जांच किए गए सात जिलों में, किसी भी ग्राम पंचायत ने भूमि उपयोगिता प्लान तैयार नहीं किया था। महानिदेशक, विकास एवं पंचायत ने कहा (सितंबर 2013) कि यह फील्ड में राजस्व स्टाफ (पटवारियों) की कमी के कारण था।
- जनवरी 2013 को राज्य में 12,208⁷ हेक्टेयर माप की भूमि अतिक्रमण के अधीन थी परंतु सितंबर 2013 तक केवल 7,567.38⁸ हेक्टेयर के संबंध में भूमि खाली करवाने/अतिक्रमण हटाने के लिए केस दर्ज किए गए थे, जैसा कि अधिनियम, 1961 के सैक्षण 7 तथा नियम 194 के नियम 19 से 21 के अंतर्गत अपेक्षित था। शेष मामलों में, प्रधान सचिव ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही आरंभ करने के लिए स्टाफ को निर्देश दिया। अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।
- गौ - चरांद भूमि⁹ से संबंधित सूचना, जैसे कि, कुल क्षेत्रफल, प्रत्येक पंचायत के अधीन क्षेत्र, इसके कब्जे की स्थिति, उपयोगिता इत्यादि, विभाग द्वारा नहीं रखी जा रही थी जिसके

⁶ जैसा कि हरियाणा में लागू है।

⁷ निदेशालय द्वारा जनवरी 2013 में आपूर्ति डाटा के अनुसार।

⁸ 18,699 एकड़, 4 कनाल तथा 13 मरला।

⁹ मुख्यतः पशुओं के चरने के लिए प्रयुक्त।

लिए महानिदेशक (विकास एवं पंचायत) ने सूचित किया (जून 2013) कि सूचना सभी उपायुक्तों से प्राप्त कर संकलन अधीन थी।

(i) पंचायत भूमि की बिक्री

(क) ग्राम पंचायत, भादसों (करनाल जिले का इन्द्री ब्लॉक) ने मैसर्ज पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए 1994 में करीब 168 एकड़ पंचायती भूमि शर्तों के साथ बेची कि कंपनी (क) गांव के 15 प्रतिशत युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी, (ख) ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थापित नलकूपों की क्षतिपूर्ति जमा करवाएगी तथा (ग) भूमि पर खड़े पेड़ ग्राम पंचायत द्वारा नीलाम किए जाने थे तथा भूमि की सारी लागत ग्राम पंचायत को एक मुश्त भुगतान की जानी थी। यह देखा गया कि स्थानीय निवासियों को नौकरी प्रदान नहीं की गई थी, भूमि का एक बड़ा भाग खेती के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। चीनी मिल में स्थापित एक डिस्टीलरी यूनिट दुर्गंध फैला रही थी और क्षेत्र को प्रदूषित कर रही थी। गांव वालों की शिकायत पर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल अक्टूबर 2012 में परिसर का निरीक्षण किया जब शुगर मिल आपरेशन में नहीं थी तथा उस समय कोई हानिकर वेस्ट सूचित नहीं किया। यद्यपि कंपनी ने उन व्यक्तियों, जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया था, की सूची प्रस्तुत की थी यह देखा गया कि केवल ठेकेदार के माध्यम से उन्हें रोजगार दिया गया था। आगे, पंचायत भूमि के नलकूपों की लागत मैसर्ज पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड से वसूली नहीं गई थी तथा पंचायत ने पंचायती भूमि पर खड़े पेड़ों की नीलामी नहीं की थी। ग्राम पंचायत ने, माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सिविल रिट याचिका¹⁰ भी फाइल की थी, जिसने 1994 की सेल ट्रांजेक्शन को इस आधार में चुनौती दिए जाने की मांग की थी कि निजी प्रयोजन के लिए शामलात देह भूमि की बिक्री अवैध थी।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, उप निदेशक, पंचायत ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि कोर्ट केस का निर्णय, मैसर्ज पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में हो चुका था। कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटान करते हुए (जुलाई 2013) याचिकाकर्त्ताओं को संबंधित प्राधिकारियों से राहत के लिए संपर्क करने का परामर्श दिया और यह निदेश दिया कि यदि इस प्रकार की कोई याचिका दायर की जाती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा, याचिका दायर करने की तिथि से छः माह के अंदर निपटान किया जाए। आगे परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(ख) ग्राम पंचायत, बादसा ने, झज्जर जिले के बहादुरगढ़ ब्लॉक के गांव बादसा में पड़ने वाली 300 एकड़ पंचायत भूमि, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा को आगे भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय को 99 वर्षों के पट्टे पर हस्तांतर करने हेतु (फरवरी 2009) ₹ 48 करोड़ में बेच दी, भुगतान की अवधि तीन वर्ष थी। जिसके विरुद्ध, मात्र ₹ 28.80 करोड़ (₹ 9.60 करोड़ प्रति की तीन किस्तें), दिसंबर 2012 तक भुगतान किए गए थे। एगिजट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने महानिदेशक को स्वास्थ्य विभाग के साथ अर्ध-शासकीय रूप से मामला उठाने को कहा गया। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(ग) ग्राम पंचायत, मुरथल जिला तथा ब्लॉक, सोनीपत ने 8 एकड़ 8 मरला पंचायत भूमि पुलिस विभाग को सितंबर 2008 में ₹ 20 लाख प्रति एकड़ की कलेक्टर दर पर बेच दी। ग्राम पंचायत ने ₹ 61.33 लाख, 1 मई 2011 को तथा ₹ 92.51 लाख 29 जून 2013 को प्राप्त किए। यह देखा गया कि (i) भूमि की कीमत एक किस्त की बजाय दो किस्तों में दी गई, (ii) अंतिम भुगतान, 2011 तथा 2013

¹⁰

2012 की संख्या 12011

के दौरान विद्यमान कलैक्टर दर के आधार पर नहीं किए गए थे। एग्रिजट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने अपने अधिकारियों को पुलिस विभाग को तुरंत मांग भेजने तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने को कहा। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

(ii) पंचायत भूमि की अल्पावधि लीज

पंचायत भूमि की लीज की शर्तों में अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह शामिल है कि (क) वार्षिक लीज धन राशि को बोली के स्थान पर ही भुगतान किया जाएगा एवं लीज के शेष वर्षों के लिए अग्रिम में भुगतान प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंत तक किया जाएगा तथा (ख) लीज धन राशि को देय समय पर जमा करवाने में विफलता लीज को स्वतः ही निरस्त कर देगा तथा बोलीकर्ता की सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।

यह अवलोकित किया गया कि:

- 25 ग्राम पंचायतों में ₹ 3.22 करोड़ का लीज किराया एक तथा 25 माह के बीच शृंखलित देरी से प्राप्त किया गया।
- कैथल जिले के गुहला ब्लॉक में सात ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाली शामलात भूमि, उन पट्टेदारों के निरंतर कब्जे में थी, जिन्होंने प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत तक लीज किराए का भुगतान नहीं किया था। जून 2008 से जून 2012 के मध्य 2001 से 2013 तक की अवधि का तीन से छः वर्ष का लीज किराया ₹ 12.60 लाख, पट्टेदारों द्वारा अपने आप जमा करवा दिया गया था। प्राप्य लीज धन का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं था।
- सरपंच, शामगढ़ ग्राम पंचायत (करनाल जिले का नीलोखेड़ी ब्लॉक) ने अपने आप ही तीन पक्षों से एक किस्त की बजाय दो किस्तों में नीलामी (मई 2011) की लीज धन राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया। ₹ 5.79 लाख¹¹ की राशि जनवरी तथा मार्च 2012 के मध्य प्राप्त की गई जिसके परिणामस्वरूप, नियमों के उल्लंघन के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत को ₹ 0.14 लाख के ब्याज की हानि हुई।
- एग्रिजट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि संबंधित उपायुक्त को राशि की वसूली सुनिश्चित करने तथा चूककर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही आरंभ करने के लिए अनुरोध किया गया था।
- पांच मामलों में, सरपंचों ने ₹ 25.26 लाख लीज धनराशि के रूप में प्राप्त किए जिसमें से केवल ₹ 16.90 लाख बैंक में जमा करवाए गए, परंतु शेष ₹ 8.36 लाख की धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई थी।

(iii) ग्राम पंचायतों में वित्तीय प्रबंध

(क) आठ मामलों में पंचायती भूमि/स्कूल परिसर में पेड़ों की बिक्री के कारण प्राप्त राशि दो से तीन महीनों के बाद सावधि जमा में परिवर्तित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 79.27 लाख की हानि हुई जैसा कि तालिका 3.4.1 में विवरण दिया गया है।

¹¹

14 जनवरी 2012 को ₹ 2.62 लाख, 26 मार्च 2012 को ₹ 1.51 लाख तथा 28 मार्च 2012 को ₹ 1.66 लाख

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-स.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

तालिका 3.4.1: मियादी जमा में राशि जमा करवाने में विलंब

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ब्लॉक / पंचायत का नाम	जिसको भूमि की बिक्री की गई	प्राप्त की गई राशि / प्राप्ति की तिथि	मियादी जमा में जमा की गई राशि / तिथि	मियादी जमा तैयार करने में देरी के कारण ब्याज की हानि
1	बहादुरगढ़ / मोटूका	हरियाणा पावर जेनरेशन कापोरेशन लिमिटेड	4,098.00 (6 मार्च 2011)	4,098.00 (6 मई 2011)	44.97
2	बल्लभगढ़ / अस्वा		1,327.50 (8 जनवरी 2011)	1,327.50 (7 अप्रैल 2011)	24.52
3	कैथल / ग्राम पंचायत लाडाना		467.81 (27 सितंबर 2012)	467.81 (1 से 12 दिसंबर 2012)	5.91
4	शहजादपुर / ग्राम पंचायत गाजियापुर	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	274.05 (1 नवंबर 2011)	274.05 (1 नवंबर 2011)	1.79
5	शहजादपुर / ग्राम पंचायत संतोखी		86.35 (1 नवंबर 2011)	86.35 (1 नवंबर 2011)	
6	मुरथल / सोनीपत	पुलिस विभाग	92.51 15 मार्च 2013	92.51 (28 जून 2013)	2.08
कुल			6,346.22	6,346.22	79.27

(स्रोत: संबंधित ग्राम पंचायत / जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से संगृहीत सूचना)

इसी प्रकार, दो मामलों में, प्राप्त ₹ 55.82 लाख को ग्राम पंचायत फंड में जमा नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.4.2 में दिया गया है।

तालिका 3.4.2: उन मामलों का विवरण जहां प्राप्तियों को ग्राम पंचायत फंड में जमा नहीं करवाया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ब्लॉक / पंचायत का नाम	विवरण	प्राप्त की गई राशि / प्राप्ति की तिथि	सावधि जमा में जमा की गई राशि / तिथि	टिप्पणी
1	सोनीपत / शाहुपुर तुर्की	भूमि क्षतिपूर्ति	5,46.39 (नवंबर 2009)	495.00	सरपंच द्वारा बचत खाते में रखे गए ₹ 51.39 लाख को सैलफ चैकों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना व्ययित दिखाया गया। वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
2	कड़वाली / सोनीपत	स्कूल परिसर में पेड़ों की बिक्री (₹ 5.21 लाख)	0.78	₹ 0.78 लाख (7 सितंबर 2011)	₹ 4.43 लाख की शेष राशि स्कूल प्रिसीपल द्वारा रख ली गई परिणामस्वरूप पंचायत को हानि हुई।
	कुल		547.17	495.78	₹ 51.39 + ₹ 4.43 लाख = ₹ 55.82 लाख

(स्रोत: संबंधित ग्राम पंचायत / जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से संगृहीत सूचना)

आइट में इंगित किए जाने के बाद, प्रधान सचिव ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि संबंधित उपायुक्तों को मामले की जांच करने तथा आवश्यक कार्यवाही आरंभ करने का अनुरोध किया गया था।

(ख) नमूना - जांच किए गए पांच जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, मार्च 2011 में प्रत्येक जिले के उपायुक्त को प्रदान की गई ₹ 1 एक करोड़ की राशि, बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी। राशि को सावधि जमाओं में रखने की बजाय बचत बैंक खातों में रखने के कारण ₹ 0.85 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(iv) वार्षिकी का भुगतान

सरकार द्वारा अधिसूचित (दिसंबर 2007) भू-स्वामियों के लिए पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति में भू-स्वामियों को 33 वर्षों तक वार्षिकी के भुगतान का प्रावधान था।

(क) सरकार ने, 'महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना' स्कीम के अंतर्गत, प्रयोग के लिए पंचायत द्वारा गिफ्ट की गई भूमियों के संबंध में ₹ 23.93¹² करोड़ की वार्षिकी प्रदान की जो विकास तथा पंचायत विभाग द्वारा 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ड्रा की गई यद्यपि ऐसी एन्यूटी की कोई आवश्यकता नहीं थी।

➤ आठ जिलों में¹³ बाद के वर्षों में प्लाटधारियों की संख्या कम कर दी गई। लेकिन 2011-12 के दौरान ₹ 11.20 लाख की अधिक वार्षिकी ड्रा की गई।

➤ नमूना - जांच किए गए पांच जिलों में, इस प्रकार संस्थीकृति तथा जारी की गई वार्षिक वास्तव में ग्राम पंचायतों को वितरित नहीं की गई तथा ₹ 7.13 करोड़ की राशि (ब्याज सहित) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के बैंक खाते में पड़ी थी।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने महानिदेशक को मामले की जांच करने तथा तदनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

(ख) आठ मामलों में से छ: मामलों में ग्राम पंचायत भूमि के क्रेताओं, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने वार्षिकी का भुगतान नहीं किया तथा दो मामलों में वार्षिकी का अधूरा भुगतान किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ की वार्षिकी की अवसूली के कारण ग्राम पंचायतों को हानि हुई।

प्रधान सचिव के साथ एगिजट काफ्रेंस के दौरान महानिदेशक ने सूचित किया कि ब्याज सहित धन राशि की वसूली के लिए कार्यवाही पहले ही आरंभ की जा चुकी थी।

मामला, अगस्त 2013 में सरकार को भेजा गया था परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, सितंबर 2013 में, प्रधान सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग के साथ एगिजट काफ्रेंस आयोजित की गई थी तथा एगिजट काफ्रेंस में किए गए विचार - विमर्श ध्यान में रखे गए हैं तथा रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

3.5 अपात्र राशनकार्ड धारियों को खाद्यान्नों के वितरण के कारण हानि

राज्य सरकार ने दिसंबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान 1,73,907 अपात्र गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को गेंहूं प्रदान करने के लिए ₹ 2.02 प्रति किलोग्राम की दर पर सब्सिडी पर ₹ 18.59 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था।

भारत सरकार उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से और गरीबी रेखा से नीचे तथा अन्तोदय अन्न योजना के अंतर्गत पहचाने गए परिवारों को विशेष रूप से सबसिडाइज्ड दरों पर वितरण के लिए

¹² वार्षिकी 2011-12: ₹ 1,181.20 लाख तथा 2012-13: ₹ 1,211.40 लाख।

¹³ (i) अंबाला, (ii) फतेहाबाद, (iii) हिसार, (iv) झज्जर, (v) कुरुक्षेत्र, (vi) महेन्द्रगढ़, (vii) पंचकुला तथा (viii) रोहतक जिले।

राज्य सरकारों को खाद्यान्न आबंटित करती है। राज्य सरकारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे और अन्तोदय अन्न योजना परिवारों की पहचान के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मार्गनिर्देश तैयार करने तथा प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से नीचे और अन्तोदय अन्न योजना परिवारों की सूची से अपात्र परिवारों को हटाने तथा योग्य परिवारों को शामिल करने के लिए समीक्षा की जानी अपेक्षित है।

जुलाई 2008 में सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, राज्य में 12,97,058 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (3,02,500 अन्तोदय अन्न योजना परिवारों सहित) थे जो 13,92,552 (2009 में 14 जिले और 2010 में सात जिले) तक बढ़ गए भारत सरकार ने सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न जारी करने के लिए केवल 7,89,000, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मान्यता दी (मई 2005)। भारत सरकार ने 2005 के बाद अनुमानों में संशोधन नहीं किया था। राज्य सरकार ने शेष 6,03,552 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार माना। इन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों के लिए अभीष्ट आबंटन में से खाद्यान्न दिए गए और खाद्यान्नों की दर में अंतर ($\text{₹ } 2.02^{14}$ प्रति किलोग्राम) राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

आडिट ने देखा कि गरीबी रेखा से नीचे/अन्तोदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की सरकार द्वारा समीक्षा नहीं की गई और 2011 में किए गए सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि अपात्र गरीबी रेखा से नीचे/अन्तोदय अन्न योजना राशनकार्डधारक इन सूचियों में शामिल रहे। सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय¹⁵ को सूचित किया (नवंबर 2011) कि 3,38,949 गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड तुरंत रद्द किए जाएं जो इन्हें प्राप्त करने के लिए गलत सूचना दिए हुए पाए जाते हैं। अपात्र गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकों के रद्द किए जाने के बाद गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों की संख्या 10,53,603¹⁶ होनी चाहिए थी। जबकि, मार्च 2013 में अभी भी 12,27,510 गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारक थे। 1,73,097 अपात्र कार्डों के रद्द न करने के कारण राज्य सरकार ने दिसंबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान इन परिवारों को गेहूं पर प्रदान करने के लिए $\text{₹ } 2.02$ प्रति किलोग्राम की दर पर सब्सिडी पर $\text{₹ } 18.59^{17}$ करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया था।

आडिट द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ की जानी थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अपात्र कार्डधारकों की सूचियों और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों (नवंबर 2011) की प्राप्ति के तुरंत बाद विभाग द्वारा सभी अपात्र गरीबी रेखा से नीचे/अन्तोदय अन्न योजना कार्डों का रद्द किया जाना तथा सब्सिडाइज्ड खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद किया जाना अपेक्षित था। लेकिन, विभाग ने उनको सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न के वितरण का कार्य जारी रखा।

¹⁴ गरीबी रेखा से ऊपर दर $\text{₹ } 6.86$ प्रति किलोग्राम घटा गरीबी रेखा से नीचे दर $\text{₹ } 4.84$ प्रति किलोग्राम।

¹⁵ प्रदीप कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के 2010 की सिविल रिट याचिका संख्या 1581 में।

¹⁶ राशन कार्डधारक: $13,92,552 - 3,38,949 = 10,53,603$.

¹⁷ अपात्र कार्डधारक: $1,73,90,735$ किलोग्राम 16 महीने $\text{₹ } 2.02$ प्रति किलोग्राम = $\text{₹ } 19,67,23,598$ $\text{₹ } 19,67,23,598 \times 1.49$ प्रतिशत (जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा दिसंबर 2011 से मार्च 2013 के दौरान वास्तविक लिफिंग का औसत) = $\text{₹ } 18,58,84,128$.

27 सिंतंबर 2013 को आयोजित एग्जिट काफ्रेंस में प्रधान सचिव के साथ मामले पर चर्चा भी की गई थी जिसमें यह सूचित किया गया कि विस्तृत उत्तर यह सुनिश्चित करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा कि संशोधित सूचियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला शहरी विकास एजेंसी द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी और अपात्र गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को खाद्यान्नों का वितरण कब बंद किया गया था। तथापि, अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.6 बांड धन की अवसूली

17 डाक्टरों, जिन्हें सेवा के दौरान उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई थी, से ₹ 1.25 करोड़ की राशि का बांड धन वसूल नहीं किया गया।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक में इसके डाक्टरों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के बारे सरकार की नीति में प्रावधान था कि एक डाक्टर को किसी स्नातकोत्तर कोर्स के लिए पदमुक्त किए जाने से पहले पांच और दस वर्षों के बीच श्रृंखलित अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा करने के लिए (एच.सी.एम.एस. कैडर में) बांड भरना पड़ता था अथवा, उसके एवज में ₹ 0.60 लाख और 25 लाख के मध्य श्रृंखलित बांड धन सरकारी कोष में भुगतान करना पड़ता था। हरियाणा सिविल सेवा नियम - अवकाश नियम के नियम 58 में शामिल प्रावधानों के अनुसार यदि एक सरकारी कर्मचारी शिक्षा अवकाश की अवधि के बाद या नियत अवधि के भीतर काम पर लौटने के बिना सेवा से त्यागपत्र देता है या सेवानिवृत होता है तो उसे अवकाश वेतन की राशि, अध्ययन भत्ते, फीस की लागत, यात्रा तथा सरकार द्वारा किए अन्य खर्चों का दुगना रिफिंड करना अपेक्षित होगा।

उन्नीस मैडिकल आफिसर्ज अक्टूबर 1993 और मई 2012 के बीच विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा कोर्स के लिए श्योरिटी बांड प्रस्तुत करने के बाद गए थे। कोर्स के समापन के बाद इन 19 डाक्टर्ज ने या तो अपना कार्यभार नहीं संभाला था या बीच में नौकरी छोड़ दी थी और निर्धारित अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा नहीं की थी जैसा कि बांड में स्वीकार किया गया था तथा इसीलिए उनके द्वारा बांड धन का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। जबकि वे डाक्टरों ने बांड धन जमा करवाया था (नवंबर 2012 और सितंबर 2013) शेष 17 डाक्टरों ने ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.25 करोड़ के बांड धन का भुगतान नहीं किया था। उनकी उच्चतर शिक्षा की अवधि के दौरान, 10 डाक्टरों को ₹ 0.49¹⁸ करोड़ राशि के वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया गया था और 8 डाक्टरों को स्टाईफैंड का भुगतान किया गया था, जिनकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।

मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2013) परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था तथापि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस (अगस्त 2013) के दौरान बताया कि चूककर्ता डाक्टरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा आगे विभाग ब्याज के साथ बांड धन वसूल करने के लिए न्यायालय में सिविल मामला दर्ज करने के लिए मामले पर विचार कर रहा है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

¹⁸

आरभिक वेतनमान में तीन वेतन वृद्धिया जोड़कर परिकलित क्योंकि विभाग द्वारा व्यौरै उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग

3.7 हरियाणा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का प्रबंधन

मॉनीटरिंग के अभाव में 913 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण के अधीन थी, 1,281 वक्फ संपत्तियों के विरुद्ध ₹ 3.97 करोड़ का लीज किराया बकाया था, लीज किरायों को 20 वर्षों से संशोधित नहीं किया गया था। वक्फ संपत्तियों का म्यूटेशन, केन्द्रीय कम्प्यूटिंग सुविधाओं तथा सर्वेक्षण को पूर्ण नहीं किया गया।

राज्य के सभी वक्फों के प्रबंधन एवं सुरक्षा के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत हरियाणा वक्फ बोर्ड की स्थापना अगस्त 2003 में की गई। 1971 के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 8,435.45 हेक्टेयर भूमि में 12,505 पंजीकृत तथा अधिसूचित वक्फ संपत्तियां थीं। हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैट के कार्यालय में 2008 से 2013 की अवधि के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि:

- संपत्तियों की नियमित देवभाल तथा निगरानी की कोई प्रणाली नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2013 को 154.19¹⁹ हेक्टेयर की 913 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमणाधीन थीं तथा केवल 36 मामलों में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। संबंधित क्षेत्रों के उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को केवल 20 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया था परंतु संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेटों ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने बताया (सितंबर 2013) कि इन मामलों में बोर्ड को राजस्व रिकार्ड में संपत्तियों का मालिक नहीं दिखाया गया था, इसलिए वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के अंतर्गत खाली करवाने/अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती थी जब तक कि इन्हें वक्फ बोर्ड के पक्ष में परिवर्तित नहीं किया जाता तथा बोर्ड म्यूटेशन के लिए इन संपत्तियों के अभिलेखों को ढूँढ़ रहा था। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जैसा कि अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अपेक्षित था।
- 31 मार्च 2013 को 195 वक्फ संपत्तियां पट्टे का भुगतान किए बिना 18 सरकारी विभागों, स्थानीय तथा स्वायत्त निकायों²⁰ के अतिक्रमणाधीन थीं और न वे वक्फ बोर्ड के पट्टेदार बने थे जैसा कि सरकार द्वारा 2009 में निर्देश दिया गया था। वक्फ बोर्ड ने बताया कि (सितंबर 2013) मामले का अनुसरण किया जा रहा था। तथापि, इस प्रकार अनुसरण के परिणाम प्रतीक्षित थे (जनवरी 2014)।

¹⁹

व्यक्तियों द्वारा 90.96 हैक्टेयर माप की 718 संपत्तियों तथा सरकार विभागों, स्थानीय निकायों द्वारा 63.23 हैक्टेयर माप की 195 संपत्तियां।

²⁰

शिक्षा विभाग (88), स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका (27), जन स्वास्थ्य (5), लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) (10), स्वास्थ्य (13), गृह (13), राजस्व (4), पंचायत (20), पशुपालन (4), विद्युत (2), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (2), पुरातत्व, परिवहन, कृषि, पुनर्वास, वित्त, रक्षा तथा भू-वैज्ञानिक प्रत्येक एक।

- 1,281 वक्फ संपत्तियों (अंबाला 539, कुरुक्षेत्र 742) के विरुद्ध ₹ 3.97 करोड़ का लीज किराया बकाया था क्योंकि अनेक पट्टाधारियों की मृत्यु हो चुकी थी तथा अनेक ने बोर्ड के आदेश लिए बिना अपने स्तर पर स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया था।
- वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 56 में प्रावधान है कि बोर्ड लीज या उप लीज या उसके नवीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान करते समय, लीज या उप-लीज के निबंधनों एवं शर्तों की समीक्षा करेगा तथा लीज का नवीकरण तीन वर्ष बाद करना प्रस्तावित करेगा तथा तदनुसार अपना अनुमोदन देगा। यह पाया गया कि 196 वक्फ संपत्तियां नाममात्र राशि पर यानि ₹ एक से ₹ 10 प्रतिमाह के बीच में लीज पर दी गई थी तथा बीस वर्ष से अधिक समय से संशोधित नहीं की गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि ऐसे किराया मामलों के निष्पादन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से समायुक्त समितियां गठित की गई थीं। अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।
- सरकार ने सभी मंडलीय आयुक्तों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिए तथा राज्य में नई वक्फ संपत्तियां पहचानने के लिए वक्फ बोर्ड के सर्वेक्षण आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया (7 अप्रैल 2005)। 2005 में जारी आदेश के विरुद्ध जून 2013 तक केवल आठ जिलों में सर्वेक्षण पूर्ण किया गया था तथा सर्वेक्षण के दौरान पहचान की गई संपत्तियां गजट में अधिसूचित नहीं की गई थीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने बताया (सितंबर 2013) कि सर्वेक्षण आयुक्तों से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी तथा नई पहचानी गई संपत्तियों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी नहीं की गईं।
- बड़ी संरच्च में वक्फ संपत्तियों का हरियाणा वक्फ बोर्ड के पक्ष में म्यूटेशन नहीं हुआ था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2013) कि बोर्ड अपने जिला कार्यालयों से आंकड़े एकत्र कर रहा था तथा म्यूटेशन कार्य प्रगति में था।
- हरियाणा वक्फ बोर्ड ने केंद्रीय कम्प्यूटिंग सुविधा के अधीन “वक्फ मेनेजमैंट सिस्टम ऑफ इंडिया” को क्रियान्वित नहीं किया परिणामतः परियोजना के लिए ₹ 25.75 लाख (2010 - 12: ₹ 20.20 लाख, 2012 - 13: ₹ 5.55 लाख) के कम्प्यूटरों तथा फर्नीचरों की खरीद करने के बाद भी स्कीम का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने बताया (सितंबर 2013) कि पहले चरण का काम पूरा हो गया था लेकिन वक्फ संपत्तियों के डाटा के वैलिडेशन से संबंधित कार्य अभी प्रगति में था तथा प्रत्येक वक्फ संपत्ति के अधिकार के अभिलेख का डिजीटलाइजेशन का कार्य प्रगति में था।
- अपर मुख्य सचिव, गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग से प्राप्त उत्तर (अक्तूबर 2013) रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

आवास विभाग – हाउसिंग बोर्ड हरियाणा

3.8 खुले स्थान का अनियमित आबंटन

एस्टेट मैनेजर, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, पानीपत ने अनधिकृत रूप से 663 वर्गगज प्रासांगिक खुले स्थान, इस संबंध में नीति का उल्लंघन करते हुए दो मूल आबंटियों को टुकड़ों में ₹ 3 6.91 लाख (2003 में विद्यमान दरें) में आबंटित किए।

हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा ने अपनी कालोनियों में कोने वाले भू-खंड के आबंटियों को प्रासांगिक खुले स्थान, जहां जमीन उनके द्वारा अधिकृत और विकसित की गई थी, आबंटित करने का निर्णय लिया (मार्च 1982)। उन मामलों में जहां खुला स्थान कोने वाले भू-खंड की चौड़ाई के बराबर था, ऐसे भू-खंड नीलामी द्वारा बेचे जाने थे। प्रासांगिक खुले स्थान मूल विक्रय मूल्य प्लस ब्याज पर आबंटित किए जाने थे। निर्णय उन मामलों में लागू नहीं था जहां हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा ने जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या अन्य विभागों से प्लाटेबल एरिया के आधार पर खरीदी थी क्योंकि उन मामलों में प्रासांगिक खुले स्थानों का स्वामित्व अभी भी उस प्राधिकरण के पास था। नीति को इस सीमा तक संशोधित किया गया (अक्तूबर 2003) कि कोने वाले भू-खंड के साथ लगे प्रासांगिक खुले स्थानों को 4 फुट से 6 फुट की चौड़ाई छोड़कर काटा जाना था। यदि, कोने वाले भू-खंड के साथ खुला स्थान कोने वाले प्लॉट से अधिक बचता था तो प्लॉट की नीलामी की जानी थी और यदि प्रासांगिक क्षेत्र सामान्य प्लाट क्षेत्र से कम था, तो खुले स्थान को बाजार दर पर आबंटित किया जाना था जो एक समिति द्वारा नियत किया जाना था जिसमें मुख्य अभियंता, मुख्य राजस्व अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा हाउसिंग बोर्ड के संबंधित कार्यकारी अभियंता / एस्टेट ऑफिसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या संबंधित तहसीलदार शामिल थे।

यह देखा गया कि एस्टेट मैनेजर, पानीपत ने 663²¹ वर्गगज के दो प्रासांगिक स्थान मूल आबंटियों को आबंटित किए। पानीपत का मकान नं. 1809 सैक्टर- 11- 12 भाग - 1, 202.05 वर्गगज का प्लाट था और प्लाट के साथ 370 वर्गगज का खुला स्थान था। एस्टेट मैनेजर, पानीपत ने 370 वर्गगज का यह स्थान दिसंबर 2011 और मई 2012 के बीच 2003 में प्रचलित दरों पर आबंटी को मनमाने ढंग से टुकड़ों में ₹ 20.49 लाख में आबंटित कर दिया। इसी प्रकार, उसी सैक्टर में मकान नं 1810, 202.05 वर्गगज के क्षेत्र पर बनाया गया था और उसके साथ 293 वर्गगज का खाली क्षेत्र था जोकि मकान नं. 1810 के आबंटी को फरवरी और मई 2012 के बीच ₹ 16.42 लाख में आबंटित कर दिया गया। यह भी देखा गया कि अन्य चार मामलों में हाउसिंग बोर्ड कालोनी देवी मंदिर, पानीपत में शाप - कम - फ्लैट संरच्चा 14 (40.02 वर्गगज), 15 (42.4 वर्गगज), 16 (40.6 वर्गगज) और 17 (38.8 वर्गगज) के पीछे 162 वर्गगज का खुला खाली स्थान उपर्युक्त शाप - कम - फ्लैटों के आबंटियों को, एस्टेट मैनेजर, पानीपत द्वारा अक्तूबर 2006 में आबंटित कर दिया गया।

²¹

(क) मकान नं. 1809: 14 दिसंबर 2011 को ₹ 8.01 लाख के लिए 150 वर्गगज; 15 फरवरी 2012 को ₹ 2.02 लाख के लिए 37 वर्गगज और 18 मई 2012 को ₹ 10.46 लाख के लिए 183 वर्गगज।

(ख) मकान नं. 1810: 14 फरवरी 2012 को ₹ 9.62 लाख की लागत पर 174 वर्गगज और 18 मई 2012 को ₹ 6.80 लाख की लागत पर 119 वर्गगज।

प्रासांगिक खुले स्थान का यह आबंटन सही नहीं था क्योंकि हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा संपत्ति का मालिक नहीं था तथा समिति द्वारा बाजार मूल्य के निर्धारण की नीति के विरुद्ध था। प्रासांगिक रूप से ये स्थान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य सेवाएं जैसे कि जल आपूर्ति, कचरे का संग्रहण, बिजली ट्रांसफार्मरों का स्थापन इत्यादि प्रदान करने के लिए रखे गए थे।

आडिट में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012) मुख्य प्रशासक, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा ने स्वीकार किया (अप्रैल 2013) कि उपर्युक्त मामलों में प्रासांगिक खुले स्थान का आबंटन पार्कों, योजनागत मकानों, खुले स्थानों, सड़कों इत्यादि से संबंधित अनुमोदित ले - आउट प्लान के प्रावधानों के विरुद्ध था तथा वाणिज्यिक संपत्ति के साथ लगे स्थान दुर्घटनाओं से बचाव के लिए विजन प्लै²² के लिए भी था। आगे यह बताया गया कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा नवंबर और दिसंबर 2012 में नियम 7 के अंतर्गत चार्ज शीट किया गया तथा मामला महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, पंचकुला को विस्तृत जांच के लिए भेजा गया (मार्च 2013)।

मामले पर 18 सितंबर 2013 को आयोजित एग्जिट काफ्रेंस में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार हाउसिंग विभाग के साथ चर्चा की गई जहां यह सूचित किया गया कि इन खुले स्थानों के संबंध में आबंटन/कन्वेंयंस डीड को रद्द करने के लिए कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। फाइनल कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

सूचना एवं जन संपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों का विभाग

3.9 सूचना, जनसंपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों के विभाग के कार्यालय में अनियमितताएं

गैर - अनुमोदित इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को ₹ 11.78 लाख की राशि के विज्ञापन जारी किए गए, कलाकारों के नियोजन पर ₹ 29.01 लाख का अनुचित व्यय किया गया तथा आवश्यकता का आकलन किए बिना पत्रिकाओं को मुद्रित किया गया।

सूचना एवं जन संपर्क तथा सांस्कृतिक मामलों का विभाग, सरकारी नीतियों तथा गतिविधियों का व्यापक प्रचार करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जिस ढंग से सरकार की प्रणाली कार्य करती है, यह उस बारे में नागरिकों को जानकारी देता है तथा उन्हें उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों के बारे में सूचित करता है तथा नागरिकों में गर्व की भावना को बढ़ाता है। महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क तथा सांस्कृतिक मामले विभाग के कार्यालय में 2008 - 13 की अवधि के अभिलेखों की अप्रैल तथा जुलाई 2013 के मध्य नमूना - जांच की गई तथा निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

(i) गैर - अनुमोदित इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को अनियमित विज्ञापन

आडिट संवीक्षा ने दर्शाया कि 'रेडियो मंत्रा' एक इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, व्यापक प्रचार के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु गठित समिति द्वारा अनुमोदित नहीं था। परंतु गैर सूचित 'रेडियो मंत्रा' को विज्ञापन जारी किए गए (फरवरी 2009) जिसके लिए ₹ 11.78 लाख का भुगतान किया गया (मई 2009)। चैनल शेयर, चैनलों के प्रभाव के विश्लेषण की अनुपस्थिति में, लक्षित विचारकों/श्रोताओं तक अभिलक्षित विषयवस्तु या सदेशों का व्यापकतम संभाव्य कवरेज

²² मोड़ पर स्पष्ट विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए।

का उद्देश्य मितव्ययी ढंग से प्राप्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार गैर अनुमोदित चैनल (रेडियो मंत्रा) को भुगतान किया गया ₹ 11.78 लाख का व्यय अनियमित था।

महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि विज्ञापनों को जारी करते समय मंत्रा का कार्यक्षेत्र तथा आवृत्ति की प्राकृति ध्यान में रखी गई थी, क्योंकि लोगों में इस चैनल की स्वीकृति का महत्वपूर्ण स्तर था। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि रेडियो मंत्रा, विज्ञापनों की रिलीज हेतु समिति द्वारा अनुमोदित नहीं था। अतः किया गया व्यय अनुचित था।

(ii) पत्रिकाओं के मुद्रण तथा वितरण में अनियमितताएं

पत्रिकाओं का आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर मुद्रित किया जाना अपेक्षित था। यह नोटिस किया गया कि:

➤ चार पत्रिकाएँ²³ संवाद सोसायटी के माध्यम से प्राइवेट प्रिंटरों से मुद्रित करवाई गई जो डाकखानों तथा दस्ती तौर पर/व्यक्तियों के माध्यम से वितरित की जानी थी परंतु प्रिंटिङ पत्रिकाओं के संबंध में वितरण का उचित अभिलेख मेनटेन नहीं किए गए जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 3.9.1: कलैंडर वर्ष 2008 – 12 के दौरान वितरित पत्रिकाओं के विवरण

पत्रिकाओं के नाम	कलैंडर वर्ष में प्रिंटिङ प्रतियों की संख्या				
	2008	2009	2010	2011	2012
हरियाणा संवाद	4,42,500	10,20,000	9,86,000	11,60,000	8,68,500
हरियाणा कृषि संवाद	4,10,000	10,00,000	9,73,000	11,60,000	8,68,500
हरियाणा रिव्यू	40,000	2,20,000	2,40,500	2,22,000	1,85,000
हरियाणा संवाद (पंजाबी)	-	-	90,000	1,04,000	40,500

(स्रोत: विभागीय आंकड़े)

➤ उपर्युक्त तालिका ने दर्शाया कि विभिन्न वर्षों के दौरान मुद्रित पत्रिकाओं की संख्या बढ़ गई थी परंतु बढ़ोत्तरी की आवश्यकता से संबंधित रिकार्ड नहीं बनाया गया था।

एगिट काफ्रेंस के दौरान महानिदेशक ने पत्रिकाओं के मुद्रण तथा वितरण में भिन्नता से संबंधित तथ्य स्वीकार किए विस्तृत उत्तर में (अक्टूबर 2013) यह कहा गया कि 2011 से स्टाक रजिस्टर का रख - रखाव किया जा रहा है, पत्रिकाओं को नियमित रूप से डिस्पैच किया जा रहा है तथा हरियाणा संवाद (पंजाबी) पत्रिका के अंकों की संख्या रजिस्ट्रार न्यूज ऑफ इंडिया नंबर प्राप्त करने के बाद निर्धारित की जाएगी। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि स्टाक रजिस्टर मेनटेन नहीं किया गया था तथा रजिस्ट्रार न्यूज ऑफ इंडिया नंबर प्राप्त किए बिना पत्रिकाओं को नियमित रूप से मुद्रित किया जा रहा था।

²³

(i) हरियाणा संवाद (अंग्रेजी), (ii) हरियाणा कृषि संवाद (iii) हरियाणा संवाद (पंजाबी) तथा (iv) हरियाणा रिव्यू।

(iii) कलाकारों की नियुक्त पर अविवेकपूर्ण व्यय

अपर निदेशक, सूचना तथा जन संपर्क की अध्यक्षता वाली समिति ने अनुबंध पर दो से पांच वर्ष का अनुभव²⁴ रखने वाले कलाकारों²⁵ को नियुक्त करने का निर्णय लिया। अखबारों के माध्यम से मासिक आधार पर 25 कलाकार प्रदान करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई परिणामस्वरूप चार बोलियां प्राप्त हुईं। समिति ने न्यूनतम बोलीदाता मैसर्ज लियो फेसिलिटेटर्ज, पंचकूला को अनुबंध देने का निर्णय लिया (नवंबर 2011) तथा इसे 19 दिसंबर 2011 को आयोजित किए जाने वाले प्रेक्टिकल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अपेक्षित मैनपावर से कम से कम तीन गुणा (75 कलाकार) प्रदान करने के लिए अनुरोध किया (दिसंबर 2011)। बोलीदाता ने यह सूचित करते हुए कि उनके पास पर्याप्त कलाकार उपलब्ध नहीं थे, केवल 24 कलाकारों की एक सूची भेजी थी।

आडिट में पाया गया कि प्रत्येक कलाकार के अनुभव का विवरण नहीं रखा गया था तथा कलाकारों का चयन वाछित शर्तों को पूर्ण किए बिना किया गया। समिति की सिफारिश पर, तुरंत प्रभाव से 24 अनुबंधित कलाकार प्रदान करने हेतु न्यूनतम बोलीदाता से अनुबंध किया गया (11 जनवरी 2012)। आगे यह नोटिस किया गया कि नियुक्त कलाकारों ने सितंबर 2012 तक नौ महीनों में केवल छः कार्यक्रम किए थे। इस अवधि के दौरान उन्हें ₹ 29.01 लाख का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए बाजार से पार्टिंग भी नियुक्त की गई थी, जिस पर ₹ 1.43 करोड़ का व्यय किया गया था। कलाकारों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तथा उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया (मई/अक्टूबर 2012)। इस प्रकार, अनुबंध आधार पर कलाकारों को नियुक्त करने हेतु किया गया ₹ 29.01 लाख का व्यय अविवेक पूर्ण था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (सितंबर 2013) प्रधान सचिव, सांस्कृतिक मामलों ने तथ्य स्वीकार किए तथा बताया कि ये कलाकार, अनुबंध आधार पर कार्यक्रम करने के लिए नियुक्त किए गए थे। विभाग का कार्यभार उनके पास आने के बाद यह महसूस किया गया कि इन कलाकारों की कोई उपयोगिता नहीं थी तथा इसलिए काट्रेक्ट समाप्त कर दिया गया। विभाग ने आगे उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि कुशल कलाकारों की अनुपलब्धता कार्यक्रम आयोजित करने में मुख्य बाधा थी तथा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में इन कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि केवल प्रशिक्षित कलाकारों की नियुक्ति की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार, कलाकारों को, नियुक्त करने का उद्देश्य विफल हो गया था।

(iv) मीडिया कर्मियों को अनियमित पुरस्कार आबंटन

सरकार ने मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए “हरियाणा मीडिया पुरस्कार” की स्थापना की (अगस्त 2009)। पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की जानी थी। राज्य स्तर के पुरस्कारों के लिए आवेदन राज्य मुख्यालय पर जमा करवाने थे। पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा उनकी प्रकाशित सर्वोत्तम चार न्यूज आइटम संलग्न की जानी थी। सरकार द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के

²⁴ गायिकाएं, नर्तकियां, नृत्य निर्देशक, कार्यक्रम समन्वयकर्ता, समूह प्रबंधक (महिला), वाद्य वादक: प्रत्येक को पांच वर्ष का अनुभव तथा आभूषण एवं ड्रैस इंचार्ज, मंच सहायक: तथा बैक स्टेज सहायक: दो वर्ष का अनुभव।

²⁵ नर्तक, गायक, नृत्य निर्देशक, वाद्य वादक, स्टेज एटेंडेंट्स तथा आभूषण एवं ड्रैस इंचार्ज इत्यादि।

उपरांत पुरस्कारों के लिए सिफारिशों दी जानी थी। समिति के पास, उन आवेदनों, जिनके साथ मदों तथा सेटों की न्यूनतम संख्या संलग्न नहीं थी, पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

यह नोटिस किया गया कि “विशेष राज्य पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार” फाइनल करने के लिए गठित समिति ने 16 मीडिया कर्मियों की सिफारिश की जिन्होंने पुरस्कार के लिए आवेदन भी नहीं किया था। जबकि चार मीडिया कर्मियों ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उचित निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बगैर 12 मीडिया कर्मियों को ₹ 4.92 लाख (₹ 41,000 प्रत्येक की दर पर) दिए गए जो अनियमित था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क ने बताया कि मीडिया पर्सनेज को पुरस्कार देने के लिए निर्णय समिति द्वारा लिया गया था तथा स्कीम को लागू करने में आई कठिनाई को दूर करने के लिए स्कीम में आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन करने के लिए सरकार सक्षम थी। यह भी बताया गया था (अक्टूबर 2013) कि समिति की सिफारिशों पर, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद, उत्कृष्ट पत्रकारों को पुरस्कार दिए गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पुरस्कार नहीं दिए गए थे तथा उपर्युक्त औचित्य के बिना पुरस्कार आबंटन की प्रथा उच्च वित्तीय व्यवहार के अनुरूप नहीं थी।

उपर्युक्त बिंदु अगस्त 2013 में सरकार को भेजे गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, सितंबर 2013 में आयोजित एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, सांस्कृतिक मामले तथा महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क के साथ इन बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए थे तथा एग्जिट काफ्रेंस के विचार विमर्श ध्यान में रखे गए हैं तथा उपर्युक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

सिंचाई विभाग

3.10 माइनर के निर्माण पर निष्फल व्यय

सिंचाई विभाग के दो मंडलों के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 15.97 करोड़ की लागत से निर्मित एक माइनर अप्रयुक्त रही।

सरकार द्वारा रेवाड़ी जिले के नंदरामपुरबास तथा धारुहेड़ा क्षेत्र के निवासियों को पेयजल तथा सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए ₹ 13.12 करोड़ की एक परियोजना नंदरामपुरबास माइनर का निर्माण, किलोमीटर 0.00 से 12,973 आफ टेकिंग एट किलोमीटर 6,500 आर. रालियावास डिस्ट्रीब्यूटरी, रालियावास डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता बढ़ाने तथा किलोमीटर 0 से 6,500 किलोमीटर तक रालियावास डिस्ट्रीब्यूटरी की रीमाइलिंग करने सहित अनुमोदित की गई। प्रस्ताव का संशोधन कर इसे ₹ 16.15 करोड़ के लिए आफ टेकिंग प्लाइंट से रिचार्ज चैनल के अंतिम छोर (किलोमीटर 8,100 - आर.), दो पप हाउसों (किलोमीटर 0 तथा किलोमीटर 4,600 पर) का निर्माण तथा लंबाई किलोमीटर 9,853 कर दिया गया। परियोजना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबांड) से, 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर सात वर्षों में पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण द्वारा वित्त पोषित की गई थी। परियोजना में, 8,670 हैक्टेयर में सिंचाई की योग्यता के सृजन हेतु प्रावधान किया गया था।

कार्यकारी अभियंता, निर्माण मंडल सं. - 33, रेवाड़ी ने, नवंबर 2007 तथा अगस्त 2008 में एजेंसियों को माइनर के निर्माण कार्य आर्बटित किए जो अक्टूबर 2010 में पूर्ण किए गए। बाद में, कार्यकारी अभियंता, वाटर सर्विसिज मैकॉनिकल मंडल, रेवाड़ी ने जुलाई 2009 में पंप हाऊसों के निर्माण का कार्य आर्बटित किया जो ₹ 94.26 लाख की लागत पर अक्टूबर 2010 में पूर्ण किया गया। परियोजना पर ₹ 15.97 करोड़²⁶ का कुल व्यय किया गया।

आडिट के दौरान (मई 2011 तथा फरवरी 2012) यह देखा गया कि अक्टूबर 2010 में परियोजना के पूर्ण होने के बाद टेरिटिंग के सिवाय माइनर में पानी नहीं छोड़ा गया तथा ढांचे अप्रयुक्त पड़े थे। आडिट में इंगित किए जाने के बाद, कार्यकारी अभियंता, कंस्ट्रक्शन मंडल ने, माइनर अगस्त 2013 में कार्यकारी अभियंता, वाटर सर्विसिज मंडल सं. 2, रेवाड़ी को सौंप दी। कार्यकारी अभियंता, वाटर सर्विसिज मंडल सं. 2 रेवाड़ी ने देखा (अगस्त 2013) कि तट की ऊपर की चौड़ाई डिजाइन की गई चौड़ाई से कम थी, कई स्थानों पर आउटर साइड स्लोपस अपर्याप्त थे, तल सिलिंडर था तथा घास / झाड़िया उगी हुई थी। इसके अतिरिक्त, भूमिगत सुदृढ़ सीमेंट कंकरीट पाइप लाइनें बिछाने के लिए अधिगृहीत 11 फीट चौड़ी भूमि पट्टी पूर्ण रूप से अतिक्रमित थी तथा इस पर फसल उगी हुई थी। इस प्रकार, माइनर के प्रयोग न करने के कारण माइनर के निर्माण पर किए गए ₹ 15.97 करोड़ के व्यय ने लक्षित गांवों को सिंचाई तथा पेयजल प्रदान करने के अभीष्ट लाभ नहीं दिए थे।

मामला जून 2013 में सरकार को भेजा गया था परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी, मामले पर, 14 अक्टूबर 2013 को आयोजित एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग के साथ चर्चा की गई थी। जिसमें प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि अगस्त 2013 में माइनर में पानी छोड़ दिया गया था तथा आश्वासन भी दिया कि इस संबंध में आडिट को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने के लिए एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। 24 अक्टूबर 2013 को विभागीय अधिकारियों के साथ मौके का दौरा करने के बाद कार्यकारी अभियंता, वाटर सर्विसिज मंडल सं. 2, रेवाड़ी ने उत्तर दिया कि भूमि तट की ऊपर की चौड़ाई कुछ सीमा तक कटी हुई थी, पाइप की पुलियों के लिए ड्राइंग्ज तैयार की गई हैं तथा अनुदान प्रक्रिया अधीन थे, माइनर पर, भूमि तटों को उठा कर आवाजाही बंद कर दी गई थी, आउटलेट्स संस्वीकृत नहीं किए गए थे तथा दो दिन अर्थात् 11 और 12 अक्टूबर को जल माइनर के अंतिम सिरे तक पहुंच गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केवल दो दिनों को छोड़कर गेज स्लिपस तथा पंप हाऊसों की लॉग बुक्स, उत्तर के समर्थन में आडिट को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त टूटे हुए तटबंधों तथा पुलियों के निर्माण के बिना माइनर को पूर्ण रूप से चालू करना असंभव था। आउटलेट्स की स्वीकृत न देना भी यह दर्शाता है कि माइनर का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया गया। अतः परियोजना अक्टूबर 2010 में निर्मित होने के बाद से उपयोग में नहीं लाई गई थी।

²⁶

भूमि की लागत: ₹ 6.18 करोड़; सिविल वर्क्स: ₹ 8.85 करोड़ तथा पंप हाऊस एवं उनका विद्युतिकरण: ₹ 0.94 करोड़।

3.11 पंचकुला के पास कौशल्या नदी पर बांध के निर्माण में अनियमितताएं और कमियां

₹ 208.37 करोड़ की लागत से निर्मित कौशल्या बांध द्वारा पंचकुला कस्बे को पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था। पूरक अनुबंध पर जमानत की कटौती न करके ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया था और लिक्यूडेटड डैमेज नहीं लगाए गए थे।

सरकार ने पंचकुला कस्बे²⁷ को पेयजल की आपूर्ति, भूमि जल के रिचार्ज, अस्थाई बाढ़ों के नियंत्रण, पर्यटन और जलाशय क्षेत्र में मछली पालन को प्रोत्साहन के विचार से ₹ 51.37 करोड़ की लागत पर जिंजौर के पास कौशल्या नदी पर एक मिट्टी के बांध के निर्माण के लिए एक परियोजना अनुमोदित की (दिसंबर 2005)। भूमि की लागत, नदी के दूसरी ओर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे निवासीय सेक्टरों के लिए रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए बांध की ऊंचाई और ऊपरी चौड़ाई में वृद्धि के कारण प्रशासनिक अनुमोदन ₹ 217 करोड़ तक संशोधित कर दिया गया (सितंबर 2011)। सिंचाई विभाग ने ₹ 208.37 करोड़ की लागत पर 34 मीटर ऊंचाई और 30 मीटर ऊपरी चौड़ाई के साथ मिट्टी के बांध का निर्माण किया (मई 2013 तक)।

कार्यकारी अभियंता, घग्गर डैम मंडल, पंचकुला के आडिट के दौरान निम्न अनियमिताएं देखी गईं:

(i) उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

बांध, पंचकुला कस्बे को पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बनाया गया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2013 तक ₹ 43.25 करोड़ का व्यय करके पंचकुला कस्बे को पेयजल प्रदान करने के लिए वाटर वर्क्स स्ट्रक्चरज निर्मित किए थे और पाईप लाइनें बिछाई थीं परंतु कौशल्या बांध के जलाशय में पानी की उपलब्धता न होने के कारण सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी। इस प्रकार, ₹ 208.37 करोड़ का भारी व्यय करने के बावजूद बांध के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

एगिट काफ्रेंस (अक्टूबर 2013) के दौरान, प्रधान सचिव ने सूचित किया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 8 क्यूसिक/प्रतिदिन की आपूर्ति करके आंशिक उपलब्धि की गई थी। परंतु तथ्य रहता है कि परियोजना से अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि अपेक्षित मात्रा 40.3 क्यूसिक/प्रतिदिन (16 जुलाई से 30 सितंबर) तथा 18.4 क्यूसिक प्रतिदिन (1 अक्टूबर से 15 जुलाई) थी। जून 2013 में जलाशय में जल का स्तर 450 मीटर तल स्तर के विरुद्ध 456.90 मीटर के उच्च स्तर पर था। जबकि जहां से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को जल की आपूर्ति की जानी थी वह आउटलेट 460 मीटर पर था। इस प्रकार, जल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को आपूरित नहीं किया जा सकता था।

²⁷

भरने की अवधि (16 जुलाई से 30 सितंबर) के दौरान 40.3 क्यूसिक और खाली करने की अवधि (1 अक्टूबर से 15 जुलाई) के दौरान 18.4 क्यूसिक।

(ii) एजेंसी के विरुद्ध निर्धारित क्षतिपूर्ति का न लगाया जाना

कौशल्या बांध के निर्माण तथा इसके संबंध कार्यों का आवंटन मार्च 2008 में एक एजेंसी को किया गया जो कि 30 जून 2010 तक पूर्ण किया जाना था। निर्धारित समयावधि में कार्य के समापन न होने के लिए इकरारनामे की शर्त 39.3 के अनुसार कार्य के मूल्य / अंतिम कांट्रैक्ट मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से एजेंसी के विरुद्ध लिक्यूडेटड डैमेज लगाए जाने थे। समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2011 कर दी गई थी परंतु एजेंसी बढ़ाई गई समय सीमा में भी कार्य पूर्ण करने में विफल रही तथा कार्य जून 2012 में पूर्ण किया गया। विभाग ने न तो समयसीमा बढ़ाई न ही एजेंसी के विरुद्ध ₹ 11.29 करोड़ (₹ 112.99 करोड़ की एग्रीमेंट राशि का 10 प्रतिशत) का लिक्यूडेटड पेनल्टी लगाई।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि मामला विचाराधीन था और समय वृद्धि की मात्रा तथा लिक्यूडेटड डैमेजस का निर्णय किया जाना अभी बाकी था। तथापि, तथ्य रह जाता है कि कार्य के समापन की तिथि से 18 महीने बीत जाने के बाद भी पेनल्टी की प्रमात्रा का निर्णय नहीं किया गया था।

(iii) कम जमानत की कटौती करके ठेकेदार को अदेय लाभ

लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुच्छेद 13.11.1 में प्रावधान है कि प्रत्येक रनिंग बिल की सकल राशि के 10 प्रतिशत की दर पर जमानत की कटौती सभी रनिंग बिलों से की जाएगी जब तक टेंडर मूल्य का 5 प्रतिशत तक जमानत राशि न पहुंच जाए।

मार्च 2008 में, बांध के निर्माण का कार्य ₹ 52.99 करोड़ की एग्रीमेंट राशि पर एक एजेंसी को आवंटित किया गया था। बाद में, कार्य में वृद्धि के कारण जून 2009 में ₹ 60 करोड़ का एक पूरक एग्रीमेंट करके इसे ₹ 112.99 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। यह देखा गया कि केवल ₹ 52.99 करोड़ के इकरारनामे के लिए ठेकेदार के रनिंग बिलों से जमानत के तौर पर ₹ 2.64 करोड़ की राशि कटौती की गई और ₹ 60 करोड़ के पूरक कांट्रैक्ट मूल्य से जमानत की कटौती नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य के विरुद्ध जमानत कम करने से ₹ तीन करोड़ का ठेकेदार को अदेय लाभ हुआ।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि जमानत की कटौती एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एग्रीमेंट की राशि ₹ 112.99 करोड़ तक बढ़ा दी गई थी और राज्य के हितों की रक्षा के लिए बढ़ाई गई राशि से भी जमानत वसूलनीय थी।

उपर्युक्त बिंदु जुलाई 2013 में सरकार को भेजे गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, 14 अक्टूबर 2013 को आयोजित एग्जिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग के साथ बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए तथा एग्जिट काफ्रेंस के विचार विमर्श उपर्युक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.12 अपूर्ण जल आपूर्ति स्कीम पर निष्फल व्यय

सिरसा जिले में नाथुसारी चौपटा में ₹ 74.32 लाख खर्च करके निर्मित वाटर वर्क्स, इनलेट चैनल के निर्माण न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

लोक निर्माण विभाग संहिता का अनुच्छेद 10.1.3 प्रावधान करता है कि किसी भी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय, भूमि की उपलब्धता सहित फ़ील्ड अवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए साईट का निरीक्षण किया जाना चाहिए। संहिता के अनुच्छेद 10.7.2 में आगे यह प्रावधान है कि जल आपूर्ति स्कीम का कार्य प्रारंभ करने से पहले विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय स्कीम का औचित्य, तकनीकी, वित्तीय और अन्य मानदंडों से जांचना अपेक्षित है।

स्टेट सेनिटरी बोर्ड, हरियाणा ने, सिरसा जिले में नाथुसारी चौपटा में गांव निवासियों की मांग पर पृथक वाटर वर्क्स के लिए ₹ 85.30 लाख का अनुमान अनुमोदित किया (मई 2006)। वाटर वर्क्स के लिए नहरी जल कुटियाना डिस्ट्रीब्यूटरी से प्रस्तावित किया गया जिसके लिए 7,200 फुट लंबा 12 इंच आंतरिक डाया के सीमेंट कंकरीट पाईप चैनल का प्रावधान किया गया। चैनल का निर्माण वर्तमान सड़क और आम रास्तों के साथ प्रस्तावित किया गया था जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। कार्य²⁸ नौ मास की समाप्ति अवधि, जोकि नवंबर 2007 तक की थी, के साथ ₹ 69.75 लाख की अनुबंध राशि पर फरवरी 2007 में एक ठेकेदार को आवंटित किया गया था। ठेकेदार ने फरवरी 2009 तक ₹ 50 लाख का कार्य पूर्ण कर दिया और शेष कार्य अधूरा छोड़ दिया क्योंकि किसानों ने इनलेट चैनल बिछाने के लिए निःशुल्क भूमि देने से मना कर दिया था। जुलाई 2010 तक कार्य पर ₹ 74.32²⁹ लाख का कुल व्यय किया गया और कार्य फरवरी 2009 से अधूरा पड़ा था।

तत्पश्चात्, स्टेट सेनिटरी बोर्ड ने ₹ 1.30 करोड़ का एक संशोधित अनुमान अनुमोदित किया (जून 2011), जिसकी तकनीकी कलीयरेंस अभी प्रतीक्षित थी। संशोधित अनुमान में, भूमि की उपलब्धता न होने और कम बहाव के कारण नहरी पानी का स्रोत बदलकर कुटियाना डिस्ट्रीब्यूटरी से बारूवाली डिस्ट्रीब्यूटरी कर दिया गया और नए स्रोत से इनलेट चैनल बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान किया गया। आडिट में इंगित किए जाने के बाद 24 जुलाई 2013 को कार्यकारी अभियंता ने जिला राजस्व अधिकारी, सिरसा को धारा - 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रस्तुत किया।

यह देखा गया कि उपर्युक्त कार्य, कोई औचित्य अध्ययन करवाए बिना तथा इनलेट चैनल के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, किया गया था, जिसके कारण कार्य फरवरी 2009 से अधूरा तथा परित्यक्त पड़ा था। इस प्रकार, योजना में खासी से ₹ 74.32 लाख के निवेश के बावजूद निवासियों को स्कीम के अपेक्षित लाभ न मिलने में स्कीम अनुपयोगी थी।

²⁸

12 इंच आंतरिक डाया की सीमेंट कंकरीट पाईप चैनल उपलब्ध कराना तथा बिछाना, एक भंडारण तथा सेडिमेटेशन टैंक, नहरी जल खींचने का कुआं, पंच चैंबर, तीन सीमेंट कंकरीट फिल्टर बैडस, शुद्ध जल टैंक, शुद्ध जल खींचने वाला कुआं, बाहरी दीवार, लोहे का गेट, हैड वर्क्स पर पाइपलाईन, मशीनरी की आपूर्ति, प्रतिस्थापन तथा चालू अवस्था में करना इत्यादि।

²⁹

ठेकेदार का भुगतान = ₹ 50 लाख तथा सामग्री की लागत ₹ 24.32 लाख।

प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अपने उत्तर में सूचित किया (जुलाई 2013) कि प्रस्तावित इनलेट चैनल भूमि अधिग्रहण के दस्तावेज जिला राजस्व अधिकारी सिरसा के द्वारा तैयार किए जा रहे थे तथा भूमि अधिग्रहण के बाद इनलेट चैनल का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस प्रकार, तथ्य रहता है कि योजनागत कमी के कारण ₹ 74.32 लाख व्यय करके निर्मित वाटर वर्क्स के ढांचों से अभीष्ट प्रयोजन प्राप्त नहीं किया जा सका।

लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)

3.13 अपूर्ण कार्य

निर्माण स्थल अनुपलब्धता, कार्यों के ड्राईंग तथा डिजाइन समय पर उपलब्ध न करवाने तथा योजनागत खामी के कारण कार्य पूर्ण करने में देरी हुई तथा अपूर्ण कार्यों पर ₹ 2005.18 करोड़ का व्यय निष्फल, बिना किसी लाभ के किया गया।

31 मार्च 2013 को लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के प्रबंधन सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार, लक्ष्य तिथि तक 76 भवन निर्माण कार्य पूर्ण³⁰ नहीं किए गए थे। इनमें से 52 निर्माण कार्यों के रिकार्ड के नमूना - जांच से निम्नलिखित अनियमिताएं प्रकट हुईः

➤ निर्माण स्थल से बाधाएं जैसे कि बिजली की लाइनें, अतिक्रमण, भूमि विवाद, पेड़ इत्यादि हटाए बिना जैसा कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग सहिता के अनुच्छेद 13.12.1 तथा 16.1.1 के अंतर्गत अपेक्षित था, बाहर भवन निर्माण कार्य³¹ जिन पर ₹ 62.20 करोड़ का व्यय अप्रैल 2013 तक किया गया था, आबंटित किए गए थे। बाधाएं निर्माण कार्य के आबंटन से 4 तथा 50 मास के बीच शृंखलित देरी के बाद हटाई गई। एक मामले³² में ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया क्योंकि ठेकेदार को प्रदान की गई भूमि पंचायत की जमीन थी जिस पर ₹ 6.24 लाख का किया गया व्यय व्यर्थ हो गया। इससे परियोजना पूर्ण करने में 12 मास तक की देरी हुई।

एग्रिट काफ्रेंस के दौरान (अक्तूबर 2013) प्रधान सचिव ने स्वीकारा कि कई बार निर्माण कार्य को गति देने के लिए स्पष्ट निर्माण स्थल की उपलब्धता से पहले निर्माण कार्य आबंटित किए गए थे तथा कुछ मामलों में, विभिन्न विभागों से विभिन्न कलीरेसिस प्राप्त करने के लिए तथा उपयोगी सेवाओं को बदलने हेतु समय लगता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोडल प्रावधानों के अनुसार, निर्माण कार्य स्पष्ट निर्माण स्थल की उपलब्धता के पश्चात् ही आरंभ किया जाना चाहिए।

➤ 25 भवन निर्माण कार्यों के मामले में जिस पर मई 2013 तक ₹ 111.74 करोड़ रुपये किए गए, ठेकेदारों को आबंटन के 4 से 38 मास के बीच की देरी के बाद ड्राइंग्स प्रदान किए

³⁰ जहां निर्माण कार्य या तो छोड़ा गया था अथवा किसी स्टेज पर रोका गया था अथवा प्रगति बहुत धीमी थी तथा निश्चित लक्ष्य तिथि के बाद पूर्ण नहीं किया गया था, वह कार्य अधूरा माना गया है।

³¹ पांच सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दो राजकीय कालेज, एक लघु सचिवालय तथा 50 बिस्तर वाला एक सरकारी अस्पताल।

³² प्रान्तीय मंडल, बहादुरगढ़ में बादली में राजकीय कालेज का निर्माण कार्य।

गए जो हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुच्छेद 10.6.12 की अपेक्षा के विरुद्ध थे जो प्रावधान करता है कि ड्राइंग ठेका देते समय प्रदान किया जाना चाहिए।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान (अक्टूबर 2013), प्रमुख अभियंता ने कहा कि उपभोक्ता विभागों ने निर्माण कार्य के दौरान डिजाइन बदल दिए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग को कोडल प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता विभागों से डिजाइनों का लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

➤ लोक निर्माण विभाग संहिता का अनुच्छेद 10.9.3 प्रावधान करता है कि आंतरिक सेवाएं, मुख्य/पहुंच सड़क, चारदीवारी, फैसिज, गेटवे, आंतरिक सड़क तथा रास्ते तथा भूमि विकास सहित भवन के सभी घटक, भवन निर्माण कार्य के अनुमान में शामिल किए जाने चाहिए तथा मुख्य भवन के साथ निर्माण किया जाना चाहिए। 12 भवन निर्माण कार्य जिस पर ₹ 31.24 करोड़ खर्च किया गया था, परियोजनाओं को लघु कार्यों में विभाजित करके टुकड़ों में निष्पादित किया गया। बांध निर्माण कार्य, मुख्य निर्माण कार्यों के साथ आबंटित नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप, परियोजनाएं अपूर्ण रही।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने सूचित किया कि सड़कों/पार्किंग के लिए टैंडर अन्तिम चरण में आमत्रित किए जाते थे परंतु गत समय में समस्या उत्पन्न होने पर, अब सभी घटक मुख्य टैंडर का हिस्सा बनाए जाते हैं।

➤ संहिता का अनुच्छेद 13.18.1 (डी) प्रावधान करता है कि टैंडर की स्वीकृति कोई काऊंटर प्रस्ताव किए बिना, निरपेक्ष होनी चाहिए, प्रान्तीय मंडल, नूंह में 'मेवात जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पथेनी के निर्माण कार्य के लिए मई 2010 में निविदाएं पुनःआमत्रित की गई क्योंकि पहली बार केवल एक निविदा प्राप्त हुई थी। ₹ 1.36 करोड़ पर पुनःप्राप्त अकेली निविदा, हरियाणा अनुसूची दरों की जमा सीलिंग प्रीमियम से 28.84 प्रतिशत अधिक थी तथा विभाग ने इस शर्त पर, कि संपूर्ण अधिकता हरियाणा अनुसूची दरों जमा सीलिंग प्रीमियम तथा विश्लेषणात्मक लागत के 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।' निर्माण कार्य दिसंबर 2010 में आबंटित किया गया। एजेंसी ने लगाई गई एकपक्षीय शर्त को स्वीकार नहीं किया। निविदाएं पुनःआमत्रित की गई (अगस्त 2012) तथा कार्य दूसरी एजेंसी को ₹ 1.58 करोड़ की लागत पर आबंटित किया गया जिससे कार्य को पूर्ण करने में 26 माह से अधिक की देरी हुई तथा परिणामस्वरूप ₹ 0.22 करोड़ (₹ 1.58 करोड़ - ₹ 1.36 करोड़) की अतिरिक्त देयता हुई।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, प्रमुख अभियंता ने कहा कि विभाग ने निर्माण कार्यों के आबंटन के लिए अधिकतम सीलिंग नियत की थी जिसके कारण एजेंसी को उसी सीमा के भीतर निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए कहा गया था। उत्तर कोडल प्रावधानों के विरुद्ध था।

➤ अनुच्छेद 13.18.1 आगे प्रावधान करता है कि निविदा की स्वीकृति, निविदा की वैधता अवधि के भीतर की जानी चाहिए। प्रान्तीय मंडल, नूंह में, 18 जून 2010 को 'जमालगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य' हेतु ₹ 121.60 लाख पर प्राप्त अकेली निविदा, 90 दिन की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद दिसंबर 2010 में फाइनल की गई तथा एजेंसी ने वैधता अवधि को बढ़ाने से मना कर दिया। इसके पश्चात, निविदाएं पुनःआमत्रित की गई जो उसी एजेंसी को ₹ 131.40 लाख पर आबंटित किया गया (फरवरी 2011)। इससे ₹ 9.80 लाख की अतिरिक्त लागत के साथ निर्माण कार्य की पूर्णता में आठ माह की देरी हुई।

उपर्युक्त बिंदु जुलाई 2013 में सरकार को भेजे गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, बिंदुओं पर 11 अक्टूबर 2013 को आयोजित एगिजट काफ्रेंस में प्रधान सचिव, लोक निर्माणविभाग (भवन एवं सड़कें) के साथ चर्चा की गई थी तथा एगिजट काफ्रेंस के विचार विमर्श उपयुक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

**लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें), सिंचाई तथा
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**

3.14 विविध लोक निर्माण अग्रिम

₹ 213.18 करोड़ विविध लोक निर्माण अग्रिमों में बकाया थे जो कि मुख्यतः सामग्री /सेवा की प्राप्ति के बाद भी, अग्रिमों के असमायोजन ₹ 127.62 करोड़, ठेकेदारों से ₹ 27.51 करोड़ तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से ₹ 1.55 करोड़ की वसूली न करने के कारण थे।

विविध लोक निर्माण अग्रिम एक ट्रांजिट्री सम्पर्क है जिसके अंतर्गत मदों को अस्थाई तौर पर दर्ज किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति से वास्तविक वसूली या संबद्ध खाता शीर्ष में हस्तांतरित कर समायोजित किया जाता है। मार्च 2008 में विविध लोक निर्माण अग्रिम में भारी बकाया शेष थे जिसके लिए 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद 4.5.2 में उल्लेख किया गया था। लोक लेखा समिति ने सिफारिश की (मार्च 2012) कि विभागों को लंबित राशि के शीघ्र समायोजन के लिए प्रयत्न करने चाहिए। तथापि, सभी तीन विभागों³³ के मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए गए मार्च 2013 के मासिक खातों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ताओं, ठेकेदारों, अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के विरुद्ध ₹ 213.18 करोड़ की राशि बकाया पड़ी थी। विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत भारी बकाया शेषों के संचयन के कारणों की जांच के लिए, सभी तीन विभागों के 201 मंडलों में से 74³⁴ मंडलों का चयन किया गया। तीनों विभागों के मार्च 2008 के साथ - साथ मार्च 2013 को बकाया शेषों की स्थिति को तालिका 3.14.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14.1: विविध लोक निर्माण अग्रिम के बकाया शेषों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सिंचाई	भवन एवं सड़क	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	कुल	सिंचाई	भवन एवं सड़क	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	कुल	वृद्धि
विभाग में स्थिति	94.74	41.95	44.16	180.85	31.81	131.67	49.70	213.18	32.33
नमूना - जांच किए गए 74 मंडलों की स्थिति	8.37	24.85	33.61	66.83	29.21	109.88	43.68	182.77	115.94

(स्रोत: मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक खाते)

31 मार्च 2013 को नमूना - जांच की गई 74 मंडलों में 1,660 मदों के विरुद्ध ₹ 182.77 करोड़ बकाया था। इनमें से ₹ 26.07 करोड़ से आवेष्टित 1,080 मदों दस वर्षों से भी अधिक पुरानी थी। 74 मंडलों के अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान निम्नलिखित कमियां नोटिस की गईः

³³ (i) लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) (ii) सिंचाई विभाग तथा (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

³⁴ भवन एवं सड़कः 17, सिंचाईः 35, और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागः 22

(i) बकाया शेषों का समायोजन न करना

नमूना - जांच किए गए मंडलों में नोटिस किया गया कि विविध लोक निर्माण अग्रिम में बकाया दर्शाए गए (31 मार्च 2013) ₹ 182.77 करोड़ में से ₹ 127.62 करोड़, आपूर्तिकर्त्ताओं/फर्मों तथा अन्य विभागों के विरुद्ध बिजली प्रभारों, भूमि अधिग्रहण इत्यादि के लिए किए गए भुगतान के असमायोजन के कारण थे, जैसा कि तालिका 3.14.2 में वर्णन किया गया हैं।

तालिका 3.14.2:असमायोजन के कारण विविध लोक निर्माण अग्रिम का संचय

मंडल का नाम	31 मार्च 2013 को बकाया शेष (₹ करोड़ में)	अग्रिम की तिथि	अग्रिम का उद्देश्य	असमायोजन के कारण
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)				
प्रांतीय मंडल, पानीपत	81.32	रनिंग अकाउंट शेष	विभाग के सभी मंडलों के लिए बिटुमन का प्राप्त	सामग्री प्राप्त की गई परंतु विविध लोक निर्माण अग्रिम में, विभाग के अंदर विभिन्न मंडलों के बीच खातों के असमायोजन के कारण समायोजित नहीं की गई।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग				
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, पंचकूला	16.12	मार्च 2002	बकाया बिजली प्रभारों का भुगतान	विभाग के विभिन्न मंडलों के बीच खातों का असमायोजन
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, पंचकूला	5.30	1992 – 93	बकाया बिजली प्रभारों का भुगतान	विभाग के विभिन्न मंडलों के बीच खातों का असमायोजन
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संरच्या - I रेवड़ी	3.82	जून 2010	बिजली प्रभारों का भुगतान	उप-मंडल कार्यालयों में समन्वय के अभाव के कारण विभिन्न वाटर वर्स के विरुद्ध भुगतान का असमायोजन
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल - I भिवानी, डी.एंडपी. सोनीपत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचकूला	0.57	मार्च 2004 एवं जुलाई 2011 के मध्य	सीमेंट का प्राप्त	एल.ओ.सी. की उपयोगिता दर्शाते हुए ड्राफ्ट तैयार किए गए थे परंतु सीमेंट वास्तव में प्राप्त नहीं किया गया।
सिंचाई विभाग				
वाटर सर्विस मंडल - I एवं II, रेवड़ी तथा महेंद्रगढ़ कनाल व टाटर सर्विसेज मंडल, चरखी दादरी	15.72	मार्च 2010 से जून 2011	भूमि का अधिग्रहण	भूमि अवार्ड जनवरी 2010 से अक्टूबर 2011 के मध्य दिए गए परंतु राशियां को विविध लोक निर्माण अग्रिम में समायोजित नहीं किया गया।
वाटर सर्विसीज मंडल, जगाधरी	4.77	फरवरी 2009 एवं दिसंबर 2011	शाहपुर-नलवी फीडर पर रेलवे पुल के सुदृढ़ सीमेंट कंकरीट बाक्स का निर्माण	समायोजित नहीं किए गए क्योंकि रेलवे से कार्य पूर्ण करवाने में विभाग विफल रहा।
कुल	127.62			

(स्रोत: संबंधित मंडलों द्वारा आपूरित सूचना)

आडिट द्वारा इंगित किए जाने के बाद दो मंडलों ने ₹ 12.29 करोड़³⁵ समाशोधित कर दिए। बाकि मदों पर कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

(ii) ठेकेदारों से पेनल्टी की अवसूली

315 ठेकेदारों के विरुद्ध ₹ 27.51 करोड़ की राशि निर्धारित क्षतियों, उनके जोखिम एवं लागत पर निष्पादित, छोड़े गए कार्यों की लागत इत्यादि के कारण बकाया थी। इनमें से, 209 मामलों में ₹ 7.54 करोड़ पांच वर्ष से भी अधिक समय से बकाया थे। आडिट में इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने सूचित किया (जून तथा जुलाई 2013) कि ये मदें बिलों, आरबीट्रेशन तथा कोर्ट मामलों के फाइनल न होने, मंडलों/परिमिंडल में एजेंसियों के काम न करने के कारण बकाया थे तथा पुराने मामलों में ठेकेदारों/एजेंसियों के पते मालूम नहीं थे। तथ्य, फिर भी रहता है कि विभागों द्वारा, या तो वास्तविक वसूली/समायोजन करके या सरकार से शेषों को राइट आफ करवाकर विविध लोक निर्माण अग्रिम शेषों को समाशोधित करने के लिए ठोस प्रयत्न नहीं किए गए थे।

कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल संरच्चया - 4, रोहतक ने जनवरी तथा अप्रैल 2009 में तीन कार्यों³⁶ के पूर्ण न होने के कारण देय लिकिवडेटड डैमेजेस के रूप में एजेंसी³⁷ से वसूली के अभाव में, विविध लोक निर्माण अग्रिम में ₹ 12.17 करोड़ रख दिए। सरकार ने राशि की वसूली हेतु कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति मई 2013 में प्रदान कर दी, मुकदमा अभी भी दायर किया जाना शेष था (फरवरी 2014)।

(iii) अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली न करना

सामग्री की कमी, अप्राधिकृत भुगतान, अधिक भुगतान, टेलीफोन शुल्क इत्यादि के रूप में तीन विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 522 मामलों में ₹ 1.55 करोड़ की राशि बकाया थी। 522 मामलों में से, ₹ 0.90 करोड़ से आवेष्टित 479 मामले मार्च 2008 से पहले की अवधि से संबंधित थे। इस प्रकार, विभागों ने बकाया राशि की वसूली के लिए संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही नहीं की थी।

(iv) अन्य कमियां

➤ 18 मंडलों में 67 मदों के विरुद्ध ₹ 1.40 करोड़ के ऋणात्मक शेष मुख्यतया विविध लोक निर्माण अग्रिम में प्राप्तियों को गलत क्रेडिट कर देने, सामग्री की अधिक प्राप्ति दर्शने इत्यादि के कारण थे। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि इस प्रकार की मदों की जांच की जा रही है तथा उचित समायोजन शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

³⁵ लोहारू वाटर सर्विसिज (मैकैनिकल) मंडल, चरखी दादरी ने अगस्त 2013 में ₹ 4.34 करोड़ समाशोधित किए जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के विरुद्ध बकाया दिखाए गए थे। जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग, पंचकुला ने सितंबर 2013 में ₹ 7.93 करोड़ समाशोधित किए जो मैसर्ज भूषण स्टील तथा मैसर्ज महिंद्रा एंड महिंद्रा इत्यादि के विरुद्ध बकाया दिखाए गए थे।

³⁶ (i) नई जिला जेल, रोहतक (ii) पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में ओ.पी.डी. का निर्माण (iii) पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में ट्रॉमा केंद्र, मदर/शिशु अस्पताल तथा दंत चिकित्सालय के विस्तार का निर्माण।

³⁷ मैसर्ज त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन डेवलपर तथा विल्डर्ज, नोएडा।

➤ लेरवा सहिता - वाल्यूम - III के अनुच्छेद 57 के प्रावधानों की अनुपालना न करते हुए, पांच मंडलों में भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को दिए गए अग्रिम भुगतान को अनियमित रूप से, विविध लोक निर्माण अग्रिम में रखने के बजाय संबद्ध कार्यों को अनियमित रूप से प्रभारित किया जा रहा था तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा रिफंड किए गए ₹ 7.42 करोड़ को संबद्ध कार्यों पर किए गए व्यय को कम करने के बजाय, विभाग की विविध प्राप्तियों के रूप में जमा करवा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के आंकड़े बढ़ने के साथ - साथ कार्यों पर व्यय भी बढ़ गया।

➤ मॉनीटरिंग की प्रणाली प्रभावी सिद्ध नहीं हुई क्योंकि कार्यकारी अभियंताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मात्र शेषों में वृद्धि या कमी को दर्शाती हैं, भारी राशि वाली पुरानी मदों का निपटान नहीं किया गया तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। केवल सिंचाई विभाग में एक मॉनीटरिंग सैल स्थापित किया गया था, तिमाही प्रगति रिपोर्टों के साथ - साथ फील्ड स्टाफ के साथ बैठकें आयोजित करके स्थिति की समीक्षा की जा रही थी जिससे विविध लोक निर्माण अग्रिम को सीमित करने में काफी सहायता मिली।

मामला सरकार को अगस्त 2013 को भेजा गया परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, एग्जिट काफेंस के दौरान (सितंबर तथा अक्टूबर 2013) प्रधान सचिव, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क), सिंचाई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सुनिश्चित किया कि विविध लोक निर्माण अग्रिम में बकाया राशि वसूल/समायोजन करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे जिसके लिए सभी फील्ड कार्यालयों को इन बकाया राशियों के प्रति सुग्राहित बनाया गया था तथा बकाया राशियों की वसूलियां/समायोजन करने हेतु तुरंत कार्यवाही करने वारे निर्देश दिए गए थे।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

3.15 लाभग्राहियों को वार्षिकी भुगतान जारी करने में देरी

लाभग्राहियों को ₹ 23,837 करोड़ की वार्षिकी भुगतान जारी करने में देरी थी। पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के अनुरूप प्लाट/वाणिज्यिक स्थल विस्थापित भू-स्वामियों को आबंटित नहीं किए गए थे तथा सामुदायिक विकास ढांचे का निर्माण नहीं किया गया था।

सरकार ने दिसंबर 2007 में भूमि अधिग्रहण से विस्थापित भू-स्वामियों के लिए पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति बनाई जो कि 5 मार्च 2005 से लागू की गई। नीति के अनुसार, सामान्य भूमि प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 33 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिकी भूति ₹ 15,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष (7 दिसंबर 2010 से ₹ 21,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष संशोधित की गई) ₹ 500 प्रतिवर्ष की निश्चित राशि की वृद्धि के साथ (सितंबर 2010 से ₹ 750 संशोधित की गई) देय थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र/टेक्नोलोजी शहरों/पार्कों के स्थापन के लिए अधिगृहित भूमि के मामले में ₹ 30,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष (सितंबर 2010 से ₹ 42,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष संशोधित की गई) की दर पर वार्षिकी भूति ₹ 1,000 प्रतिवर्ष (सितंबर 2010 से ₹ 1,500 संशोधित की गई) की वृद्धि के साथ भुगतान योग्य थी। पिछले कलैंडर वर्ष के दौरान अधिगृहीत भूमि के संबंध में वार्षिक भूति आगामी वर्ष के जनवरी माह के दौरान देय हो जाएगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के कार्यालयों में 2005 से 2013 की

अवधि के लिए रिकार्डों की फरवरी से जुलाई 2013 के दौरान नीति के कार्यान्वयन के विश्लेषण के लिए नमूना - जांच की गई। निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईः

(i) पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन की स्थिति

पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन की स्थिति और भूमि के अधिग्रहण में वार्षिकी का भुगतान तालिका 3.15.1 में चित्रित की गई हैः

तालिका 3.15.1: पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	अधिग्रहण करने वाली अथारिटी	अधिगृहीत की गई भूमि	अधिग्रहण की अवधि	देय वार्षिकी (₹ करोड़ में)	भुगतान की गई वार्षिकी (₹ करोड़ में)	शेष देय (₹ करोड़ में)	भुगतान न करने के कारण
1.	हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम	23,198 एकड़ 4 कनाल 12 मरला	2005-06 से 2012-13	170.19	83.41	86.78	भू-स्वामियों द्वारा फार्मों का न भरा जाना, लघु भूमि क्षेत्र वाले, दावाकर्ताओं का वार्षिक भूति की राशि तुच्छ होने के कारण आगे न आना, कोर्ट केस और विवादास्पद भूमि के मामले।
2.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	18,105.31 एकड	2006-07 से 2012-13	166.30	73.33	92.97	लाभ्याहियों द्वारा भुगतानों के सीधे हस्तांतरण के लिए बैंक विवरणों का प्रस्तुत न किया जाना और वार्षिकी की तुच्छ राशि इत्यादि।
3.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	1,316 एकड़ 6 कनाल 17 मरला	2005-06 से 2012-13	1.82 ³⁸	1.55	0.27	लघु भू-संपत्ति स्वामी वार्षिक भूति के भुगतान प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे।
4.	विद्युत क्षेत्र (ह.वि.उ.नि.लि. ³⁹ और ह.वि.प्र.नि.लि. ⁴⁰)	415 एकड़	2006-12	1.56	1.33	0.23	मामला निर्णयाधीन, संबंधित मालिक/व्यवित वार्षिक भूति का भुगतान एकत्र करने के लिए टुकड़ों में आ रहे थे।
5	सिंचाई विभाग	7,346 एकड़	2005-13	83.41	25.49	57.92	वार्षिकी की तुच्छ राशि, भू-स्वामियों से आवेदन फार्मों की अप्राप्ति, पारिवारिक विवाद और मूल दावेदार की मृत्यु।
	कुल	50,381 एकड़ 3 कनाल तथा 9 मरला		423.28	185.11	238.17	

(स्रोतः आडिट की गई इकाइयों द्वारा रखे गए रिकार्ड से एकत्रित डाटा)

भुगतान के लिए देय ₹ 423.28 करोड़ की वार्षिक भूति में से केवल ₹ 185.11 करोड़ के भुगतान 2012-13 तक किए गए थे और शेष ₹ 238.17 करोड़ अभी भी हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,

³⁸ पांच मार्केट कमेटियों (i) अंबाला कैट (ii) अंबाला सिटी (iii) गन्नौर (iv) फतेहाबाद और (v) टोहाना के संबंध में वार्षिकी के आकड़ेँ इन बाजार समितियों से एकत्र करने के बाद शामिल किए गए क्योंकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास समेकित डाटा उपलब्ध नहीं था।

³⁹ हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

⁴⁰ हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विद्युत सैकटर और सिंचाई द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि से विस्थापित लोगों को भुगतान किए जाने देय थे।

(ii) वार्षिक भूति की कम्यूटेशन न करना

पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के अनुच्छेद 4 (vii) में प्रावधान था कि उन मामलों में जहां भू-स्वामी/सहभागी के संबंध में अधिगृहीत भूमि एक एकड़ से कम है, ऐसे भू-स्वामियों को एक बार में ही लघुकृत मूल्य प्राप्त करने का विकल्प होगा जो 33 वर्षों के दौरान देय वार्षिक भूति की सकल राशि का 30 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि न तो राजस्व विभाग ने और न ही संबंधित प्राधिकारी/निगम ने छोटे किसानों को वार्षिक भूति की लघुकृत राशि का भुगतान किया था केवल अगरोहा (हिसार) के सैकटर - 6 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मामले को छोड़कर जहां 376 मामलों में से 300 में ₹ 1.47 करोड़ की कम्यूटेशन का भुगतान गया था।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि वार्षिक भूति के कम्यूटेशन का प्रावधान वैकल्पिक था और वार्षिक भूति के अनिवार्य कम्यूटेशन के लिए राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था।

(iii) विस्थापित भू-स्वामियों को प्लाट/व्यापारिक स्थलों का आबंटन न करना

नीति में, विस्थापित भू-स्वामियों, जिनकी भूमि विकास के लिए अधिगृहीत की गई थी, को प्लाट के आबंटन का प्रावधान था। नीति को आगे इस सीमा तक उदार कर दिया गया (नवंबर 2010) कि जहां शहरी/औद्योगिक/कृषि मंडीकरण इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़े समूह के रूप में विकसित किया जाता है, आउसटी श्रेणी में आवासीय प्लाट आबंटित किए जाने चाहिए और यही लाभ उन मामलों में दिए जाने चाहिए जहां स्वयं अधिकृत आवासीय मकान को अधिगृहीत किया जाता है। व्यापारिक/औद्योगिक स्थल उन भू-स्वामियों को आबंटित किए जाने चाहिए, जिनका एक एकड़ और उससे अधिक राजस्व संपदा में लैंड होल्डिंग का 75 प्रतिशत अधिगृहीत किया गया था।

आडिट में यह देखा गया कि 41,743⁴¹ एकड़ भूमि हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अधिगृहीत की गई थी परंतु नीति के अंतर्गत विभिन्न माप के प्लाटस के आबंटन के लिए योग्य लाभग्राहियों की न तो पहचान की गई और न ही प्लाट प्रदान किए गए। प्रशासक, हिसार (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) के अंतर्गत अर्बन एस्टेट हांसी के मामले को छोड़कर, जहां विस्थापित भू-स्वामियों को सैकटर - 5 और 6 भाग - II हांसी में भिन्न-भिन्न साईंज के 118 प्लाट विस्थापित भू-स्वामियों की कुल भूमि होल्डिंग का सत्यापन किए बिना आबंटित किए गए थे (सितंबर 2011)।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड ने बताया (अक्तूबर 2013) कि प्लाटों के आबंटन के लिए आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रियाधीन थी जबकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने बताया कि (अक्तूबर 2013) कि भू-स्वामियों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई जा रही थी और उसके बाद लाभग्राहियों को शार्टलिस्ट किया जाएगा।

⁴¹

हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम: 23,199 एकड़, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: 18,105 एकड़ तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड 439 एकड़।

(iv) सामुदायिक विकास/इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का सृजन न करना

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड संबंधित गांवों में सामुदायिक विकास/इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों के सृजन के लिए प्रतिपूर्ति राशि के दो प्रतिशत और विस्थापित भू-स्वामियों इत्यादि के आश्रितों के निपुणता विकास के लिए क्षतिपूर्ति राशि के एक प्रतिशत का प्रावधान नहीं कर रहे थे जो पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के अंतर्गत अनिवार्य है (अधिसूचना दिनांक 9 नवंबर 2010 का अनुच्छेद 18)।

यह अवलोकित किया गया कि तीन विभागों ने ₹ 6,444.97 करोड़⁴² की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया था जिसके विरुद्ध सामुदायिक विकास के लिए ₹ 128.90 करोड़ का प्रावधान तथा निपुणता विकास के लिए ₹ 64.45 करोड़ का प्रावधान पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के अनुसार किया जाना था।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड ने बताया (अक्तूबर 2013) कि वे अपनी नीति के अंतर्गत 1995 से व्यय कर रहे थे और पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति 2010 के प्रावधानों को अपनाने के लिए सामाजिक तथा सामुदायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर व्यय करने के लिए एक एजेंडा 29 अगस्त 2013 को अनुमोदित किया गया था जबकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने बताया (अक्तूबर 2013) कि पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति 2010 की अधिसूचना के बाद अधिगृहीत भूमि के विकास के लिए योजना प्रक्रियाधीन थी तथा मंडियों में सामाजिक तथा सामुदायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2013) कि सैकटरों/क्षेत्रों द्वारा घिरे हुए गांवों के विकास पर व्यय किया जा रहा था। तथापि, इस संबंध में कोई पृथक प्रावधान नहीं किया गया था। तथ्य, इस प्रकार रहता है कि सामाजिक तथा सामुदायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं तथा योग्यता विकास पर व्यय करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(v) भू-स्वामियों का सूचना तथा शिकायत निपटान प्रणाली

भूमि अधिग्रहण कलैक्टर द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा - 9 के अंतर्गत भू-स्वामियों को नोटिस जारी करते समय, उनकी हकदारियों बारे सूचित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के विभिन्न निवेश विकल्पों पर भू-स्वामियों को परामर्श देने के लिए व्यवसायिक एजेंसियों को नियुक्त करना अपेक्षित था ताकि उन्हें संसाधनों को विवेकपूर्ण और उत्पादनकारी ढंग से प्रयुक्त करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग राज्य की पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन प्रतिपादन, समीक्षा और मानीटरिंग के लिए नोडल विभाग था। सभी शिकायतों/विवादों, जो पुनरुद्धार तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हों, की सुनवाई के लिए एक संस्थागत यंत्रावली स्थापित की जानी थी।

आडिट में यह देखा गया कि न तो नोडल विभाग ने और न ही कार्यान्वयन प्राधिकारियों ने लाभग्राहियों को उनकी हकदारियों के संबंध में सूचना प्रदान की थी। भू-स्वामियों को परामर्श देने के लिए व्यवसायिक एजेंसियों को नियुक्त नहीं किया गया था और शिकायतों/विवादों की

⁴²

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम: ₹ 2,841.54 करोड़: ₹ 129.96 करोड़ और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: ₹ 3,473.47 करोड़।

समाधान यंत्रावली भी स्थापित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, नोडल विभाग ने, नीति के कार्यान्वयन, प्रतिपादन, समीक्षा तथा मानीटरिंग के लिए नीति/मार्गनिर्देश नहीं बनाए थे। इन सभी कमियों ने सरकार द्वारा निर्मित नीति के मूल प्रयोजन को समाप्त कर दिया।

मामला अगस्त 2013 में सरकार को भेजा गया था परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, 6 नवंबर 2013 को एगिट कॉफेंस आयोजित की गई जहां अपर मुख्य सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग ने वार्षिक भूति के अवितरण के मामले को गंभीरता से लिया और मामले को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों के साथ उठाने का आश्वासन दिया। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

3.16 भवनों का निर्माण तथा उनका उपयोग

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्रयोगकर्त्ता विभागों से सहमति प्राप्त किए बिना विभिन्न भवनों का निर्माण किया। ₹ 30.82 करोड़ की लागत पर निर्मित 34 भवन तथा ₹ 13.99 करोड़ की लागत से निर्मित 416 बूथ, कायोस्क तथा शाप - कम - आफिस खाली पड़े थे। इसके अतिरिक्त, आडिटोरियम भवन का ₹ 9.33 करोड़ का पट्टा किराया वसूल नहीं किया गया था।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा पांच⁴⁴ प्रशासकों के कार्यालयों, जो कि 18⁴³ जिलों को आवृत्त करते थे, के 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 193.19 करोड़ की लागत से निर्मित 426 पब्लिक यूटीलिटी/सामुदायिक भवनों में से 21 भवन खाली पड़े थे तथा 17⁴⁵ भवनों पर अनधिकृत कब्जा था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार थे:

➤ विद्यालयों के भवन शिक्षा विभाग से परामर्श किए बिना निर्मित किए गए थे। परिणामस्वरूप, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 25 विद्यालय भवन शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लिए गए थे तथा इनमें से दस विद्यालय भवन दूसरे विभागों द्वारा उनके कार्यालयों को चलाने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे। इन भवनों को खाली करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई जैसा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1977 के सैक्षण 18 (बी) के अंतर्गत अपेक्षित थी जो प्रावधान करता है कि यदि किसी व्यक्ति ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का कोई परिसर अनधिकृत रूप से अधिकार में रखा हुआ हो तो, जिलाधीश उस व्यक्ति को नोटिस जारी करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर खाली करने का आदेश जारी कर सकता है। पंद्रह विद्यालय भवन खाली पड़े थे। ₹ 10.81 करोड़ की लागत से बने इन

⁴⁴ (i) फरीदाबाद, (ii) गुडगांव, (iii) हिसार, (iv) पंचकुला तथा (v) रोहतक।

⁴³ 1. अंबाला, 2. भिवानी, 3. फतेहाबाद, 4. झज्जर, 5. फरीदाबाद, 6. गुडगांव, 7. हिसार, 8. जींद, 9. करनाल, 10. कुरुक्षेत्र, 11. कैथल, 12. पानीपत, 13. पंचकुला, 14. पलवल, 15. रोहतक, 16. सिरसा, 17. सोनीपत, 18. यमुनानगर।

⁴⁵ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (5), नगर निगम (2), पुलिस (3), शिक्षा (4), मुख्य टाउन प्लानर, सहायक मुख्य अभियंता तथा इस्कान फाउडेशन प्रत्येक के पास एक।

25 भवनों से नागरिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का वांछित प्रयोजन पूरा नहीं किया गया था।

प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान कहा (सितंबर 2013) कि विद्यालय भवन संबंधित कब्जा करने वालों से खाली करवाए जाएंगे तथा शिक्षा विभाग को कब्जा लेने वारे अनुरोध किया जाएगा।

➤ 11 पोलीक्लीनिक भवनों में से छः भवन⁴⁶, जिनके निर्माण पर ₹ 18.92 करोड़ का व्यय हुआ था, अभी तक स्वास्थ्य विभाग को सौंपे नहीं गए थे।

➤ ₹ 1.09 करोड़ की लागत से निर्मित तीन डिस्पैसरी भवन स्वास्थ्य विभाग को नहीं सौंपे गए थे। इनमें से, दो भवन नगर निगम, गुडगांव के अनधिकृत कब्जे में थे तथा पानीपत में एक भवन खाली पड़ा था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने कहा कि डिस्पैसरी भवन खाली करवाए जाएंगे या संबंधित विभागों से किराया वसूल किया जाएगा।

उपरोक्त सभी मामलों में, यह देखा गया कि उपयोगकर्ता विभाग की पूर्व सहमति नहीं ली गई थी। यदि निर्माण पूर्व सहमति ली जाती तो भवनों के दुरुपयोग तथा दोषपूर्ण निवेश से बचा जा सकता था।

➤ गुडगांव में निर्मित एक आडीटोरियम, मैसर्ज ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी को फरवरी 2008 में 15 वर्ष के लिए प्रतिमास ₹ 0.36 करोड़ के लीज किराए पर, जो प्रत्येक 3 वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना था, लीज पर दिया गया। लीज किराया 1 मार्च 2012 से 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 3.60 लाख तक बढ़ाया जाना अपेक्षित था किंतु नहीं बढ़ाया गया कंपनी ने अगस्त 2013 तक केवल ₹ 10.65 करोड़ भुगतान किया तथा ₹ 9.33 करोड़ की राशि, ₹ 90.03 लाख की पैनल्टी के साथ वसूलनीय थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने कहा कि परियोजना भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की थी तथा पट्टेदारों से कानून के अनुसार लीज किराया वसूल किया जाएगा।

➤ पंचकुला में जुलाई 2002 तथा अप्रैल 2003 के बीच ₹ 21.36 लाख की लागत से निर्मित एक अर्द्ध स्वचालित बूचड़खाना तथा ₹ 12.60 लाख की लागत से नवंबर 2008 तथा अप्रैल 2009 के मध्य निर्मित एक एफयूलैट ट्रीटमैंट प्लांट मार्च 2013 तक बिना उपयोग के थे क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त नहीं किया था। बूचड़खाने को चालू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रदान करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ₹ 0.55 लाख फीस जमा करवाई थी, (जुलाई 2012) परंतु अनापत्ति प्रमाण - पत्र अभी तक प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला को सृजित संपत्तियों की उपयोगिता हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए। अंतिम परिणाम

⁴⁶

(i) अंबाला (ii) पानीपत (iii) सोनीपत (iv) बहादुरगढ़ (v) रोहतक तथा (vi) झज्जर।

➤ नागरिकों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध करवाने, ₹ 13.99 करोड़ की लागत से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए 416 बूथों, क्योसक्स तथा शाप - कम - आफिसों में से, 52⁴⁷ भवन विभिन्न कार्यालयों के कब्जे में थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के बाद सात बूथ बेच दिए गए। शेष 357 भवन अभी तक खाली पड़े थे (अगस्त 2013)। ये भवन बहुत खराब / जीर्ण क्षीण अवस्था में थे और उनके अंदर तथा आसपास कचरे के ढेर पड़े थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, स्टेट आफीसर सिरसा ने सूचित किया (मई 2013) कि सी - ब्लाक सिरसा में चार बूथों पर पुलिस विभाग का कब्जा था। संपदा अधिकारी जींद ने सूचित किया (मई 2013) कि चार शाप - कम - आफिसों को उपायुक्त, जींद के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को सौंपा गया था। संपदा अधिकारी भिवानी ने सूचित किया कि शाप - कम - आफिस का दूसरा फ्लोर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पास था परंतु किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा था।

एगिट काफेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने कहा कि शाप - कम - आफिस, बूथ तथा क्योसक्स को संबंधित कब्जेदारों से खाली करवाकर तथा जीर्ण एवं बिक्री के लिए अयोग्य भवन गिराने के बाद निलाम कर दिए जाएंगे।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भी कहा (अक्टूबर 2013) कि प्रयोगकर्ता विभाग की सहमति के बिना कोई भवन न बनाने बारे निर्देश जारी किए गए थे तथा खाली भवनों को उपयोग में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बनाए गए शाप - कम - आफिस/बूथ/क्योसक्स निकट भविष्य में विभिन्न चरणों से नीलाम किए जाएंगे। अतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

3.17 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि की उपयोगिता की स्थिति

मानीटरिंग की कमी के कारण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित 1,323.83 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधीन थी तथा 4,921.69 एकड़ भूमि किसानों द्वारा अधिगृहीत खेती के अधीन थी।

राज्य में शहरी क्षेत्रों के सुयोजित विकास के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एक मुख्य एजेंसी है। अधिग्रहण के पश्चात्, यह 'विकास योजनाओं' के प्रावधान तथा ले - आउट प्लान के अनुरूप भूमि के विकास कार्य करती है। पांच जोन⁴⁸ में कुल अधिगृहीत 74,652.58 एकड़ भूमि में से, 4,921.69 एकड़ भूमि किसानों द्वारा अप्राधिकृत खेती के अधीन थी तथा 1,641.84 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधीन थी। 1,323.83 एकड़ अतिक्रमित भूमि की स्थिति की नमूना - जांच ने निम्नलिखित स्थिति दर्शाई:

⁴⁷

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (28), पुलिस (4), द.ह.वि.वि.नि.लि. (4), आबकारी एवं कराधान (2), राज्य विजिलेंस ब्यूरो (3), कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (4), आयकर (1), बैंक (2), किराए पर एक का अप्राधिकृत अधिकार (3)।

⁴⁸

(1) फरीदाबाद (15,429.52 करोड़), (2) गुडगांव (13,839.87 एकड़), (3) हिसार (8,621.12 एकड़), (4) पंचकुला (19,176.88 एकड़) तथा रोहतक (17,585.19 एकड़)।

➤ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एकट, 1977 का सैक्षण 18 प्रावधान करता है कि कलैक्टर या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को तीस दिनों के भीतर भूमि खाली करने का आदेश दे सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति मना करता है अथवा विनिर्दिष्ट समय के भीतर आदेशों का पालन करने में विफल रहता है, तो जिलाधीश यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग कर सकता है तथा 'भूमि राजस्व के बकाया' के रूप में नुकसान का निर्धारण तथा वसूली कर सकता है। 30 जून 2013 को अतिक्रमणित कुल 1,3,23.83 एकड़ भूमि में से, 343.83 एकड़ भूमि जबकि मुकद्दमेबाजी के अंतर्गत नहीं थी, फिरभी अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013), प्रधान सचिव ने कहा (अक्टूबर 2013) कि 980 एकड़ भूमि कोट्ट-स्टे के अधीन थी तथा न्यायालय में मामलों के निर्णय होने तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। शेष 343.83 एकड़ अतिक्रमणित भूमि में से (i) लगभग 100 एकड़ भूमि विभाग से विरासत थी जहां पर अतिक्रमण 25 से 30 वर्ष पुराना था अर्थात् 1987 से पहले का था तथा अतिक्रमण को हटाने के सभी प्रयास वहां पर पक्के घर होने के कारण विफल हो गए। (ii) लगभग 100 एकड़ भूमि मालिकों को मुआवजे के भुगतान के बाद थर्ड पार्टीयों द्वारा अतिक्रमणित की गई, जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके हटाई जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संबंधित पार्टीयों को मुआवजे के भुगतान करने से पहले, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी।

➤ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 4,921.60 एकड़ भूमि किसानों द्वारा अप्राधिकृत खेती अधीन होने बारे सर्तकता विभाग द्वारा अर्बन एस्टेट को सूचित की गई थी (मई 2012)। प्रधान सचिव ने मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सभी अधिकारियों तथा प्रशासकों से अप्राधिकृत खेती के अंतर्गत पाई गई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन की अनुपयोगिता बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। प्रशासकों द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अप्रयुक्त भूमि की जांच की जानी अपेक्षित थी और यदि कोई ऐसी जमीन अप्राधिकृत रूप से खेती में थी, तो संपदा अधिकारियों सहित गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दस दिनों के भीतर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि संबंधित प्रशासकों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई थी तथा भूमि अभी तक अप्राधिकृत खेती अधीन थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कहा (अक्टूबर 2013) कि रोहतक डिवीजन के अंतर्गत पड़ने वाली 2,271.26 एकड़ भूमि में से, 1,875.26 एकड़ अप्राधिकृत खेती से मुक्त करवा ली गई थी तथा शेष 396 एकड़ भूमि 15 नवंबर 2013 को मुक्त करवा ली जाएगी परंतु परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)। मुख्य प्रशासक, ने 2,650.43⁴⁹ एकड़ भूमि पर अप्राधिकृत खेती को नहीं माना जबकि सर्तकता विभाग ने मई 2012 में अप्राधिकृत खेती के बारे में बताया गया था। तथापि, प्रधान सचिव ने कहा (अक्टूबर 2013) कि तथ्यों की जांच की जाएगी तथा सही स्थिति सूचित की जाएगी। आगे कार्यवाही/उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

➤ सर्वोच्च न्यायालय⁵⁰ के आदेशों के अनुसरण में, राज्य सरकार ने जनवरी 2010 में धार्मिक संस्थानों का कब्जा हटाने अथवा अतिक्रमित भूमि की लागत की वसूली के बाद इन

⁴⁹ अंबाला - 377.55 एकड़, गुडगांव - 768.24 एकड़, हिसार - 1,026.64 एकड़, पंचकुला - 478 एकड़।

⁵⁰ एस.एल.पी. नं. 8519 आफ 2006 दिनांक 29 सितंबर 2009.

संस्थानों की पुनः स्थापना/नियमित करने के लिए नीति बनाई। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 125 धार्मिक संस्थाओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सात संपदा कार्यालयों⁵¹ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली 50.05 एकड़ भूमि को अतिक्रमण किया हुआ था। 125 मामलों में से, उपरोक्त पालिसी के अनुसार 29.729 एकड़ क्षेत्रफल वाले 79 मामले नियमित किए जाने थे परंतु नियमित नहीं किए गए (अगस्त 2013) तथा अतिक्रमण किए गए 20.319 एकड़ क्षेत्रफल वाले 46 मामलों में, अप्राधिकृत ढाचे/अतिक्रमण हटाए जाने थे परंतु हटाए नहीं गए (अगस्त 2013)।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने तथ्यों को स्वीकारते हुए सूचित किया (अक्तूबर 2013) कि फरीदाबाद के 79 स्थलों में से, छः हटाए गए थे तथा एक की पुनः स्थापना की जानी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अतिक्रमण को हटाने के लिए किए गए प्रयास तथा इसके विफलता के कारण उत्तर में उल्लिखित नहीं थे। इस प्रकार, प्राधिकरण के स्तर पर समय पर कार्यवाही की कमी के परिणामस्वरूप धार्मिक संस्थानों द्वारा भूमि का अतिक्रमण तथा प्राधिकरण/सरकार की लागत पर कानून के उल्लंघनकर्ताओं को अदेय लाभ हुए।

➤ जुलाई 2008 तथा जुलाई 2013 में जारी निर्देशों के अनुसार, संपदा अधिकारियों को एक सैक्टर की पाक्षिक/मासिक जांच की जानी तथा 2008 में जारी फार्मेट में सीधे ई-मेल के द्वारा संबंधित प्रशासकों, मुख्य प्रशासकों तथा प्रधान सचिव, टी.सी.पी.डी. को रिपोर्ट भेजी जानी अपेक्षित थी। यह देखा गया कि:

अधिगृहीत की गई भूमि/संपत्ति, भुगतान की गई लागत, स्रोत जहां से अधिगृहीत की गई, अधिग्रहण का प्रयोजन, भूमि के स्वामित्व की तिथि, योजना अनुमोदन की तिथि, विकास की पूर्णता की तिथि, उपयोगिता/आबंटन की तिथि, बिक्री से प्राप्त आय/वसूलनीय राशि, संपत्ति के अतिम निपटान की तिथि, इत्यादि को दर्शाते हुए विस्तृत डाटा बैंक अथवा परिसंपत्ति रजिस्टर न तो संबंधित संपदा कार्यालयों द्वारा न ही मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विभागीय स्तर पर बनाए गए थे।

(क) (i) उपयोगिता के अनुसार आवश्यकता का निर्धारण (ii) सरप्लस भूमि का रखना/निपटान करना (iii) प्राधिकरण की भूमि की सुरक्षा हेतु कदम उठाने (iv) भूमि का भौतिक सत्यापन करवाने तथा (v) अतिक्रमण से बचने के लिए कार्यवाही हेतु सिस्टम विकसित नहीं किया गया था।

(ख) विभिन्न संर्वगों के अंतर्गत 2,182 कर्मचारियों के स्वीकृत संर्वा के विरुद्ध स्टाफ की कमी थी, क्योंकि केवल 1,328 कर्मचारी (61 प्रतिशत) नियुक्त थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने कहा (अक्तूबर 2013) कि अतिक्रमण नियमित रूप से हटाया जा रहा था तथा भूमि के अतिक्रमण, उपयोग की गई, अनप्लांड संबंधी आवश्यक सूचना संबंधित संपदा कार्यालयों द्वारा तैयार की गई थी तथा मासिक मीटिंगों में आवधिक रूप से इसकी समीक्षा की जाती थी। आगे यह कहा गया कि निर्धारित, अधिगृहीत, प्लांड तथा अनप्लांड भूमि की शहरी संपदा वार सूचना तथा अतिक्रमण की स्थिति हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध थी तथा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाई जाएगी। सूचना फिर भी

⁵¹

सिरसा - 0.4 एकड़, फरीदाबाद - 9.3 एकड़, हिसार - 5.11 एकड़, पंचकुला - 28.1 एकड़, गुडगांव - II - 5.60 एकड़, गुडगांव - I - 0.54 एकड़, सोनीपत - एक एकड़।

प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014) तथा उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एक समयावधि के भीतर उसके उपयोग के लिए भूमि की कुल आवश्यकता का निर्धारण, केंद्रीयकृत तरीके से विस्तृत डाटा बैंक रखने अथवा सरप्लस भूमि को निपटाने, अतिक्रमण को रोकने के लिए कार्यवाही करने तथा भूमि का आवधिक भौतिक सत्यापन तथा इस पर रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

परिवहन विभाग

3.18 विशेष सड़क टैक्स का परिहार्य भुगतान

रुटों पर परिचालन किए बिना दूसरे राज्यों को विशेष सड़क टैक्स के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 81.28 लाख की हानि हुई।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के सब - सैक्षण 88 के सब - सैक्षण (5) के अनुसार हरियाणा रोडवेज अन्तर्राज्यीय अनुबंध के अंतर्गत अपनी बसें दूसरे राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि में चलाता है। इसके लिए विशेष रोड टैक्स का भुगतान शैड्यूल्ड किलोमीटरों के लिए प्राप्त रुट परमिट्स के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय - समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार किया जाता है। यदि हरियाणा रोडवेज का कोई डिपो कोई रुट परमिट परिचालन नहीं करना चाहता तो रुट परमिट सरेंडर से विशेष रोड टैक्स के भुगतान से बचा जा सकता है।

हरियाणा रोडवेज के तीन डिपो (दिल्ली, अंबाला तथा पानीपत) के अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान (फरवरी 2012, मई 2012 तथा जनवरी 2013), यह देखा गया कि इन डिपुओं ने संबंधित राज्यों के 12 रुटों पर बसें चलाए बिना संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को नवंबर 2007 तथा मार्च 2013 की मध्य अवधि हेतु ₹ 81.28⁵² लाख का विशेष रोड टैक्स का भुगतान किया।

अंबाला डिपो में, पांच रुटों का परमिट 52 मास के बाद 30 अप्रैल 2012 को सरेंडर किया गया, इन रुटों पर बसें चलाए बिना विशेष रोड टैक्स का भुगतान किया गया था। दिल्ली डिपो में छ: परमिट में से, तीन फरवरी 2011 में अभ्यर्पित किए गए, परंतु शेष तीन रुटों पर न तो बसें चलाई गई न ही परमिट अभ्यर्पित किए गए। पानीपत डिपो में, पानीपत - कोटा (राजस्थान) रुट पर, न तो बसें चलाई गई न ही रुट परमिट अभ्यर्पित किए गए। इस प्रकार, बसें चलाए बिना संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को ₹ 81.28 लाख का विशेष रोड टैक्स का भुगतान करने से राज्य राजकोष को हानि हुई।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में भेजा गया था परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, एग्जिट कॉफ्रेंस के दौरान (अक्टूबर 2013) अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग ने सूचित किया कि इन रुटों पर कम प्राप्तियों के कारण बसें नहीं चलाई गई अथवा दूसरे रुटों को विपरित की गई और कहा कि यह लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद परमिट सरेंडर कर दिए तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में इस संबंध में उचित ध्यान रखा जाएगा।

⁵²

(i) अंबाला: ₹ 41.23 लाख पांच रुटों के लिए, (ii) दिल्ली: ₹ 22.59 लाख छ: रुटों के लिए तथा (iii) पानीपत: ₹ 17.46 लाख एक रुट पर दो परमिटों के लिए।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

3.19 सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निष्क्रिय रहना

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण – पत्र और भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्लियरेंस प्राप्त न करने से ₹ 11.05 करोड़ की लागत पर निर्मित सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अप्रैल 2010 से निष्क्रिय पड़ा था।

नगर परिषद, अंबाला (अब निगम) ने गांव पटवी में ₹ 11.05⁵³ करोड़ की लागत पर एक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट (प्लांट) निर्मित करवाया (जुलाई 2008)।

मैसर्ज टोरेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड और नगर निगम, अंबाला के बीच 7 जुलाई 2008 को 10 वर्षों के लिए प्लांट के परिचालन और रख-रखाव के लिए एक अनुबंध किया गया। परंतु हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड) से “अनापत्ति प्रमाण – पत्र” प्राप्त नहीं किया गया। जब नगर निगम ने दिसंबर 2008 में बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण – पत्र के लिए आवेदन किया तो बोर्ड ने म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट (मैनेजमेंट और हैंडलिंग) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार पहले भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए नगर निगम को सलाह दी (जुलाई 2009)। मार्च 2010 में प्लांट के निरीक्षण के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट नियम 2000 के प्रावधानों की अनुपालना न करने के लिए नगर निगम को कारण बताओ नोटिस जारी किया और प्लांट अप्रैल 2010 में बंद कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.05 करोड़ के निवेश से लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि नगर परिषद, अंबाला ने एक परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद भारत सरकार से एनवायरमैंट इम्पैक्ट एसएमैंट क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। वैज्ञानिक / तकनीकी स्टडी परामर्शदाता द्वारा की जा रही थी। आगे, एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (सितंबर 2013), प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कहा कि एनवायरमैंट इम्पैक्ट एसएमैंट प्राप्त न होने के कारण प्लांट परिचालन में नहीं था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि तहसील नारायणगढ़ में जटवाड़ में डबकोरा गांव में एस.डब्ल्यू.एम.पी. स्थापित करने के लिए अगस्त 2005 में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अस्थाई अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्राप्त किया गया था परंतु बाद में प्लांट पटवी गांव जिला अंबाला में स्थानान्तरित कर दिया गया। गलत धारणा के कारण पटवी में प्लांट के लिए नया अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्राप्त नहीं किया गया। उसने आगे सूचित किया कि पर्यावरण प्रभाव निर्धारण क्लेयरेंस प्राप्त करने के लिए फरवरी 2013 से एक कंसलटेंट को नियुक्त किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि प्लांट स्थापित करने के लिए चयन किए गए नए स्थल के लिए नया पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राप्त किया जाना अपेक्षित था और इसे समय पर प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से ₹ 11.05 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

⁵³

निर्माण लागत ₹ 9.96 करोड़ + भूमि की लागत ₹ 1.09 करोड़।

3.20 बकाया लीज मनी की अवसूली के कारण हानि

दिगंबर जैन सभा, अंबाला को दी गई भूमि की लीज डीड को 19 वर्षों से अधिक समय से न बनाने के परिणामस्वरूप ₹ 5.54 करोड़ की अवसूली हुई।

अंबाला कंटोनमेंट बोर्ड के मिल्ट्री एस्टेट आफिसर ने 2.795 एकड़ भूमि (2.64 एकड़ भूमि फरवरी 1963 में तथा 0.155 एकड़ भूमि अगस्त 1963 में) और उस पर निर्मित एक स्कूल बिल्डिंग क्रमशः ₹ 739.20 तथा ₹ 43.20 के वार्षिक किराए पर, दिगंबर जैन सभा, अंबाला (अंबाला सदर) को, स्कूल शिक्षा बोर्ड (भिवानी), हरियाणा से मान्यता प्राप्त, जैन गर्ल्ज हाई स्कूल के मैनेजर के नाम पर 30 वर्ष की अवधि के लिए (15 अगस्त 1993 तक) डिफेंस सर्विस पर्सोनल के बच्चों के लिए 70 प्रतिशत आरक्षण के साथ स्कूल चलाने के लिए लीज पर दी थी। लीज नवीकरण योग्य नहीं थी। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने, मिल्ट्री नियंत्रित अंबाला केटोनमेंट एरिया की सीमाओं में से निश्चित लोकल एरिया, जिसमें उपयुक्त स्कूल का एरिया शामिल था, निकाल दिया (फरवरी 1977) तथा उसे हरियाणा सरकार को हस्तांतरित कर दिया। सरकार ने, हस्तांतरित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के प्रबंधन के लिए उपायुक्त, अंबाला को एस्टेट आफिसर के रूप में नियुक्त कर दिया (जनवरी 1999)।

कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अंबाला के कार्यालय में अभिलेखों की आइट में पाया गया (सितंबर 2012) कि अगस्त 1993 में लीज अवधि की समाप्ति के बाद, मैनेजर, जैन कन्या हाई स्कूल ने, नगर पालिका, अंबाला को लीज की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया (फरवरी 1994)। नौ वर्षों के अंतराल के बाद सरकार ने उपर्युक्त भूमि की लीज अगली तीस वर्ष की अवधि के लिए (16 अगस्त 1993 से 15 अगस्त 2023 तक) बढ़ा दी (अप्रैल 2003) तथा ₹ 2,36,740 प्रति माह की दर पर किराया निश्चित किया। एस्टेट आफिसर/उपायुक्त ने दिगंबर जैन सभा को पंद्रह दिनों के अंदर उपर्युक्त दरों पर बकाया लीज किराया जमा करवाने के लिए अनुरोध किया (मई 2003)। परंतु सभा बढ़ी हुई दर पर किराया भुगतान करने के लिए सहमत नहीं हुई तथा लीज किराया की दर कम करने के लिए उपायुक्त तथा सरकार को अनुरोध किया (मार्च 2005) क्योंकि सभा सरकार की नीतियों गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाली धर्मर्थ शैक्षिक संस्था होने के कारण इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने में समर्थ नहीं थी। परंतु विभाग, लीज किराया की दर कम करने के लिए सहमत नहीं हुआ (मई 2007) तथा बताया कि स्कूल प्राधिकारियों के अनुरोध पर सरकार की न्यूनतम दरों पर लीज बढ़ाई गई थी। विभाग ने सभा को, हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रोपर्टीज तथा स्टेट प्रोपर्टीज (एच.एम.एम.पी.) नियम, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत 99 वर्ष के लिए लीज के आगे बढ़ाने के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी परामर्श दिया।

सभा ने, न तो बढ़ाई गई दरों पर लीज मनी जमा करवाई थी और न ही बढ़ाई गई अवधि के लिए लीज डीड करवाई (फरवरी 2013)। प्रापर्टीज वापस लेने के लिए एच.एम.एम.पी. नियम, 2007 के नियम 18 के अंतर्गत कार्यवाही करके सभा से किराया वसूल करने के लिए उचित कार्यवाही करने की बजाय विभाग/नगर निगम ने लीज मनी की वसूली के लिए केवल नोटिस जारी किए थे। परिणामतः, 16 अगस्त 1993 से 15 फरवरी 2013 तक की अवधि के लिए देय ₹ 5.54⁵⁴ करोड़ की लीज मनी न तो वसूल की

⁵⁴

16 अगस्त 1993 से 15 फरवरी 2013 = 234 महीने x 236740 = ₹ 553.97 लाख।

आडिट में यह देखा गया कि नगर निगम, अंबाला की अनुमति के बिना, जैन सभा ने, लीज की गई भूमि पर वर्ष 1999 में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त लार्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल नामक दूसरा स्कूल आरंभ कर दिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस आधार पर कि स्कूल अप्राधिकृत रूप से अधिकार में ली गई भूमि पर चलाया जा रहा था तथा स्कूल लीज डीड आगे बढ़ाने में विफल रहा था। अस्थाई मान्यता की वापसी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (मार्च 2005)। फिर भी, एस्टेट आफिसर/उपायुक्त (एक्साइज्ड एरिया) ने बिना किसी शर्त के, इस नए खोले गए स्कूल को चलाने के लिए दिगंबर जैन सभा को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी कर दिया था (फरवरी 2008) जिसने दर्शाया कि स्कूल को अनुचित लाभ दिया गया था।

आडिट द्वारा इंगित किए जाने पर कमिश्नर, म्यूनिसीपल कार्पोरेशन, अंबाला ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि सभा से लीज किराया वसूल करने के लिए नोटिस जारी किया गया था परंतु सभा ने लीज किराया का भुगतान नहीं किया था। कमिश्नर ने आगे बताया कि लीज किराया का भुगतान न करने के कारण भूमि वापस लेने के लिए सभा को नोटिस दिए गए थे। भू-राजस्व के बकायों के रूप में राशि वसूल करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी को अनुरोध किया गया था तथा चेयरमैन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अनुरोध किया गया था कि लीज मनी जमा करवाने के लिए सभा को निर्देश दें तथा यदि सभा, लीज मनी जमा करवाने में विफल रहती है तो स्कूल चलाने के लिए सभा की मान्यता रद्द की जाए। तथ्य फिर भी, रहता है कि अगस्त 1993 से पूर्ववर्ती लीज अवधि के समाप्ति से उन्नीस वर्षों से अधिक अवधि बीतने के बाद भी विभाग/नगर निगम, लीज मनी वसूल करने तथा लीज डीड निष्पादित करवाने में विफल रहा तथा सभा द्वारा स्कूल अवैध तथा अप्राधिकृत तरीके से चलाया जा रहा था।

मामले पर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ 25 सितंबर 2013 को आयोजित एग्जिट काफ्रेंस के दौरान चर्चा की गई थी। तथ्य स्वीकार करते समय, प्रधान सचिव ने बताया कि लीज किराया उच्चतर साइड पर निश्चित हुआ था तथा मामले की शीघ्र समीक्षा की जाएगी। मामले में फाइनल एक्शन, फिर भी, प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

3.21 अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के परीक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

मनमाने ढंग से चुने गए 14 कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उच्चतर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुसूचित जातियां/पिछड़े वर्गों के 9,906 प्रशिक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने पर विभाग ने ₹ 5.22 करोड़ व्यय किए। योग्यता की जांच किए बिना और यह सुनिश्चित किए बिना कि कोचिंग वास्तव में दी गई थी या नहीं, भुगतान कर दिया गया।

राज्य सरकार ने अप्रैल 2009 में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से उच्चतर प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के परीक्षार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु स्कीम प्रारंभ की। 2010-11 से 2012-13 के

दौरान दस⁵⁵ प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले 9,906 परीक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए 14 कोचिंग संस्थानों को ₹ 5.22 करोड़⁵⁶ का भुगतान किया।

महानिदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय में आडिट (अप्रैल और जून 2013 के बीच) के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं।

(i) संस्थानों के चयन में अनियमितताएं

ऊपर उल्लिखित स्कीम के पैरा 4 महानिदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों से प्रतिवर्ष प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना अपेक्षित था। प्राप्त प्रस्ताव, सचिव, महानिदेशक, उप निदेशक, अनुसूचित जाति और कोचिंग संस्थानों के लिए निर्धारित योग्यता शर्तें थीं: (i) निर्धारित क्षेत्र में कोचिंग का दस वर्ष का अनुभव (ii) प्रतिवर्ष ₹ 10 लाख का टर्न ओवर (iii) प्रतिवर्ष कम से कम 35 प्रतिशत छात्रों की सफलता दर और (iv) संस्थानों को कोर्स की अवधि के लिए प्रति छात्र फीस कोट करनी अपेक्षित थी।

विभाग ने समाचार पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे (दिसंबर 2010) और 16 कोचिंग संस्थानों ने कोचिंग प्रदान करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। निर्धारित सिस्टम का अनुसरण किए बिना तथा उनकी योग्यता को ध्यान में रखे बिना कोचिंग प्रदान करने के लिए सभी 16 कोचिंग संस्थानों का चयन कर लिया गया। इनमें से (i) चार संस्थानों ने कोचिंग में 10 वर्ष के अनुभव का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया था (ii) दो संस्थानों का ₹ 10 लाख से कम का टर्न ओवर था (iii) आठ संस्थानों ने अपना टर्न ओवर सूचित नहीं किया था और (iv) दो संस्थानों के दस्तावेज रिकार्ड में नहीं थे। उसके बाद आगामी वर्षों में कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए। इन 16 कोचिंग संस्थानों में से 14 कोचिंग संस्थानों ने 2010 – 2013 के दौरान कोचिंग प्रदान की। इस प्रकार, उन कोचिंग संस्थानों, जो मूल शर्तों को पूर्ण नहीं करते थे, का चयन अनियमित था तथा दृग्गित किया कि ऐसे कोचिंग संस्थानों को अनुचित लाभ दिया गया था। यह भी अवलोकित किया गया कि दों⁵⁷ संस्थानों का मालिक एक ही व्यक्ति था और उनके पते भी एक थे (शाप-कम - आफिस सं. 221, सैक्टर - 36,

⁵⁵

(i) ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंटरेंस एग्जामीनेशन (ए.आई.इ.इ.इ.), (ii) बैंक कर्लक्स 2011, (iii) बैंक कर्लक्स 2013, (iv) कम्बाईंड गेज़ेरेट लेबल एग्जामीनेशन (सी.जी.एल.), (v) हरियाणा टीचरर्ज एजिबिलिटी टेस्ट (एच.टी.ई.टी.), (vi) लेटरल इंजीनियरिंग इंटरेंस टेस्ट (एल.ई.ई.टी.), (vii) प्री-मैडिकल टेस्ट (पी.एम.टी.), (viii) प्रोबेशनरी आफीसर्ज इन बैंक्स (पी.ओ.), (ix) डिलोमा इंटरेंस टेस्ट (डी.ई.टी.), (x) आल इंडिया सिविल सर्विसेज (आई.ए.एस.)।

⁵⁶

(1) मैसर्ज मास्टरमाइंड क्लासिस, चंडीगढ़ (एम.एम.सी.): ₹ 2.55 करोड़, (2) गेटवे, चंडीगढ़ (जी.डब्ल्यू.सी.): ₹ 1.06 करोड़, (3) एक्सीलेट सिविल अकादमी, करनाल (ई.सी.ए.क.): ₹ 0.69 करोड़, (4) एक्सीलेट सिविल अकादमी, रेवाड़ी (ई.सी.ए.आर.): ₹ 0.25 करोड़, (5) एस.एस. कंप्यूटर, पानीपत (एस.एस.): ₹ 0.25 करोड़, (6) हरियाणा इस्टीट्यूट आफ इन्फारमेशन एंड टेक्नोलॉजी, अंबाला सिटी (एच.आई.आई.टी.): ₹ 0.17 करोड़, (7) संकल्प, नई विल्ली: ₹ 0.08 करोड़, (8) कीवी एंड मैपल्स चंडीगढ़ (के. एंड.एम.): ₹ 0.06 करोड़, (9) कैरियर लॉचर, चंडीगढ़ (सी.एल.सी.): ₹ 0.03 करोड़, (10) बी.एस.सी. अकादमी, चंडीगढ़ (बी.एस.सी.): ₹ 0.02 करोड़, (12) ए.के. विद्यामंदिर, चंडीगढ़ (ए.के.वी.): ₹ 0.01 करोड़, (13) चंडीगढ़ कोचिंग सेंटर, चंडीगढ़ (सी.सी.सी.): ₹ 0.01 करोड़ और (14) अभिमन्यु कोचिंग सेंटर, चंडीगढ़ (ए.सी.सी.): ₹ 0.01 करोड़।

⁵⁷

मैसर्ज मास्टरमाइंड क्लासिस, चंडीगढ़ और मैसर्ज गेटवे, चंडीगढ़।

चण्डीगढ़)। जिसके लिए विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि स्कीम दो संस्थानों को बहिष्कृत नहीं करती यदि उनका मालिक एक ही व्यक्ति है। विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दो संस्थानों के लिए एक ही समय पर एक ही स्थान पर कोचिंग प्रदान करना असंभव था।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग ने 13 जनवरी 2014 को आयोजित एक एग्जिट काफेंस के दौरान कोचिंग संस्थानों के चयन में कमियों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि चयन की प्रक्रिया की जांच की जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी जो गलत चयन के लिए उत्तरदायी थे। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

(ii) परीक्षार्थियों के चयन में अनियमितताएं

महानिदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा स्कीम के अंतर्गत कोचिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों से विभिन्न कोर्सों और परीक्षाओं के लिए समय - समय पर आवेदन पत्र आमंत्रित करना अपेक्षित था। परीक्षार्थी, जो निश्चित योग्यता शर्तें पूरी करते थे, का चयन राज्य स्तर, पर सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो समिति का चेयरपर्सन भी था, द्वारा नामित विशेषज्ञों से समायुक्त समिति द्वारा किया जाना था। कोचिंग संस्थानों को अपेक्षित था कि (i) केवल उन परीक्षार्थियों को प्रवेश देना जो समिति द्वारा चुने गए हों (ii) वी गई कोचिंग तथा परीक्षार्थियों की प्लेसमेंट के बारे में पूरा रिकार्ड रखना (iii) स्कीम के लिए जारी की गई नियियों के लिए पृथक लेरवे रखना और (iv) परीक्षार्थियों के पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, जाति, कुल पारिवारिक आय (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र), हरियाणा अधिवासी प्रमाण - पत्र, कोचिंग प्राप्त करने के लिए पद / कोर्स के लिए आवेदन करने का प्रमाण और शैक्षणिक योग्यताएं आदि विभाग को प्रस्तुत करना।

परीक्षार्थियों को कोचिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए सीधे कोचिंग संस्थानों को उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जो स्कीम के प्रावधान का उल्लंघन था। विभाग ने परीक्षार्थियों के उचित रिकार्ड, जैसे परीक्षार्थियों से आवश्यक प्रमाणपत्र, सूचना और एफीडेविट, अनुरक्षित नहीं किए थे। 9,906 परीक्षार्थियों में से, केवल 5,729 परीक्षार्थियों से संबंधित रिकार्ड आडिट को उपलब्ध करवाए गए थे। विभाग ने सूचित किया कि शेष परीक्षार्थियों के रिकार्ड कार्यालय भवन के शिफिंग के दौरान मिसप्लेज हो गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा मिसप्लेज हुए रिकार्ड को ढूँढ़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

5,729 परीक्षार्थियों से संबंधित रिकार्ड की जांच के दौरान यह देखा गया कि:

- कुल 5,729 सदस्यों में से, विभाग ने आठ परीक्षाओं के लिए केवल 822 परीक्षार्थियों को स्पोंसर किया था तथा एच.टी.ई.टी. के लिए विभाग द्वारा कोई परीक्षार्थी स्पोंसर नहीं किया गया था।
- एच.टी.ई.टी. के 3,638 आवेदन फार्मो में से, 2,140 फार्मो में शैक्षिक योग्यता प्रमाण - पत्र, 1,744 फार्मो में जाति प्रमाण - पत्र, 2,524 फार्मो में निवासीय प्रमाण - पत्र, 1,311 फार्मो में आय प्रमाण - पत्र और 1,361 में आवासीय पते के प्रमाण संलग्न नहीं पाए गए, केवल 164 आवेदन हर प्रकार से पूर्ण थे।

- एच.टी.ई.टी. में, 1,757 परीक्षार्थियों के पारिवारिक आय के समर्थन में एफिडेविट चरखी दादरी के नोटरी पब्लिक द्वारा कोचिंग के समापन की तिथि से दो मास बाद एक ही दिन अर्थात् 12 जनवरी 2012 को सत्यापित किए गए थे। आगे, मौलिक एफिडेविट की बजाय दावों के साथ केवल फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई थी।
- सिविल सेवाएं (प्रारंभिक परीक्षा) के संबंध में आडिट को उपलब्ध किए गए 163 आवेदन फार्म में से कोई भी आवेदन फार्म पूर्ण नहीं पाया गया।

एग्जिट काफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि परीक्षार्थियों के चयन के संबंध में स्कीम के प्रावधान परस्पर विरोधी थे। स्कीम में, सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा नामांकित विशेषज्ञों से युक्त राज्य स्तरीय समिति तथा सूचीबद्ध संस्थानों जोकि स्कीम के प्रचार के लिए उत्तरदायी थे, दोनों द्वारा परीक्षार्थियों के चयन का उल्लेख है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मार्ग - निर्देशों में स्पष्ट निर्देशों को शामिल किया जाएगा। प्रधान सचिव का तर्क युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कोचिंग प्रदान किए गए परीक्षार्थियों का उपयुक्त रिकार्ड जैसा कि अपेक्षित था, नहीं रखा गया था।

(iii) भुगतान करने में अनियमितताएं

सभी जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा उन कोचिंग केंद्रों, जहां चयनित परीक्षार्थियों को कोचिंग दी जा रही थी, का निरीक्षण सप्ताह में दो बार करना अपेक्षित था और संबंधित परीक्षा बोर्डों / कमीशनों द्वारा जारी रोल नंबर इत्यादि के साथ परीक्षार्थियों की उपस्थिति की फोटो प्रतियों सहित विवरण तथा कोचिंग की प्रगति तथा विवरण के साथ की अपनी रिपोर्ट महानिदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग विभाग के कार्यालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

आडिट ने अवलोकित किया कि कल्याण अधिकारियों ने अपेक्षा अनुसार कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण नहीं किया तथा परीक्षार्थियों की संख्या हैड काउंट अथवा औसत आधार पर सूचित की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि एच.टी.ई.टी. कोचिंग में, समय की बाधाओं के कारण विभाग निर्धारित जांच नहीं कर पाया और भुगतान जिला कल्याण अधिकारियों की रिपोर्टों पर किया गया था। उसने आश्वासन भी दिया कि रिपोर्टों की जांच की जाएंगी तथा तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2014)।

(iv) आडिट द्वारा परीक्षार्थियों के भौतिक सर्वेक्षण के परिणाम

परीक्षार्थियों द्वारा कोचिंग के द्वारा प्राप्त लाभों की समीक्षा करने के लिए, आडिट ने 9,906 परीक्षार्थियों में से 2,775 परीक्षार्थियों का सर्वेक्षण किया और फीडबैक प्रश्नावली तरीके द्वारा ली गई। किए गए सर्वेक्षण तथा पाई गई अनियमितताओं का कोर्स - वार विवरण तालिका 3.21.1 में दिया गया है:

तालिका: 3.21.1: परीक्षार्थियों के भौतिक सर्वेक्षण के दौरान देरवी गई अनियमितताओं का विवरण

क्र. सं	परीक्षा का नाम	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	संस्थान का नाम और उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए परीक्षार्थी	प्रशिक्षित परीक्षार्थियों की संख्या, जिनके लिए भुगतान किया गया था	दिनों में कोचिंग की अवधि	परीक्षार्थियों का भौतिक सत्यापन	
						भौतिक सत्यापन का नमूना	भौतिक सत्यापन के परिणाम
1	हरियाणा टीचर एलीजिबिलिटी टेस्ट (एच.टी.ई.टी.)	1.20	एम.एम.सी. (1,667) जी.डब्ल्यू.सी. (1,697) ई.सी.ए.के. (51) ई.सी.ए.आर. (71) एस.एस. (59) एच.आई.आई.टी. (93)	3,638	15	1145	(i) 1,031 परीक्षार्थियों (90 प्रतिशत) ने न तो आवेदन दिया था । न ही कोचिंग की सुविधा ली थी। (ii) 42 परीक्षार्थियों को कम दिनों के लिए प्रदान की गई। (iii) 11 परीक्षार्थियों ने कोचिंग संस्थानों को कोचिंग की संख्या ली थी।
2	डिप्लोमा एट्रेस टेस्ट (डी.ई.टी.) और लेटरल इंजीनियरिंग एट्रेस टेस्ट (एल.ई.ई.टी.)	1.06	एम.एम.सी. (1,686) एच.आई.आई.टी. (202) के. एड एम. (138)	2026	90	248	(i) 155 परीक्षार्थियों (62 प्रतिशत) ने न तो आवेदन दिया था । न ही कोचिंग की सुविधा ली थी। (ii) कोचिंग केवल 24 दिनों के लिए प्रदान की गई। (iii) हिसार में एक संस्थान जिसे एक कोचिंग संस्थान की शाखा होने का दावा किया था में कोई कोचिंग क्लास आयोजित नहीं की गई। (iv) जिला कल्याण अधिकारियों ने प्रशिक्षण के आयोजन के दौरान कोचिंग संस्थान का निरीक्षण नहीं किया और हैड काउंट आधार पर परीक्षार्थियों की संख्या सूचित की।
3	प्री मैडिकल एट्रेस टेस्ट (पी.एम.टी.)	0.63	एम.एम.सी. (569) सी.सी.सी. (6)	575	90	65	(i) 42 परीक्षार्थी कोचिंग के योग्य नहीं थे क्योंकि उन्होंने 10 से 2 परीक्षा कला विषयों के साथ पास की थी। (ii) कोचिंग केवल 26 दिनों के लिए प्रदान की गई।
4	आल इंडिया इंजीनियरिंग एट्रेस एक्जामिनेशन (ए.आई.ई.ई.ई.)	0.52	एम.एम.सी. (720) एच.आई.आई.टी. (55) एस.एस. (15)	790	90	152	(i) 115 परीक्षार्थियों (75 प्रतिशत) ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग की सुविधा ली थी यहां तक कि 91 परीक्षार्थी अपात्र थे क्योंकि उन्होंने 10 से 2 परीक्षा कला विषयों के साथ पास नहीं की थी। (ii) एम.एम.सी. की 14 ब्रांचों में से कोचिंग 12 ब्रांचों में क्लासें आयोजित नहीं की गई थी। (iii) कोचिंग केवल 27 से 60 दिनों के लिए प्रदान की गई थी।
5	बैंक कर्कस परीक्षा	1.20	जी.डब्ल्यू.सी. (902) ई.सी.ए.के. (636) एस.एस. (367) ई.सी.ए.आर. (296) बी.एस.सी. (26)	2,227	60	794	(i) 307 परीक्षार्थियों (39 प्रतिशत) ने आवेदन दिया था पर कोचिंग क्लासिस में उपस्थित नहीं हुए थे। (ii) 258 परीक्षार्थियों (32 प्रतिशत) ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग की सुविधा ली थी। (iii) 20 (3 प्रतिशत) ने कोचिंग संस्थानों को भुगतान किया था। (iv) 91 (11 प्रतिशत) परीक्षार्थियों ने कोचिंग अपेक्षित से कम दिनों के लिए प्राप्त की थी।

क्र. सं	परीक्षा का नाम	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	संस्थान का नाम और उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए परीक्षार्थी	प्रशिक्षित परीक्षार्थियों की संख्या, जिनके लिए भुगतान किया गया था	दिनों में कोचिंग की अवधि	परीक्षार्थियों का भौतिक सत्यापन	
						भौतिक सत्यापन का नमूना	भौतिक सत्यापन के परिणाम
6	प्रोबेसनरी आफिसर्ज परीक्षा	0.22	ई.सी.ए.के. (127) ई.सी.ए.आर. (76) एस.एस. (45) बी.एस.सी. (20)	268	60	154	(i) 15 परीक्षार्थियों ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग प्राप्त की थी। (ii) 7 परीक्षार्थियों ने आवेदन तो दिया था पर कोचिंग प्राप्त नहीं की थी। (iii) 18 परीक्षार्थी अपात्र थे। (iv) 21 परीक्षार्थियों ने कोचिंग संस्थानों को भुगतान किया।
7	कंबाइंड ग्रेजुएट लेबल परीक्षा	0.10	ई.सी.ए.के. (68) ई.सी.ए.आर. (50)	118	60	76	(i) 14 परीक्षार्थियों ने न तो आवेदन दिया था न ही कोचिंग प्राप्त की थी। (ii) 4 परीक्षार्थियों ने आवेदन तो दिया था पर कोचिंग प्राप्त नहीं की। (iii) 15 परीक्षार्थियों ने कोचिंग संस्थानों को भुगतान किया।
8	सिविल सेवाएं (प्रारंभिक परीक्षा)	0.29	ई.सी.ए.के. (81) संकल्प (46) सी.एल.सी. (21) आई.एस.सी. (15) ए.के.वी. (7) ए.सी.सी. (4)	174	90	141	(i) 49 परीक्षार्थियों ने (35 प्रतिशत) कोचिंग प्राप्त नहीं की थी। (ii) 30 परीक्षार्थियों ने केवल 30 दिनों के लिए कोचिंग प्राप्त की।
कुल		5.22	9,816 ⁵⁸	9,816		2,775	

स्रोत: परीक्षार्थियों के भौतिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित तथा विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

ऊपर की तालिका इंगित करती है कि भौतिक सर्वेक्षण किए गए 2,775 परीक्षार्थियों में से, 1,588 परीक्षार्थियों ने कोचिंग के लिए आवेदन नहीं किया था, 151 परीक्षार्थी संबंधित कोचिंग लेने के लिए अपात्र पाए गए, 360 परीक्षार्थियों ने कोचिंग के लिए आवेदन किया था परंतु किसी कोचिंग में उपस्थित नहीं हुए, 67 परीक्षार्थियों ने कोचिंग लेने के लिए कोचिंग संस्थानों को अतिरिक्त भुगतान किया और 163 परीक्षार्थियों ने शिकायत की कि कोचिंग कम दिनों के लिए प्रदान की गई थी।

➤ आगे, यह अवलोकित किया गया कि एच.टी.ई.टी. में, आवेदन पत्र मंगवाने के लिए विज्ञापन की तिथि तथा कोचिंग संस्थान द्वारा कोचिंग प्रारंभ करने की तिथि एक (20 अक्टूबर 2011) थी। सारे हरियाणा से परीक्षार्थियों के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था।

एग्जिट काफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान प्रधान सचिव ने सूचित किया कि निदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग के स्तर पर एक जांच समिति गठित की गई थी और कोचिंग संस्थानों को भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी और चूककर्ताओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई जाएगी। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

⁵⁸

2012 - 13 में बैंक कलकर्णी के लिए कोचिंग में कुल 729 परीक्षार्थी थे परंतु परीक्षार्थियों की औसत आधार पर गणना करते हुए 639 परीक्षार्थियों के लिए भुगतान किया गया था।

➤ संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ने सूचित किया कि 163 परीक्षार्थियों में से केवल 89 परीक्षार्थियों ने सिविल सेवाएं (प्रारंभिक) परीक्षा 2011-12 के लिए आवेदन दिए थे परंतु केवल एक परीक्षार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसने इंगित किया कि 74 परीक्षार्थियों ($163 - 89 = 74$) ने संघ लोक सेवा आयोग को आवेदन तक नहीं दिया था और योग्य उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सुनिश्चित किए बिना कोचिंग प्रदान की गई। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि (अगस्त 2013) राज्य से बाहर दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने वाले संस्थानों का निरीक्षण नहीं किया गया था। एग्जिट काफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान प्रधान सचिव ने सूचित किया कि मामला जांच के लिए पुलिस के महानिदेशक के साथ उठाया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी। (जनवरी 2014)।

(v) सेवा कर का अनुचित भुगतान

हाई पावर कमेटी की बैठक (फरवरी 2011) में लिए गए निर्णय अनुसार, कोचिंग संस्थानों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित कोचिंग फीस की दरों में सेवाकर का उल्लेख नहीं था।

फिर भी, यह देखा गया कि विभाग ने कोचिंग संस्थानों को 2010-11 से 2011-12 के दौरान, कमेटी द्वारा अनुमोदित दरों पर फीस के अतिरिक्त सेवाकर के कारण ₹ 45.73 लाख का भुगतान किया था (मार्च 2012)। केंद्रीय उत्पाद विभाग, चंडीगढ़ से जांच पर यह पाया गया (अक्टूबर 2013) कि मैसर्ज गेटवे, चंडीगढ़ (जिसे ₹ 9.89 लाख सर्विस टैक्स भुगतान किया गया) ने वर्ष 2011-12 के लिए सेवाकर रिटर्न 'शून्य' प्रस्तुत की थी और मैसर्ज मास्टर माइंड क्लासिस, चंडीगढ़ (जिसे ₹ 23.84 लाख का सर्विस टैक्स भुगतान किया) ने 2011-12 अवधि के लिए रिटर्न नहीं भरी थी। यह भी पाया गया कि चार⁵⁹ संस्थान सेवाकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे। और छ:⁶⁰ संस्थानों ने सेवाकर जमा करवाया था जैसा कि सेवाकर अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था।

एग्जिट काफ्रेंस (जनवरी 2014) के दौरान, प्रधान सचिव ने बताया कि कुछ कोचिंग संस्थानों ने सेवाकर जमा करवाया था और चालानों की प्रतियां शीघ्र ही आडिट को प्रस्तुत की जाएंगी। अन्य संस्थानों के मामले में जिन्होंने सेवाकर जमा नहीं करवाया था, चूककर्ताओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी।

➤ इस प्रकार, स्कीम सच्ची भावना से कार्यान्वित नहीं की गई और लक्षित वर्गों के योग्य परीक्षार्थियों को कोचिंग की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ संकलित दस्तावेजों की पूर्णता और वास्तविकता के सत्यापन के बिना भुगतान करने से, विभाग द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थानों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

⁵⁹ (i) मैसर्ज एक्सालैट सिविल अकादमी, करनाल तथा रेवाड़ी (सेवाकर भुगतान किया - ₹ 6.72 लाख), (ii) मैसर्ज एस.एस. कम्प्यूटरज, पानीपत (सेवाकर भुगतान किया - ₹ 1.41 लाख), (iii) मैसर्ज कीवी तथा नेपलज, चंडीगढ़ (सेवाकर भुगतान किया - ₹ 0.57 लाख) तथा (iv) मैसर्ज संकल्प जन कल्याण शिक्षा समिति, दिल्ली (सेवाकर भुगतान किया - ₹ 0.71 लाख)।

⁶⁰ (i) मैसर्ज ए.के. विद्या मंदिर, चंडीगढ़: ₹ 0.10 लाख, (ii) मैसर्ज अभिमन्यु कोचिंग सेंटर: ₹ 0.06 लाख, (iii) मैसर्ज आई.ए.एस. स्टडी सर्कल, चंडीगढ़: ₹ 0.23 लाख, (iv) मैसर्ज हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फरमेशन एंड टैक्नॉलॉजी: ₹ 1.52 लाख, (v) मैसर्ज चंडीगढ़ कोचिंग सेंटर: 0.06 लाख और (vi) मैसर्ज बी.एस.सी. अकादमी: ₹ 0.29 लाख।

उपयुक्त बिंदु सरकार को अक्टूबर 2013 में भेजे गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी, बिंदुओं पर प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ जनवरी 2014 में आयोजित एग्जिट काफ्रेंस में चर्चा की गई थी तथा एग्जिट काफ्रेंस के विचार - विमर्श रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

चण्डीगढ़
दिनांक:

ओंकार नाथ
(ओंकार नाथ)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

शशि कान्त शर्मा
(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: अनुच्छेद: 1.9; पृष्ठ 5)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्ष – वार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	1999-2001	4	8	3.78
2	2001-2002	1	7	0.02
3	2002-2003	1	1	--
4	2003-2004	17	25	35.80
5	2004-2005	12	16	24.74
6	2005-2006	23	51	36.61
7	2006-2007	22	72	178.22
8	2007-2008	31	73	85.74
9	2008-2009	26	70	427.59
10	2009-2010	37	133	699.52
11	2010-2011	22	100	500.46
12	2011-2012	16	91	1,016.92
13	2012-2013	17	71	313.98
कुल		229	718	3,323.38

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भ: अनुच्छेद: 1.9; पृष्ठ 5)

**बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई¹
 अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1.	सेवा प्रभारों, तोड़-फोड़ प्रभारों तथा अन्य वसूलियों की अवसूली/कम वसूली	131	642.33
2.	अधिक व्यय, अधिक भुगतान, अनियमित/व्यर्थ/परिहार्य तथा निष्फल/अविवेकपूर्ण व्यय	139	526.10
3.	उपयोगिता दस्तावेजों की अप्राप्ति/अप्रस्तुतिकरण, संभावित गबन तथा रिकार्ड प्रस्तुत न करना	22	6.48
4.	ठेकेदारों को अदेय लाभ	107	161.22
5.	अनियमित खरीद, निधियों का अवरोधन, अधिक बजट, तकनीकी संस्थीकृति/प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न करना तथा सरकारी धन/ऋणों का दुरुपयोग/उपयोग न करना	111	1,556.90
6.	अग्रिम भुगतानों/विविध अग्रिमों का असमायोजन	30	191.90
7.	लेबर सैस न काटना/रिकार्ड का न रखना	13	58.32
8.	अवैध ढांचों तथा अतिक्रमणों को न हटाना	8	106.46
9.	पुराने सामान का निपटान न करना	12	0.54
10.	स्टॉक एवं स्टोर तथा रोकड़-बहियों की अनियमितताओं से संबंधित अन्य पैराग्राफ	145	73.13
	कुल	718	3,323.38

परिशिष्ट 1.3
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 6)

**वर्ष 2008 – 09, 2009 – 10, 2010 – 11 तथा 2011 – 12 के लिए लोक लेखा समिति में
 चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची**

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1	कृषि	2009-10	1	1.1
		2010-11	1	3.2.5
		2011-12	1	4.3.7
2	पशुपालन एवं डेरी उद्योग विभाग	2010-11	1	4.1
3	शिक्षा	2009-10	1	2.4.1
		2010-11	1	2.1
		2011-12	3	4.1.3, 4.3.1, 5.1
4	वित्त	2009-10	1	2.6.1
5	खाद्य एवं आपूर्ति	2010-11	1	3.3.6
		2011-12	1	4.2.5
6	वन	2010-11	1	2.2
7	गृह (पुलिस)	2009-10	1	2.2.6
		2010-11	1	3.2.6
		2011-12	1	3.4
8	उद्योग एवं वाणिज्य	2008-09	1	2.4.1
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2011-12	1	4.1.1 (ए)
10	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2009-10	2	2.1.1, 2.5.1
		2010-11	1	3.1.1
		2011-12	1	3.3
11	सिंचाई	2008-09	2	2.1.5, 2.3.8
		2009-10	3	2.2.2, 2.2.3 एवं 2.2.4
		2010-11	4	3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2
		2011-12	3	2.2, 2.3, 4.1.2
12	गृह (जेल)	2009-10	-	2.6.1.(एम)
13	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2009-10	2	2.2.1, 2.4.2
		2010-11	3	3.2.2, 3.2.3, 3.2.4
		2011-12	2	4.2.3, 4.3.5

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
14	लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य)	2009-10	4	1.3, 2.2.5, 2.4.3, 2.4.4
		2010-11	2	3.3.3, 3.3.4
		2011-12	5	4.1.1 (बी), 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
15	राजस्व	2008-09	1	2.5.1
		2010-11	1	2.3
16	ग्रामीण विकास	2009-10	1	2.5.2
		2011-12	1	2.4
17	परिवहन	2009-10	1	2.3.2
		2011-12	2	4.2.6, 4.3.6
18	न्याय प्रशासन	2008-09	1	2.2.1
		2011-12	1	4.2.2
19	आपूर्ति एवं निपटान	2008-09	1	2.3.5(एम)
20	श्रम एवं रोजगार	2010-11	1	3.3.7
		2011-12	1	2.1
21	महिला एवं बाल विकास विभाग	2009-10	1	1.2
22	मछली पालन विभाग	2009-10	1	3.2
23	पंचायत विभाग	2011-12	1	3.1
24	हरियाणा विधान सभा (विधायी विभाग)	2011-12	1	4.2.1
	कुल अनुच्छेद		68	

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 6)

31 जुलाई 2013 को वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12
 (सिविल प्रतिवेदनों) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2009-10	1	1.1
		2011-12	1	4.3.7
2.	शिक्षा	2010-11	1	2.1
		2011-12	2	4.1.3, 4.3.1
3.	तकनीकी शिक्षा	2011-12	1	5.1
4.	वित्त	2009-10	1	2.6.1
5.	वन	2010-11	1	2.2
6.	गृह (पुलिस तथा जेल)	2009-10	1	2.2.6
		2011-12	1	3.4
7.	सिंचार्ड	2009-10	3	2.2.2, 2.2.3, 2.3.4
		2010-11	3	3.1.2, 3.2.1, 3.3.2
		2011-12	2	2.2, 4.1.2
8.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2009-10	1	2.2.1
		2010-11	2	3.2.2, 3.2.3
		2011-12	1	4.2.3
9.	लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य)	2010-11	1	3.3.4
10.	राजस्व	2010-11	1	2.3
11.	परिवहन	2009-10	1	2.3.2
		2011-12	2	4.2.6, 4.3.6
12.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2009-10	2	2.1.1, 2.5.1
		2010-11	1	3.1.1
13.	मछली पालन	2009-10	1	3.1
14.	श्रम एवं रोजगार	2010-11	1	3.3.7
		2011-12	1	2.1
15.	पशुपालन एवं डेरी उद्योग	2010-11	1	4.1
16.	ग्रामीण विकास	2011-12	1	2.4
17.	विकास एवं पंचायत	2011-12	1	3.1
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2011-12	1	4.1.1 (ए)
19.	हरियाणा विधान सभा (विधायी विभाग)	2011-12	1	4.2.1
20.	न्याय प्रशासन विभाग	2011-12	1	4.2.2
21.	खाद्य एवं आपूर्ति	2011-12	1	4.2.5
	कुल		40	

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

परिशिष्ट 1.5
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 6)

उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभाग
द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
			6.6	30.60
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2001-02	3.3	5.62
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
5.	ग्रामीण विकास (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी)	2001-02	6.1.11	0.54
		2003-04	4.5.1	273.00
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1.12.13.1	8.25
			1.12.13.3	4.09
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रैड क्रास सोसाइटी)	2010-11	3.11	1.53
		2011-12	3.3.5.1	1,572.00
			3.3.5.2	71.00
8.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई)	2010-11	3.1.2	62.25
9.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1. 9.4	79.95
	कुल		16	2,944.73

अर्थात् ₹ 29.45 करोड़

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 6)

लोक लेरवा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर अभी सरकार
को अंतिम निर्णय लेना है

क्र.सं.	पी.ए.सी. रिपोर्ट	बकाया सिफारिशों की कुल संख्या
1	9 ^{वीं}	1
2	14 ^{वीं}	1
3	16 ^{वीं}	1
4	18 ^{वीं}	1
5	21 ^{वीं}	1
6	22 ^{वीं}	2
7	23 ^{वीं}	1
8	25 ^{वीं}	3
9	26 ^{वीं}	2
10	28 ^{वीं}	1
11	29 ^{वीं}	3
12	32 ^{वीं}	5
13	34 ^{वीं}	5
14	36 ^{वीं}	8
15	38 ^{वीं}	7
16	40 ^{वीं}	8
17	42 ^{वीं}	6
18	44 ^{वीं}	11
19	46 ^{वीं}	7
20	48 ^{वीं}	3
21	50 ^{वीं}	33
22	52 ^{वीं}	16
23	54 ^{वीं}	12
24	56 ^{वीं}	15
25	58 ^{वीं}	40
26	60 ^{वीं}	36
27	61 ^{वीं}	12
28	62 ^{वीं}	20
29	63 ^{वीं}	25
30	64 ^{वीं}	09
31	65 ^{वीं}	23
32	67 ^{वीं}	37
33	68 ^{वीं}	58
	कुल	413

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.11; पृष्ठ 6)

स्वायत्त निकायों द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं	निकाय का नाम	नियंत्रक - महालेखा परीक्षक को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीषाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2011-12	2010-11	2004-05	2011-12 से 2012-13	14 माह
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2008-09 से 2012-13	2011-12	2011-12	2006-07	--	
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2007-08 से 2011-12	2011-12	2010-11	2010-11	--	
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2009-10 से 2013-14	2011-12	2011-12	2010-11	--	
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2010-11 से 2014-15	2011-12	2011-12	2010-11	2012-13	दो माह
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2008-09 से 2012-13	2012-13	2011-12	प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित नहीं थे	-	
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2010-11	2007-08	2005-06	2011-12	14 माह
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	- सम -	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	- सम -	2010-11 ¹	-	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	- सम -	2011-12	2010-11	-	2012-13	दो माह
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुडगांव	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कौशल	- सम -	2011-12	2006-07	-	2012-13	दो माह
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष

¹ 2000-01 से 2007-08 तक के वर्षों के लेखे पूर्ण नहीं थे अतः वापस भेज दिए गए।

क्र. सं.	निकाय का नाम	नियंत्रक - महालेखा परीक्षक को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
15.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	लेखापरीक्षा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
16.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुननगर	- सम -	2011-12	-	-	2012-13	दो माह
20.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	- सम -	2011-12	2006-07	-	2012-13	दो माह
21.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनालौ	- सम -	2009-10	2009-10	-	2010-11 से 2012-13	दो वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	- सम -	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
23.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	चार वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	- सम -	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
25.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	चार वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	चार वर्ष
27.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कानूनगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	- सम -	2011-12	2010-11	-	--	
28.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	- सम -	-	-	-	2009-10 से 2012-13	तीन वर्ष

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.1.7.3; पृष्ठ 14)
कार्यों के विवरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	जिला का नाम	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल का नाम	अनुमानों की संख्या	कार्यों की संख्या	कुल राशि (₹ लाख में)
1	रेवाड़ी	रेवाड़ी सं. 2	2	32	150.98
2		कोसली	2	11	51.32
3	फतेहाबाद	फतेहाबाद सं. 1	1	15	70.26
4		फतेहाबाद सं. 2	3	66	268.76
5	गुडगांव	गुडगांव	2	5	13.89
6		सोहना	4	13	34.30
7	हिसार	हिसार सं. 2	2	9	22.92
8		हिसार सं. 3	2	31	144.65
9	कैथल	कैथल सं. 3	5	62	220.67
10	करनाल	करनाल	10	94	414.64
11	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	1	2	3.66
12	मोहिंद्रगढ़	नारनौल	2	34	52.62
13	पलवल	पलवल सं. 3	3	24	78.35
14	पानीपत	पानीपत सं. 2	2	15	59.82
15	अंबाला	अंबाला कैट	2	11	46.92
16	सोनीपत	सोनीपत सं. 2	8	60	221.46
17		सोनीपत सं. 3	3	9	39.60
18		गोहाना	2	6	18.98
	कुल		56	499	1913.80

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.4; पृष्ठ 28)

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित नगर निगमों, परिषदों तथा समितियों की सूची

क्र. सं.	जिला	निगम	परिषद्	समिति
1	फरीदाबाद	फरीदाबाद	-	-
2	फतेहाबाद	-	फतेहाबाद, टोहाना	रतिया
3	हिसार	हिसार	हांसी	बरवाला, उकलाना, नारनौंद
4	झज्जर	-	बहादुरगढ़	झज्जर, बेरी
5	महेन्द्रगढ़	-	नारनौल	अटेली, कनीना, महेन्द्रगढ़
6	रेवाड़ी	-	रेवाड़ी	बरवाला, धारुहेड़ा

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.7.4; पृष्ठ 30)

अनुदानों के विपथन के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

स्कीम का नाम	व्यय की मद्दें जिन पर अनुदान विपथित किया गया	विपथन की राशि (₹ लाख में)
	नगर परिषद्, फतेहाबाद	
तेरहवां वित्त आयोग	वेतन, आडिट फीस, मजदूरी, ग्रेचुटी तथा छुट्टी नगदीकरण	60.82
वैट पर सरचार्ज	छुट्टी यात्रा रियायत, मजदूरी, ग्रेचुटी तथा छुट्टी नगदीकरण	50.51
	कुल	111.33
	नगर परिषद्, टोहाना	
वैट पर सरचार्ज	ग्रेचुटी, आडिट फीस, मजदूरी, वेतन, चिकित्सा व्यय, एम.सी. मैबर मानदेय, पैशन शेयर, जी.पी.एफ. इत्यादि	120.55
	कुल	120.55
	नगरपालिका, रतिया	
केंद्रीय वित्त आयोग	वेतन, एक प्रतिशत हिस्सा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के लिए, आडिट फीस, छुट्टी यात्रा रियायत, वेतन	29.59
राज्य वित्त आयोग	वेतन	9.04
	कुल	38.63
	नगर परिषद्, हांसी	
वैट पर सरचार्ज स्कीम	एरियर एवं मजदूरी	19.20
	कुल	19.20
	नगर निगम, फरीदाबाद	
केंद्रीय वित्त आयोग	मजदूरी, हुडा स्टॉफ का वेतन, मजदूरी, चिकित्सा स्थापना	307.76
	कुल	307.76
	नगर निगम, बावल	
वैट	आडिट फीस, पैशन शेयर, एक प्रतिशत हिस्सा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के लिए इत्यादि	13.58
राज्य वित्त आयोग	हरियाणा स्लम क्लीयरेंस बोर्ड को ऋण का भुगतान	2.00
	कुल	15.58
	नगरपालिका, झज्जर	
वैट पर सरचार्ज	अर्नेस्ट मनी, वेतन, बिजली बिल इत्यादि का रिफंड	59.80
वैट	वर्ष 2011 - 12 के लिए आडिट फीस	2.00
केंद्रीय वित्त आयोग	एल.टी.सी., आडिट फीस, वेतन	36.91
	कुल	98.71
	नगरपालिका, फतेहाबाद	
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, केंद्रीय वित्त आयोग इत्यादि	वेतन, मजदूरी इत्यादि	57.50
	कुल	57.50
	कुल योग	769.26

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.4
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.8.1; पृष्ठ 31)

रेगुलराइजेशन चार्जिंग की वसूली न करने के कारण हानि के विवरण

क्र. सं.	नगर पालिकाओं के नाम	कुल बिल्ट - अप एरिया (लाख वर्ग गज में)	प्रति वर्ग गज दर (₹ में)	वसूल की जाने वाली राशि (₹ करोड़ में)
1.	नगर परिषद्, फतेहाबाद	22.70	120	27.24
2.	नगर परिषद्, टोहाना	17.97	120	21.56
3.	नगर पालिका, रतिया	5.52	80	4.42
4.	नगर निगम, हिसार	22.70	120	27.24
5.	नगर परिषद्, हांसी	23.01	120	27.61
6.	नगर पालिका, नारनौंद	0.12	80	0.10
7.	नगर परिषद्, बहादुरगढ़	26.04	120	31.25
8.	नगर पालिका, बावल	8.19	80	6.55
9.	नगर परिषद्, रेवाड़ी	16.86	120	20.23
10.	नगर पालिका, महेन्द्रगढ़	5.25	80	4.20
कुल				170.40

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.5
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.8.4; पृष्ठ 33)

सैस की अवसूली के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

इकाई का नाम	नमूना - जांच किए गए मामलों की संख्या	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
नगर परिषद्, फतेहाबाद	70	12.83
नगर परिषद्, टोहाना	96	22.44
नगर पालिका, रतिया	65	11.36
नगर निगम, हिसार	19	3.58
नगर परिषद्, हांसी	16	2.10
नगर पालिका, बरवाला	12	1.17
नगर पालिका, नारनौंद	10	1.27
नगर पालिका, झज्जर	10	1.01
नगर पालिका, बावल	8	0.91
नगर पालिका, बेरी	35	4.60
नगर परिषद्, रेवाड़ी	15	4.20
नगर परिषद्, नारनौल	5	2.34
नगर पालिका, कनीना	1	1.57
नगर पालिका, अटेली	5	0.58
नगर पालिका, महेन्द्रगढ़	51	9.19
कुल	79.15	

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.6
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.8.6; पृष्ठ 34)

**नगर पालिका क्षेत्र में लगाए गए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन टावरों की
बकाया वार्षिक नवीकरण फीस के विवरण**

क्र.सं.	नगर पालिकाओं के नाम	वार्षिक नवीकरण फीस (₹ लाख में)
1.	नगर निगम, फरीदाबाद	84.40
2.	नगर परिषद्, फतेहाबाद	1.55
3.	नगर परिषद्, टोहाना	0.45
4.	नगर पालिका, बरवाला	1.10
5.	नगर निगम, हिसार	54.49
6.	नगर परिषद्, हांसी	7.05
7.	नगर पालिका, नारनौंद	1.50
8.	नगर पालिका, बेरी	0.70
9.	नगर पालिका, झज्जर	3.60
10.	नगर पालिका, अटेली	0.20
11.	नगर परिषद्, नारनौल	1.50
12.	नगर पालिका, बावल	0.90
13.	नगर पालिका, धारूहड़ा	0.30
कुल		157.74

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.7
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.8.6; पृष्ठ 34)

फायर टैक्स सहित बकाया हाउस टैक्स के विवरण

क्र.सं.	नगर पालिकाओं के नाम	हाउस टैक्स (₹ लाख में)
1.	नगर निगम, फरीदाबाद	7841.67
2.	नगर परिषद्, फतेहाबाद	186.99
3.	नगर पालिका, रतिया	66.67
4.	नगर परिषद्, टोहाना	31.65
5.	नगर परिषद्, हिसार	377.94
6.	नगर परिषद्, हांसी	56.43
7.	नगर पालिका, नारनौद	7.43
8.	नगर परिषद्, बहादुरगढ़	306.83
9.	नगर पालिका, बेरी	9.06
10.	नगर पालिका, झज्जर	122.22
11.	नगर पालिका, अटेली	19.41
12.	नगर पालिका, कनीना	22.34
13.	नगर पालिका, महेन्द्रगढ़	36.04
14.	नगर परिषद्, नारनौल	190.65
15.	नगर पालिका, बावल	26.51
16.	नगर परिषद्, रेवड़ी	280.02
17.	नगर पालिका, धारुहेड़	शून्य
	कुल	9581.86

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.8
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.8.6; पृष्ठ 35)

नगर पालिकाओं द्वारा एकत्रित / उद्गृहीत बकाया किराए के विवरण

क्र.सं.	नगर पालिकाओं के नाम	किराया (₹ लाख में)
1.	नगर निगम, फतेहाबाद	50.28
2.	नगर पालिका, रतिया	7.78
3.	नगर पालिका, बरवाला	13.66
4.	नगर परिषद्, हांसी	13.59
5.	नगर पालिका, नारनौंद	16.03
6.	नगर पालिका, उकलाना	10.36
7.	नगर परिषद्, बहादुरगढ़	0.36
8.	नगर पालिका, बेरी	0.06
9.	नगर पालिका, झज्जर	11.13
10.	नगर पालिका, अटेली	6.57
11.	नगर पालिका, कनीना	64.76
12.	नगर पालिका, महेन्द्रगढ़	60.97
13.	नगर परिषद्, नारनौल	33.51
14.	नगर पालिका, बावल	61.83
15.	नगर परिषद्, रेवाड़ी	17.80
16.	नगर पालिका, धारूहड़ा	शून्य
	कुल	368.69

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिस्त 2.9
 (संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.9; पृष्ठ 35)

चयनित नगर पालिकाओं द्वारा 2008 – 13 के दौरान स्कीमवार प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय

नगर पालिकाओं के नाम		को.वि.आ.	रा.वि.आ	वैट पर सरचार्ज	सो.वे.मै.	स्थानेति. क्र.	अ.ज्ञ. लसी	विशेष विकास	मुख्यमंत्री की घोषणा	ज.ला.नेरा.श.नमि.	स्व.ज्ञ.श्रांगो.	(₹ करोड़ में) कुल
फतेहाबाद	प्राप्ति	38.42	70.96	21.44	0.32	7.00	22.06	0	0	367.09	0	527.29
	व्यय	32.87	67.79	13.72	0.32	7.00	8.37	0	0	367.09	0	497.16
फतेहाबाद	प्राप्ति	2.60	2.03	2.50	0.52	0.46	2.03	0	16.62	0	0	26.76
	व्यय	0.73	1.89	2.50	0.50	0.46	1.44	0	11.50	0	0	19.02
टोहना	प्राप्ति	1.85	3.87	7.07	0.71	2.74	4.32	0	0	0	0.32	20.88
	व्यय	1.85	3.78	6.33	0.04	2.74	4.27	0	0	0	0.32	19.33
रतिया	प्राप्ति	0.76	1.68	2.32	0.08	0.80	0.53	0	10.64	0	0.11	16.92
	व्यय	0.65	1.39	1.00	0	0.48	0.04	0	7.68	0	0.08	11.32
हिसार	प्राप्ति	51.63	24.49	0	1.25	4.96	7.86	0	0	5.64	0.74	96.57
	व्यय	36.36	16.77	0	1.16	4.96	6.57	0	0	4.06	0.64	70.52
हासी	प्राप्ति	2.37	5.99	10.10	0.12	2.04	3.20	2.43	4.20	0	0.03	30.48
	व्यय	2.37	5.99	9.23	0.02	2.04	3.20	2.43	4.20	0	0.02	29.50
बरवाला	प्राप्ति	0.92	4.37	8.81	0.44	0.41	6.88	0	2.00	0	0.95	24.78
	व्यय	0.92	4.19	3.69	0.40	0.41	6.82	0	2.00	0	0.95	19.38
नाराँद	प्राप्ति	0.28	1.76	4.33	0.21	0	0.26	0.10	3.21	0	0.03	10.18
	व्यय	0.09	1.62	2.80	0.21	0	0.10	0.10	2.66	0	0.03	7.61
उकलाना	प्राप्ति	0.10	0.15	2.70	0	0	0.04	0	0	0	0	2.99
	व्यय	0	0	2.02	0	0	0	0	0	0	0	2.02

(₹ करोड़ में)

नगर पालिकाओं के नाम	कॉ.वि.आ.	रा.वि.आ.	वैट पर सरचार्ज	सोवेन्सै.	स्थाक्षेवि.क.	अ.जा. बर्ती	विशेष विकास	मुख्यमंत्री की घोषणा	ज.ला.ने.रा.श.न.मि.	स्व.उंचांश.रो.यो.	कुल
झुंझर	प्राप्ति	1.73	2.76	0	1.32	1.47	0.96	3.86	0	1.83	0.55
	छ्य	1.30	1.82	0	0.05	0.94	0.62	3.86	0	1.81	0.48
बहादुरगढ़	प्राप्ति	3.57	7.85	10.31	0.12	5.78	2.69	7.00	1.00	36.41	0
	छ्य	3.57	7.79	4.96	0.12	5.21	2.23	7.00	1.00	32.00	0
बेसी	प्राप्ति	1.42	0.88	8.42	0	1.29	0.78	0	2.00	0	0.19
	छ्य	0.58	0.48	4.12	0	0.37	0.60	0	1.82	0	0.12
नारनीत	प्राप्ति	1.04	3.80	9.56	0	2.74	0.73	0	0.91	0	0
	छ्य	1.03	3.05	9.35	0	2.74	0.73	0	0.91	0	0
अटेली	प्राप्ति	0.05	0.20	0.99	0	0.48	0	1.36	0	0	0
	छ्य	0.05	0.18	0.97	0	0.48	0	1.36	0	0	0
कनीना	प्राप्ति	0.05	3.57	0	0.55	0	0	0	0	0	4.17
	छ्य	0.05	2.08	0	0	0	0	0	0	0	2.13
महेन्द्रगढ़	प्राप्ति	0.23	0.20	0.75	0.12	2.18	1.86	6.5	5.90	0	0
	छ्य	0.23	0.20	0	0.12	2.00	0.66	2.52	0.60	0	6.33
रेवाड़ी	प्राप्ति	1.82	4.96	0	0	0	0	42.85	0	0	49.63
	छ्य	1.35	4.76	0	0	0	0	39.39	0	0	45.50
बावल	प्राप्ति	0.48	0.81	1.78	0.52	0.15	2.29	0	0	0	0.79
	छ्य	0.34	0.63	1.78	0	0.15	2.26	0	0	0	0.79
धारहेरा	प्राप्ति	0.52	9.38	0	0	0	0	2.34	0	0	12.24
	छ्य	0.10	0.87	0	0	0	0	1.47	0	0	2.44
कुल	प्राप्ति	109.84	149.71	91.08	6.28	32.25	56.49	66.44	46.48	410.97	3.71
	छ्य	84.44	125.28	62.47	2.94	29.98	37.91	58.13	32.37	404.96	3.43

कॉ.वि.आ.: केंद्रीय वित्त आयोग, रा.वि.आ...: राज्य वित्त आयोग, सो.वै.मै.: सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्था.क्षे.वि.क.: स्थानीय क्षेत्र विकास कर, ज.ला.ने.रा.श.न.मि.: जवाहर ताल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण शिवान, स्व.उंचांश.रो.यो.: स्वर्ण ऊंती शहरी रोजगार योजना

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.11.3; पृष्ठ 44)

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग हरियाणा के बकाया अनुच्छेदों के विवरण

क्र. सं.	नगर पलिकाओं के नाम	लेखापरीक्षा की अवधि/वर्ष	बकाया अनुच्छेद	शामिल राशि (₹ लाख में)
नगर निगम				
1.	अंबाला	1968 से 2012	582	328.07
2.	फरीदाबाद	1961 से 2013	772	1459.12
3.	गुडगांव	1986 से 2012	183	43783.86
4.	हिसार	1971 से 2012	141	1114.95
5.	करनाल	2011 से 2012	581	571.02
6.	पंचकूला	मार्च 2012 तक	129	77.07
7.	पानीपत	1970 से 2011	46	103.53
8.	रोहतक	1959 से 2012	220	602.47
9.	यमुना नगर	1967 से 2012	263	411.34
नगर परिषद्				
1.	बहादुरगढ़	2010-2011 तक	357	3412.02
2.	भिवानी	2011-2012 तक	340	114.36
3.	फतेहाबाद	1981 से 2012	76	8.04
4.	हांसी	1984 से 2012	143	124.99
5.	जींद	1975 से 2012	102	280.64
6.	कैथल	2010 से 2012	06	15.74
7.	नारनौल	1966 से 2008	177	191.10
8.	नरवाना	2011-2012 तक	234	158.20
9.	पलवल	2011-2012 तक	237	776.77
10.	रेवाड़ी	1979 से 2012	76	56.95
11.	सिरसा	2011-2012 तक	195	17.15
12.	सोनीपत्त	2011-2012 तक	350	59.32
13.	थानेसर	1954 से 2012	853	531.76
14.	टोहाना	1977 से 2012	93	122.34
नगर पालिका				
1.	असंध	2011-2012 तक	131	140.88
2.	अटेली	1970 से 2012	275	40.08
3.	बरवाला	1973 से 2012	57	48.87
4.	बावल	1960 से 2012	452	2.36
5.	भवानीखेड़ा	2011-2012 तक	247	1037.45
6.	बेरी	2009 से 2011	98	22.58
7.	चरखीदादरी	1972 से 2012	185	162.02
8.	चीका	2011-2012 तक	83	112.38
9.	डबवाली	1985 से 2012	128	792.25
10.	धारूहेड़ा	2011-12	19	0
11.	ऐलनाबाद	1982 से 2012	110	26.00
12.	फास्तवनगर	1955 से 1995	183	6.94
13.	फिरोजपुर झिरखा	1972 से 2012	842	83.12

क्र. सं.	नगर पलिकाओं के नाम	लेरवापरीक्षा की अवधि / वर्ष	बकाया अनुच्छेद	शामिल राशि (₹ लाख में)
14.	गन्नौर	1986 से 2012	220	82.86
15.	घराँडा	2011-12 तक	312	265.06
16.	गोहाना	1972 से 2012	122	172.21
17.	हेलीमंडी	1955 से 2005	184	2.95
18.	हथीन	2011-12 तक	218	77.36
19.	होड़ल	2011-12 तक	259	3.83
20.	इद्री	1975 से 2012	215	49.88
21.	झज्जर	1976 से 2012	162	81.31
22.	जुलाना	1955 से 2012	138	15.55
23.	कलानौर	1974 से 2012	201	30.59
24.	कलांवाली	1973 से 2012	272	62.37
25.	कलायत	2011-12 तक	345	13.73
26.	कनीना	1968 से 2012	384	99.00
27.	खरखोदा	2011-12 तक	316	43.97
28.	लाडवा	2010-12	4	77.00
29.	लोहारू	2011-12 तक	151	2.85
30.	महम	Upto 2011	231	10.81
31.	महेन्द्रगढ़	1957 से 2012	828	6.17
32.	नारायणगढ़	2010-12	4	1.60
33.	नारनौंद	1988 से 2012	184	29.44
34.	नीलोखेड़ी	1970 से 2012	225	17.60
35.	निसिंग	2011-12	19	1.56
36.	नूँह	2011-12 तक	227	7.21
37.	पटौदी	1988 से 2009	127	12.35
38.	पेहोवा	1960 से 2012	837	130.42
39.	पूँडरी	2011-12 तक	344	8.04
40.	पुन्हाना	2011-12 तक	153	50.02
41.	रानियां	2011-12 तक	60	4.53
42.	रतिया	1976 से 2012	80	43.57
43.	सफीदों	1972 से 2012	93	9.81
44.	शाहबाद	2010-12	16	6.96
45.	समालखा	1981 से 2012	262	91.95
46.	सापला	2007 से 2011	9	1.51
47.	सिवानी	1970 से 2012	86	5.59
48.	सोहना	1977 से 2012	294	11.59
49.	तावडू	2011-12 तक	343	94.61
50.	तरावडी	1976 से 2012	281	29.17
51.	उचाना	1974 से 2009	250	62.21
52.	उकलाना	2008 से 2010	3	0
कुल			17425	58512.98

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.7.4; पृष्ठ 52)

हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान प्राप्त किए बिना मस्टर रोलज पर भुगतान के विवरण

क्र.सं.	स्कूल का नाम	अनुदान का प्रयोजन	कुल भुगतान	भुगतान का माह
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय (रा.मा.वि.), जफराबाद (तावड़ू) (मेवात)	अतिरिक्त कक्षा कमरों (अ.क.क.) का निर्माण अनुदान 2010-11	94500	अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2010
2.	रा.मा.वि., सराय ढाणी (मेवात)	अ.क.क. का निर्माण अनुदान 2010-11	65200	नवंबर 2010
3.	रा.मा.वि., रहेड़ी (तावड़ू) (मेवात)	चार दीवारी 2012-13	47000	फरवरी 2013
4.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (रा.प्रा.वि.), कंगरका (तावड़ू) (मेवात)	अ.क.क. अनुदान 2011-12 2	30600	मार्च 2012 एवं अप्रैल 2012
5.	रा.मा.वि., ढेरडू (बी.आरसी., पुडरी) (कैथल)	मुख्याध्यापक कक्ष 2011-12	31600	सितंबर 2012
6.	रा.प्रा.वि., पिशावल (कैथल)	अ.क.क.-2007-08	30105	अप्रैल एवं मई 2008
7.	रा.प्रा.वि., नंदगढ़ (बी.आरसी., गुहला) (कैथल)	अ.क.क. - 2011-12	76500	जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2012
8.	रा.क.प्रा.वि., नाथूवाला मोहल्ला, रानिया, (बी.आरसी., रानिया) (सिरसा)	अ.क.क.-2010-11	63668	मई एवं जून 2011
9.	रा.प्रा.वि., बिजूवाली (डबवाली) (सिरसा)	अ.क.क. - 2011-12	22050	जनवरी 2012
10.	रा.प्रा.वि., ढाणी साधा सिंह (एलनाबाद) (सिरसा)	अ.क.क. - 2011-12	9000	दिसंबर 2011 एवं जनवरी 2012
11.	रा.व.मा.वि., गोलागढ़ (कैरू) (भिवानी)	अ.क.क. - 2007-08	10350	दिसंबर 2008
12.	रा.प्रा.वि., बवानीखेड़ा (भिवानी)	अ.क.क. - 2010-11	91150	नवंबर 2010 से फरवरी 2011
13.	रा.प्रा.वि., पटूका (तावड़ू) (मेवात)	अ.क.क. - 2010-11 एवं 2011-12	151700	जून, 2011, मार्च 2012, अगस्त 2012 एवं सितंबर 2012
14.	रा.प्रा.वि., गगरपुर (गुहला) (कैथल)	अ.क.क. - 2011-12	95400	अप्रैल 2012 एवं जुलाई 2012
15.	रा.उ.वि., पीड़ल (गुहला) (कैथल)	अ.क.क. - 2011-12	30240	फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2012
16.	रा.क.प्रा.वि., दादरी तोए (झज्जर)	अ.क.क.-2012-13	84600	सितंबर, 2012 से अक्टूबर, 2012
17.	रा.प्रा.वि., चुडानी (झज्जर)	अ.क.क. - 2008-09	21150	भुगतान की तारीख मस्टर रोल पर नहीं दर्शाई गई है
18.	रा.प्रा.वि., छावा (नूह), (मेवात)	अ.क.क. - 2011-12	54300	मई, 2012
			70700	जुलाई, 2012
19.	रा.प्रा.वि., चदेनी (नूह), (मेवात)	अ.क.क.- 2008-09 अ.क.क. - 2010-11 अ.क.क.-2011-12	28000 57100 23200	सितंबर, 2009 फरवरी, 2011 एवं जून, 2011 अक्टूबर, 2011
20.	रा.मा.वि., रिथोड़ा (नूह), (मेवात)	अ.क.क. - 2008-09	25300	जुलाई, 2009
21.	रा.मा.वि., खेरका गुज्जर (झज्जर)	अ.क.क.-2011-12	29480	फरवरी एवं मार्च, 2012
22.	रा.प्रा.वि., निजामपुर (तावड़ू) मेवात	अ.क.क. - 2009-10	31500	जनवरी, 2011
23.	रा.मा.वि., अहमदवास (नूह), (मेवात)	अ.क.क. - 2010-11	22000	दिसंबर 2010
	कुल		12,96,393	

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.12
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.8.1; पृष्ठ 52)

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों तथा कन्या विद्यार्थियों के एनरोलमैंट के विवरण

वर्ष	प्राथमिक स्कूल			अपर प्राथमिक स्कूल			सभी लड़कियां	
	अनुसूचित जाति			सभी लड़के	अनुसूचित जाति			
	लड़के	लड़कियां	कुल		लड़के	लड़कियां	कुल	
2008-09	286386	271383	557769	707877	120000	112914	232914	340441
2009-10	294949	278307	573256	701467	128197	123708	251905	347804
2010-11	293529	279419	572948	277199	134511	130482	264993	337394
2011-12	289186	274876	564062	697273	146762	141312	288074	359950
2012-13	267543	259112	526655	677745	152079	148443	300522	369250

स्रोत: हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रस्तुत डाटा।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) का प्रतिवेदन

परिशिष्ट 2.13
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.8.6; पृष्ठ 55)
मुफ्त पाठ्यपुस्तकों उठाने में विलंब के विवरण

वर्ष	आबटित बजट (₹ लाख में)	उपयोग (₹ लाख में)	देर से उठाई गई पुस्तकों की कुल संख्या	कुल मूल्य (₹ लाख में)	पुस्तकों उठाने में विलंब
यमुनानगर					
2008-09	160.22	158.49	456793	85.22	दो से पांच माह
2009-10	179.34	167.66	86137	16.32	पांच से सात माह
2010-11	173.75	173.75	11609	2.83	तीन माह से अधिक
2011-12	125.00	129.83	567750	106.58	एक से छः माह
2012-13	175.17	175.17	642913	118.14	एक से छः माह
कुल	813.48	804.90	1765202	329.09	
पंचकूला					
2008-09	72.30	71.69	128419	28.69	दो से सात माह
2009-10	73.02	72.67	55925	12.67	दो से सात माह
2010-11	74.90	74.90	162915	24.07	दो से तीन माह
2011-12	75.95	75.95	249810	54.02	तीन से पांच माह
2012-13	82.80	82.80	367054	101.08	तीन से सात माह
कुल	378.97	378.01	964123	220.53	
भिवानी					
2008-09	271.88	258.56	868340	162.10	दो से छः माह
2009-10	278.46	271.44	202806	43.33	तीन से छः माह
2010-11	270.34	270.34	46999	11.64	एक माह से अधिक
2011-12	261.92	261.92	283413	54.66	दो से तीन माह
2012-13	267.63	267.63	262724	49.72	एक से छः माह
कुल	1350.23	1329.89	1664282	321.45	
कैथल					
2008-09	212.26	211.83	787374	171.75	तीन से छः माह
2009-10	216.50	215.40	1052103	237.97	तीन से आठ माह
2010-11	189.03	189.01	65062	13.02	दो से तीन माह
2011-12	183.07	128.46	274231	77.67	तीन से पांच माह
2012-13	186.36	186.36	450239	90.22	तीन से पांच माह
कुल	987.22	931.06	2629009	590.63	
सिस्ता					
2008-09	233.58	232.76	415963	95.76	चार माह
2009-10	236.19	219.37	577354	132.29	एक से पांच माह
2010-11	240.31	240.31	0	0	कोई विलंब नहीं
2011-12	240.29	186.17	263616	66.82	तीन से चार माह
2012-13	245.85	245.85	593620	204.09	तीन माह
कुल	1196.22	1124.46	1850553	498.96	
मेवात					
2008-09	273.22	272.26	1035563	181.39	एक से छः माह
2009-10	287.73	287.09	1362574	216.87	एक से आठ माह
2010-11	265.90	257.00	927504	174.98	एक से तीन माह
2011-12	272.18	196.37	1464118	268.42	एक से सात माह
2012-13	332.99	332.99	1705711	369.50	एक से छः माह
कुल	1432.02	1345.71	6495470	1211.16	
झज्जर					
2008-09	121.84	120.59	346039	65.96	एक से तीन माह
2009-10	109.05	113.27	646012	125.37	एक से तीन माह
2010-11	126.93	128.60	176516	34.12	चार से नौ माह
2011-12	105.18	76.55	573464	114.52	एक से पांच माह
2012-13	104.47	105.88	415282	81.76	एक से सात माह
कुल	567.47	544.89	2157313	421.73	
कुल योग					
			17525952	3593.55	

स्रोत: जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के संबंधित अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.9; पृष्ठ 58)

सर्व शिक्षा अधियान के अंतर्गत किए गए सिविल कार्यों के लक्ष्य एवं प्राप्ति के विवरण

कार्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		कुल	
	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण		
एनएसबी. (प्रई.)	0	0	0	0	114	47	9	3	4	0	127	50
एनएसबी. (यू. प्रई.)	0	0	0	0	177	83	49	27	8	0	234	110
कक्षा कन्से	3437	3333	2234	2068	6151	5046	3948	2800	1182	593	16952	13840
हैड माटर कक्षा	0	0	602	564	23	19	2695	1813	1854	687	5174	3083
चार दीवारी	0	0	0	0	0	0	718	430	0	0	718	430
आचार्य होमटत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेन वाटर हारवेसिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0	501
सौ. गार्ज टायरेट	1840	1840	2492	2487	1748	1724	632	593	1543	1352	8255	7996
टायरेट	0	0	448	444	0	0	83	81	154	116	685	641
टायरेट आईटीसी	0	0	0	0	0	0	718	430	0	0	718	430
पेयजल	0	0	817	817	0	0	167	167	26	23	1010	1007
इलैक्ट्रोफिकेशन	0	0	44	44	520	520	597	538	0	0	1161	1102
मोजर सिपिएर	0	0	0	0	0	0	0	0	44	28	44	28
बी.आर.सी.ट्रेनिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	67	0
आगमनटेशन	0	0	0	0	0	0	2628	2102	2198	1685	4826	3787
रैम्स												
कुल	5277	5173	6637	6424	8733	7439	12244	8984	7581	4484	40472	32204

चोत: सिविल विंग हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रस्तुत डाटा।

परिशिस्त 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.10.1; पृष्ठ 62)

पाथमिक तथा अपर पाथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी की जिलावार स्थिति

ज़िला	पाथमिक स्कूलों की संख्या	पाथमिक अध्यापकों की हकदारी	तैनात प्राथमिक अध्यापक	प्राथमिक अध्यापकों की कमी / आधिक्य	अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या	अपेक्षित की अध्यापक संख्या	तैनात कुल विषय अध्यापक	कमी / आधिक्य
अंबाला	506	1693	1168	525	293	1149	996	153
भिवानी	699	3119	2836	283	463	1872	1775	97
फरीदाबाद	255	1979	812	1167	130	942	669	273
फतेहबाद	394	2017	1451	566	230	1212	875	337
गुडगांव	399	2201	1348	853	208	1080	1016	64
हिंसर	539	2985	2744	241	366	1738	1588	150
झज्जर	338	1263	1340	-77	227	803	864	-61
जींद	467	2498	2269	229	307	1526	1233	293
कैथल	392	2011	1353	658	219	1270	928	342
करनाल	498	2616	1790	826	291	1510	1198	312
कुरुक्षेत्र	523	1846	1424	422	301	1183	1088	95
महेन्द्रगढ़	514	1692	1622	70	276	1009	1239	-230
मेवात	550	4932	1723	3209	341	1824	816	1008
पलवल	384	2684	1181	1503	246	1245	719	526
पंचकूला	283	1107	616	491	143	606	692	-86
पालीपत	252	1768	1028	740	176	993	718	275
रेवाड़ी	444	1436	1454	-18	245	946	1030	-84
रोहतक	245	1287	1301	-14	198	833	878	-45
सिंहास	564	2851	2028	823	301	1623	1216	407
सोनीपत	456	2258	1849	409	290	1295	1179	116
यमुनानगर	623	2147	904	1243	349	1397	1105	292
कुल	9325	46390	32241	14149	5600	26056	21822	4234

चेतावनी: हरियाणा सरकूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रकस्तुत डाटा।

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.4.6.4; पृष्ठ 70)

अपात्र परिवारों से वस्तुलभीय राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

ब्लॉक	लाभग्राहियों की कुल संख्या, जिन्हें इदिया आवास योजना अनुदान दिए गए थे						कुल आबंटित राशि (₹ लाख में)
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13		
कुल	आबंटित राशि	कुल	आबंटित राशि	कुल	आबंटित राशि	कुल	आबंटित राशि
रायपुर रानी	52	17.45	-	33	9.95	-	-
मोर्नी	69	26.56	-	56	22.93	-	-
नारनौल	01	0.25	-	-	01	0.45	-
कनीना	-	-	-	-	04	1.60	-
पलवल	02	0.70	08	2.80	05	2.25	11
हशीन	-	-	80	28.00	29	13.05	09
हांसी - II	01	0.35	-	-	-	-	-
उकलाना	-	-	17	5.95	07	2.95	03
सोनीपत	13	4.55	13	4.55	11	4.55	11
मुङ्डलाना	01	0.35	-	-	-	04	1.60
कुल	139	50.21	118	41.30	141	55.68	43
						17.75	29
						8.65	470
							173.59

चोट: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.4.6.5; पृष्ठ 70)

लाभग्राहियों, जिन्होंने दूसरी किस्त प्राप्त की किंतु अपने मकान पूरे नहीं किए, के विवरण

क्र. सं.	लाभग्राही का नाम	वर्ष	आबंटित राशि (₹ में)	गांव का नाम
1	संजना देवी पत्नी राम स्वर्ण	2011-12	45,000	धारसु (नारनौल)
2	अनीता देवी पत्नी शेर सिंह	2011-12	45,000	धारसु (नारनौल)
3	जगराती पत्नी मनोहर लात	2011-12	45,000	धारसु (नारनौल)
4	कौशल्या पत्नी साई राम	2011-12	45,000	बस्कोटा रोड़ (नारनौल)
5	नीलम पत्नी राम किशन	2011-12	45,000	चिंदालिया (नारनौल)
6	धन सिंह सुपुत्र भीर सिंह	2011-12	45,000	घुघेरा (पलवल)
7	जगदीश सुपुत्र पूर्ण लाल	2009-10	35,000	खोदली जीता (हथीन)
8	अंजु पत्नी चमन लाल	2008-09	35,000	पनेरी (घरौंडा)
9	राजो पत्नी वेदपाल	2012-13	45,000	लालुपुरा (घरौंडा)
10	हवा सिंह सुपुत्र उदय राम	2008-09	35,000	कालर भाथनी (उकलाना)
11	शान्ती पत्नी कालू राम	2009-10	35,000	बदवासनी (सोनीपत)
12	महबूब सुपुत्र मांगे राम	2012-13	45,000	जाजी (सोनीपत)
13	रामफल सुपुत्र राम चंद्र	2008-09	35,000	कोहला (मुँडलाना)
		कुल	5,35,000	

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.18
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.4.6.6; पृष्ठ 71)

लाभग्राहियों, जिन्होंने दो स्कीमों से ग्रामीण आवास हेतु सहायता प्राप्त की थी,
के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ में)

क्र. सं.	लाभग्राही का नाम	पिता/पति का नाम	गांव	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा आबंटित राशि	अनुसूचित जातियों के लिए आवास स्कीम के अंतर्गत जिला कल्याण अधिकारी द्वारा आबंटित राशि
कनीना					
1	राजवीर	रामेश्वर	बचीनी	35,000	50,000
2	निको देवी	सत्यवीर	बघोत	35,000	50,000
3	सुरेश देवी	लीला राम	नांगल हरनाथ	35,000	50,000
4	लाली देवी	राम चंद्र	चेलावास	35,000	50,000
5	नीटा	कृष्ण कुमार	उचत	45,000	50,000
6	प्रेम देवी	जगदीश	धनौड़ा	45,000	50,000
7	बिमला	दलीप	धनौड़ा	45,000	50,000
8	बबीता	महेश कुमार	झगड़ोली	25,000	50,000
पतनवल					
9	श्याम लाल	अम्मी	शामसाबाद	25,000	10,000
10	नरेश	रामजीलाल	बुधा	45,000	50,000
11	श्याम वती	धर्मवीर	शामसाबाद	35,000	50,000
12	पदम सिंह	कलुआ	शामसाबाद	45,000	10,000
सोनीपत					
13	जगदीश	रूप चंद	मोहाना	35,000	50,000
14	मनोज	सुनहरा	मोहाना	35,000	50,000
15	राज कुमार	सुनहरा	मोहाना	25,000	50,000
कुल				5,45,000	6,70,000

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.19
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.4.6.7; पृष्ठ 71)

आवासीय इकाइयों, जिनका अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया, के विवरण

क्र.सं.	लाभग्राही का नाम	गांव	राशि (₹ में)	अभ्युक्तियां
नीलोरवड़ी				
1	चतरो देवी पत्नी भरथू राम	सुलतानपुर	45,000	चारा भंडारण हेतु
2	कमलेश पत्नी सतपाल	पसताना	48,200	भैंस रखने के लिए
उकलाना				
3	बाली पत्नी मोहिंदर	चितैन	35,000	पशु रखने के लिए
4	बिमला देवी पत्नी राजपाल	लितानी	45,000	चारा भंडारण हेतु
सोनीपत				
5	सुमेर चंद सुपुत्र मागे राम	मोहाना	35,000	चारा भंडारण हेतु
6	भरतो पत्नी सूरज भान	गढ़ी हकीकत	35,000	
7	देवी सिंह सुपुत्र जय नारायण	गढ़ी हकीकत	35,000	
8	धन्नो पत्नी रामे	नंगल खुर्द	25,000	
9	महेन्द्र सुपुत्र दीना	नंगल खुर्द	45,000	
10	राम कुवर सुपुत्र मनफूल	नंगल खुर्द	45,000	
11	संजय सुपुत्र तिलक	जैनपुर	35,000	
12	बिषणु सुपुत्र धर्मपाल	जैनपुर	35,000	
13	सुरजा सुपुत्र चन्दन	सांदल कलां	35,000	पशु रखने के लिए
14	सुंदर सुपुत्र अतर सिंह	सांदल कलां	45,000	चारा भंडारण हेतु
15	कमलेश पत्नी राजेश	सांदल कलां	45,000	
मुंडलाना				
16	केवल सुपुत्र महा सिंह	इशपुर खेरी	45,000	चारा भंडारण हेतु
17	बीरमती पत्नी सुखवीर	मथांड	35,000	
18	प्रेमो पत्नी भारत	चेथरा	45,000	
19	जगत सिंह सुपुत्र राम चंद्र	इशापुर खेरी	25,000	पशु रखने के लिए
20	केहरी सुपुत्र ज्ञानी	मथांड	35,000	
21	पाले राम सुपुत्र रामदिया	जवाहर	45,000	
22	सुमित्रा पत्नी रमेश	धुराना	45,000	
23	राज सिंह सुपुत्र भजन	महमूदपुर मान	45,000	
			9,08,200	

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.4.8.1; पृष्ठ 74)

नमूना – जांच किए गए ज़िलों के संबंध में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के विवरण

ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसी का नाम	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्यों की प्रतिशतता
		(मकानों के नंबर)		
पंचकूला	2008-09	391	391	100
	2009-10	758	708	93
	2010-11	523	573	110
	2011-12	511	511	100
	2012-13	590	415	70
कुल		2773	2598	94
महेन्द्रगढ़	2008-09	1198	424	35
	2009-10	1283	565	44
	2010-11	861	753	87
	2011-12	760	781	103
	2012-13	969	971	100
कुल		5071	3494	69
पलवल	2008-09	-	-	-
	2009-10	821	874	106
	2010-11	700	631	90
	2011-12	684	491	72
	2012-13	788	564	72
कुल		2993	2560	86
करनाल	2008-09	828	1021	123
	2009-10	1603	1503	94
	2010-11	1108	982	89
	2011-12	1082	1211	112
	2012-13	1247	1247	100
कुल		5868	5964	102
हिसार	2008-09	980	1243	127
	2009-10	1898	1693	89
	2010-11	1312	1322	101
	2011-12	1282	1303	102
	2012-13	1477	01	0
कुल		6949	5562	80
सोनीपत्त	2008-09	649	579	89
	2009-10	1257	774	62
	2010-11	869	724	83
	2011-12	849	800	94
	2012-13	978	680	70
कुल		4602	3557	77
कुल योग		28256	23735	84

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिस्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.8.3; पृष्ठ 91)

निरीक्षणों के लक्ष्य एवं प्राप्ति के विवरण दर्शनि वाली विवरणी

उप - रजिस्ट्रार सहकारी समिति (उरस.स.)

उरस.स. का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
	ल	प्रा	क	ल	प्रा	क	ल	प्रा	क	ल	प्रा	क	ल	प्रा	क
उरस.स. करनाल	84	84	0	136	92	44	141	96	45	0	0	0	0	0	89
उरस.स. रोहतक	83	40	43	88	22	66	90	12	78	74	7	67	75	47	28
कुल	167	124	43	224	114	110	231	108	123	74	7	67	75	47	28
															371

सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति (स.र.स.स.)

स.र.स.स. का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
	ल	प्रा	क												
करनाल	1101	954	147	1182	1064	118	1265	1062	203	1272	1117	155	1285	1041	244
पानीपत	1394	1286	108	1847	1408	439	1660	1247	413	1568	0	1568	1571	1391	180
यमुनानगर	734	362	372	772	457	315	813	554	259	856	663	193	832	579	253
गोहाना	221	200	21	240	212	28	255	251	4	267	235	32	274	248	26
रोहतक	790	546	244	798	590	208	832	534	298	837	738	99	829	733	96
झज्जर	336	309	27	389	304	85	431	344	87	470	378	92	475	254	221
बहादुरगढ़	141	109	32	132	114	18	136	99	37	105	92	13	141	87	54
नरवाना	267	130	137	295	66	229	354	164	190	357	240	117	414	201	213
जीद	441	415	26	464	425	39	498	349	149	529	308	221	534	195	339
सफीदों	161	134	27	189	178	11	197	110	87	215	156	59	222	128	94
सोनीपत	1722	1468	254	2018	1320	698	2927	1436	1491	2913	2140	773	2866	2333	533
कुल	7308	5913	1395	8326	6138	2188	9368	6150	3218	9389	6067	3322	9443	7190	2253
															31458

ल: लक्ष्य, प्रा: प्राप्तियां, क: कमियां
स्रोत: विभाग द्वारा आपूर्ति डाटा।

परिशिष्ट 2.22
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.5.9; पृष्ठ 92)

**2008 – 13 के दौरान सहकारिता विभाग द्वारा चलाई गई¹
 21 मेजर स्कीमों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी**

क्र. सं.	स्कीम का नाम
1	क्रेडिट सहकारी समितियों को शेयर कैपिटल (लांग - टर्म आपरेशन)
2	हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड बैंक तथा हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम
3	सहकारिता विभाग का कंप्यूटरीकरण
4	अनुसूचित जाति के सदस्यों को ब्याज सब्सिडी
5	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए डिपोजिट गारंटी स्कीम हेतु गारंटी फीस का अंशदान
6	शहरी सहकारी बैंकों को शेयर कैपिटल
7	शुगर फेडरेशन को शेयर कैपिटल
8	गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए सहकारी चीनी मिलों को ऋण
9	लेबर फेडरेशन को शेयर कैपिटल
10	अनुसूचित जातियों, सामान्य श्रमिक एवं निर्माण सोसाइटियों को सहायता
11	सदस्य शिक्षा तथा लीडरशिप ट्रेनिंग
12	प्रचार एवं प्रसार
13	हरियाणा राज्य सहकारी विकास फेडरेशन लिमिटेडको शेयर पूँजी
14	महिला डेयरी सहकारिताओं को सहायता
15	हरियाणा राज्य सहकारी हाउसिंग फेडरेशन को शेयर पूँजी
16	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (राज्य: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम: 50:50)
17	मिल्क प्लांट, रोहतक का एक्सपैंशन / अपग्रेडेशन
18	एक बारगी निपटान के लिए हरियाणा राज्य डेरी विकास सहकारी फेडरेशन को शेयर पूँजी
19	किसानों के लिए हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ऋण
20	डेरी सहकारी सदस्यों को सहायता (सैस के रूप में सरकार को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति)
21	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को वित्तीय सहायता

स्रोत: विभाग द्वारा आपूर्ति डाटा।